Monday, 25th February, 1991

नवम माला, खंड 3, अंक 11

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 25 फरवरी, 1991/6 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
47	नीचे से पंक्ति 2	"टी0बी0" के स्थान पर "टी0वी0" पढ़िये ।
77	नीचे से पंक्ति 9	"श्री चन्द्रश पटेल" के स्थान पर "श्री चन्द्रेश पटेल" पढ़िये ।
103	13	शीर्षक में "जम्मू-कम्मीर" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर" पढ़िये ।
107	नीचे से पंक्ति 4	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अंतःस्थापित करिये ।
128	नीचे से पंक्ति 12	"(च)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
144	17	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका : (क) जी हां।" पढ़िये ।
219	6	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
276	24	"उहाध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 14 सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 3 सोमवार, 25 फरवरी, 1991/6 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		3—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 23 और 24		
प्रश्नों के लिखित उत्तर		24—253
तारांकित प्रश्न संख्या : 22 और 25 से 40	...	24—46
अतारांकित प्रश्न संख्या : 203 से 240, 242 से 244, 246, 247, 249 से 316 और 318 से 432	....	46—253
सभा पटल पर रखे गए पत्र	....	253—266
रेलवे बजट के बारे में	....	267—275
रेलवे बजट, 1991-92		275—297
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	...	298 301

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

			पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	....	....	301
देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल की घटनाओं के संदर्भ में, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार			332—402
श्री संतोष कुमार गंगवार	....	....	301 394—396
श्री जगमाल सिंह	...	....	337—346
श्री राम विलास पासवान	...	....	337 346—351
श्री उदय प्रताप सिंह	....	....	351—354
श्री हरीश रावत	....	....	354—357
श्री कैलाश मेघवाल	....	....	357—358
श्री गंगा चरण लोधी	....	....	358—361
श्री प्रेम प्रदीप	...	...	361—363
श्री राम सजीवन			363—364
श्री राम कृष्ण यादव	....		364—365
श्री वामनराव महाडीक	...		365—366
श्रीमती सुभाषिनी अली		....	366—369
कुमारी उमा भारती			370—371
श्री दिनेश सिंह			371—373
श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा	...		373—375
श्री आर० एन० राकेश	....		376—380
श्री कालका दास			381—383
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा		...	383—384
श्री सत्यनारायण जटिया	....	...	384—386
श्री रामजी लाल सुमन	....	....	387—389
श्री चन्द्र शेखर	...	...	389—394
नियम 377 के अधीन मामले			302—305
(एक) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में एक और गैस एजेंसी खोले जाने की मांग			
श्री मोहन लाल झिकराम		...	302—303

			पृष्ठ
(दो) जम्मू को जम्मू और कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी घोषित किए जाने की मांग			
श्री जनक राज गुप्ता	....	....	303
(तीन) एक उड़िया माध्यम स्कूल का निर्माण करने के लिए दक्षिण दिल्ली में भूमि आवंटित किए जाने की मांग			
श्री गोपी नाथ गजपति	....	....	303
(चार) खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि रोके जाने की मांग			
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय			303—304
(पांच) गिर वन के आसपास के गांवों में शेरों के कारण फैले आतंक को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की मांग			
श्री गोविन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा	....	....	304
(छ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शाहगंज और मऊ के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की मांग			
श्री राम कृष्ण यादव			304—305
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	...		305—327 330—331 402—403
श्री सुबोध कान्त सहाय		...	306—308
श्री पी० चिदम्बरम	...	...	308—327
श्री जसवन्त सिंह	...		402
प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य			327—329
खाड़ी में व्याप्त स्थिति			
श्री चन्द्र शेखर		...	327—329

लोक सभा

सोमवार, 25 फरवरी, 1991/6 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय खाड़ी में जमीनी युद्ध आरम्भ हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। हम इस सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ बाबू, कृपया प्रश्नकाल आरम्भ होने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि इस बारे में सभा में सर्वसम्मति होगी। हम बिना चर्चा के, खाड़ी में जो कुछ हो रहा है उसकी निन्दा करते हुए और युद्ध-विराम की मांग और शांति वार्ता आरम्भ किए जाने के लिए, एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। सारी सभा इस मामले का समर्थन करेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रताप गढ़ में····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रतापगढ़ के बारे में भी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, इसमें सिर्फ दो मिनट लगेंगे। इससे खाड़ी संकट के बारे में हमारी चिन्ता प्रकट होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी प्रश्न-काल को चलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करौल बाग) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजॉर्नमेण्ट मोशन दिया है,··· (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, आपने हमें विश्वास दिया था,····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो विश्वास दिया था, उस पर मैं अडिग हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ बाबू, क्वश्चन-आवर को चलने दीजिये, उसके बाद देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है। हम इसे 12 मध्याह्न पर उठाएंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में बम विस्फोट

+

*21 श्री आर० एम० भोये
श्री माणिकराव होडल्या गावीत } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छ: महीनों के दौरान कितने बम विस्फोट हुए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए तथा हर बार अनुमानत: कितने मूल्य की सम्पति क्षतिग्रस्त हुई;

(ग) बम विस्फोटों के शिकार हुए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) राजधानी में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (च) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) पिछले 6 माह के दौरान दिल्ली में बम विस्फोट की 7 घटनाएं हुई (अगस्त, 1990 से जनवरी, 1991)।

(ख) इन बम विस्फोटों में 10 व्यक्ति मारे गए और 85 व्यक्ति जख्मी हुए। ब्यौरें नीचे दिए गए हैं :

(1) 15.8.1990 को केशवपुरम थाने में एक विस्फोट हुआ। इस घटना में 5 व्यक्ति मारे गए और 18 व्यक्ति जख्मी हुए।

(2) 6.10.1990 को त्रिलोकपुरी थाने के अन्तर्गत मयूर विहार में एक तिपहिया स्कूटर में बम विस्फोट हुआ स्कूटर के दो यात्री और इसका ड्राइवर मारा गया और 2 व्यक्ति जख्मी हुए। तिपहिया स्कूटर और साइकिल क्षतिग्रस्त हुई।

(3) 17.1.1991 को कनाट प्लेस थाने के अन्तर्गत जनपथ में एक विस्फोट हुआ। 8 लाख रुपए की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई।

(4) 22.1.1991 को तीस हजारी जिला न्यायालय के समीप बम विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति मारा गया और 53 व्यक्ति जख्मी हुए। तीन दुपहिए स्कूटर क्षतिग्रस्त हुए।

(5) 22.1.1991 को आई पी स्टेट थाने के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय के समीप एक विस्फोट हुआ। 5 व्यक्ति जख्मी हुए। 9 स्कूटर क्षतिग्रस्त हुए और लगभग 50,000/- रु० की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(6) 25.1.1991 को दरियागंज थाने के अन्तर्गत जय प्रकाश नारायण अस्पताल के समीप एक बम विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति जख्मी हुआ।

(7) 27.1.1991 कोतवाली थाने के अन्तर्गत जुबली सिनेमा में बम विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति मारा गया और 6 व्यक्ति जख्मी हुए और लगभग 40,000/रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ग) केशवपुरम में हुई घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धी को एक लाख रुपए और जख्मी व्यक्तियों को 10,000/रुपए और मयूर विहार की घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धी को 50,000/रु० और जख्मी व्यक्तियों को 10,000/रु० की अनुग्रह सहायता राशि दी गई। जनपथ से सम्बन्धित घटना में कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि उस घटना में कोई जख्मी/मारा नहीं गया। अन्य मामले प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने सभी घटनाओं के सम्बन्ध में मामले दर्ज कर लिए हैं।

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(I) आतंकवादियों द्वारा ऐसी गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद विरोधी एकक बनाए गए हैं।

(II) संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं।

(III) गहन गश्त लगाई जा रही है।

(iv) स्टाफ को आतंकवादियों के फोटो दिखाए गए हैं और उन्हें इसके बारे में बताया गया है।

(v) सावधान रहने के लिए लोगों को साहित्य बांटा जा रहा है। पुलिस वाहनों और टी०वी०/रेडियो और प्रेस के माध्यम से सावधानी बरतने के लिए घोषणा की जा रही है।

(vi) संवेदनशील स्थानों पर भेदिए तैनात किए गए हैं।

(vii) संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की नियमित जांच की जा रही है।

(viii) सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के फोटो चिपकाए गए हैं।

श्री आर० एम० भोये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसमें जो उत्तर दिया है उसमें अगस्त से जनवरी तक की 7 घटनाओं का उल्लेख किया है जब कि मेरी जानकारी के अनुसार बहुत ज्यादा घटनायें हुई हैं और व्यक्ति भी ज्यादा मरे हैं जिनका इस उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि पुलिस के पास हमने सब साधन उपलब्ध करवायें हैं, लेकिन परसों पेपर में आया था कि पुलिस के पास कुछ नहीं है। पुलिस खाली घूमती है और जो अपराध करने वाले हैं, वे अपराध करके चले जाते हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस को साधन देने के लिये वे क्या करेंगे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, इस दौरान में जो घटनायें घटी हैं और जिनका मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, वह सत्य है। यही नहीं बल्कि पुलिस के पास सारी सुविधायें हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 10 घटनाओं में से पुलिस ने 9 को सॉल्व भी किया है। जो उत्तर दिया गया है उसमें 6 महीने की 7 घटनायें बतायी गयी हैं।

श्री आर० एम० भोये : अध्यक्ष महोदय, जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं उनको एक लाख, पचास हजार या दस हजार रुपये दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से दस हजार रुपये कम हैं। क्या इससे ज्यादा राशि दिए जाने का विचार है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह तो दिल्ली प्रशासन की तरफ से तय किया जाता है और एक जनरल मापदण्ड है जोकि राज्यों की अपनी परिधि में है। कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है, यह तो दिल्ली प्रशासन ने अपने तरीके से तय किया हुआ है और वही लागू होता है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने ऐडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बैठ जाएं।

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली में जो बम कांड हुआ था मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि छः साल पहले 1985 में एक ट्रांजिस्टर बम कांड हुआ था जिसमें 44 लोग मारे गए थे। वह केस भी आज तक नहीं हो पाया है। क्या आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई

स्पेशल कोर्ट की बात आपके ध्यान में है जिससे मामले जल्दी निपटाए जा सकें। छः–छः साल से मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोगों को जमानतें होनी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 1985 के ट्रांजिस्टर बम कांड की क्या स्थिति है, उसमें कितने लोग पकड़े गए थे, कितनी जमानतें हुई हैं और क्या फैसला हुआ है। भविष्य में फैसले जल्दी हों इसके लिए क्या कोई स्पेशल कोर्ट बनाने का विचार है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह सवाल बड़ा स्पैसीफिक है कि पिछले छः महीने में कितनी घटनाएं हुई। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वह स्पैसीफिक सवाल है। उसकी क्या स्थिति है मैं उनको बता दूंगा। मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि ऐसे केसेस का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी सारे केसेस को देखा जाएगा।

श्री तारीफ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदर बाजार के गोली कांड में कुछ लोग मारे गए थे। पूर्व गृहमन्त्री ने लोकसभा में बयान दिया था कि उनको एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा लेकिन उनकी शिकायत आई है कि अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस मामले में कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : एक थ्री वीलर को लोग लेकर जा रहे थे जिसमें एक टैरोरिस्ट संभावित तौर पर था जिसके चलते केस चल रहा है। उसको नहीं दिया गया है और दो लोगों को दिया गया है। अदरवाइज और कोई केस हमारे पास लम्बित नहीं है जिनको मुआवज नहीं दिया गया है।

श्री कालका दास : पिछले छः महीने में दिल्ली में जितने बम कांड हुए हैं उससे सम्बन्धित कितने लोगों को पकड़ा गया है और आगे बम विस्फोट रुक सकें इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विभिन्न राज्यों की आतंकवादी गतिविधियों का कभी-कभी केन्द्र बन जाती है और इसीलिए हमारे इन्टैलीजेंस नैटवर्क उन सम्बन्धित राज्यों से सम्पर्क करके, जितनी संभावनाएं दिल्ली में घटनाओं की हैं, उस लिहाज से काफी हद तक अपने को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। रहा सवाल कि कितने लोगों की गिरफ्दारी हुई है और क्या कार्यवाही की गई है, यह फिगर हमारे पास अभी नहीं हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अभी तैयार नहीं हैं, वे फिगर दे देंगे।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं तैयार हूं। इसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है। (**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर जो घटनायें हुई हैं, उनका मंत्री जी ने ब्यौरा दिया है। दिल्ली से जो बसें बाहर जाती है, दिल्ली में

उनमें बम रखे जाते हैं। कोई गाजियाबाद में लोग मारे जाते हैं, कोई नैनीताल में मारे जाते हैं और कोई हिमाचल में जाकर मरते हैं। जहां डेटोनेटर थे वहां पर बम-कांड हुए। इस तरह से पंजाब के आतंकवादियों का दायरा दिल्ली, यू०पी० और बिहार में सब जगह फैलता चला जा रहा है। अगर दिल्ली में बम कांड नहीं रुक सके, बसों में बम रखना रोक नहीं सके तो सारे हिन्दुस्तान में आतंकवादी अपना दायरा बढ़ाते चले जायेंगे। आप इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे और आप स्टेट गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं ? जब केन्द्र में आपकी सीधी हुकूमत है और वहां पर आप इनको रोक नहीं पा रहे है तो बाकी स्थानों पर आप इसे कैसे रोक पायेंगे ? आगे ये बम-कांड न हों उनके लिये आप कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं ?

✓ **प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम है कि दिल्ली से लगभग 120 बसें इन्टर-स्टेट चलती हैं और 120 बसों में कितने लोग सवारी करते हैं इनका अन्दाजा माननीय सदस्य को है ही। ऐसे में एक-एक आदमी की तलाशी लेना सम्भव नहीं है। सरकार हर जगह यह ऐलान करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथोराइज्ड लगेज वहां छोड़े तो इसकी सूचना दीजिये। जब तक इसमें जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इसको पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। 120 बसों में कोई हर जगह जांच करना सम्भव नहीं है। फिर भी जितने बस अड्डे हैं और जितने संवेदनशील स्थान हैं वहां गुप्तचर विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी रहते हैं और वह आवश्यक जानकारी रखते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या एक साथ चलती है तो हम जन सहयोग के बिना इसको पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। 120 रूट्स पर 6 महीने में अगर तीन घटनायें हो गई हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि यह बहुत बड़ी असफलता प्रशासन की है।

स० अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय दिल्ली में जब भी कोई कांड होता है या कोई कार्यवाही होती है तो उसके तुरन्त बाद मेरे रिश्तेदारों के यहां, मेरी सगी बहन के यहां, मेरी मौसी के यहां, मेरे सम्बन्धियों के यहां छापे मारे जाते हैं। सरदार गुरबख्श सिंह जो कि आनन्द पर्वत में रहते हैं, मेरी बहन सुरेन्द्र कौर जो कि गोल मार्किट में रहती हैं, चरणजीत सिंह जो कि स्पोक्समैन के चीफ एडिटर हैं और इनके अलावा 15-20 ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और न ही इनकी कोई पुलिस फाइल है, सिर्फ उनका दोष ये मेरे रिश्तेदार हैं, इस कारण से इनके यहां छापे मारे जाते हैं। मैं दो बार प्रधान मन्त्री महोदय को, एक बार इससे पूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी.पी. सिंह को और तीन बार गृह मन्त्री जी को उनके नाम और अपना शिकायत पत्र दे चुका हूं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश हमें अभी तक आतंकवादी ही मानेगा ? अगर यही भावना है तो क्या हमें इस देश में रहने का हक है या नहीं ? क्या हम पलायन करके चले जायें ? हमें इसके बारे में स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

✓**श्री चन्द्र शेखर** : अध्यक्ष महोदय, हर उस व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार है जो इस देश के नागरिक हैं। माननीय सदस्य की शिकायत जायज है। उन्होंने जिस दिन मुझ को यह सूचना दी उसी दिन मैंने दिल्ली प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को कहा कि अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने की इस तरह की जो वारदातें होती हैं उनको रोका जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि आईन्दा उनको अब कोई शिकायत नहीं रहेगी।

स० अतिन्दर पाल सिंह : 5 दिन पहले ही छापे मारे हैं····(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : आगे से ऐसा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि जब से मौजूदा सरकार ने यह ऐलान किया है कि वह आतंकवादियों से बात करने के लिये और उनके साथ समझौता करने के लिये तैयार है क्या उसके बाद से आतंकवादियों की गतिविधियों में तेजी आई है या नहीं ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या पंजाब के बारे में पूछ रही हैं, तथ्यों के आधार पर यह बात सही नहीं है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, यह जबाब बहुत ही असंतोषजनक है। इसका कोई मतलब ही नहीं है··· (व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैंने राम नाईक जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, केशवपुरम में जो लोग बम-कांड में मारे गये उनको आपने एक लाख रुपये का मुआवजा दिया लेकिन उसके दो महीने के बाद जो मयूर विहार में बम-कांड हुआ उसमें आपने कम्पेंसेशन 50 हजार रुपये दिया है। आप कुछ को एक लाख रुपये का कम्पेंसेशन देते हैं और कुछ लोगों को 50 हजार का देते हैं। यह डिसक्रिमिनेशन करने के बाद क्यों किया जाता है ? और क्यों किया गया है, यह मैं जानना चाहता हूं। आतंकवादी सारे देश में फैल रहे हैं। मुम्बई में भी 6-7 लोग मारे गये हैं तो सारे देश में बम विस्फोट में जो लोग मरेंगे, उनके लिए मुआवजा देने को सरकार एक ही राशि तय करेगी क्या ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, यह खास घटना हुई थी और उस समय लोक सभा का सत्र चल रहा था और उस वक्त के तत्कालीन गृह मन्त्री ने इस बात की घोषणा की थी, लोक सभा में कि इनको एक लाख रुपया दिया जायेगा लेकिन सरकार ने एक जनरल निर्देश किया है, वह 50 हजार रुपये का दिया है कि इस तरह की घटना में····(व्यवधान)

श्री राम नाईक : क्यों ?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह भेदभाव क्यों है ? एक जगह पर एक लाख और बाकी जगह 50 हजार, यह क्यों ? पंजाब के गवर्नर ने हर किसी को एक लाख ही दिया है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : सरकार ने दिया है, एक लाख तो सरकार को तो समानता रखनी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : जनसत्ता के जो पत्रकार डबराल थे उनको तो कहकर भी नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, प्रधान मन्त्री बोल रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर : जैसा हमारे साथी ने कहा, फैसला स्थानीय प्रशासन करता है। बहुत सी राज्य सरकारें केवल 25 या 30 हजार रुपया देती हैं। हम उनको विवश नहीं कर सकते लेकिन अगर किसी खास घटना में आदमी की मृत्यु हुई हो, जहां ज्यादा देने की जरूरत हो तो सदस्य उसके बारे में कहें लेकिन हम कोई जनरल कानून नहीं बना सकते।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली के बारे में तो आप बनाएंगे, दिल्ली डायरेक्ट आपके अन्डर है, यहां स्टेट गवर्नमेण्ड नहीं है, या फिर आप स्टेट दे दीजिए।

श्री चन्द्र शेखर : वह तो हम दे देंगे, अगर आप····**(व्यवधान)**····लेकिन दिल्ली के बारे में हम एक देहाती कानून नहीं बना सकते। यहां बनाएंगे तो किसी दूसरी जगह सवाल उठेगा कि स्टेट गवर्नमेण्ट्स को ऐसा डायरेक्टिव क्यों नहीं दिया।

[**अनुवाद**]

श्री सन्तोष मोहन देव : श्रीमन्, दिल्ली भारत की राजधानी है, केन्द्रीय सरकार का यहाँ सीधा प्रशासन है, यदि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, तो इससे देश के अन्य भागों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुभव से पता चला है कि असम में राष्ट्रपति शासन के पश्चात् कांग्रेस के 21 लोगों की हत्या हुई है। परसों ही हमारे महासचिव की हत्या हुई है। मैं सभा में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन असम में उच्च अधिकारियों से बात करने पर एक ने कहा कि—"यदि आप दिल्ली में हत्याओं को रोक नहीं सकते तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात्, मैं कैसे इन हत्याओं पर नियंत्रण रख सकता हूं ?" यदि अन्य राज्यों में प्रशासकों द्वारा यह रवैया अपनाया गया है और यदि वे यह कहते हैं कि राजधानी में ही कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह एक खराब स्थिति है, जो कि नहीं होनी चाहिए।

मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के उत्तर का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। श्री खुराना ने पूछा है कि बम विस्फोट से सम्बन्धित मामलों को क्यों नहीं निपटाया गया। मैंने स्वयं अपने अनुभव से देखा है कि इन मामलों में बम विस्फोट के समय जो व्यक्ति मौजूद होते हैं, वे न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं और निर्णय लेने में सहायता नहीं करते हैं। यह सरकार की गलती नहीं है।

राजनैतिक दलों और उनके नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता में जागृति आए ताकि वे आगे आकर सरकार की सहायता करें। अन्यथा ये समस्याएं हल नहीं होंगी। इस दृष्टि से मैं मंत्री जी से सहमत हूं। विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए और बन्द कमरे में साक्षी का बयान लिया जाना चाहिए। तभी लोग आगे आकर, सहायता कर सकते हैं। अन्यथा लोगों के लिए आगे आकर सहायता करना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री संतोष मोहन देव : इस अनुभव के आधार पर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विशेष न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रही है। क्या इसमें यह निदेश दिया जाएगा कि साक्षियों का बन्द कमरे में बयान लिया जाएगा ?

श्री चन्द्र शेखर : माननीय सदस्य ने बहुत से सुझाव दिए हैं, जिनमें से कई काफी महत्वपूर्ण हैं। हम निश्चय ही इन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। लेकिन विशेष अदालतों के गठन का अनुभव भी अच्छा नहीं रहा है। इस बारे में उन्हें, मेरे से अधिक जानकारी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। लेकिन यदि असम में कोई व्यक्ति यह कहता है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कोई समस्या है, इसलिए असम में भी ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, उसे उस पर बने रहने का कोई हक नहीं है।

मैं जानता हूं कि असम में कुछ कमी है और हम इस बारे में उपाय कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम स्थिति पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय करेंगे।

लघु और माध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के लिये डाक शुल्क

[हिन्दी]

+

***23 श्री आर० एन० राकेश**
डा० चिन्ता मोहन } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1990 के दि टाइम्स ऑफ इण्डिया में "प्ली ऑन टैरिफ फॉर स्माल पेपर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच लघु एवं मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कितना समय और लगाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि आज मध्यम पेपर्स और मार्जिनल पेपर्स को बड़ी कठिनाइयां होती हैं। गांव के दूर-दराज इलाकों में फैले रहते हैं, जहां बड़े न्यूज-पेपर्स नहीं पहुंच पाते हैं। पेपर्स के भाव बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ऐसे पेपर्स को सस्ते रेट पर कोटा फिक्स करके पेपर देने पर विचार कर रही है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सवाल की ओर दृष्टि अंकित की है, उसके सम्बन्ध में दिसम्बर महीने में कमेटी ने रिपोर्ट सब्मिट की है और उस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार पूरी तरह से एग्जामिन कर रही है तथा उसमें विभिन्न तरह के सजेशन्स दिए गए हैं। जहां तक सवाल छोटे-पेपर और मझोले पेपरों का है, तो इन्हें न्यूज प्रिन्ट को इम्पोर्ट करने में एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जाती है और इसके अलावा और भी तरह की सुविधायें दी जाती हैं। सरकार की ओर से इन्हें बीस करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी समिति की रिपोर्ट है, और सरकार एग्जिस्टिंग जितनी छूट दे रही है, उनको करने के बाद, इनके लिए काफी हद तक सुविधायें मुहैया कराई जा सकती हैं।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब से ऐसा लग रहा है कि मीडियम और छोटे न्यूज पेपर्स के लिए जो रिकमेंडेशन्स आई है, वे उनके लिए लाभदायक हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, उनकी रिकमंडेशन्स को कब तक अमली-जामा पहना देंगे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, दो महीने पहले उनकी रिकमंडेशन्स आई है और वह सेक्रेटरीज के सामने जायेगी। क्योंकि इसका संबंध सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालयों से सम्बन्धित है। सारे मंत्रालयों से राय लेकर फिर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसका जो उद्देश्य है, मध्यम और स्माल न्यूजपेपर्स को जल्दी से जल्दी सुविधायें प्रदान की जायें, तो उसको दृष्टि में रखकर ही फैसला किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० यादव : श्रीमन्, हमारे देश में, विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। यदि हम पिछले तीन या चार वर्षों के राजनैतिक इतिहास को देखें, तो हमें बड़े समाचार पत्रों द्वारा अदा की गई भूमिका की जानकारी मिलेगी। बड़े समाचार पत्रों पर एकाधिकार घरानों का नियंत्रण है। वे

अपनी इच्छा के अनुसार समाचार-पत्रों को तोड़-मरोड़ देते हैं। इस पृष्ठभूमि में, हमें छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों को भी देखना चाहिए, जो कि छोटे लोगों द्वारा चलाए जाते हैं और जिनका बड़े व्यापारियों में कोई हित नहीं है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे क्षेत्रीय समाचार-पत्रों समेत छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों की सहायता के लिए कदम उठाए। उन्हें रियायती दरों पर अखबारी कागज उपलब्ध कराए और उपयुक्त विज्ञापन उपलब्ध कराए, ताकि ये समाचार-पत्र जारी रह सकें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लघु, मध्यम और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के लिए सस्ती डाक दरें उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि जो एक्सपर्टस कमेटी इन सारे सवालों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट 2 महीने पहले आई है, उसमें ये सारे सवाल सम्मिलित हैं। जब यह रिपोर्ट इम्प्लीमेंट होगी तो मैं समझता हूं कि सारे सवालों का निदान हो जाएगा, जो सवाल माननीय सदस्यों ने उठाए हैं।

प्रो० राम गणेश कापसे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि 2 महीने पहले समिति की रिपोर्ट आई है और विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित होने के कारण इस रिपोर्ट को लागू करने में कुछ समय भी अवश्य लगने वाला है। मेरा कहना यह है कि इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए होंगे, उनमें से कुछ सुझावों के बारे में पहले निर्णय ले लिया जाए और बाकी सुझावों के बारे में बाद में निर्णय ले लिया जाए, यह तरीका क्या शासन द्वारा अपनाने का विचार है। समिति की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब हो, यह प्रेस के हित में नहीं है, इसको दृष्टि में रखते हुए क्या शासन कोई अंतरिम रिपोर्ट या अन्तरिम सहायता देने जा रहा है या नहीं।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : इसमें अंतरिम रिपोर्ट देना संभव नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिकतर सुझाव आर्थिक सवालों से जुड़े हुए हैं, छोटे अखबारों की संख्या पर कोई रोक नहीं है, निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिसको पूरा न किया जा सके। इसलिए पूरी तफसील में जाए बगैर कोई अन्तरिम सहायता या अन्तरिम रिपोर्ट नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा : हम सभी औद्योगिक एकाधिकार घरानों द्वारा प्रेस पर नियंत्रण हटाने की बात करते हैं इसके अलावा, कुछ छोटे समाचार-पत्रों द्वारा प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के पास जाने के खतरे की भी, हमें जानकारी है।

यह कुछ समाचार पत्रों से संबंधित है; मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। इन परिस्थितियों में क्या सरकार सभी समाचार पत्रों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने और इसे वर्किंग जरनलिस्ट को सौंपने पर विचार करेगी।

श्री चन्द्र शेखर : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रेस को और स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि यह सभी समाचार पत्र अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है।

श्री अजीत पांजा : क्या माननीय प्रधान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे? इस समिति की सिफारिशें दो माह पहले आ गई थी और माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक यह बाधा बताई है कि सैकड़ों-हजारों समाचार-पत्र हैं, जिनमें वास्तव में कोई व्यवस्था नहीं है वह मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार एक तिथि निर्धारित करने के लिए इन लघु और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के पस्वितन की पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने पर विचार कर रही है? दूसरे, जैसा कि मैं समझा हूं कि सिफारिशों में विशेषस समिति ने कुछ प्राथमिक क्षेत्रों के बारे में बताया है, इसलिए क्या सरकार इन प्राथमिक क्षेत्रों को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है ताकि इन समाचार पत्रों को राहत मिल सके।

उन्हें सहायता देने तथा अन्य बातों से संबंधित प्रश्न बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसी सहायता देकर धन बर्बाद किया गया है, इसलिए क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए प्राथमिक क्षेत्र के बारे में शीघ्र निर्णय लेने के बारे में कोई विचार किया है?

श्री चन्द्र शेखर : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस समय कोई निर्णय लेना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी निश्चित तिथि नहीं है और हर रोज ऐसे नए विचार आते रहते हैं। आप यह पक्की तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इस विशेष दिन के बाद कोई नया विचार नहीं आएगा। हम समाचार-पत्रों को बन्द नहीं कर सकते हैं। अतः यही समस्या है जो काफी पेचीदा है। हम पूर्ण विस्तार में जाए बिना तथा देश की अर्थव्यवस्था पर उसके परिणामिक प्रभावों की जांच किए बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री होटा जी ने जो सवाल किया वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और प्रधानमंत्री जी ने उसको फ्रीडम आफ प्रेस से जोड़कर अलग करने का किया है। मैं समझता हूं कि इससे फ्रीडम आफ प्रेस का मामला नहीं उठता है। वास्तविकता यह कि सभी नहीं लेकिन जो कुछ पूंजीपति हैं, उनका सीधा कंट्रोल प्रेस पर है और इसके जरिए वे ब्लैकमेल करने के लिए प्रेस खोलते जा रहे हैं। इस तरह से पूंजीपतियों का सीधा दखल राजनीति में भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिसके पास पैसा है, जो पूंजीपति है, वे पोलीटिशंस पर कंट्रोल

करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में जो वर्किंग जरनलिस्ट हैं, उनको प्रोत्साहन देकर उनके माध्यम से प्रेस संचालित हो तो मैं समझता हूं कि फ्रीडम आफ प्रेस रहेगी। इसलिए क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे सहमत हूं कि जब आर्थिक शक्ति का बढ़ावा होता है और आर्थिक जगत में जो लोग प्रभावकारी हैं वे समाचार-पत्रों पर अधिकार करते हैं तो उससे अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि निर्णय करना मुश्किल होगा कि कौन-सा अखबार सही है और कौन-सा गलत है लेकिन जहां तक वर्किंग-जरनलिस्ट यदि कोई अखबार चलाना चाहें, किसी अखबार की व्यवस्था गड़बड़ हो और वर्किंग जरनलिस्ट उनको चलाने की जिम्मेदारी ले तो सरकार वर्किंग जरनलिस्ट को, जो पत्रकार बन्धु हैं, उनको हर सम्भव सहायता देगी। मैं मानता हूं कि यदि उनके जरिए अखबार चलाया जाए तो ज्यादा सही मायने में हम देश की छवि को और समाज की समस्याओं को प्रकट कर सकेंगे।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को उल्लिखित किया गया है, आज अखबार समाचार के लिए और समाचार सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। किन्तु जैसे-जैसे महंगायी बढ़ती जा रही है आम आदमी तक सूचना पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में छोटे और लघु समाचार-पत्रों का अस्तित्व बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है। जैसे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि ये सब आर्थिक पहलुओं से, वित्तीय व्यवहार से संबंधित सारी बातें हैं और रिपोर्ट अभी दो महीने पहले आयी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो कार्यवाही हुई है, कुछ न कुछ कार्यवाही तो हुई होगी, दो महीने का समय कम समय नहीं है, उसे कब हम लागू करने वाले हैं ताकि उनको राहत मिल सके। यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने समिति गठित की है और वह हर पहलू पर विचार कर रही है। हम निश्चित समय नहीं बता सकते कि कितने दिन में निर्णय होगा। लेकिन जल्दी ही निर्णय कराने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा, किसी भी मुद्दे के सम्बन्ध में दिए गए उत्तरों को मैं ध्यान से सुनता रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके उत्तर बहुत अच्छे थे। लेकिन आज मैं यह बात सुनकर हैरान रह गया कि निर्णय लेने के बारे में उन्होंने कहा कि वह कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नये बेहतर विचार आते रहेंगे, इसलिए वह कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। मेरे विचार से यदि वह यह सोचते रहेंगे कि नये बेहतर विचार आते रहेंगे।

और तब तक वह इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे । तो ऐसा सोचने से न केवल उनके समय में, बल्कि आने वाले समय में भी हम पर निर्णय नहीं लिया जा सकेगा ।

मुख्य समाचार पत्रों के पास समय नहीं है, अथवा स्थानीय समस्याओं को प्रतिबिंबित करना उनके लिए महंगा पड़ता है । इसलिए छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्र रुख निर्धारित करने और स्थानीय क्षेत्रों में समाज की बुराइयों को उभारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उन्हें छोटे और मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों की आवश्यकताओं पर उदारतापूर्वक तथा सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा और यह कहने की बजाय कि वह कुछ समय तक प्रतीक्षा कर रहे हैं तत्काल निर्णय लेना होगा ।

श्री चन्द्र शेखर : मैं केवल अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि एक अन्य माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें एक तिथि निर्धारित कर देनी चाहिए और उस तिथि से पहले से प्रकाशित समाचार पत्रों को सुविधाएं देनी चाहिएं ।

छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों की समस्या विशेष डाक दर की नहीं है । मुख्य समस्या विज्ञापनों के बारे में है, क्योंकि इसके कुछ निश्चित मानदण्ड हैं । हमें इन मानदंडों मे संशोधन करना है । केवल डाक दर में राहत देने से उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा जब तक कि हम उन्हें विज्ञापन तथा अन्य सुविधाएं नहीं देंगे ।

विशेष जांच दल

+

*24. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
डा० ए० के० पटेल } क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष जांच दल का अधिसूचित कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है और इस दल द्वारा किन-किन मामलों की जांच की जानी थी;

(ख) प्रत्येक मामले की जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है और जांच दल पर कितनी प्रगति हुई है धनराशी खर्च हुई है, और

(ग) क्या उक्त मामलों की जांच पूरी करने के लिए विशेष जांच दल के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की सम्भावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विशेष जांच दल का मौजूदा कार्यकाल 28-2-91 को समाप्त होगा । विशेष जांच

दल द्वारा जांच के लिए हाथ में लिए गए मामलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दल पर अब तक खर्च की गई कुल राशि 19,09,828 रुपये है।

(ग) जी हां। दल का कार्यकाल 28-2-92 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	मामला संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	आर० सी 2 (ए)/90 ए० सी० यू० II (एयर बस मामला)	जांच चल रही है।
2.	आर. सी I (एस)/90 एस० आई० यू-I/एस० आई० सी—I (फोन टेपिंग मामला)	जांच पूरी कर ली गई है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
3.	आर० सी० I (एस०)/90 एस० आई० जी (सेंट किट्स मामला)	जांच चल रही है।
4.	आर० सी० 2(एस)/90 एस० आई० जी (जाली पत्र मामला)	—यथोपरि—

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि विशेष जांच दल को समाप्त नहीं किया गया है और इसका कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, ताकि यह अधूरे मामलों के जांच कार्य को आगे बढ़ा सके। इस दल को चार संवेदनशील मामले सौंपे गए थे : सबसे पहला एयरबस का मामला था जिसका उत्तर दिया गया है; दूसरा फोन टेपिंग का मामला, तीसरा, सेंट किट्स का मामला और चौथा, पत्र जालसाजी का मामला। मंत्री महोदय ने संसद में बताया है कि एयरबस सेंट किट्टिस और पत्र जालसाजी के मामले अभी जांचाधीन हैं तथा फोन टेपिंग के मामले की जांच पूरी हो गई है और इसकी रिपोर्ट दी जा चुकी है। सबसे पहले मैं फोन टेपिंग के इसी मामले के बारे में जानकारी चाहता हूं। क्या यह सत्य है कि इस रिपोर्ट से यह पता चलता है

कि मंत्रिमंडल के सदस्यों, उस समय के सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्यों जिनमें श्री कुमारमंगलम और श्री के० सी० पन्त भी शामिल है, के टेलीफोन भी टेप किए गए? यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है, क्योंकि हमने रिपोर्ट देखी है। हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं है। मेरी राय है कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए थी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब तक प्रकाशित समाचार विशेष रूप से उन लोगों से सम्बन्धित, जो राजनीति में सक्रिय हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दलीय कार्यालयों, श्री के० सी० पन्त तथा श्री कुमारमंगलम जैसे भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों, कुमारी जयललिता, श्री करूणानिधि का नाम सूची में है, जिनके फोन नियमित रूप से टेप किये जाते थे। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (व्यवधान) : अध्यक्ष भी नहीं, मुझे आशा है····**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वास्तव में मुझे पता नहीं है। यह बड़ी खेदजनक बात है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि यह जाँच शुरू करवाने का श्रेय वर्तमान प्रधान मंत्री को जाता है, क्योंकि उन्होंने अप्रैल, 1990 में यह वक्तव्य दिया था कि उनके टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं। इसी वक्तव्य के कारण यह जाँच कार्य शुरू हुआ। मैं इस बात में चिंतित नहीं हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल की है या नहीं कि चन्द्र शेखर जी के टेलीफोन टेप किये जाते थे; वह कोई भी सबूत पाने में सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी सबूतों को पहले ही नष्ट कर दिया गया है और जो कुछ सबूत शेष रह गए हैं, उनसे ही उन्हें निष्कर्ष निकालने हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों पर निगरानी रखी जाती थी? क्या यह भी सही है कि उस समय के सत्तारूढ़ दल के लोक सभा के वरिष्ठ सदस्यों, जिनमें श्री कुमारमंगलम भी शामिल हैं, पर निगरानी रखी जाती थी? क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दल के कार्यालयों पर निगरानी रखी जाती थी? यदि यही रिपोर्ट है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं कि कानून के इस गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? यही मेरा पहला प्रश्न है।

श्री कमल मोरारका : महोदय, इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है। संसद की विशेषाधिकार समिति भी इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने पूछा था····**(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी . क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? मुझे प्रसन्नता है कि इस विशिष्ट उत्तर में विशेषाधिकार समिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि विशेषाधिकार समिति चन्द्र शेखर जी के आरोप के सम्बन्ध में ही कार्यवाही कर रही है। मुख्य मुद्दा इस देश में लोकतंत्र के कार्यकरण, सरकार और इस सभा से संबंधित है। इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह कोई भी कार्यवाही इस बात को ध्यान में रख कर करें कि विशेषाधिकार समिति एक अत्यंत समिति मुद्दे पर कार्यवाही कर रही है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं श्री आडवाणी के इस मत से सहमत हूं कि हमें केवल विशेषाधिकार

समिति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुझे खेद है कि मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में कुछ बता नहीं सकता हूं क्योंकि यह एक जाँच करने वाला अभिकरण है और इसकी रिपोर्टों के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि भविष्य में यह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से····(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह समाचार पत्रों तथा **'इंडिया टुडे'** नामक पत्रिका में कैसे प्रकाशित हो गई? पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है · (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : पत्रिकाओं में अनेक बातें प्रकाशित होती हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट का न तो मैंने खंडन किया है और न ही पुष्टि की है क्योंकि यदि इस रिपोर्ट के बारे में मैं सभा में कुछ कहता हूं तो उसकी पुष्टि हो जाएगी। केवल यही बात है और माननीय सदस्य को यह बात समझनी चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सरकार फोन टेपिंग के पूरे मामले की जांच कर रही है और हम ऐसी चूक-रहित योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे इस प्राधिकरण का दुरुपयोग न हो। जब योजना तैयार हो जाएगी तब मैं राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों को अवश्य विश्वास में लूंगा कि इसे किस प्रकार लागू किया जाए कि इस प्राधिकरण का दुरुपयोग न हो।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मेरा सविनय निवेदन है कि यह कोई गोपनीय प्रकार की जाँच अथवा रिपोर्ट नहीं है जिसके बारे में सभा को जानकारी न दी जा सके। इसमें कोई खास बात नहीं है। मुझे यह आशंका है कि 'इंडिया टुडे' में जो रिपोर्ट दी गई है वह सही है। इसलिए सभा से इस प्रकार की रिपोर्ट छुपाने से अनावश्यक सन्देह का ऐसा वातावरण बनेगा कि और भी फोन टेप किए जा रहे हैं। यह न तो सरकार के हित में है और न ही लोकतंत्र के हित में है। मेरा दूसरा प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट था। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशें की गई कि यह किया जाना चाहिए अथवा वह किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कानून का उल्लंघन न हो। क्या माननीय प्रधान मंत्री जी सभा को इस बारे में जानकारी देंगे?

श्री चन्द्र शेखर : मैं माननीय सदस्य के इस मत से सहमत नहीं हूं कि यह गंभीर मामला नहीं है क्योंकि यदि आप जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार कार्यवाही करे कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के फोन टेप किए जा रहे थे, तो यह अति गंभीर मामला है और इससे सरकार तथा पूर्ण प्रणाली की विश्वसनीयता को आघात पहुंचेगा। यह एक बात है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री चन्द्र शेखर : मैं श्री आडवाणी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा है कि मेरे विचार से यह अति गंभीर मामला है। उनकी राय में यह गंभीर नहीं भी हो सकता है। विचारों में हमेशा भिन्नता रहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में कोई विशिष्ठ

सिफारिश नहीं की गई हैं। कुछ अस्पष्ट सिफारिशें की गई हैं। माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिए कि केवल यही एक अभिकरण ही नहीं बल्कि अनेक अभिकरण फोन टेप कर रहे हैं। इसलिए कुछ अस्पष्ट सुझाव दिए गए हैं। हमें इन्हें लागू करना है इसीलिए विस्तृत कार्यवाही की जानी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मै उन मामलों के बारे में, जो अभी भी जांचाधीन हैं, स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बात का पता लगाया है कि ए 320 विमान सौदे की एक महत्वपूर्ण फाइल गायब है। क्या इस बारे में अब तक पता लगाया है ? ए 320 सौदे के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन को अधियाचन पत्र भेजा गया था। क्या सरकार को उनसे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री चन्द्र शेखर : यह बात मेरे ध्यान में अथवा सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है कि कोई फाइल गायब है। मैं इस मामले की अवश्य जांच करूंगा। जांच अभिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली जांच प्रणाली के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि किस चरण पर क्या जांच की गई। जब मैं अन्तिम रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं हूं तब मैं यह कैसे बता सकता हूं कि किस चरण पर क्या जांच की गई थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : कोई प्रश्न पूछने से पहले मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जांच कार्य शुरू करने से पहले सभा में यह मामला उठाया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विपक्ष के नेता द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि चूंकि वे गंभीर मामले पर विचार कर रहे हैं इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर रखना उचित और व्यवहार्य नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि इसी सभा में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्टों के बारे में कुछ रूढ़ियों और परम्पराओं का पालन किया गया है ? क्या यह सत्य नहीं है कि जब पांचवीं लोक सभा में श्री एच० वी० कामथ ने शराजुद्दीन मामले के बारे में प्रश्न उठाया था तब उन्होंने मांग की थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाए ? जब सरकार ने सभा पटल पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट रखने से इंकार कर दिया था तब अध्यक्ष महोदय ने श्री कामथ को यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखने की अनुमति दी थी। उसी तरह कई प्रतिवेदन तथा कई पत्र आदि प्रस्तुत किए गए। फिरोज गांधी को इन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी गई थी। जब कुछ सदस्यों ने भी ऐसे ही प्रश्न उठाये थे कि जब इन कागजातों में संवेदनशील मामलों के बारे में जानकारी दी हुई है तथा जब किसी व्यक्ति को यह भी ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार से रिपोर्टों को प्राप्त किया जाता है तथा इन्हें सभा पटल पर रखना उचित नहीं है, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि जो व्यक्ति सभा पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वह उन दस्तावेजों की प्रामणिकता की पूरी जिम्मेंवारी यदि लेता है चाहे वे दस्तावेज उसने चोरी-छिपे ही प्राप्त किए हों, उसे इन दस्तावेजों को सभापटल पर रखने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने संवेदनशीलता का तो प्रश्न ही नहीं उठाया था। चूंकि विशेषकर यह मामला तथा इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें जो "इंडिया टूडे" में छपी हैं, वे संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा वर्तमान सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से सम्बन्धित हैं। कांग्रेस सरकार में कुमारमंगलम, अंतुले, कर्नाटक से पाटिल तथा और भी कई सदस्य थे। वे बहुत निष्पक्ष थे

तथा दल द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार करके भी उन्होंने टेलीफोन टेप करने का प्रयत्न किया था। "इंडिया टुडे" में प्रकाशित विस्तृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कि ठीक भी प्रतीत लगते हैं तथा चूंकि यह मामला सभा में उठाया गया था अतः हम यह जानना चाहेंगे कि संवेदनशीलता के मुद्दे को उठाए बिना क्या माननीय प्रधान मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि यह विशेष रिपोर्ट सभा-पटल पर बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी ? मैं उन्हें यह भी याद दिलाता हूं कि अतीत में जब भी किसी सरकार ने सभापटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इन्कार किया था उस समय भी सदस्यों ने अपने कौशल से ही सभापटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दी थी। उन्हें उस कौशल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें सभापटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपने कौशल तथा अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि यह प्रश्न किस प्रकार से है, यह इस सभा की परम्पराओं के बारे में एक लम्बा व्याख्यान है। परन्तु यह किसी भी प्रकार से सुसंगत नहीं होता क्योंकि उस समय भी उस सरकार ने सभापटल पर उन्हें नहीं रखा था बल्कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा इसे उठाया गया था तथा यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें। यदि स्वयं अध्यक्ष महोदय ही यह चाहते हैं कि सभा पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तो मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा। परन्तु कोई भी जिम्मेवार सरकार छानबीन करने वाली एजेंसियों को इस प्रकार की पद्धति के बारे में नहीं बताएगी कि उन्हें...... (व्यवधान) आप इस पर हंस सकते हैं परन्तु देश तथा प्रशासन के हित में जो है उसे मुझे इस सभा को बताना है। मैं उतना गैर-जिम्मेवार नहीं हो सकता जितना कि कुछेक सदस्य मुझसे अपेक्षा करते हैं। मैं उनका अनुसरण करने नहीं जा रहा हूं। मैं इस रिपोर्ट को सभापटल पर नहीं रख रहा हूं। मैं किसी की भी समझदारी की प्रतीक्षा करूंगा तथा मैंने काफी लम्बे अर्से से लोगों की बुद्धि-विलक्षता को देखा है। मैंने इतने लम्बे अर्से तक प्रतीक्षा की है, मैं कुछ समय और भी प्रतीक्षा कर लूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जो बात आपको कहनी चाहिए थी, वह बात प्रधान मंत्री जी ने कही है। वह कह रहे हैं कि मैं विषयसे हटकर बात कर रहा था यदि मैं विषय सेहटक बात कर रहा था। तब उस सम्बन्ध में अध्यक्ष को अधिकार है कि वह मुझे किसी भी समय बोलने से रोक सकते हैं। मैं विषय से हटकर नहीं बोल रहा था। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि जब किसी सरकार ने सभा पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया था उस समय कई माननीय सदस्यों ने अनेक बार उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करवा दिया है। वांचू आयोग के मामले में ज्योतिमय बसु तथा केन्द्र जांच ब्यूरो आयोग रिपोर्ट की के मामले में एच. वी. कामथ ने उन रिपोर्टों को सभापटल पर प्रस्तुत करवाया था। अतएव यदि वह ऐसा करने से इन्कार भी कर रहे हैं तब भी आपको उन्हें बताना चाहिए कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने किसी के टेलीफोन टेप करने का आदेश नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप किस के पापों को छिपा रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : हम किसी के पापों को नहीं छिपा रहे हैं। हम देश की मर्यादा को बचा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं कि वह टेलीफोन टैप कर रहे हैं...... (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, सभा के एक बहुत जिम्मेवार सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया था। वह श्री चन्द्र शेखर ही थे। उस समय उन्होंने यह विचार नहीं किया था कि यह मामला इतना संवेदनशील था कि सरकार को सभा के समक्ष कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। अब उन्हीं माननीय सदस्य के नेतृत्व वाली सरकार अभी भी जिम्मेवार बनी हुई है किन्तु केवल कांग्रेस (आई) के प्रति जिम्मेवार बनी हुई है तथा सभा के प्रति गैर-जिम्मेवार है। अतएव, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ही यह प्रश्न उठाया था तथा वही यह चाहते थे कि सभा पटल पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है जैसा कि श्री चन्द्र शेखर ने आरोप लगाया था कि कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तियों के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे। अब वही प्रश्न मैं प्रधान मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

(एक) क्या इसमें मंत्रीमण्डल के सदस्य भी शामिल हैं ?

(दो) क्या इसमें अन्य संसद सदस्यों पर निगरानी रखने का मामला भी शामिल है ?
उन्होंने इसी प्रकार के प्रश्न करने का प्रयत्न किया था, मैं पुनः उन्हें कह रहा हूं। एक जिम्मेवार संसद सदस्य को जिम्मेवार प्रधान मंत्री से उत्तर मिलना चाहिए (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : कार्यवाही-वृतान्त को ठीक रखने के लिए उस समय भी मैंने यह मामला नहीं उठाया था। किसी अन्य सदस्य ने इस मामले को उठाया था। उस समय सरकार.... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने वक्तव्य दिया था (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया उनकी बात शांतिपूर्वक सुनिए। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने जो भी कहा था उसे मैं दोहराता हूं। मैंने सभा में इस मामले को नहीं उठाया था।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु आपने वक्तव्य दिया था। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, जब मामला एक बार, दो बार और तीन बार दोहराया गया और उस समय सरकार ने सोच-विचार के बाद इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया, तो मैंने कहा था, और यह रिकार्ड में भी है कि सी० बी० आई० एक बच्चे के हाथ के खिलौने जैसा है, हर समय इसका इसी तरह प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी मैंने सदन में यह कहा था। मैंने यह सिर्फ इसलिए कहा था कि कुछ लोग यह चुनौती दे रहे थे कि मैंने प्रेस में कुछ और कहा है और सदन में इसका सदस्य होने के बावजूद इस बात को मान नहीं रहा हूं। उस स्थिति में मैंने एक वक्तव्य दिया। मैंने स्वेच्छा से इसे नहीं स्वीकारा था, ना ही मैंने अपनी ओर से कोई दोषारोपण किया क्योंकि फोन टैपिंग की मुझे काफी समय से आदत पड़ गई है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने क्या पाया ? जिम्मेवार सदस्यों को आपका क्या उत्तर है ? (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : मैंने जो पाया, आप उससे अवगत है। (**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : क्या मैं इस अवसर पर सरकार से इससे कुछ संबंधित, पर थोड़ा भिन्न प्रकार का प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या सरकार ने कभी पत्रकारों के फोन टेप किए हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपात के समय (**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : मुझे इस बारे में सूचना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : पत्रकारों के फोन टेप नहीं किए गए। किन्तु यदि पत्रकार अन्य गतिविधियों में लगे हों, तो उनके फोन टेप हो सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, कुछ समय पूर्व, मुझे पता लगा है कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, उन्होंने मेरे अनुमान से प्रधानमंत्री के रूप में, कभी भी किसी के भी टेलीफोन टेप करने का आदेश नहीं दिया। क्या मैंने उनकी बात को सही समझा है ? इसलिए मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वह हमारे इस विचार से सहमत हैं कि टेलीफोन टेप करना बेहूदा बात है और इसे नहीं किया जाना चाहिए। जब तक वे सत्ता में हैं, तथा प्रधानमंत्री होने के नाते क्या वह यह वक्तव्य देने को तैयार हैं कि जब तक वे इस पद पर हैं, लोगों के फोन टेप नहीं किए जाएंगे ? (**व्यवधान**) अगर यह प्रथा छोड़ी नहीं जाती तो मेरे विचार से इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है कि इसमें उन लोगों को सम्मिलित होना चाहिए, जिनके नामों का उल्लेख यहां किया गया है, और वे लोग भी जो तत्कालीन सरकार के राजनैतिक विरोधी समझे जाते हैं, इसमें उनके अपने दल के वे लोग भी सम्मिलित होंगे जिन्हें वे असन्तुष्ट, द्रोही या तोड़-फोड़ करने

वाले या ऐसा ही कुछ समझते हैं। यह सब घृणित हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, वह इस प्रथा को बिल्कुल रोक देंगे।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अधिकारियों को कह चुका हूं, निर्देश दे चुका हूं कि किसी राजनैतिक नेता के फोन टेप न किए जाएं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यह अत्यन्त बेहूदा प्रथा है, किन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन नहीं दे सकता कि लोगों के फोन टेप नहीं किए जाएंगे क्योंकि 'लोग' शब्द के कई अर्थ हैं। आज के इलेक्ट्रानिक युग में, हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते कि स्मगलर, मुनाफाखोरों अन्तर्राष्ट्रीय जासूसों इत्यादि के टेलीफोन टेप नहीं किए जाएंगे। किन्तु यह मैं स्पष्टतः कहता हूं कि राजनैतिक नेताओं के टेलीफोन टेप नहीं किए जाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि पहले माननीय प्रधानमंत्री ने राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के टेलीफोन टेप न करने की बात कही थी। किन्तु अब नेताओं के टेलीफोन टेप करने के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा गया, तो श्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर संसद को आश्वासन दिया था कि किसी राजनेता का कोई भी टेलीफोन टेप नहीं किया जा रहा और मैं भी वहां उपस्थित था। श्री के० सी० पन्त द्वारा दिया गया वक्तव्य मेरे पास है। श्री के. सी. पन्त का टेलीफोन टेप किया गया था और वे कहते हैं :

'कभी भी मुझे यह सूचित नहीं किया गया कि मेरा टेलीफोन टेप हो रहा है। अब पूरा मामला ही अनोखा लगता है। यह व्यवस्था के सामूहिक उत्तरदायित्व की मूल भावना पर प्रहार करता है।"

इसलिए, प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री शायद रिपोर्ट प्रस्तुत करें या न करें या राजनैतिक कार्यकर्ताओं के टेलीफोन टेप करने के बारे में जो कुछ सूचना प्राप्त हुई है, उसे सदन को या विपक्ष के नेताओं को बताएं या न बताएं, किन्तु जब आप अपने दल के कार्यकर्ताओं के या विपक्षी नेताओं के टेलीफोन टेप करना शुरू करते हैं, तो एक स्तर पर निश्चय ही अध्यक्ष भी इससे जुड़ जाते हैं. टेलीफोन को टेप करना संसद सदस्यों के कामकाज में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है और सदस्यों का विशेषाधिकार भी इससे जुड़ा है और वास्तव में इसी बात ने श्री चन्द्र शेखर को एक सामान्य सदस्य के रूप में उत्तेजित किया था जब उन्होंने कहा कि उनका टेलीफोन टेप किया जा रहा है। किन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि अब उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इस महत्वपूर्ण बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया जिसमें सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं या मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बल्कि राजनैतिक दलों के कार्यालयों के टेलीफोन भी टेप किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ यही कहा कि सरकार जांच करेगी, किन्तु वे संसद को नहीं बताएंगे कि वास्तव में क्या पता लगा या कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मुद्दा सी०बी० आई० की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने या न करने से बड़ा है। राजनैतिक दलों और संसद सदस्यों के कार्य करने की स्वतंत्रता का प्रश्न इससे जुड़ा है। इसलिए, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके सुझाव को मानने में मुझे कुछ हिचकिचाहट है। बात सिर्फ यह है कि मैं अतीत में जाना नहीं चाहता; मैं भविष्य की ओर देखता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इसी बात की रट लगाए रखेंगे कि अतीत में क्या हुआ था, तो यह एक बेहतर भविष्य की ओर नहीं ले जाएगा। भविष्य में, उनके सभी सुझाव मान लिए जाने चाहिए और मान लिए जाएंगे। मैं यह आश्वासन देता हूं कि राजनैतिक कारणों से किसी का भी फोन टेप नहीं किया जाएगा।

डा० ए० के० पटेल : अध्यक्ष महोदय, जांच के ये चारों मामले देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इनमें काफी विलम्ब किया गया है। क्या सरकार जांच शीघ्रता से निबटाएगी ?

श्री कमल मोरारका : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इससे पूर्व बोलने वाले सदस्य ने कहा है कि इससे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न जुड़ा है। इसलिए, मामला विशेषाधिकार समिति के पास है, और यह निश्चय ही सदस्यों के विशेाधकारों का ध्यान रखेगी। मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फिल्म "गांधी" के प्रदर्शन से प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में सर रिचर्ड एटनबरों के साथ किया गया समझौता

[अनुवाद]

***22. श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म "गांधी" के प्रदर्शन से प्राप्त धनराशि के चलचित्र कलाकार कल्याण कोष में दिये जाने के बारे में सर रिचर्ड एनटबरो के साथ उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) चूंकि सर रिचर्ड एटनबरी ने कुछ तकनीकी आधारों पर "गांधी" फिल्म से हुए 5 प्रतिशत लाभ की पूरी राशि, ब्याज सहित चलचित्र कलाकार कल्याण कोष में स्थानांतरित करने में आपत्ति व्यक्त की है इसलिए इस मामले का अभी समाधान नहीं हो सका है और इसके लिए आगे प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्व हिन्दू परिषद् और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच बातचीत

*25. **श्री मित्रसेन यादव**
श्री दिलीप सिंह भूरिया } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले पर विश्व हिन्दू परिषद् और आल इन्डिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीत का ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर विश्व हिन्दू परिषद् और आल इन्डिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच सरकार द्वारा बातचीत करवाई गई।

(ख) दोनों पार्टियों के बीच चार बार बातचीत हुई जिसमें दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए तथा दोनों पार्टियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जानी थी। 6 फरवरी, 1991 को हुई बैठक में दोनों दल अपने-अपने साक्ष्यों का विश्लेषण सारांश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने और किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने को सहमत हुए हैं।

देश में साम्प्रदायिक दंगे

26. **श्री भोगेन्द्र झा**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान अब तक देश के विभिन्न भागों में, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और महीने-वार, साम्प्रदायिक दंगों की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन घटनाओं में जान-माल का कितना नुकसान हुआ है तथा कितने व्यक्ति घायल हुए, बेघर हुए और विस्थापित हो गये हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को कितनी राहत दी गई है और उनके पुनर्वास के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) इन घटनाओं के कारणों के सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई है तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर 1 जनवरी, 1991 से 15 फरवरी, 1991 तक देश में हुई बड़ी साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं का एक विवरण संलग्न है ।

(घ) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय के दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मृत्यु हो जाने अथवा स्थाई रूप से अयोग्य हो जाने पर दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को 50,000 रुपए किया जाए । साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मारे गए निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की विधवाओं को 500/रु० प्रतिमाह की दर से पेंशन भी दी जाए । राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अनुग्रह राहत राशि को शीघ्रतापूर्वक भुगतान करने की प्रणाली की खोज करें ।

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धी को एक लाख रुपए, गम्भीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 4,000/रु० तथा दंगों में घायल हुए अन्य प्रत्येक व्यक्ति को 1,000/रु० की अनुग्रह सहायता देने की घोषणा की है ।

(ङ) सरकार का यह मत है कि इस प्रकार के दंगे सामान्यत: साम्प्रदायिक और समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किए जाते हैं ।

(च) प्रश्न में पूछे गए दंगों के तथा कथित कारण संलग्न अनुलग्नक में दिए गए हैं । जब कभी भी मांग की जाती है तो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अर्धसैनिक बल तथा उपकरण उपलब्ध कराती है, ताकि दंगों को तत्काल प्रभावकारी ढग से काबू किया जा सके तथा नियंत्रित किया किया जा सके । साम्प्रदायवाद की बुराइयों से निपटने के उपायों का पता लगाने की दृष्टि से इस विवादास्पद समस्या का हल ढूंढने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद विचार-विमर्श कर रही है । 1990 के दौरान परिषद की दो बैठकें हुई—पहली बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में तथा दूसरी बैठक सितम्बर में मद्रास में हुई । इन बैठकों में इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए कि समस्या का हल शांतिपूर्ण ढग से निकाला जाए, बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि समस्या का सौहार्द-पूर्ण हल निकाला जाए और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए कि जिससे देश में पहले से व्याप्त साम्प्रदायिक स्थिति और खराब हो जाए ।

साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता, दोनों पहलुओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस समय गृह मंत्रालय में एक योजना चालू है; जिसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में इस प्रयोजनार्थ उत्सव तथा सेमिनार आयोजित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

देश में साम्प्रदायिक सद्भावना और साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अप्रैल, 1990 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे, जिनमें इस बारे में विस्तृत उपाय बताए हैं। भड़काने वाले भाषणों, लेखों आदि, जिससे देश में साम्प्रदायिक वातावरण खराब होता है, को रोकने के बारे में सुझावों का एक सेट भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया है।

गृह मंत्रालय भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का प्रबोधन कर रहा है। इसमें विशेष न्यायालयों का गठन करना, दंगा पीड़ितों को राहत देना, पुलिस आदि में अल्पसंख्यकों को भरती करना शामिल है।

विवरण

राज्य का नाम स्थान तथा तारीख	व्यक्तियों की संख्या मारे गए	व्यक्तियों की संख्या घायल हुए	बेघर तथा विस्थापित हुए व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति की अनुमानित हानि	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	राहत और पुनर्वास के लिए किए गए उपाय	दंगे का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र							
बम्बई							
(27/29.1.1991)	8	49	उपलब्ध नहीं	1.50 लाख रुपये	107	उपलब्ध नहीं	विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच पुरानी दुश्मनी।
उत्तर प्रदेश							
लखनऊ शहर							
(14/17.1.1991)	8	21	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	132	उपलब्ध नहीं	विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच विवाद।

1	2	3	4	5	6	7	8
गाजियाबाद							
(26/28.1.1991)	10	41	उपलब्ध नहीं	21.71 लाख रु०	310	6.12 लाख रु०	आपत्तिजनक भड़कीले भाषण दिए जाने पर विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के ग्रुपों में झगड़ा
खुर्जा							
(29/:1.1.1991) (जिला बुजन्दशहर)	18	18	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	412	उपलब्ध नहीं	दो समुदायों के समाज विरोधी व्यक्तियों में छुरेबाजी के कारण ग्रुप संघर्ष।

उ०न०—उपलब्ध नहीं

नशीली दवाओं के सेवन को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

*27. श्री एन० तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में नशीली दवाओं के सेवन को नियंत्रित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने इस सहायता के दिए जाने से प्राप्त हुए ठोस परिणामों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) और (ग) नियमित मानिटरिंग की जा रही है और रिपोर्टें हर महीने प्राप्त होती हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इन राज्यों में पंजीकृत और नशामुक्त किए गए नशा व्यसनियों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	पंजीकृत	नशामुक्त किए गए
1	2	3
मणिपुर	5,603	4,286
मिजोरम	4,485	1,886
नागालैंड	2,139	1,254

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान दिया गया	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 (20.2.91 तक)
			के दौरान संस्वीकृत अनुदान,			
1	2	3	4	5	6	7
	मणिपुर					
1.	सेंटर फार मैंटल हाईजियन इम्फाल,	(1) परामर्श केन्द्र, इम्फाल,	23,220	77,040	2,18,880	2,77,560
		(2) परामर्श केन्द्र, चूड़ाचांदपुर	—	—	83,700	2,26,800
		(3) निर्व्यसन केन्द्र, इम्फाल,	—	—	2,63,340	6,83,520
		(4) उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र, इम्फाल	—	—	1,66,590	2.12,760
		(5) चेतना कार्यक्रम,	—	—	69,750	—
		(6) वाहनों की खरीद,	—	2,10,?40	—	—
2.	मणिपुर रूरल इंस्टीच्यूट इम्फाल,	(1) परामर्श केन्द्र	—	81,367	2,59,348	2,77,560
3.	ट्राईबल सेवक समिति,	(1) चेतना कार्यक्रम	—	45,000	—	—

1	2	3	4	5	6	7
4.	सैंटर फार सोशल डिवेलेपमेंट इम्फाल,	(i) चेतना कार्यक्रम	—	—	—	65,250

			1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 (20.2.91 तक)
1	2	3	4	5	6	7
	मिजोरम					
1.	फेथ होम, एजवल	(i) निर्व्यसन केन्द्र	—	2,63,520	3,25,240	5,20,560/–
		(ii) परामर्श केन्द्र	—	93,600	1,99,800	1,99,800/–
		(iii) वाहनों की खरीद	—	—	2,06,280	—
II	मिजोरम संयोद सोशल फंट					
		(i) परामर्श केन्द्र	—	1,36,350	65,450	2,55,960
		(ii) वाहनों की खरीद	—	2,10,240	—	2,55,960
III	सोशल गाइडेन्स एजेंसी एजवल	(i) निर्व्यसन केन्द्र	—	3,22,920	5,60,621	4,86,402
		(ii) परामर्श केन्द्र	—	93,240	1,50,137	94,181
		(iii) वाहनों की खरीद	—	—	2,06,280	—

1	2	3	4	5	6	8
	नागालैंड					
I	बथेस्दा यूथ सेंटर दिमापुर					
		(i) निर्व्यसन केन्द्र	—	3,45,150	2,40,540	4,94,100
		(ii) परामर्श केन्द्र	—	1,53,900	1,24,002	2,53,800
		(iii) वाहनों की खरीद	—	2,04,300	—	—
II	इवानजिलिकल यूथ फैलोशिप, कोहिमा	(i)	—	—	42,750	1,89,000

पंजाब के उग्रवादियों के साथ बातचीत

[हिन्दी]

*28. श्री हरीश रावत :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बातचीत के लिए पंजाब के उग्रवादियों को खुला निमंत्रण दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बातचीत के लिए आने वाले ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है;

(ग) क्या सरकार को बातचीत के इस निमंत्रण को स्वीकार किए जाने का कोई संकेत मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सरकार ने देश की एकता तथा अखंडता और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से कोई समझौते किए बिना पंजाब समस्या का कोई हल ढूंढ़ने के लिए खुले रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) उग्रवादियों से कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना

[अनुवाद]

*29. श्री राजमोहन रेड्डी
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार की राष्ट्रीय विकास नीति में बेरोजगारी भत्ता सम्बन्धी प्रावधान शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब और प्रति माह दिये जाने वाले भत्ते की राशि कितनी होगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) सभी सम्बन्धितों के लिए रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के संदर्भ में योजना आयोग मामले पर विचार कर रहा है।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

*30. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1991 के "हिन्दुस्तान" के "न्यूजप्रिंट की बढ़ती कीमतों से छोटे-मझोले पत्रों को परेशानी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज के बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस बारे में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) स्वदेशी मिलें, अखबारी कागज की कीमत बाजार के दामों के अनुसार लेती हैं। आयातित अखबारी कागज की कीमतें अन्तरराष्ट्रीय तथ्यों के आधार पर तय की जाती हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों से उग्रवादियों की घुसपैठ

[अनुवाद]

*31. श्री पी० एम० सईद : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों से भारत में हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी को रोकने तथा हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों को हानि पहुंचाने के लिए वहां प्रशिक्षित किए गए उग्रवादियों को भी रोकने की दृष्टि से देश में घुसपैठ रोकने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बलों द्वारा किन विशेष सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पड़ोसी देशों से घुसपैठ रोकने के लिए सभी संभव सुरक्षा और जबाबी उपाय किए गए हैं।

(ख) सुरक्षा बलों की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है तथा और अधिक सीमा चौकियां स्थापित की गई और अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। घुसपैठियों का पता लगाने के लिए गहन गश्त लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त वाहन और आधुनिकतम हथियारों से मुसज्जित किया गया है। चुने हुए संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ और फ्लड-लाइटिंग लगाई गई है।

(ग) ऐसे प्रबन्ध पंजाब के सीमा क्षेत्रों और राजस्थान सेक्टर के खण्डों में किए गए हैं।

आर्थिक आधार पर आरक्षण

[हिन्दी]

*32 **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने का इस समय का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को अर्थक्षम बनाना

[अनुवाद]

*33. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री आर० गुन्डू राव } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जो रुग्ण है और जो गत तीन वर्षों से घाटे पर चल रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने हेतु हाल ही में कोई कदम उठाने पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों में कुल कितना धन निवेश किया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो 62 उद्यम है, कि पिछले तीन वर्ष से नकद घाटा उठाते आ रहे हैं । इन उद्यमों के नाम तथा 31 मार्च, 1990 तक इनमें धारक कम्पनियों के माध्यम से किए गए पूंजीनिवेश सहित, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कुल पूंजीनिवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

2. कार्य निष्पादन को कारगर ढंग से बेहतर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा की जाने वाली एक सतत् प्रक्रिया है । जहां कहीं इन समीक्षाओं से वित्तीय पुनर्गठन करने, संगठनात्मक परिवर्तन करने अथवा अन्य उपाय करने की आवश्यकता का पता चलता है, वहां सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा उपयुक्त कारंवाई की जाती है । हाल ही में लागू किए नीति सम्बन्धी उपायों में, एक उपाय समझौता ज्ञापन की पद्धति है, जो सम्बद्ध सरकारी विभाग के साथ उद्यम विशेष के सम्बन्ध स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है तथा बातचीत द्वारा तय तथा सम्मत उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास करती है । लागत कारगरता, उच्चतर उत्पादकता तथा ऊर्जा की बचत पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	31.3.90 को केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया पूंजी-निवेश
1	2	3
1.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० आफ इंडिया	1070
2.	बंगाल कैमिकल्स एंड फामस्यिुटिकल्स लि०	3778
3.	बंगाल इम्युनिटी लि०	2912
4.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्यस लि०	1369
5.	भारत लेदर कारपो० लि०	709
6.	भारत ऑप्थलिमक ग्लास लि०	3270

1	2	3
7.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	2638
8.	भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स लि०	4680
9.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	10765
10.	बीको लारी लि०	2410
11.	ब्रेथवेट एंड कं० लि०	5228
12.	बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि०	14690
13.	कानपुर टेक्सटाईल लि०	980
14.	सीमेंट कारपो० ऑफ इंडिया लि०	46944
15.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	14405
16.	कोचीन शिपयार्ड लि०	16547
17.	भारतीय साईकल निगम लि०	5779
18.	दिल्ली परिवहन निगम	41009
19.	एल्गिन मिल्स कम्पनी लि०	7322
20.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	23356
21.	हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपो० लि०	141005
22.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि०	606
23.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	89276
24.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	463
25.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	17758
26.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	16679
27.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	2007
28.	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि०	68
29.	भारतीय होटल निगम लि०	4345
30.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	24807
31.	इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०	89067
32.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	14419

1	2	3
33.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	97
34.	मंडया नेशनल पेपर मिल्स लि०	4411
35.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	7123
36	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०	11392
37.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाईकिल निगम लि०	3047
38.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	3365
39.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपोरेशन लि०	36522
40.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	2942
41.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	427
42.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	500
43.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	17518
44.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि०	10509
45.	नेटेका (गुजरात) लि०	17231
46.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	18645
47.	नेटेका (उत्तर महाराष्ट्र) लि०	23938
48.	नेटेका (दक्षिण महाराष्ट्र) लि०	27739
49.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	21674
50.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	29213
51.	भारतीय परियोजना एवं विकास निगम लि०	6185
52.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	4806
53.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०	5269
54.	स्कूटर्स इंडिया लि०	9448
55.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	1104
56.	सदर्न पेस्टीसाईड्स कारपो० लि०	252

1	2	3
57.	टेनरी एंड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०	6040
58.	त्रिवेणी स्टक्चरल्स लि०	2588
59.	भारतीय टायर निगम लि०	7168
60.	यू०पी० ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लि०	38
61.	वायुदूत	1085
62.	वेबर्ड (इडिया) लि०	460
	कुल जोड़	891099

औद्योगिक नीति में परिवर्तन

*34 **श्री आनन्द सिंह**
श्री वसंत साठे } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान औद्योगिक नीति में किए जाने वाले मूल परिवर्तनों और संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) जी, हां। लघु क्षेत्र के विकास सहित विभिन्न पहलुओं, देरी को कम करने के लिये औद्योगिक आवेदनों की कार्यविधि में परिवर्तन करने इत्यादि के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है और इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

पंजाब में उग्रवादी गतिविधियां

*35. **श्री कमल चौधरी**
श्री यादवेन्द्र दत्त } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1990 से पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पंजाब में नवम्बर, 1990 से आज तक, प्रति माह तथा जिलेवार, उग्रवादियों द्वारा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया, कितने व्यक्तियों की हत्या की गई और कितने व्यक्ति घायल किए गए तथा कितने उग्रवादी मारे गये/गिरफ्तार किये गये; और

(घ) पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों पर अकुंश लगाने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) आतंकवादी गतिविधियां जारी है यद्यपि नवम्बर, 1900 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पंजाब सरकार को सभी आवश्यक सहायता दी जा रही है। सीमा पार से उग्रवादियों के घुसपैठ और शस्त्र और गोला-बारूद की तस्करी को रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

विवरण

नवम्बर, 1990 और जनवरी, 1991 (21 जनवरी, 1991) के मध्य आतंकवादी गतिविधियों के कारण हिंसात्मक घटनाओं की संख्या, अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या, पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गए और जख्मी किए गए व्यक्तियों की संख्या और मारे गए/पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या

महीना	आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई हिंसात्मक	अपहरण किए गए	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	जख्मी हुई	मारे गए आतंकवादियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7
नवम्बर, 1990	535	17	364	181	171	138
दिसम्बर, 1990	433	12	207	81	127	122
जनवरी, 1991	459	23×	243	52×	111	144

इस सम्बन्ध में जिलावार आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

× 21 जनवरी, 1991 तक।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियां

*36 श्री माधव राव सिंधिया
श्री गोपीनाथ गजपति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की गतिविधियों का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने के लिये नवम्बर, 1990 से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में उठाए गए आर्थिक, सुरक्षात्मक और राजनीतिक उपायों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उपायों के परिणामस्वरूप प्रत्येक दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकार द्वारा आतंकवादियों की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों में बेहतर सीमा प्रबन्ध, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना तथा उग्रवादियों पर सुरक्षा बलों द्वारा लगातार दबाव बनाए रखना शामिल है, जिसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं। हाल ही के महीनों में सरकार के सामने आत्म समर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होना तथा लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव आना दिखाई देने लगा है।

राज्य प्रशासन को विकासात्मक और सेवा क्षेत्रों में अधिक कारगर बनाने तथा इन प्रयासों में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। परम्परागत आर्थिक गतिविधियों के लिए सहयोग देना जारी है।

सरकार ने किसी व्यक्ति अथवा किसी समूह के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है परन्तु समाधान संविधान के ढांचे के भीतर तथा देश की एकता और अखंडता के साथ किसी प्रकार का समझौता किए बिना खोजना होगा।

कश्मीर की स्थिति

*37. श्री [illegible]
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद से कश्मीर घाटी की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से कितने व्यक्ति मारे गए हैं और अलगाववादियों उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कितनी मुठभेड़ें हुई हैं;

(ग) क्या कश्मीरी पीढ़ियों के लगभग समूचे अल्पसंख्यक समुदाय ने घाटी से भाग कर बाहर, विशेषकर दिल्ली में, शरण ले ली है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) अत्याधुनिक शस्त्रों और गोला-बारूद सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षित उग्रवादियों के होने और सीमा पार से उन्हें सहायता जारी रहने के कारण जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब रही। तथापि, पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण करने में वृद्धि के संकेत दिखाई दिए है तथा घाटी के लोगों की मनोवृति में परिवर्तन दिखाई दिया है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 1 अगस्त, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक दोनों ओर से गोली चलाने की 331 घटनाएं तथा सुरक्षा बलों पर हमला करने की 421 घटनाएं हुई। इस अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा 166 व्यक्ति मारे गए।

अन्यों के साथ-साथ बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के परिवार घाटी छोड़कर जम्मू, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में चले गए। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि स्थिति में सुधार होने पर प्रवासी परिवार घाटी को वापस जा सकें।

मंत्रालयों में आरक्षित पद

[हिन्दी]

***38. श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं; और

(ख) 31 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ग में ऐसे कितने पद भरे गए और कितने रिक्त पड़े हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण, रिक्तिआधारित है। इसका सम्बन्ध किसी श्रेणी में पदों की कुल संख्या से नहीं है। आरक्षण की विद्यमान योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 15% तथा 7½% की दर से, तथा खुली प्रतियोगिता को छोड़कर, अखिल भारतीय आधार पर की गई सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 16-2/3% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7-1/ % की दर से आरक्षण का प्रावधान है। समूह "क" तथा "घ" में जहां भर्ती क्षेत्रीय/स्थानीय आधार पर की जाती है, वहां आरक्षण की प्रतिशतता, स्थान अथवा क्षेत्र की जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता के अनुसार होती है।

दिनांक 1.1.1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

समूह/श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3
क.	8.64	2.58
ख.	11.29	2.39
ग.	15.19	4.83
घ.	26.67	6.41
कुल	18.85	5.26

तमिलनाडु में अर्धसैनिक बलों की तैनाती

[अनुवाद]

*39. **श्री एम० सेल्वारासू** : : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिये, केन्द्रीय सरकार से तटवर्ती क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिये बार-बार अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुरोध कब कब किये गये थे और इनके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ग) क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात वहां अर्धसैनिक बल तैनात किये गये हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के लिए दिसम्बर, 1990 में तमिलनाडु सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। असम, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पंजाब

और उत्तर प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी पर सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बड़ी संख्या में तैनाती के कारण तमिलनाडु में तुरन्त बल तैनात करना संभव नहीं था। 25.1.91 को आन्ध्र प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस की दो टुकड़ियां तमिलनाडु को उपलब्ध कराई गई। 31.1.91 से 5.2.91 की अवधि के दौरान तमिलनाडु को अर्द्ध-सैनिक बलों के और बल उपलब्ध कराए गए।

सहरसा दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

*40. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहरसा दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है;

(ग) इस केन्द्र की क्षमता में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप देश में दूरदर्शन नेटवर्क का यथा-शीघ्र विस्तार किया जाए।

अरावली के पारिस्थितिकी विकास के लिए कार्य बल

[अनुवाद]

*203 श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अरावली के पारिस्थतिकी विकास के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य दल ने इसे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य दल ने इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आठवीं योजना के दौरान अरावली के विकास के लिए 410 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा है;

(ग) क्या योजना आयोग ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) अरावली पहाड़ियों के विकास से सम्बद्ध कार्यदल की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

आगरा, इलाहाबाद और कानपुर के छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुख-सुविधाएं

*204. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा, इलाहाबाद और कानपुर के छावनी मंडलों के अधिकारी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 130-क, 131 और 137 के प्रावधानों के अनुसार वहां कम से कम नागरिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने का काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त छावनी क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों, जो कि नागरिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने पर आने वाले खर्च को बराबर-बराबर उठाने पर सहमत हो गये हैं, ने बार-बार ऐसा करने की मांगें की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) आगरा, इलाहाबाद तथा कानपुर स्थित छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 130-ए, 131 तथा 137 के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करते हैं बशर्ते इनके लिए संसाधन उपलब्ध हों । छावनी बोर्ड इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान सामूहिक शौचालय, सुलभ शौचालय आदि की व्यवस्था कर रहे हैं ।

(ख) नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर आने वाली लागत/खर्च को वहन करने का किसी का कोई प्रस्ताव जानकारी में नहीं आया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में टी० वी० ट्रांसमीटर

205. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माहे (पांडिचेरी) स्थित टी०वी० ट्रांसमीटर की क्षमता क्या है; और इससे कितने क्षेत्र में प्रसारण देखा जा सकता है;

(ख) क्या सरकार का केरल के कण्णनोर, वायनाड और कालीकट जिलों में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार केरल के किसी दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) माहे (पांडिचेरी) में कार्यरत अति अल्पशक्ति (2 × 10 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का भू-क्षेत्र कवर हो रहा है।

(ख) से (ङ) यद्यपि, कालीकट तथा वायनाड जिलों में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर तथा कन्नानोर में इसी तरह के दो ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन कालीकट में (मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर) लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी०वी० ट्रांसमीटर के वर्ष 1993-94 के दौरान चालू हो जाने पर इन जिलों में दूरदर्शन सेवा सुदृढ़ हो जाएगी।

आंगनबाड़ियों की स्थापना

206. **श्री हरीश पाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आंगनवाड़ियों की स्थापना करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके पिछे क्या दृष्टिकोण है;

(ख) देश में इस समय कार्य कर रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) इस योजना के शुरू होने से अब तक प्रत्येक राज्य को योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों में और अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना का उद्देश्य छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करना, रोग-प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, स्कूल-पूर्व शिक्षा और पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामूहिक सेवाएं प्रदान करना है। इन सामूहिक सेवाओं के प्रदान किए जाने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र एक केन्द्रीय बिन्दु हैं जहां ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक सहभागिता प्राप्त की जाती है। ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं में 1000 की आबादी पर और आदिवासी परियोजनाओं में 700 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी खोली जाती है। 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति अनुसार देश में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अन्तर्गत 2,16,005 आंगनबाड़ियां चलाई जा रही हैं।

आंगनबाड़ियों की राज्यवार संख्या तथा उनका आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। 1975 में आई० सी० डी० एस० योजना की स्थापना काल से लेकर अब तक सरकार इस योजना का विस्तार कर रही है। 1989-90 तक, केन्द्रीय क्षेत्र में 2236 तथा राज्य क्षेत्र में 188 समेकित बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 1990 91 में 100 नई आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं (प्रत्येक में औसतन 100 आंगनबाड़ियां) को स्वीकृत किया जा रहा हैं। योजना का आगे विस्तार किया जाना वर्षानुवर्ष उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्भर करेगा।

अनुसूचित जाति के लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या जैसे पिछड़ेपन के सूचकांकों को दृष्टिगत रखकर ये परियोजनाएं ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों में शुरू की जाती हैं।

विवरण-1

31-12-1990 की स्थिति के अनुसार खोली गई आंगनबाड़ियों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य का नाम	31-12-1990 को स्थिति के अनुसार खोली गई आंगनबाड़ियों की संख्या चालू		
		केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12732	850	13582
2.	अरूणाचल प्रदेश	1082	—	1082

1	2	3	4	5
3.	असम	5923	—	5923
4.	बिहार	15098	—	15098
5.	गोवा	983	—	983
6.	गुजरात	13212	1154	14366
7.	हरियाणा	3970	3842	7812
8.	हिमाचल प्रदेश	2853	—	2853
9.	जम्मू और कश्मीर	2143	1218	3361
10.	कर्नाटक	14088	3234	17321
11.	केरल	6988	2739	9727
12.	मध्य प्रदेश	19151	—	19151
13.	महाराष्ट्र	21513	—	21513
14.	मणिपुर	1535	—	1535
15.	मेघालय	1158	—	1158
16.	मिजोरम	1615	109	1724
17.	नागालैंड	1184	—	1184
18.	उड़ीसा	7836	—	7836
19.	पंजाब	5693	—	5693
20.	राजस्थान	10581	1546	12127
21.	सिक्किम	381	—	381
22.	तमिलनाडु	6681	—	6681
23.	त्रिपुरा	1294	—	1294
24.	उत्तर प्रदेश	20555	666	21221
25.	पश्चिम बंगाल	16440	1560	18000
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान और निकोबार	246	—	246
2.	चण्डीगढ़	200	—	200

1	2	3	4	5
	3. दादर और नागर हवेली	125	—	125
	4. दमन और दीव	79	—	79
	5. दिल्ली	2812	200	3012
	6. लक्षद्वीप	60	—	60
	7. पांडिचेरी	677	—	677
	कुल	1,98,887	17,118	2,26,005

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य का नाम	पांचवीं पंचवर्षीय योजना	छठी पंचवर्षीय योजना	सातवीं पंचवर्षीय योजना
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.55	574.69	3723.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.93	57.74	337.60
3.	असम	41.58	394.89	1890.53
4.	बिहार	70.95	781.21	5131.81
5.	गोवा	9.02	76.22	398.89
6.	गुजरात	40.52	635.18	4599.81
7.	हरियाणा	39.40	322.74	1505.56
8.	हिमाचल प्रदेश	20.34	183.78	799.48
9.	जम्मू और कश्मीर	21.56	133.56	619.08

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	49.86	511.72	4212.21
11.	केरल	43.02	413.54	2209.74
12.	मध्य प्रदेश	58.23	431.96	4876.08
13.	महाराष्ट्र	62.95	817.30	6216.32
14.	मणिपुर	18.70	96.81	518.80
15.	मेघालय	15.65	100.74	413.66
16.	मिजोरम	4.19	136.64	574.98
17.	नागालैंड	16.63	214.12	707.28
18.	उड़ीसा	40.93	431.26	2782.64
19.	पंजाब	32.00	289.51	1675.19
20.	राजस्थान	38.84	492.82	2973.35
21.	सिक्किम	25.97	70.09	148.66
22.	तमिलनाडु	48.94	588.52	2412.64
23.	त्रिपुरा	27.67	134.78	529.59
24.	उत्तर प्रदेश	92.80	920.65	6312.37
25.	पश्चिम बंगाल	69.03	621.66	5342.63
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3.64	34.89	104.56
2.	चण्डीगढ़	2.75	42.06	108.11
3.	दादर व नगर हवेली	4.81	19.48	50.62
4.	दमन व दीव	—	—	22.03
5.	दिल्ली	40.48	368.23	1168.62
6.	लक्षद्वीप	3.03	12.26	23.36
7.	पांडिचेरी	18.20	63.19	275.52

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

207. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न रुग्ण उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) घाटा उठा रहे उद्यमों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिये हमेशा प्रयास किये जाते हैं। कर्नाटक स्थित पंजीकृत कार्यालय वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों नामत: नेशनल टैक्सटाईल, कारपोरेशन (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि० तथा मण्डया नैशनल पेपर, मिल्स लि० पिछले तीन वर्षों से निरन्तर घाटा उठाते आ रहे हैं। सम्बद्ध मंत्रालय उनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उपयुक्त कदम उठा रहे हैं।

राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल/औषधालय

208. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अब तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/औषधालय स्थापित किये गये हैं;

(ख) ये कहां-कहां हैं;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 1991-92 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ और अस्पताल/औषधालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) इस समय नीचे दिये गये अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा के 3 अस्पताल और कर्मचारी राज्य बीमा के 55 औषधालय हैं :—

क्रम सं०	स्थान का नाम	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	औषधालय
1	2	3	4
1.	जयपुर	1	11
2.	जोधपुर	1	4
3.	पाली	—	2
4.	बीकानेर	—	1
5.	भीलवाड़ा	—	4
6.	ब्यावर	—	1
7.	सवाईमाधोपुर	—	1
8.	श्रीगंगानगर	—	2
9.	भरतपुर	—	2
10.	उदयपुर	—	3
11.	अजमेर	—	2
12.	कोटा	1	4
13.	भवानीमंडी	—	1
14.	किशनगढ़	—	1
15.	अलवर	—	4
16.	चित्तौड़गढ़	—	2
17.	बांसवाड़ा	—	1
18.	धौलपुर	—	1
19.	हनुमानगढ़	—	1
20.	आबूरोड़	—	1
21.	फतेहपुरा	—	1
22.	गंगापुर	—	1

1	2	3	4
23.	बाड़मेर	—	1
24.	सीकर	—	1
25.	डुंगरपुर	—	1
26.	लखेरी	—	1
	कुल	3	55

(ग) और (घ) ऐसा बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम पाली, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर प्रत्येक स्थान पर एक-एक नया अस्पताल बनाने के लिए सिद्धान्त: रूप से सहमत हो गया है। राज्य सरकार से किसी नए औषधालय के खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विकास केन्द्र

20?. **श्री शंकर सिंह बघेला**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले से निर्धारित किये जा चुके 50 विकास केन्द्रों के अलावा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए और कितने विकास केन्द्र का पता लगाया गया है तथा उनका स्थानवार और राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) अब तक निर्धारित विकास केन्द्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विशेषकर बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग आदि सुविधाओं के बारे में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ग) **वर्ष 1991-92 के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?**

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) पहले से पता लगाये गये 50 विकास केन्द्रों के अलावा 11 और विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का पता लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गयी है। राज्यवार ब्योरे इस प्रकार हैं :—

विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2
महाराष्ट्र (5)	
धुले	धुले

1	2
रत्नागिरी	रत्ना-गिरी
नान्देड़	नान्देड़
अकोला	अकोला
चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
असम (2)	
रंगजुली	गुआलपाड़ा
जरवालाबंधा	गौगांव
हरियाणा (2)	
जुलाना	जींद
बावल	महेन्द्रगढ़
त्रिपुरा (1)	
चंपामुरा-जोगिन्दर नगर, मूले नगर	पश्चिम त्रिपुरा
मध्य प्रदेश (1)	
सतलापुर	रायसेन

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को विकास केन्द्रों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का सरकार द्वारा मूल्यांकन तथा अनुमोदन किया जायेगा इसके बाद विकास केन्द्र परियोजना का कार्यान्वयन शुरू होगा। इस विकास केन्द्र योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जायेगा।

दिल्ली में समाज-विरोध तत्वों की गतिविधियां

210. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम्** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन, दिल्ली के समीप की कुछ कालोनियों में विशेष रूप से रात के दौरान में शामिल समाजविरोधी तत्वों और नशीली दवाइयों के आदी व्यक्तियों द्वारा चोरी करने तथा मोटर वाहनों के पुर्जे चुराये जाने की वारदातों में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान और फरवरी, 1991 में आज तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) सरकार ने इन समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) गत 3 महीनों, अर्थात् नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान मोटर वाहन/स्कूटर की चोरी के 3 मामले तथा मारुति कार से स्टीरियों चोरी होने का एक मामला सूचित किया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। अनेक व्यक्तियों से पूछताछ की गई परन्तु उनके अन्तर्ग्रस्त होने का कोई प्रमाण साबित नहीं हो पाया है।

(ग) समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए डिवीजन अधिकारियों, बीट अधिकारियों तथा गश्ती कर्मचारियों को क्षेत्र में गश्त तेज करने के निदेश दिए गए हैं।

सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कारों का दुरुपयोग

211. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कारों एवं वाहनों का दुरुपयोग बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा सरकारी अधिकारियों को समुचित निदेश के अभाव में हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टी० वी० धारावाहिकों और टेलीफिल्मों का चयन

212. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख**
श्री आर० जीवरत्नम } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने टी०वी० धारावाहिकों, वृत्तचित्रों और टेलीफिल्मों के निर्माताओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विज्ञापन के जवाब में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन कार्यक्रमों के चयन के लिए कौन से दिशानिर्देश हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी चयन समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां ।

(ख) दूरदर्शन को विज्ञापन के उत्तर में नियत तारीख तक 3516 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) प्रस्ताव अनुमोदन के मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न विवरण अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ) समिति में दूरदर्शन के अपर/उप महानिदेशक और सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पैनल में से कम से कम तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञ (जिनमें एक महिला होंगी) होते हैं ।

विवरण

प्रायोजित कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए प्राप्त प्रस्तावों को जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, विषयवार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और इन प्रस्तावों को प्रत्येक विशेष विषय पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए काफी समय से दूरदर्शन की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए चयन समिति के सम्मुख रखा जायेगा ताकि प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में प्रस्तावों का चयन किया जा सके । समिति ऐसे कार्यक्रमों का अनुमोदन करने का प्रयास करेगी जिनमें सामाजिक मूल्यों और स्वस्थ मनोरंजन हो । विशेष रूप से, इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी जो :

(क) अच्छे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दें ।

(ख) दर्शकों में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, विचारों, संस्कृतियों इत्यादि के प्रति समान आदर की भावना उत्पन्न करें । राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें और भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बढ़ावा दें ।

(ग) देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट प्रतिबिम्बित करें;

(घ) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा दें और भारत के जनजीवन को प्रतिबिम्बित करें;

(ङ) हमारे समाज में नारी के स्थान के प्रति स्वस्थ सम्मान को बढ़ावा दें और युवाओं की आकांक्षाओं और समस्याओं को उजागर करें और

(च) दर्शकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें।

चयन समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिकों की उपयुक्तता की जांच करने के मामले में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए।

ठाकुर पेपर मिल, समस्तीपुर

[हिन्दी]

213. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समस्तीपुर (बिहार) की ठाकुर पेपर मिल गत कई वर्षों से अनधिकृत तालाबन्दी के कारण बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मिल को फिर से खोलने के लिए कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) मैसर्स ठाकुर पेपर मिल्स लि० (टी०पी०एम०एल०) मार्च 1982 से बन्द पड़ी है। यह बताया गया है कि उक्त एकक के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये बिहार राज्य सरकार के परामर्श से वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्ताव सफल नहीं हुये हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने टी०पी०एम०एल० की रेहन रखी गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में 1971 में प्राप्त बिक्री आदेशों को पूरा करने के लिये उपाय किये हैं।

तमिलनाडु में उग्रवादियों की धमकी

[अनुवाद]

214. **श्री वी० देवराजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर उग्रवादियों ने हाल में धमकियां दी हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ उग्रवादियों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में कोई बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उग्रवादियों को हिंसात्मक कार्यवाही करने तथा धमकियां देने से रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उग्रवादियों के विरुद्ध पुलिस कारंवाई तेज कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था-तन्त्र की सहायता के लिए राज्य को अर्ध सैनिक बल भी उपलब्ध कराए हैं ।

फतेहगढ़ चूड़ियां (पंजाब) को तहसील का दर्जा देना

215. **श्री कृपाल सिंह** : क्या **प्रधान** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतेहगढ़ चूड़ियां (पंजाब) को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग, काफी समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या फैसला लिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर

216. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मन्त्री** 3 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4016 और 4195 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबित पत्रों में से अब तक कितने पत्रों के उत्तर दिए गए हैं तथा शेष पत्रों के उत्तर देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) सितम्बर, 1990 से अब तक प्रधान मन्त्री तथा कार्मिक विभाग के पास संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) इनमें से कितने पत्रों के उत्तर अभी दिए जाने बाकी हैं; और

(घ) संसद सदस्यों के पत्रों पर विचार करने हेतु हिदायतों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं । उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) 111 लम्बित पत्रों में से अब 41 पत्र अन्तिम उत्तर के लिए लम्बित है चूंकि उनके उत्तर अन्य मंत्रालयों से आने हैं ।

(ख) 188

(ग) 66

(घ) संसद सदस्यों को अन्तिम उत्तर यथाशीघ्र भेजने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं ।

विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग

217 **श्री फूल चन्द वर्मा** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ब्रांड नाम के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी निर्देश का सभी मामलों में पालन किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) विदेश सहयोग के अनुमोदन मंजूर करते समय एक मानक शर्त यह निर्धारित की जाती है कि आन्तरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर इनका इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली छावनी में "बोर्ड ऑफ आफिसर्स" की सिफारिशें

218. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में ज्वलनशील पदार्थों को जमा करने पर विचार हेतु समय पूर्व एक "बोर्ड ऑफ आफिसर्स" का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के उप नियमों के आधार पर छावनी क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का स्टाक रखने के बारे में उप नियम बनाने के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड ने फरवरी, 1982 में एक उप-समिति का गठन किया था, जिसमें छावनी बोर्ड के तीन चुने गए सदस्य शामिल थे।

(ख) और (ग) उप-समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कुछ आइसक्रीम उत्पादकों के विरुद्ध जांच

219. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग कुछ आइसक्रीम उत्पादकों के विरुद्ध कीमतों में अनुचित वृद्धि, बिक्री पर क्षेत्रीय पाबन्दी और कीमतों के निर्धारण में भ्रष्ट आचरणों के लिये जांच कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जांच-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है। ये मामले आयोग के समक्ष 4-3-1991 को साक्ष्य और बहस के लिए सूचीबद्ध हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को एक न्यायिक कल्प निकाय होने के कारण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

विवरण

क्र०सं०	जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम	जांच नोटिस में आरोपित आर० टी० पी०
1	2	3	4
1.	आर० टी० पी० ई० संख्या 240/88	क्वालिटी आईस क्रीम कम्पनी नई दिल्ली, मेस्सर्ज आइस क्रीम, नई दिल्ली मिल्क फूड लिमिटेड; नई दिल्ली	धारा 33 (1) (घ) के अर्थों में मिलकर कीमतें निर्धारित करना। धारा 2 (ण) के अर्थ में कीमतों में हेर फेर

1	2	3	4
	2. आर०टी०पी०ई० संख्या 8/90	निरुलाज कार्नर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	धारा 2 (ण) के अर्थ में कीमतों में हेर फेर;
	3. आर०टी०पी०ई० संख्या 9/90	क्वालिटी आइस क्रीम कम्पनी, नई दिल्ली	धारा 2 (ण), के अर्थ में कीमतों में हेर फेर, भेद-भाव पूर्ण व्यवहार धारा 33 (1) (ङ), पुनः बिक्री कीमत बनाए रखना (धारा 33 (1) (च)); क्षेत्रीय रोक (धारा 33 (1)—(छ)
	4. आर०टी०पी०ई० संख्या 10/90	गेलार्ड आइस क्रीम, नई दिल्ली	कीमतों में हेर फेर धारा 2 (ण); पुनः बिक्री कीमत बनाए रखना (धारा 33 (1) (च); क्षेत्रीय रोक (धारा 33 (1) (छ)
	5. आर•टी•पी०ई० संख्या 11/90	मिल्क फूड लिमिटेड, नई दिल्ली	कीमतों में हेर फेर (धारा 2 (ण); भेद भाव पूर्ण व्यवहार (33) (1) (ङ)

दिल्ली के छविगृहों में प्रातःकालीन शो बंद किया जाना

[हिन्दी]

220. **श्री राम लाल राही :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली के छविगृहों में दिखाये जाने वाले प्रातःकालीन "शो" बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रातःकालीन शो अश्लीलता से भरे होते हैं और युवा पीढ़ी पर ऐसी फिल्मों का कुप्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) चलचित्र अधिनियम 1952 के उपबन्धों का अतिक्रमण करते हुए विधिवत रूप से प्रमाणित फिल्मों में अंश जोड़कर उन्हें सिनेमा घरों में दिखाये जाने के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के खिलाफ कारंवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने तथा अपराधियों को दन्ड देने के सम्बन्ध में, भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकृष्ट करती रही है।

उड़ीसा के आदिवासियों की गरीबी दूर करने संबंधी योजनाएं

221. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में आदिवासियों की गरीबी दूर करने की कोई योजना तैयार की है या तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनाएं कब तक लागू कर दी जायेंगी;

(घ) इन योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे; और

(ङ) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय आने का अनुमान है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) से (ङ) अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा के आदिवासियों के बीच गरीबी उन्मूलन हेतु विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। ये योजनाएं मोटे तौर पर चार वर्गों में आती हैं :—

1. परिवारोन्मुख आय सृजन योजनाएं,

2. अवसंरचना विकास कार्यक्रम,

3. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, तथा

4. शोषण विरोधी उपाय,

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 70,000 आदिवासी परिवारों को सहायता दिए जाने की सम्भावना है।

इन योजनाओं पर 346.18 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है।

श्रम संगठन

222. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पांच मुख्य श्रम संगठनों के नामों का उनकी सदस्य संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनकी मान्यता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से चुनाव कराना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त संगठनों द्वारा उक्त प्रावधान का पालन कब किया जाएगा;

(घ) क्या गैर मान्यता प्राप्त संगठन व्यक्तिगत मामले उठा सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) :

(क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय व्यवसाय संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों परिषदों, मजदूरी बोर्डों आदि में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से सम्बद्ध व्यवसाय संघों की सदस्यता का समय-समय पर सत्यापन किया जाता है। भारतीय श्रम सम्मेलन ने 21 और 22 अप्रैल, 1990 को हुए अपने 29 वें अधिवेशन में सिफारिश की कि सामान्य सत्यापन चार वर्ष में एक बार किया जाए। तदनुसार 31-12-89 के अनुसार केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से सम्बद्ध व्यवसाय संघों के सामान्य सत्यापन करने का आदेश जारी कर दिया गया है और केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से अपने दावे प्रस्तुत करने का लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में किसी व्यवसाय संघ को मान्यता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए किसी भी व्यवसाय संघ द्वारा कोई भी औद्योगिक विवाद उठाया जा सकता है।

विवरण

31-12-80 को केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के पिछले सामान्य सत्यापन के परिणाम के अनुसार, निम्नलिखित पांच प्रमुख केन्द्रीय व्यवसाय संगठन शीर्ष स्थानों पर रहे हैं :—

केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन का नाम	31-12-80 के अनुसार सत्यापित सदस्यता
1	2
इंटक	*22,36,128
बी० एम० एस०	*12,11,345
एच० एम० एस०	7,62,882
यूटक (एल० एस०)	6,21,359
एन० एल० ओ०	2,46,540

*इन आंकड़ों में बी० एम० एस० के 13 संघों तथा डाक एवं तार विभाग में इन्टक की एक सदस्यता शामिल नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी।

अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस तथा भारतीय व्यवसाय संघ केन्द्र ने सामान्य सत्यापन में भाग नहीं लिया।

उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

223. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मुवाह पुझा में लघु एककों के अन्तर्गत कार्य कर रहे उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यकरण के अध्ययन करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ इस समिति के विस्तार केन्द्र मुवाह पुझा को बन्द करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

आठवीं योजना में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

224. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इनमें से अब तक कितनी परियोजनाओं को तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृति मिली है;

(ग) बाकी बची परियोजनाओं के संदर्भ में विलंब के क्या कारण हैं और उनको शीघ्र स्वीकृति देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या नागार्जुन सागर परियोजना पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक जांच का काम पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का कब तक काम शुरू करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए धनराशि के आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में निर्माणाधीन यूनिटों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त यूनिट लगाए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो :—

— कैगा (कर्नाटक) में 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 4 यूनिट

— तारापुर (महाराष्ट्र) में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट

— रावतभाटा (राजस्थान) में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट तथा

— कुडानकुलम (तमिलनाडु) में सोवियत संघ की सहायता से 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट।

(ख) और (ग) सरकार ने प्रौद्योगिकीय-आर्थिक, पर्यावरण और सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति मिल जाने के बाद तारापुर में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिट लगाने के लिए परियोजना वित्तीय सस्वीकृति जनवरी, 1991 में दे दी है।

कैगा और रावतभाटा के स्थलों को सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। इन स्थलों का पर्यावरण की दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। कुडानकुलम नामक स्थल के लिए पर्यावरण और सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। सोवियत संघ और भारत के बीच अन्तर्सरकारी करार के अनुसरण में विभिन्न तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर नामक स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने का कोई निर्णय नहीं है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा स्थलों का पता लगाने के वास्ते गठित तकनीकी समिति नागार्जुन सागर स्थल पर पहले किए जा चुके अध्ययनों को अद्यतन बना रही है और प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों की पुनरीक्षा कर रही है।

दंगे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत

225. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दंगा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए भेजे विस्तृत मार्ग निर्देशों का वर्ष 1990-91 में संशोधन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो संशोधित मार्ग निर्देशों का पाठ या इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों मार्ग द्वारा निर्देशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रख रही है;

(घ) क्या अब तक वर्ष 1990-91 के दौरान किन्हीं मामलों की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी गई है जिनमें इन मार्ग निर्देशों से काफी हटकर काम किया गया हो; और

(ङ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाई की गई है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अक्षम होने के मामलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राहत राशि देने का सुझाव दिया गया है। निम्न आयु समूह के दंगा पीड़ितों की विधवाओं को 500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का सुझाव भी दिया गया है। यह 1 अप्रैल, 1990 के बाद होने वाले दंगों के मामले में दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) कुछ राज्यों ने हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत स्वीकार कर लिए हैं जबकि कुछ ने उनमें संशोधन करके अपने मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं। चूंकि हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्त केवल सुझाव देने वाले हैं, अतः उपचारात्मक कारंवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

आंध्र प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन

226. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले अभी भी सरकार के पास स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए विचाराधीन है;

(ख) इन मामलों के निपटान में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने पेंशन के लिए आवेदन किए थे और जिनके बारे में आंध्र प्रदेश सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई ऐसे मामलों की संख्या 1-1-91 को 117 थी। हाल में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान इन मामलों पर कारंवाई की गई और वे निर्णय के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार से प्राप्त ये सभी रिपोर्टें मूलतः नए हैं। 10 ऐसे आवेदन हैं जो निर्धारित तिथि के अन्दर (31-3-1982) प्राप्त हुए हैं जिन पर अभी राज्य सरकार की रिपोर्ट आनी बाकी है। इन सभी मामलों को राज्य सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त होने पर ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है;

इसके अलावा, 457 मामले हैदराबाद विशेष जांच समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए लंबित है। इनमें से केवल 315 मामलों में अभी हाल ही में समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और उन पर कारंवाई की जा रही है। शेष मामलों को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

बाल श्रमिकों पर श्वेत-पत्र

[हिन्दी]

227. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों से संबंधित स्वयंसेवी संगठनों की राष्ट्रीय समिति ने सरकार से बाल श्रमिकों के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा बाल श्रम नीति की घोषणा संसद में पहले ही 1987 में की जा चुकी है।

पश्चिमी बंगाल से जुड़ी हुई भारत-बंगला देश सीमा पर पकड़े गए व्यक्ति

[अनुवाद]

228. **श्री अजित कुमार पांजा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसम्बर, 1989 से 30 अक्तूबर, 1990 के दौरान बंगला देश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते हुए कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(ख) अवैध रूप से आने वाले इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1 दिसम्बर, 1989 से 31 अक्तूबर, 1990 की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत बंगला देश सीमा पर पश्चिम बंगाल में 38,285 घुसपैठिए पकड़े गए/रोके गए।

(ख) पकड़े गए घुसपैठियों में से 3,570 को पुलिस/सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपा गया, 34,715 को बंगला देश वापस भेजा गया।

सर्वोच्च बीस औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां, कारोबार और लाभ

229. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान और जनवरी, 1991 तक सर्वोच्च बीस औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियों, कारोबार और लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी औद्योगिक गृह ने कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने का कोई नया प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत और 1988-89 के दौरान उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 20 चोटी के व्यापारिक घरानों से संबंधित कम्पनियों का लेखा वर्ष 1988-89 (अप्रैल 1988-मार्च 1989) में उनकी परिसम्पत्तियां, कुल आय (व्यापारावर्त सहित) तथा कर पूर्व लाभ दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1989-90 के दौरान तथा जनवरी 1991 तक 20 चोटी के व्यापारिक घरानों की परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त तथा लाभ संबंधी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) चोटी के बीस औद्योगिक घरानों से संबंधित एम.आर.टी.पी. उपक्रमों से 1990-91 के दौरान कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत और 1988-89 के दौरान उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 20 सबसे बड़े व्यापारिक घरानों से संबंधित कम्पनियों का लेखा वर्ष 1988-89 (अप्रैल, 1988 से मार्च, 1989 तक) में उनकी परिसम्पत्तियां, कर पूर्व लाभ तथा कुल आय।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	औद्योगिक घराना	परिसम्पत्तियां	कुल आय (व्यापारावर्त सहित)	कर पूर्व लाभ
1	2	3	4	5
1.	बिड़ला	6974.06	6852.33	301.59
2.	टाटा	6621.38	6779.97	439.18

1	2	3	4	5
3.	रिलायंस	3241.24	1227.09	84.95
4.	जे. के. सिंघानियां	1828.75	1587.12	36.72
5.	थापर	1762.52	1493.43	49.70
6.	मफतलाल	1296.55	1687.86	88.49
7.	बजाज	1228.37	1169.59	60.61
8.	मोदी	1192.34	1828.27	15.56
9.	लार्सन एंड टुब्रो	1130.33	1214.31	56.94
10.	एम. ए. चिदंबरम*	1032.23	747.26	29.19
11.	टी.वी.एस. आयंगर	929.06	1080.90	58.57
12.	हिन्दुस्तान लीवर	924.85	2510.08	180.21
13.	ए. सी. सी.	909.13	730.01	(—) 23.95
14.	श्री राम	799.17	1128.72	(—) 2.78
15.	आई. टी. सी.	742.19	1796.95	66.58
16.	यूनाईटेड ब्रेवरीज	715.71	726.11	29.46
17.	आई. सी. आई.	674.46	1239.03	54.17
18.	बांगुर	657.41	771.96	(—) 15.11
19.	किर्लोस्कर	633.07	719.26	25.87
20.	वालचंद	625.75	686.20	20.33

नोट :— *इसमें सदर्न पैट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड भी शामिल है जिसे 1985 में एम. ए. चिदंबरम समूह में सम्मिलित किया गया है।

विवरण-2

कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए चोटी के बीस औद्योगिक घरानों के एम.आर.टी.पी. उपक्रमों से 1990-91 के दौरान (15-2-91 तक) प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	औद्योगिक घराना	विनिमीण की मद	स्थान	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स लार्सन एंड टोब्रो लि०	लार्सन एंड टोब्रो	फेसीमल उपकरण	जिला मैसूर	12-2-91 को अनुमोदित नहीं
2.	मैसर्स लार्सन एंड टोब्रो लि०	लार्सन एंड टोब्रो	ई पी ए बी/एस ई पी-ए एक्स/रैक्स उपकरण	जिला मैसूर	31-7-90 को अनुमोदित
3.	मैसर्स टी वी एस इलैक्ट्रानिक लि०	टी.वी.एस. आयंगर	फैक्स मैशीनेक्स	जिला टुमकुर	विचाराधीन
4.	मैसर्स लार्सन एंड टोब्रो लि०	लार्सन एंड टोब्रो	लैण्ड लाइन रेडियो ट्रांसमिशन प्रणाली	जिला मैसूर	15-1-91 को अनुमोदित नहीं
5.	मैसर्स एल एण्ड टी गोल्ड लि०	लार्सन एंड टोब्रो	इलैक्ट्रानिक मापन यन्त्र	जिला मैसूर	विचाराधीन

"लिट्टे" के साथ कथित सम्बन्धों के कारण गिरफ्तारियां तथा लिट्टे द्वारा तमिलनाडु में हत्यायें

230. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "लिट्टे" उग्रवादियों के साथ कथित संबंध होने के कारण 1 फरवरी, 1991 तक तमिलनाडु में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) तमिलनाडु में "लिट्टे" उग्रवादियों द्वारा कुल कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुकम्पा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नियुक्ति

231. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान दिल्ली पुलिस के सेवाकाल में मृत कर्मियों का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मामलों पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क)

क्र. सं.	पद	संख्या
1	2	3
1.	सहायक पुलिस आयुक्त	1
2.	निरीक्षक	5
3.	उप-निरीक्षक	10

1	2	3
4.	सहायक उप-निरीक्षक	13
5.	हेड कांस्टेबल	32
6.	कांस्टेबल	58
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8
		127

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) 127 मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिवारों में से अब तक केवल 73 ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है । 31 आश्रितों को पहले ही अनुकम्पा आधार पर नौकरी दे दी गई है । 7 अनुरोध निरस्त कर दिए गए क्योंकि वे सरकारी निर्देश के अनुरूप नहीं थे । प्रत्येक मामलों के गुणों के आधार पर शेष अनुरोधों का निर्णय किया जाएगा ।

केरल का सकल स्वदेशी उत्पाद

232. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सकल स्वदेशी उत्पाद में गत तीन वर्षों के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसका तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या केरल का सकल स्वदेशी उत्पाद राष्ट्रीय औसत से कम है, और

(घ) केरल के सकल स्वदेशी उत्पाद को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं । हाल ही के तीन वर्षों के लिए केरल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद निम्नानुसार है :

(चालू कीमतों पर)
(लाख रुपए)

1986-87 (अनंतिम)	820001
1987-88 (अनंतिम)	922230
1988-89 (तुरंत अनुमान)	1000734

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) केरल का प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से कम है। राज्य के घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गति औद्योगिक विकास में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी के चुनींदा सुधार के जरिए प्रारम्भिक सैक्टर की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करना परिकल्पित किया गया है।

कारावास की अवधि में कमी करना

233. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारावास की अवधि 14 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है विशेषकर उन कैदियों के लिए जिन्होंने जेल में अच्छा व्यवहार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में मंडी में नमक की खानों में खनन कार्य

[हिन्दी]

234. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में द्रुंग स्थित नमक खान में खनन कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, हां। फरवरी, 1991 में।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1992 तक निर्माण-कार्य शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है।

कर्नाटक में 'सी बर्ड प्रोजेक्ट' की स्थापना

[अनुवाद]

235. **श्री वी. कृष्ण राव**
श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कारवाड़ के निकट वर्ष 1992 तक अत्याधुनिक नौसेना अड्डा "सी बर्ड प्रोजेक्ट"—स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) कारवाड़, कर्नाटक में एक एकीकृत नौ सैनिक बेस स्थापित किये जाने से सम्बन्धित परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना का कूट नाम "सीबर्ड" परियोजना है। इस परियोजना के विकास में कम से कम 10-15 वर्ष का समय लगने की संभावना है।

(ख) इस परियोजना की वृहत् योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करली गई है। परियोजना के लिए 5825 एकड़ सरकारी भूमि अधिग्रहीत करली गई है और इस समय 2495 एकड़ निजी भूमि के अर्जन की कार्रवाई चल रही है। इस स्थल पर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

बाल श्रमिकों और उनके कल्याण पर विचार-गोष्ठी

236. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बाल श्रमिकों और उनके कल्याण पर हुई बैठक/सम्मेलन-विचार गोष्ठी में अनेक चर्चाएं हुई थी और कई निर्णय लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं एवं निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) से (ग) 'बाल श्रम, शिक्षा और विधान का प्रवर्तन' पर एक एशियाई क्षेत्रीय सेमीनार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान में नई दिल्ली में 4 से 8 फरवरी, 1991 तक आयोजित किया गया था। यह सेमिनार निर्णय लेने के लिए नहीं बल्कि प्रभावी प्रवर्तन नीतियों तथा बाल श्रम के

विरुद्ध अभियान में शिक्षा की भूमिका पर विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने और क्षेत्रीय राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर कारंवाई को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

निर्यातोन्मुख औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

237. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख औद्योगिक लाइसेंस जारी करने से सम्बंधित उन आवेदनों की मदवार संख्या क्या है जो छः माह से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) लाइसेंस न दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) लाइसेंस शीघ्रातिशीघ्र देने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) कैलेंडर वर्ष 1987 से 1990 के दौरान 100% निर्यातोन्मुख उपक्रम योजना के अंतर्गत औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी के लिये 1908 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसी अवधि के दौरान 922 आशय-पत्र/अनुमति-पत्र जारी किये गये हैं और 488 मामले नामंजूर किये गये थे। छः महीने से अधिक की अवधि से 2[illegible] आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। लंबित आवेदनों के ब्यौरे तब तक नहीं बताये जाते तब तक सरकार उन पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। सरकार की यह निरन्तर कोशिश रहती है कि यथाशीघ्र सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को निबटाया जाये।

आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

238. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखबारी कागज के लिए अग्रिम ठेका करने में तथाकथित लापरवाही बरती गई जिसके कारण देश में आयातित अखबारी कागज की भारी कमी हो गई; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष, 1990-91 के लिए लागू मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विभिन्न तिमाहियों में लागू मूल्यों के स्तर में उतार-चढ़ाव प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में प्रभावी वृद्धि के कारण हुआ।

(ग) अखबारी कागज के आयात का सरणीकरण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है और ठेका देने में कोई लापरवाही की घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए आयातित अखबारी कागज का लागू मूल्य (तिमाही वार)

	प्रति मीट्रिक टन अखबारी कागज का उच्च समुद्री विक्रय मूल्य	प्रति मीट्रिक टन अखबारी कागज का बफर स्टाक बंदरगाह शहर विक्रय मूल्य (सीमाशुल्क को छोड़कर
1	2	3
अप्रैल-जून—1990		
स्टैंडर्ड अखबारी कागज	11,070/—	11,120/—
ग्लेज्ड अखबारी कागज 60 जी०एस०एम०	14,970/—	15,020/—
जुलाई—सितम्बर—1990		
स्टैंडर्ड अखबारी कागज	11,150/—	11,560/—
ग्लेज्ड अखबारी कागज 60 जी०एस०एम० अथवा 56 जी०एस०एम०	15,820/—	15,870/—
अक्तूबर—दिसम्बर—1990		
स्टैंडर्ड न्यूजप्रिंट	11,800/—	11,850/—
ग्लेज्ड अखबारी कागज 60 जी०एस०एम० अथवा 56 जी०एस०एम०	16,600/—	16,650/—

1	2	3
जनवरी 91—**मार्च**—1991		
स्टैंडर्ड अखबारी कागज	12,260/—	12,310/—
ग्लेज्ड अखबारी कागज 60 जी०एस०एम०	17,645/—	17,695/—
ग्लेज्ड अखबारी कागज 56 जी०एस०एम०	18,145/—	18,195/—

"नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड" को पुनः अर्थसक्षम बनाने की योजना

239. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अपने घाटे को पूरा करने हेतु इसको पुनः अर्थ सक्षम बनाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या पुनः अर्थ सक्षम बनाने की योजना में बाइसिकलों के उत्पादन हेतु किसी देश से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का भी प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कम्पनी से अपने सभी एककों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी अनुमति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं। घाटे की भरपाई करने के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। किन्तु विभिन्न कार्य-योजनाओं पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

(ख) इस प्रस्ताव में संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण, कार्यबल के युक्तिकरण, पूंजी ढांचे के पुनर्गठन, कार्य-संचालन पूंजी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा युगांडा में एक साइकिल एकक के प्रबन्धन से अफ्रीकी बाजार में अपना स्थान बनाना जैसे पहलू सन्निहित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश परियोजना का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

240. **श्री छविराम अर्गल** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश योजना लागू कर ली गई है;

(ख) क्या कई युनिटों को केन्द्रीय निवेश अनुदान के अभाव में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या इन यूनिटों को हो रहे वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से इन्हें क्षति पूर्ति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना मध्य प्रदेश सहित देश में केन्द्र द्वारा अधिसूचित सभी पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के लिए 30.9.1988 तक लागू थी। यह योजना 1.10.1988 से समाप्त कर दी गयी थी। तथापि, सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को गैर-निर्माणकारी कार्य कलापों के लिए 30 सितम्बर, 1989 तक और निर्माणकारी कार्य-कलापों के लिए 31 दिसम्बर, 1989 तक राज सहायता वितरित करने की सलाह दी, बशर्ते कि राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन 30.9.1988 को अथवा उससे पूर्व अर्थात योजना की वैध अवधि के दौरान किया गया हो। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों के लिए एक नयी निवेश राज-सहायता योजना शुरू की जायेगी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

242. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन एवं अधिस्थापित कुल क्षमता कितनी है;

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास लम्बित क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके विपणन कक्ष को कारगर बनाने हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) बी०एच०ई०एल० का मुख्य व्यापार विद्युत क्षेत्र में है तथा बी०एच०ई०एल० की 4500 मेगावाट थर्मल सेट एवं 1345 मेगावाट हाइड्रो सेट का निर्माण करने की वार्षिक क्षमता है। इसके अलावा, बी०एच०ई०एल० औद्योगिक, परिषण तथा परिवहन उपकरणों का निर्माण भी करता है। बी०एच०ई०एल० ने 1989-90 के दौरान 2921 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

(ख) बी०एच०ई०एल० के पास 1990 के अन्त तक विद्युत जनित्रण उपकरणों के लिए 6334 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक, पारेषण एवं परिवहन उपकरणों के लिए 1509 करोड़ रुपये के क्रयादेश थे।

(ग) बी०एच०ई०एल० ने अपने निर्यात-प्रयास तेज कर दिए हैं तथा कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद पिछले दो वर्षों के दौरान माल्टा, मलेशिया तथा साइप्रस से 300 करोड़ रुपये के निर्यात-आदेश प्राप्त किये हैं।

बिक्री उपरान्त बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बी०एच०ई०एल० ने क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की है।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि के अनिर्णीत मामले

243. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में झुमरी तलैया, कोडरमा, डुमचाई स्थित मैसर्स इण्डिया माइका एंड माइका नाटक इंडस्ट्रीज, मैसर्स छोटू राम दर्शन राम, मैसर्स छातू राम तासिल राम (सी०एच०एल०), मैसर्स नन्द लाल सामन्तो, मैसर्स सी०एम०आई०एल० में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत जमा कराने वाले अनेक श्रमिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है क्योंकि उनमें से कई लोग या तो छोड़कर चले गये हैं या सेवा निवृत्त हो गये अथवा उनकी मृत्यु हो गई है;

(ख) उपरोक्त कंपनियों और निगमों के कितने सेवा निवृत्त व्यक्तियों तथा मृतकों के आश्रितों को भविष्य निधि अधिनियम के अनुरूप छह माह के अन्दर भुगतान किया गया है;

(ग) क्या भविष्य निधि राशि का कई वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक फर्म में कुल कितने कर्मचारी थे और प्रत्येक कर्मचारी की कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) बाकी मामलों को निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहयोग

[अनुवाद]

244. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान उद्योग वार तथा वित्तीय सन्दर्भ में राष्ट्रवार कुल कितनी विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग किया गया है; और

(ख) इन सहयोगों पर खाड़ी युद्ध का कितना प्रभाव पड़ने की संभावना हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) वर्ष 1990 के दौरान (I) उद्योग-वार स्वीकृत विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या तथा (II) देश-वार अनुमोदित विदेशी निवेश के ब्यौरे विवरण–1 और विवरण–2 के रूप में संलग्न हैं।

(ख) इस अवस्था में, इन सहयोगों पर खाड़ी युद्ध के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करना मुश्किल है।

विवरण-1

वर्ष 1990 के दौरान, स्वीकृत विदेशी सहयोग अनुमोदनों की उद्योग-वार संख्या

क्रम सं०	उद्योग का नाम	स्वीकृत अनुमोदनों की सं०
1	2	3
1.	धातुकर्मक उद्योग	26
2.	ईंधन	3
3.	बायलर्स और भाप जरित्रण संयंत्र	7

1	2	3
	4. प्राइम मूवर्स (वैद्युत उपकरणों के अलावा)	2
	5. वैद्युत उपकरण	88
	6. दूर संचार	69
	7. परिवहन	22
	8. औद्योगिक मशीनरी	75
	9. मशीनी औजार	24
	10. विविध मकै, तथा इन्जी उद्योग	88
	11. वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	7
	12. चिकित्सा तथा सर्जीकल उपकरण	5
	13. औद्योगिक उपकरण	38
	14. रसायन (उर्वरक के अलावा)	66
	15. औषध एवं भेषज	2
	16. वस्त्र (रंगीन, छपे अथवा अन्य अन्यथा प्रसाधित सहित)	10
	17. कागज एवं लुगदी कागज उत्पादो सहित	7
	18. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	7
	19. साबुन, कान्तिवर्धक एवं टायलेट प्रेपरेशन	2
	20. रबड़ का सामान	10
	21. चमड़ा. चमड़े का सामान एवं परिस्कारक	7
	22. कांच	4
	23. सरेमिक	8
	24. सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	6
	25. परामर्शदात्री	10
	26. विविध उद्योग	73
	योग	666

विवरण-2

वर्ष 1990 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश का देश-वार ब्यौरे का विवरण

क्र०सं०	देश का नाम	अनुमोदित विदेशी निवेश की राशि (रु० लाख में)
1	2	3
1.	आस्टेलिया	62.80
2.	आस्ट्रिया	74.35
3.	ब्राजील	7.98
4.	कनाडा	66.00
5.	डेनमार्क	272.32
6.	एफ०आर०जी०	1951.22
7.	फिन्लैंड	56.66
8.	फ्रांस	888.00
9.	हांग कांग	115.00
10.	इटली	682.74
11.	जापान	500.15
12.	कोरिया (दक्षिण)	706.24
13.	मलेशिया	12.50
14.	नीदरलैंड	376.61
15.	नार्वे	4.00
16.	स्वीडन	33.82
17.	स्विटजरलैंड	1350.70

1	2	3
18.	ताइवान	64.18
19.	यू०के०	906.70
20.	यू०एस०ए०	3448.24
21.	यू०एस०एस०आर०	710.80
22.	थाइलैंड	16.25

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए परियोजनाएं

246. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में गठित पटेल समिति ने अपने प्रत्यावेदन में क्षेत्र के पिछड़ेपन और गरीबी को हटाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और आजम गढ़ जिलों में कुछ परियोजनाएं स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त जिलों में इन्हें स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) । (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन जिलों में अनेक उद्योग स्थापित कर दिए गए हैं और सड़कें तथा अन्य निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

[हिन्दी]

247. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है जिन्हें उनकी बटालियनों के भंग किये जाने के कारण समय से पूर्व ही बिना पेंशन सेवानिवृत्त कर दिया गया था; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति के तौर पर कितनी धनराशि दी गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त आकलनों के अनुसार 01.01.1988 को देश में 43.62 लाख भूतपूर्व सैनिक थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जिन यूनिटों को भंग कर दिया जाता है उनमें काम करने वाले कार्मिकों को अन्य यूनिटों में खपाया जाता है। अतः ऐसे कार्मिकों की समय-पूर्व सेवानिवृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1.1.1988 की स्थिति के अनुसार देश में भूतपूर्व सैनिकों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		संख्या (लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.00
2.	असम	0.70
3.	बिहार	2.22
4.	गुजरात	0.12
5.	हरियाणा	2.18
6.	हिमाचल प्रदेश	0.93
7.	जम्मू एवं काश्मीर	1.04
8.	कर्नाटक	0.55
9.	केरल	3.20
10.	मध्य प्रदेश	1.00
11.	महाराष्ट्र	3.96
12.	मणीपुर	0.04

1	2	2
13.	मेघालय	0.06
14.	नागालैंड	0.03
15.	उड़ीसा	0.24
16.	पंजाब	4.81
17.	राजस्थान	2.72
18.	सिक्किम	0.085
19.	तमिलनाडु	6.69
20.	त्रिपुरा	0.08
21.	उत्तर प्रदेश	8.72
22.	पश्चिम बंगाल	0.40
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.001
24	गोवा	0.01
25.	मिजोरम	0.10
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.004
2.	चंडीगढ़	0.12
3.	दिल्ली	6.60
4.	पांडिचेरी	0.01
	कुल योग	43.62

बच्चों के गोद लिये जाने सम्बन्धी कानून

[अनुवाद]

249. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के गोद लिये जाने के संबंध में कोई कानून है क्योंकि अनेक बच्चों को विदेशियों द्वारा गोद लिये जाने के बाद देश के बाहर ले जाए जाने का पता चला है; यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सोसाइटियों के पंजीकरण संबंधी अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटियां भी इस मामले में व्यवहार करती हैं; और

(घ) क्या सरकार बच्चों को गोद लिये जाने संबन्धी प्रक्रिया का उच्चतम न्यायालय के 1984 के निर्णय के प्रकाश में तर्क संगत बनाने पर विचार करेगी, यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) देश में कोई सामान्य दत्तक ग्रहण कानून नहीं है। तथापि हिन्दुओं के लिए हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं अनुरक्षण अधिनियम, 1956 विद्यमान है। विदेशी, अभिभावक एवं संरक्षण अधिनियम, 1990 के अधीन किसी सक्षम न्यायालय से बच्चे के अभिभावकत्व के लिए प्रार्थना करते है और अपने ही कानूनों के अनुसार अपने देश में बच्चे का दत्तक ग्रहण करते हैं।

(ख) विभिन्न समुदायों पर विभिन्न स्वीय कानून लागू है। अत: कोई सामान्य कानून बना पाना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, केवल ऐसी सोसायटियां ही जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और भारत सरकार द्वारा बच्चों के अन्तर देशीय दत्तक ग्रहण हेतु मान्यता प्राप्त है, विदेशियों के अभिभावकत्व संबंधी आवेदनों पर कारंवाई कर सकती है और न्यायालय में दत्तक ग्रहण प्रायोजित कर सकती है।

(घ) किसी एक रूप कानून के अभाव में 1982 की अपराधिक रिट याचिका सं॰ 1171 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस दिशा निर्देशों में देश के अन्दर तथा बाहर दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में ऐजेंसियों को मान्यता देने हेतु प्रक्रिया, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भूमिका, स्वयसेवी संगठनों की भूमिका तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, उन स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका तथा स्वरूप जो यह कार्य कर सकती है, तथा समन्वयकर्त्ता स्वयंसेवी एजेंसियों की भूमिका आदि निर्धारित की गई है।

सीमेंट का मूल्य

250. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की उत्पादकों को मूल्य न बढ़ाने की चेतावनी के बावजूद गत छः महीनों के दौरान सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो पूर्ववर्ती 6 महीनों में हुई मूल्य वृद्धि का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादकों के अनुसार कोयला, डीजल और यातायात जैसे घटकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण सीमेंट के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) पिछले छह महीनों के दौरान सीमेंट के मूल्यों में आंशिक वृद्धि हुई है। पिछले छह महीनों के दौरान 4 महानगरों में प्रति बोरी सीमेंट के मूल्यों में माहवार वृद्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सीमेंट के मूल्य में वृद्धि निविष्टियों अर्थात् कोयले, बिजली, परिवहन प्रभार, पैट्रोलियम उत्पादों की लागत, आदि में वृद्धि के कारण हुई है। अन्य मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(क) सीमेंट की मांग तथा उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन

(ख) आधारभूत सुविधा तथा उत्पादन सम्बन्धी स्थानीय बाधाएं।

विवरण

पिछले छह महीनों के दौरान प्रति बोरी सीमेंट का खुदरा मूल्य (रुपयों में)

शहर का नाम	निम्नलिखित तारीख का						मूल्यों में अन्तर
	1.8.90	1.9.90	1.10.90	1.11.90	1.12.90	1.191	
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	92—95	92—95	92—95	95—97	95—97	95—97	+ 2
कलकत्ता	88—92	87—93	87—94	89—97	92—98	95—102	+ 10
बम्बई	90—95	90—95	90—95	90—95	90—98	95—100	+ 5
मद्रास	85—89	85—89	85 89	85—89	87—92	87—92	+ 3

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों के लिए कार्यक्रम

[हिन्दी]

251. **श्री तेज नारायण सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेजरोगार युवकों की समस्या को दूर करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर लगभग कितनी राशि व्यय होगी और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजातियों के कितने युवकों को रोजगार दिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) सूचना विभिन्न विभागों से एकत्र की जा रही है और यथा संभव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का पकड़ा जाना

[अनुवाद]

252, **श्री शांताराम पोटदुखे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से भारत में अब तक कितनी मात्रा में अवैध हथियार चोरी से लाये गये और घुसपैठियों समेत कितने हथियार पकड़े गये;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर हजारों मुजाहिदीनों को भी इकट्ठा कर रखा है जो कि भारत की अखण्डता और प्रभुसत्ता के लिए एक खतरा प्रतीत हो रहे हैं; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार के साथ उचित स्तर पर यह मामला उठाया गया है; यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1989, 1990 और 1991 (जनवरी 1991 तक) के दौरान भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा जब्त किए गए शस्त्रों की मात्रा निम्न है :—

1989	175
1990	338
1991 (31 जनवरी, 91 तक)	26

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

महिला कामगार

253. **श्री तारीफ सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक तथा संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या समस्त कार्यबल के अनुपात में उसके आवश्यक प्रतिशत में कमी और वेतन रोजगार के अवसरों तथा सेवा शर्तों के मामले में भेदभाव, यदि कोई हो, तो की जानकारी के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तरह का अध्ययन करने का विचार कर रही है; और

(घ) महिला श्रमिक बल की कार्य दशाओं के सुधार के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) :

(क) से (ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन कुल रोजगार तथा संगठित क्षेत्र में महिला नियोजन (सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में) के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये जाते हैं । इसके अनुसार, वर्षों से कुल रोजगार में महिलाओं के प्रतिशत की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई गई है ।

"उद्योग में महिला कर्मकारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण" नामक योजना के अधीन उद्योगों के संगठित क्षेत्र अर्थात् खानों, बागानों और विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में नियोजित महिला कर्मकारों की कामकाजी तथा अन्य दशाओं का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए गये हैं ।

(घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी देने तथा न केवल भर्ती में महिलाओं के प्रति भेदभाव रोकने बल्कि रोजगार के बाद सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था है । समान पारिश्रमिक अधिनियम में संशोधन भी किया गया था ताकि चुने हुए स्वैच्छिक संगठनों को इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर शिकायतें दायर करने की अनुमति दी जा सके । विभिन्न अन्य श्रम कानूनों, जैसे —कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार

(नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 आदि में महिला श्रमिकों के कल्याण तथा संरक्षण के बारे में व्यवस्था है। अधिकांश मामलों में, इन श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्रों से आग्रह करती रही है। महिला तथा बाल श्रमिकों के लिए कानूनी उपबन्धों से संबंधित प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर एक योजना प्रारम्भ की गयी है। केन्द्रीय सरकार महिला श्रमिकों को संगठित करने के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता भी देती है ताकि उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके।

प्रसार भारती निगम की स्थापना

254. **श्री मनोरंजन सुर**
श्री मधु दंडवते } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम को कार्यान्वित करने की तिथि अधिसूचित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो अधिसूचना जारी करने तथा प्रसार भारती निगम की स्थापना करने में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) दोनों की संभावित तिथियां कौन-कौन सी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती की स्थापना से सम्बद्ध तारीख औपचारिक रूप से अधिसूचित करने से पहले सभी पक्षों से परामर्श करना जरूरी समझा गया है ताकि वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी स्थापना करना राष्ट्रीय हित में है।

साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें

[हिन्दी]

255. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री 24 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष अदालतें गठित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्यान्वयन का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में पुलिस एवं प्रेस की क्या भूमिका है तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रशासन ने साम्प्रदायिक दंगा हिंसा के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देना उन्मुखी कारंवाई करना आरम्भ कर दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत साम्प्रदायिक लेखों के लिए प्रेस के खिलाफ कारंवाई भी की है।

महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान में प्रति व्यक्ति निवेश

256. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान में पिछले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना केन्द्रीय निवेश किया गया है;

(ख) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय निवेश में निरन्तर वृद्धि हुई है; और

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) गत दो वर्षों, अर्थात 1989-90 तथा 1988-89 के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में किया गया कुल पूंजी निवेश इस प्रकार था :—

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं. राज्य का नाम	सकल परिसम्पत्ति के रूप में पूंजी निवेश	
	1989-90 के दौरान	1988-89 के दौरान
1	2	3
1. महाराष्ट्र	3754	2486
2. गुजरात	589	878
3. राजस्थान	318	286

(ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में पूंजी निवेश में निरन्तर वृद्धि हुई है ।

(ग) राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश, समग्र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है ।

दंगा शमन दलों/बलों का गठन

[अनुवाद]

257. **श्री धर्मपाल सिंह गुप्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस/अर्द्ध-सैनिक बलों के विशेष संभागों से दंगा शमन बलों का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे बलों में कर्मियों का चुनाव करने के मानदण्ड क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) विशेष दंगा बल के गठन के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

खाड़ी युद्ध पर विशेष बुलेटिन

[हिन्दी]

258. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध पर विशेष बुलेटिन का प्रसारण अंग्रेजी में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रसारण में रक्षा विशेषज्ञों के बजाय पत्रिकाओं के संपादकों को लिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या उपचारी उपाय करने का विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार बुलेटिन दूरदर्शन के समाचार संपादकों द्वारा तैयार किये जाते हैं। कुछ बुलेटिनों में रक्षा विशेषज्ञों के विचार भी शामिल किये जाते हैं। खाड़ी युद्ध पर सामयिक विषयों के कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन पत्रकारों, रक्षा विशेषज्ञों, समाचार-पत्रों के संपादकों और जाने-माने लोगों को आमंत्रित करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सीमेंट का मूल्य

[अनुवाद]

259. **श्री कमल नाथ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सीमेंट उत्पादक सरकारी विभागों को सीमेंट बेचने से इनकार कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या सरकार का विचार सीमेंट पर पुनः नियंत्रण लगाने और इसका मूल्य निश्चित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय सीमेंट के मूल्य और वितरण पर फिर से नियन्त्रण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान नीति यह है कि बढ़िया आपूर्ति प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।

जनजाति क्षेत्रों के लिए धनराशि

[हिन्दी]

260. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित और वितरित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) 1989-90 के दौरान, आदिवासी उपयोजना हेतु राज्य वार विमुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आबंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए हेतु राज्यवार विमुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता

क्र. सं. राज्य का नाम	विमुक्त धनराशि (रुपये लाखों में)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1347 45
2. असम	886.08
3. बिहार	2731.50
4. गुजरात	1611.96
5. हिमाचल प्रदेश	376.25
6. कर्नाटक	153.90
7. केरल	126.21
8. मध्य प्रदेश	5582.90
9. महाराष्ट्र	1486.97
10. मणिपुर	320.30
11. उड़ीसा	2755.98
12. राजस्थान	1429.64

1	2
13. सिक्किम	60.64
14. तमिलनाडू	229.92
15. त्रिपुरा	336.80
16. उत्तर प्रदेश	46.92
17. पश्चिम बंगाल	1016.58
18. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	41.00
19. गोवा, दमन और दीव	9.00
कुल	20550.00

पिछड़े वर्गों की सूची

[अनुवाद]

261. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पिछड़े वर्गों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है जिन्हें मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभ मिलना है, और

(ख) इन सूचियों को श्रेणीबद्ध किये जाने से संबंधित मुख्य ब्यौरा क्या है और क्या सभी राज्यों के पिछड़े वर्गों को इसमें शामिल कर दिया गया है ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन पर बिहारी फिल्मों का प्रसारण

[हिन्दी]

262. **श्री रामदास सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर बिहार प्रदेश से संबंधित फिल्मों को छोड़कर अन्य अनेक प्रादेशिक फीचर फिल्में दिखाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मैथिली आदि बिहार की प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्में प्रसारित किए जाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) रविवार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों पर विचार करने हेतु सरकार ने पात्रता के कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। प्रसारण के लिए प्रस्तुत की गई तथा पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाली सभी फीचर फिल्मों पर दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के लिए विचार किया जाता है। पात्रता के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी मैथिली फीचर फिल्म को राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए दूरदर्शन को प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, जब भी मैथिली तथा अन्य बोलियों में फीचर फिल्में उपलब्ध होती हैं और उन्हें उपयुक्त पाया जाता है, तब उन्हें दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली तथा इसके लिंक ट्रांसमीटरों से प्रसारित किया जाता है।

श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1975 में संशोधन

263. **श्री छेदी पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्रकार एसोसिएशन ने श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1975 में संशोधन करने तथा प्रेस की स्वतन्त्रता को संवैधानिक गारंटी प्रदान करने की दृष्टि से शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को समाप्त करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) अभी हाल में सरकार को इस बारे में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से कोई लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना

264. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना से सम्बन्धित कार्य घोषित नीति के अनुसार आरंभ कर दिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। किन्तु 1990-91 के दौरान कोई बजट प्रावधान नहीं है।

गोआ में मराठी कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण

[अनुवाद]

265. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पणजी दूरदर्शन केन्द्र से गोआ के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मराठी कार्यक्रमों को प्रसारित न किये जाने के क्या कारण हैं; जबकि गोआ में सरकारी प्रयोजनों के लिए मराठी का भी बराबर प्रयोग होता है; और

(ख) इस मामले में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) कार्यक्रमों के रिकार्डिंग तथा प्रसारण की सीमित सुविधा होने के कारण, दूरदर्शन केन्द्र, पणजी सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट का कोंकणी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इसके अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, पणजी द्वारा रोजाना सायं 5.00 बजे से 7.00 बजे तथा सायं 7.30 बजे से 8.40 बजे तक दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से मुख्यतः मराठी में कार्यक्रम रिले किए जाते हैं। जहां तक संभव होता है दूरदर्शन केन्द्र, पणजी गोवा में उपलब्ध मराठी प्रतिभाओं की सेवाओं को रिकार्ड करता है तथा वह रिकार्डिंग प्रसारण हेतु बम्बई केन्द्र को भेज देता है, जिसे बम्बई से पणजी रिले किया जाता है। रिकार्डिंग सुविधाओं की तंगी के कारण, दूरदर्शन की पणजी केन्द्र से फिलहाल मूल रूप से मराठी कार्यक्रम प्रसारित करने में कठिनाई आ रही है।

हिमाचल प्रदेश में अर्द्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए शिविर

266. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान हिमाचल प्रदेश में अर्द्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती शिविर लगाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अर्द्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस में पृथक-पृथक किन-किन स्थानों, जिलों से और कितने-कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1991 के दौरान हिमाचल प्रदेश से इन बलों के लिए कर्मचारियों के चयन की भविष्य की योजनाएं क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने वर्ष 1990 के दौरान हिमाचल प्रदेश में भर्तियां की, जिनमें सीमा सुरक्षा बल ने 206, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 50, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 179 यथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 190 उम्मीदवार भर्ती किए। बलों द्वारा जिन स्थानों और जिलों में भर्तियां की गई थीं उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। असम राईफल तथा दिल्ली पुलिस ने वर्ष 1990 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कोई भर्ती नहीं की।

(ग) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा दिल्ली पुलिस का वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार की भर्ती करने का कोई विचार नहीं है। असम राईफल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने वर्ष 1991 के दौरान हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित संभावित स्थानों को भर्ती करने के लिए चुना है।

असम राईफल :	कांगड़ा और लाहौल स्पीती।
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल :	ऊना
भारत तिब्बत सीमा पुलिस :	कुल्लू, पालमपुर और सराहन।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों और जिलों के नाम जहां वर्ष 1990 के दौरान सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा भर्तियां की गई।

बल का नाम	जिला	भर्ती का स्थान
1	2	3
सीमा सुरक्षा बल	ऊना	ऊना
	कांगड़ा	धर्मशाला और पालमपुर
	सोलन	सोलन
	शिमला	शिमला
	हमीरपुर	हमीरपुर
	बिलासपुर	बिलासपुर

1	2	3
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	चंबा	चंबा
	कुल्लू	कुल्लू
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	सोलन	रामपुर
	शिमला	शिमला
	कांगड़ा	धर्मशाला
	चंबा	चंबा
भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस	किन्नौर	रेकोगप्यो
	शिमला	शिमला और सरहन
	कुल्लू	कुल्लू
	कांगड़ा	पालमपुर
	चंबा	चंबा

जम्मू-कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों से शरणार्थियों का आना

267. **श्री जनक राज गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 में तथा वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कितने शरणार्थी जम्मू कश्मीर राज्य के पाक अधिकृत क्षेत्रों से भारत में आकर बस गये; और

(ख) इन शरणार्थियों को केन्द्रीय सरकार तथा जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दी गई राहत का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1947-48 में 31,600 परिवार (1.35 लाख व्यक्ति) उन क्षेत्रों से जो इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे के अन्तर्गत है, सीमा पार करके हमारे क्षेत्र में आए।

(ख) जहां तक इन विस्थापितों को सहायता देने का संबंध है, इन विस्थापित व्यक्तियों को सरकार द्वारा नगद, टेन्टों का आवास, कपड़े कम्बल/रजाई के लिए अनुदान, बर्तन, चारा अनुदान, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं और लड़कियों के विवाह के लिए अनुदान आदि दिए गए। उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा उन्हें निर्धारित वेतनमानों के अनुसार पुनर्वास सहायता दी गई।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

268. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के हसन जिले में स्थित अराकलगुड तालुक को पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो अराकलगुड तालुक को पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) जी, नहीं। कर्नाटक के हसन जिले के अंतर्गत अराकलगुड तालुक पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने का पात्र नहीं था।

दिल्ली में हुए दंगों की न्यायिक जांच

[हिन्दी]

269. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सदर बाजार और अन्य क्षेत्रों में नवम्बर, 1990 में हुए दंगों की न्यायिक जांच कराई जा रही है;

(ख) इस जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इन दंगों में प्रत्येक समुदाय के कितने-कितने व्यक्ति मारे गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं; श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 10 व्यक्ति मारे गए।

कश्मीर विस्थापितों को सहायता

[अनुवाद]

270. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोसले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कश्मीरी विस्थापितों के लिये कोई संकट राहत कोष शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नई दिल्ली में पंजाब के विस्थापितों के लिये कोई ऐसा ही राहत कोष शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सरकार ने, नई दिल्ली में कश्मीरी विस्थापितों के लिए कोई विपदा राहत निधि गठित नहीं की हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बेरोजगार युवकों की संख्या

[हिन्दी]

271. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय पंजीकृत संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : 1990 के अन्त में देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1990 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या—राज्यवार

राज्य/संघ शासित प्रदेश		चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्ति (हजारों में)
1	2	3
1,	आन्ध्र प्रदेश	3005.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.0

1	2	3
3.	असम	1039.9
4.	बिहार	3393.7
5.	गोवा	92.3
6.	गुजरात	952.7
7.	हरियाणा	596.1
8.	हिमाचल प्रदेश	441.9
9.	जम्मू और कश्मीर	112.2
10.	कर्नाटक	1314.4
11.	केरल	3426.7
12.	मध्य प्रदेश	2067.2
13.	महाराष्ट्र	3041.9
14.	मणिपुर	195.4
15.	मेघालय	22.9
16.	मिजोरम	36.2
17.	नागालैंड	19.9
18.	उड़ीसा	863.1
19.	पंजाब	656.0
20.	राजस्थान	904.3
21.	सिक्किम ×	
22.	तमिलनाडु	3209.1
23.	त्रिपुरा	158.9
24.	उत्तर प्रदेश	3099.5
25.	पश्चिम बंगाल	4831.1

	संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्ति (हजारों में)
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	16.2
2.	चण्डीगढ़	156.7
3.	दादर और नागर हवेली	2.2
4.	दिल्ली	843.3
5.	दमन और दीव × ×	
6.	लक्षद्वीप	5.6
7.	पांडिचेरी	121.8
	योग	34631.8

नोट :—1. ×कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. × ×आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े जोड़ से मेल न खायें।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा एजेन्सियों का आवंटन

272. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा आवंटित एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एजेन्सियों के आवंटन हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि में मारुति की कोई डीलरशिप आवंटित नहीं की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

273. श्री एम. एस. पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कुमाऊं डिवीजन में भी दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) यद्यपि, देश के सीमावर्ती तथा दूरदराज के क्षेत्रों में अर्थात् बाड़मेर, रामेश्वरम, जैसलमेर, भुज, फाजिल्का, मोकोकचुंग, चुराचांदपुर, लुंगलेई, लेह तथा गंगटोक में दस (प्रत्येक में एक-एक) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा किलोट्रान, सानकू, दरास, तिमसोगम, फेक और मुंसियारी में छः (प्रत्येक में एक-एक) अति अल्पशक्ति (2 × 10 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की स्कीमें पहले से ही कार्यान्वयनाधीन हैं। तथापि इन क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क का और विस्तार इस प्रयोजन के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। उत्तर प्रदेश के कुमाऊं डिवीजन में मुंसियारी में एक अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

गुजरात में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करना

[अनुवाद]

274. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 51 अतिरिक्त कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ताकि राज्य के शेष भागों में भी दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां। कुछ समय पहले इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) सरकार का यह सतत प्रयास है कि देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाय। तथापि ऐसा केवल विभिन्न चरणों में ही किया जा सकता है जो इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहन

275. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये ओर अधिक प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु राज्य में कितने उद्योगों की स्थापना किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए एक नयी विकास केन्द्र योजना आरंभ की है। सरकार ने पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लघु एककों के लिए एक निवेश राजसहायता योजना आरंभ करने की भी घोषणा की है।

(ग) पिछड़े तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उद्योग लगाने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों, लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरणों, छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरणों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	आशय पत्र	औ० लाइसेंस	लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण
1	2	3	4	5
1988	109	32	69	5
1989	119	44	34	63
1990	97	53	63	78

आणविक पनडुब्बियां

276. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा सोवियत संघ से पट्टे पर ली गयी आणविक पनडुब्बियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय नौ सेना इन पनडुब्बियों का प्रयोग अभी भी कर रही है; और

(ग) क्या सरकार का भारत में आणविक पनडुब्बियां बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) भारतीय नौ सेना ने प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए जनवरी, 1988 में सोवियत संघ से तीन वर्ष की अवधि के लिए भा० नौ० पो०, "चक्र" नामक आणविक शक्ति वाली एक पनडुब्बी पट्टे पर ली थी ।

(ख) पट्टे पर ली गई पनडुब्बी से उद्देश्य की पूर्ति हो जाने और पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उसे 05 जनवरी, 1991 को सोवियत नौ सेना को लौटा दिया गया ।

(ग) भारतीय नौ सेना के लिए किसी भी श्रेणी के हथियारों/प्लेटफार्मों का अर्जन इस क्षेत्र में भौगोलिक एवं राजनीतिक तथा सामरिक गतिविधियों, पड़ोसी देशों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों का अर्जन, संसाधनों आदि की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करके किया जाता है ।

केरल में सरकारी क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना

277. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा केरल में कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तमिलनाडु में हस्तनिर्मित दियासलाई उद्योग

278. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में हस्तनिर्मित दियासलाई एकक बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लघु एककों सहित हस्तनिर्मित दियासलाई औद्योगिक एकक हैं। सरकार के पास इस तथ्य के विषय में कोई सूचना नहीं है कि ये बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की वरीयता

279. **श्री केशरी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मन्त्रालय के आई. टी. ई. सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की वरीयता को 17 सितम्बर, 1976 को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/6/76-एफ. ए.एस. के अनुसार सुरक्षित रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेश मन्त्रालय के आई. टी. ई. सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की वरीयता को सुरक्षित रखा गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों की ओर से उच्च पदों पर पदोन्नति करने के लिए उक्त उनकी वरीयता को सुरक्षित रखने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) विदेश में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में ऐसे आवेदकों के नियोक्ता से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेने की व्यवस्था है जिसमें उनका धारणाधिकार लियन) रखे जाने तथा वरिष्ठता सुरक्षित रखने का उल्लेख हो।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, एक कम्पनी ने, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित किया गया था, अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी निजी पदोन्नति तैयार की है। आई०टी०ई०सी० कार्यक्रम के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारियों के मामलों में, कम्पनी द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। इन पर नीति के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

मोपेड निर्माता कम्पनियां

280. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में उन संयुक्त स्टाक कंपनियों के नाम क्या हैं जो मोपेडों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वाहनों का उत्पादन किया गया है, और

(ग) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार मोपेडों की उत्पादन लागत कितनी है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों क दौरान निजी क्षेत्र में प्रमुख निर्माताओं द्वारा किया गया मोपेड का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है।

		1990-91 (अप्रैल-अक्तूबर)	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5
1.	मै० एनीफील्ड इण्डिया लि०	4005	6535	10648
2.	मै० केल्विनेटर इण्डिया लि०	21227	17161	17044
3.	मै० कायनेटिक इंजीनियरिंग लि०	106207	182942	196867
4.	मै० कायनेटिक होंडा लि०	16728	32146	3231—
5.	मै० मैजेस्टिक आटो लि०	45129	64914	3983—
6.	मै० टी वी एस सुजकी लि०	68381	135595	185289

(ग) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें गोपनीय दस्तावेज होते हैं और इसीलिए इनकी विषय-वस्तु प्रकट नहीं की जाती है।

दिल्ली नगर निगम के लेखा अनुभाग में रिक्त पद

281. **श्री अनवर अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम में उप लेखा नियंत्रक, लेखाधिकारी, लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकारों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) दिल्ली नगर निगम ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं और ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार सूचित की है ।

(I) उप लेखा नियंत्रक	—	ऐसा कोई पद नहीं है ।
(II) लेखाधिकारी (सहायक-मुख्य लेखाकार के रूप में अधिनामित)	—	शून्य
(III) लेखाकार	—	31
(IV) कनिष्ठ लेखाकार	—	47

अधिसूचित नियमों के अनुसार लेखाकार के 25% पद 5 वर्ष के नियमित सेवा वाले कनिष्ठ लेखाकारों में से पदोन्नति के द्वारा भरा जाना है । शेष 75% पद सीमित विभागीय परीक्षा के आधार भरा जाएगा जिसमें अपने सम्बन्धित ग्रेड में 3 वर्ष के स्थायी सेवा वाले कनिष्ठ लेखाकार और हेड क्लर्क भाग ले सकते हैं । इन पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने के लिए किसी को पत्र नहीं पाया गया । आवेदन मांगे गए और विभागीय परीक्षा के लिए चिन्हित पदों को भरे जाने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं ।

कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाने हैं । आवेदन मांगे गए और प्राप्त हो चुके हैं ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में तमिलनाडु के व्यक्तियों का चयन

282. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में तमिलनाडु के कितने पुरुषों एवं महिलाओं का चयन किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष तमिलनाडु से इन सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत उम्मीदवारों का चयन किया गया ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जिन उम्मीदवारों ने तमिलनाडु को अपने अधिवास का राज्य घोषित किया है उनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में चुने गये उम्मीदवारों की संख्या तथा कुल चुने गए उम्मीदवारों में से उनकी प्रतिशतता नीचे दिए गए अनुसार है।

परीक्षा वर्ष	तमिलनाडु से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या		कुल चुने गए उम्मीदवारों में से उनकी प्रतिशतता	
	भा०प्र०से०	भा०पु०से०	भा०प्र०से०	भा०पु०से०
1	2	3	4	5
1987	3	2	2.63	1.96
1988	5	3	4.58	3.12
1989	4	2	3.77	2.00

केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

283. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री एस० कृष्ण कुमार } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थलों के निरीक्षण का कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो निरीक्षित स्थलों के नाम क्या हैं और यह संयंत्र किस स्थल पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता कितनी होगी; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केरल में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) तथापि, केरल सरकार ने केरल में 5 ऐसे स्थल सुझाए हैं जहां पर भविष्य में परमाणु संयंत्र लगाया जा सकता है। इन स्थलों में से दो स्थल कासरगोड जिले में, एक कंनानोर जिले में, एक अरणाकुलम जिले में तथा एक पथानमथीट्टा जिले में है। इन स्थलों की जांच परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा की जा रही है। समिति ने अपना मूल्यांकन अभी पूरा नहीं किया है।

(घ) और (ङ) इस समय यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्रीलंकाई तमिल उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ

284. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सशस्त्र श्रीलंकाई तमिल उग्रवादियों के द्वारा हाल में तमिलनाडु में की गई घुसपैठ के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उग्रवादियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करके तटीय जिलों के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों की निगरानी गहन कर दी गई है। तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ 33 जांच चौकियां बनाई गई हैं, जिन्हें चलती-फिरती तथा पैदल गश्त द्वारा सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार भी राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए नौ सेना, तटरक्षकों तथा अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए हुए है।

त्रिवेन्द्रम से प्रसारित प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण क्षेत्र

285. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से प्रसारित प्रादेशिक कार्यक्रम, राज्य के कन्नानोर, वायनाड और कासरगोड जिलों में भी दिखाई देते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इन क्षेत्रों में त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से प्रादेशिक कार्यक्रमों के शीघ्र प्रसारण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केरल के कन्नानोर तथा वायनाड जिलों के भागों को, कालीकट में लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में निर्मित क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। राज्य में क्षेत्रीय सेवा का और विस्तार दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं के प्रयोजन हेतु पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय प्रचार माध्यम में खाड़ी युद्ध को दिया गया स्थान

286. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट**
श्री वामनराव महाडीक } : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय प्रचार माध्यम युद्ध की सही तस्वीर देने में पूरी तरह असफल रहा क्योंकि यहां का कोई भी पत्रकार युद्ध स्थल पर उपस्थित नहीं था;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या थे; और

(ङ) सरकार द्वारा आम जनता को खाड़ी युद्ध की सही जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) समाचार माध्यम खाड़ी युद्ध के विभिन्न पहलुओं के बारे में नवीनतम एवं अद्यतन सूचना उपलब्ध करा रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने समाचार कार्यक्रमों में समाचार संगठनों द्वारा खाड़ी युद्ध पर उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचनाएं दे रहे हैं। उस क्षेत्र में मौजूदा माध्यम-व्यक्तियों ने समाचार कार्यक्रमों के लिए समाचार/टिप्पणियां उपलब्ध कराई हैं।

विदेशी मुद्रा कोष की स्थापना

287. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान 2200 करोड़ रुपए का एक संयत विदेशी मुद्रा कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। योजना तैयार करते समय विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विदेशी तकनीकी ज्ञान

288. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने देश में लाए जाने वाले विदेशी तकनीकी ज्ञान की सहज प्राप्ति हेतु निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है,

(ग) कितने देश तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के इच्छुक हैं, और

(घ) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) विद्यमान दिशा-निर्देशों के अधीन, प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति चयनात्मक आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापन विनिर्माण में अथवा स्वदेशी उद्योग की कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्धात्मक दृढ़ता के लिए उसकी विद्यमान प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हेतु दी जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990 के दौरान, 32 देशों मुख्य रूप से यू. एस.ए. जर्मनी, यू. के., जापान, इटली, फ्रांस तथा स्विटजरलैंड के साथ विदेशी सहयोग का अनुमोदन किया गया है। विदेशी सहयोग हेतु, ये अनुमोदन 2 वर्ष की आरंभिक वैद्यता के लिए स्वीकृत किए जाते है, जिसके भीतर भारतीय पार्टियों को सहयोग समझौते को अन्तिम रूप देना होता है।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

[हिन्दी]

289 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रामेश्वर नगर में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड और असम में योगीपकोफा एककों के प्रबन्ध संचालन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और इन एककों में उत्पादन पुनः कब तक आरम्भ होने की संभावना है,

(ख) क्या रामेश्वर नगर एकक के लिये एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने और लुगदी बनाने हेतु दूसरी परियोजना शुरू करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) असम राज्य सरकार ने असम में अशोक पेपर मिल्स के जोगीघोपा एकक का राष्ट्रीयकरण किया है। राज्य सरकार द्वारा एकक को पुनः खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी। अशोक पेपर मिल्स के रामेश्वर नगर एकक के संबंध में इसी प्रकार की कार्यवाही बिहार सरकार को करनी है।

(ख) और (ग) वर्ष 1981 में, मैसर्स अशोक पेपर मिल्स से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रैग-लुगदी क्षमता में पर्याप्त विस्तार तथा आंतरिक विद्युत एकक लगाने का प्रस्ताव है। कंपनी का यह आवेदन पत्र 1982 में नामंजूर कर दिया गया था। इसके बाद इस संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं मिला है।

दरभंगा आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता

290. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र से मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करने और साथ ही मैथिली भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु आबंटित समय में वृद्धि करने के लिये दरभंगा के स्थानीय लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) आकाशवाणी, दरभंगा से मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन शुरू करने तथा मैथिली कार्यक्रमों के प्रसारण की अवधि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की स्थापना

[अनुवाद]

291. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के सम्पूर्ण गुप्तचर तन्त्र की निगरानी करने तथा भविष्य में बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक रूप से विचार करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सहयोग देने के उद्देश्य से प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया है।

राजस्थान में केन्द्रीय परियोजनाएं

292. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निर्माणरत विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ख) इन्हें कब तक पूरा करने और चालू करने की सम्भावना है;

(ग) क्या राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार का राज्य में कुछ और केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) राजस्थान में कार्यान्वियनाधीन प्रत्येक 20 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली निम्नलिखित 6 परियोजनाएं बहुराज्यीय परियोजनाओं, जैसे रेलवे लाइनें, संचरण लाइनें इत्यादि को छोड़कर) हैं। इनको चालू करने की संभावित तारीखें प्रत्येक के सामने दर्शायी गई हैं :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3
1.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 एवं 4 (2×235 मे० वा०) (एन० पी० सी०)	नवम्बर, 95
2.	रामपुरा-अंगूछा-चन्द्रायन एकीकृत जिंक-लैड परियोजना (एच० जैड० एल०)	मई, 91
3.	बामनिया-कलां लैड-जिंक खानें (एच० जैड० एल०)	मार्च, 95
4.	फुलेरा-मेड़ता रोड-बीकानेर गेज परिवर्तन (रेलवे)	नियत नहीं
5.	सवाई-माधोपुर-जयपुर-फुलेरा नई लाईन (रेलवे)	नियत नहीं
6.	कार्यशाला का आधुनिकीकरण, अजमेर (रेलवे)	मार्च, 91

(ग) और (घ) यह, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अन्तिम विषय सूची, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, पर निर्भर करेगा।

अर्धसैनिक बलों को आधुनिक हथियार

293. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ती हुई हिंसा और आतंकवादियों द्वारा अत्याधुनिक शस्त्र रखे जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस बलों विशेषकर अर्धसैनिक बलों को अत्याधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सरकार को पुलिस बलों के लिए हथियारों की आवश्यकता की जानकारी है और बढ़ती हिंसा और आतंकवाद को देखते हुए इनकी सावधिक रूप से समीक्षा की जाती है। उनकी वास्तविक आवश्यकता, उपलब्धता और दिए गए कर्त्तव्यों के आधार पर पुलिस बलों को पर्याप्त मात्रा में स्वचालित, नए और आधुनिकतम हथियार दिए जाते हैं और ऐसे हथियारों को देने में अर्द्धसैनिक बलों को उचित प्राथमिकता दी जाती है।

उद्योग विहीन जिला

294. **श्री राम मोहन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में इस समय उद्योग विहीन जिले कौन-कौन से हैं; और

(ख) निकट भविष्य में इन जिलों में उद्योगों की स्थापना किए जाने हेतु लाईसेंस जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) इस समय, आंध्र प्रदेश में कोई "उद्योग रहित जिला" नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों को पुनः चालू किया जाना

[हिन्दी]

295. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक विशेष रूप से लघु उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक एककों को पुनः चालू करने और फर्जी एककों को बन्द करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और वर्ष 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने लघु एककों को पुनः चालू किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक रुग्णता से संबन्धित आंकड़े एकत्रित तथा संकलित करता है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़े दिसम्बर, 1988 तक के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, रुग्ण लघु औद्योगिक

एककों की संख्या में वृद्धि का रुख दिखाई देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के बारे में समय-समय पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। केवल जीव्य क्षम रुग्ण लघु एककों को ही जीवंत माना जाता है। दिसम्बर, 1988 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में उपचार कार्य-क्रम के तहत रखे गये जीव्य क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 171 थी। 1988 के दौरान उत्तर प्रदेश में 40 रुग्ण लघु एकक पुनर्स्थापित किये गये थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

296. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन आरम्भ किए जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों द्वारा एक पेंशन योजना लागू करने की मांग की जाती रही है। बरहाल, सरकार ने निर्णय किया है कि सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अंशदायी भविष्य निधि योजना जारी रखनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उद्यम विशेष यदि चाहें तो सरकारी क्षेत्र के उद्यम से पृथक किसी निधि के माध्यम से, सरकारी क्षेत्र के उद्यम/सरकार के किसी दायित्व के बिना, कर्मचारियों द्वारा विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिये उपयुक्त वार्षिक योजना तैयार कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰)
की सुविधाओं का स्थगन

297. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गृह नगर यात्रा रियायत तथा अवकाश यात्रा रियायत योजना सुविधाओं को स्थगित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक के लिये स्थगित किया गया है; आर

(ग) इससे कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी हां। खाड़ी की स्थिति के कारण विद्यमान वित्तीय संकट को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत की प्रसुविधा दिनांक 23-1-1991 से 31-3-1991 तक निलंबित कर दी गई है।

(ग) यह एक किफायती उपाय है, तथा इससे होने वाली बचत को निर्धारित नहीं किया जा सकता।

लखनऊ के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना

[अनुवाद]

298. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत**
श्री रेशमा मोतीराम मोये
श्री आर०एन० राकेश : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1991 को लखनऊ में मदेरिया खेड़ा गांव के निकट भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बीच कोई जांच करायी गई है; और

(घ यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण हुई जन-धन की हानि का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां। 8 जनवरी, 1991 की रात को लखनऊ से लगभग 40 कि०मी० उत्तर-पश्चिम में भदोरिया खेड़ा गांव के पास भारतीय वायुसेना का एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया।

(ख) यह दुर्घटना संभवतः अंधेरी रात में उड़ान के दौरान चालक को आकाश में दिशाभ्रम हो जाने के कारण हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) विमान के चालक और नेवीगेटर दोनों मारे गए। सिविलियनों को कोई चोट नहीं आई। विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ खड़ी फसलों और पेड़ों को क्षति पहुंची है।

दिल्ली में पकड़ी गयी चरस

299. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत**
श्री आर०एन० राकेश : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1991 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित दिल्ली में 260 किलो चरस पकड़े जाने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान् । 28.1.1991 को सब्जीमंडी पुलिस द्वारा दिल्ली में 260 कि०ग्रा० चरस पकड़ी गई । 28.1.1991 को सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में मादक औषध और मनोतेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 20/61/85 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

दिल्ली में अग्निकांड

300. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत**
श्री आर०एन० राकेश : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1991 को दिल्ली में मालीवाड़ा में 20 दुकानों में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) उसमें अनुमानतया कितने जान-माल का नुकसान हुआ;

(घ) क्या इस बीच सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस अग्निकांड के शिकार लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् । दो दुकानें जल गई और 18 दुकानें धुएं तथा पानी से प्रभावित हुई ।

(ख) आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया।

(ग) जान की कोई हानि नहीं हुई। लगभग 15 लाख रु० की सम्पत्ति का नुकसान आंका गया।

(घ) और (ङ) भा० दं० सं० की धारा 436 के अधीन एक मामला पु० सू० रि० सं० 9 दिनांक 10 1.1991 दर्ज किया गया है।

(च) दिल्ली प्रशासन ने कोई मुआवजा नहीं दिया है।

जम्मू और कश्मीर छोड़कर आने वाले लोग

301. **डा० चिन्ता मोहन**
श्री जनक राज गुप्त } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 के दौरान जम्मू और कश्मीर छोड़कर आने के लिये बाध्य हुए व्यक्तियों के भरण-पोषण पर 31 दिसम्बर, 1990 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को वापस घाटी भेजने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) कश्मीरी प्रवासियों के लिए किए गए विभिन्न राहत उपायों पर जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 31.12 90 तक 27.09 करोड़ रु० व्यय किए। दिल्ली प्रशासन ने 31.1.91 तक 2,12,95, 491/-रु० व्यय किए।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह इस बात की संभावना का पता लगाएं कि प्रवासी लोग घाटी को चरणों में लोट सकें।

श्रीलंका के तमिल शरणार्थी

302. **डा० चिन्ता मोहन**
श्री आर०एन० राकेश } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का भारत आना लगातार जारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान श्रीलंका के कितने तमिल शरणार्थी भारत में आये; और

(ग) इन शरणार्थियों के लिए की गई व्यवस्था पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1990 महीनों के दौरान भारत में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों के आगमन में बढोत्तरी हुई। तथापि अब शारणार्थियों के पहुंचने की संख्या में पर्याप्त रूप से कमी आई है।

(ख) 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान 121790 श्रीलंका तमिल शरणार्थी भारत आए।

(ग) 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 के दौरान इन शरणार्थियों को सहायता सुविधा और आवास देने में 13.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

सीमेंट उत्पादन

303. **डा० चिन्ता मोहन**
श्री जोरावर राम } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेट उसकी मांग की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कितनी सीमेंट उत्पादन क्षमता थी और उसके कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया; इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट की संभावित मांग का आंकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार का देश में नई सीमेंट उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने का विचार है; और

(च) क्या सरकार का छोटी सीमेंट इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित छोटी, मध्यम तथा बड़ी इकाइयों के अनुपात का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) सातवीं योजना के अन्त में मिनी क्षेत्र सहित सीमेंट उत्पादन की वास्तविक क्षमता लगभग 620 लाख मी० टन थी। 1989-90 में क्षमता उपयोग का प्रतिशत 79 था।

(ग) जी, हां ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (1994-95) कुल सीमेंट मांग लगभग 690 लाख मी० टन होने का अनुमान है ।

(ङ) और (च) सरकार सीमेंट क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को बढ़ावा देने के लिये उदार नीति अपना रही है । आठवीं योजना के लिये अनुमानित सीमेंट की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने और मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ावा देती है ताकि ये अनुकूलतम किफायत. क्षमता प्राप्त कर सकें । मिनी सीमेंट संयंत्रों के सम्बन्ध में बी०ए०के० प्रौद्योगिकी और चूना पत्थर के बिखरे भण्डारों पर आधारित 100/200 टी०पी०डी० क्षमता तक के ऐसे संयंत्रों को सामान्य: बढ़ावा दिया जाता है । रोटरी किलन प्रौद्योगिकी पर आधारित मौजूदा मिनी सीमेंट संयंत्रों को अपनी क्षमता 200 टी०पी०डी० से बढ़ा कर 300 टी०पी०डी० करने और कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन 600 टी०पी०डी० तक भी करने की अनुमति दी जाती है ।

कार सेवा अभियान के दौरान सरकारी सम्पत्ति को क्षति

[हिन्दी]

304. **श्री मित्रसेन यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण के लिए शुरू किये गये कार सेवा अभियान के परिणामस्वरूप 20 अक्तूबर, 1990 से विभिन्न राज्यों में सरकारी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी क्षति हुई है; और

(ग) सरकार का इस क्षति के लिए दोषी पाये गए लोगों को सजा देने के लिए, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" राज्यों का विषय है । सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं । केन्द्र सरकार ऐसे विवरण नहीं रखती है ।

बेरोजगार युवाओं को रोजगार

[अनुवाद]

305. **श्री मित्रसेन यादव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कितने-कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है;

(ग) बेरोजगार युवाओं के लाभार्थ आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सृजित रोजगार और सृजित किए जाने वाले रोजगार के अनुमान वर्ष प्रति-वर्ष के आधार पर नहीं लगाए गए हैं।

(ग) स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों (1981 की जनगणना) में शिक्षित युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार की स्कीम है तथा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की स्कीम विशेष रूप से युवकों के लिए है। इसके अलावा, विकास आयुक्त लघु उद्योग के उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता बोर्ड के कार्यकलाप, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम, नेहरू रोजगार योजना तथा जवाहर रोजगार योजना से भी युवक लाभान्वित होते हैं।

(घ) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर 31-12-1990 को काम के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या 346.32 लाख थी। रोजगार कार्यालयों में काम के इच्छुक सभी पंजीकृत व्यक्ति, जरूरी नहीं, कि बेरोजगार हों। 1988 में श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों में से लगभग 56 प्रतिशत ही वास्तव में बेरोजगार थे।

बीस-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

306. **प्रो० एन० तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान पूरे देश में, विशेषकर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश जैसे उत्तर-पूर्वी पर्वतीय राज्यों में, बीस-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई रुकावट आई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे;

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1988-1989 के दौरान तुलनात्मक कार्य निष्पादन क्या रहा;

(घ) क्या सरकार के पास पिछली कमियां, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करके इस प्रक्रिया को नवजीवन देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए निष्पादन की समीक्षा 31-3-91 के पश्चात की जायगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और अप्रैल-दिसम्बर, 1990 का तुलनात्मक कार्य निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन को, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से निरन्तर प्रबोधित किया जा रहा है।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के कार्य निष्पादन को उनके ध्यान में लाया जाता ताकि वे कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम का अखिल भारतीय निष्पादन

क॰सं॰	सूत्र संख्या	पद	इकाई	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1988-89 कालम 6 से 5 का प्रतिशत	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1989-90 कालम 9 से 8 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	हजार परि॰	3194	3626	114	2989	3301	113
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना	लाख श्रम दिव	6038	6532	108	8815	8286	94
3.	01ग	लघु उद्योग इकाईयां	हजार संख्या	151	164	100	153	162	10
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	हजार एकड़	226	134	59	192	118	61
5.	06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	16569	13472	81	13687	9759	71
6.	07क	सुलझाई गई पेय जल समस्या (गांव)	संख्या	56477	51911	92	58874	54188	186
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	312	264	85	297	177	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	3131	2749	88	3589	1489	42
9.	08ग	उप केन्द्र	संख्या	13288	19331	78	14349	8934	62
10.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियों तथा बी.सी.जी.)	हजार संख्या	18030	16660	92	19141	18178	95
11.	09क	परिवार नियोजन नसबन्दी	हजार संख्या	5305	4538	86	5382	4061	75
12.	09ख	समतुल्य नसबन्दी (आई.यू.डी., सी.सी. तथा आई.पी.)	हजार संख्या	2706	2111	78	2390	2275	95
13.	09ग	ए.बा.वि. सेवा खण्ड परिचालन (संचयी)	संख्या	1696	1741	103	1794	1803	101
14.	09घ	आंगनबाड़ी (संचयी)	हजार संख्या	186	180	97	198	196	99
15.	11क	अ.जा. के परिवारों को दी गई सहायता	हजार संख्या	2106	2328	111	2204	2227	101
16.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	हजार संख्या	833	1043	126	848	978	115
17.	14क	आबंटित आवास स्थल	हजार संख्या	600	809	135	535	884	165
18.	14ख	दी गई निर्माण सहायता	हजार संख्या	383	587	153	353	411	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	14ग	अ.जा./अ.ज. जाति के लिए इन्दिरा आवास योजना	हजार संख्या	135	126	93	120	167	139
20.	14घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए मकान	हजार संख्या	140	140	100	257	84	33
21.	14ङ	निम्न आय समूह को मकान	हजार संख्या	43	51	119	55	65	118
22.	15	गन्दी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	हजार संख्या	1487	2061	139	1627	2013	124
23.	16	वृक्षारोपण	लाख संख्या	40026	40437	101	33685	34186	101
24.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	4387	7663	175	2438	4262	175
25.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	17124	19234	112	14271	15892	111
26.	19ख	शक्ति चालित पंपसेट	हजार संख्या	454	595	131	408	529	139
27.	19ग	सुधरे चूल्हे	हजार संख्या	1378	1675	122	1664	1914	115
28.	19घ	बायोगैस संयंत्र (राज्य)	हजार संख्या	130	141	188	127	135	106

क्र०सं०	सूत्र संख्या	पद	इकाई	1990-91 (अप्रैल-दिसम्बर, 1990) लक्ष्य	उपलब्धि	कालम 12 से 11 का प्रतिशत
1	2	3	4	11	12	13
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	हजार परि०	2372	1745	74
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना	लाख श्रम दिव	9422	3805	40
3.	01ग	लघु उद्योग इकाईयां	हजार संख्या	154	107	69
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	हजार एकड़	79	69	87
5.	06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	3596	1438	48
6.	07क	सुलझाई गई पेय जल समस्या (गांव)	संख्या	38285	18075	47
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	285	59	21
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	1356	726	54
9.	08ग	उप केन्द्र	संख्या	4877	433	9

1	2	3	4	11	12	13
10.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियों तथा आई.पी)	हजार संख्या	22374	14303	64
11.	09क	परिवार नियोजन नसबन्दी	हजार संख्या	5733	2419	42
12.	09ख	समतुल्य नसन्दी (–आई.यू.डी , सी.सी. तथा बी.सी.पी.)	हजार संख्या	2834	1661	59
13.	09ग	ए.बा.वि. सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	2070	1990	96
14.	09घ	आंगनबाड़ी (संचयी)	हजार संख्या	233	210	98
15.	11क	अ जा. के परिवारों को दी गई सहायता	हजार संख्या	2306	1123	49
16.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	हजार संख्या	824	464	56
17.	14क	आबंटित आवास स्थल	हजार संख्या	576	460	80
18.	14ख	दी गई निर्माण सहायता	हजार संख्या	327	256	78
19.	14ग	अ.जा /अ.ज. जाति के लिए इन्दिरा आवास योजना	हजार संख्या	122	80	66
20.	14घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए मकान	हजार संख्या	72	31	43
21.	14ङ	निम्न आय समूह को मकान	हजार संख्या	50	25	50

1	2	3	4	11	12	13
22.	15	गन्दी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	हजार संख्या	1540	1058	69
23.	16	वृक्षारोपण	लाख संख्या	25000	24194	97
24.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	1887	1775	94
25.	19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	3672	4182	114
26.	19ख	शक्ति चालित पंपसेट	हजार संख्या	424	276	65
27.	19ग	सुधरे चूल्हे	हजार संख्या	1662	770	46
28.	19घ	बायोगैस संयंत्र (राज्य)	हजार संख्या	129	59	46

टिप्पणी : 1 अप्रैल, 1989 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिए गए। वर्ष 1988-89 के लिए दिए गए आंकड़े ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में संख्या दर्शाते हैं।

इम्फाल और कोहिमा में दूरदर्शन केन्द्र

307. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि इम्फाल और कोहिमा में दूरदर्शन केन्द्र के भवन निर्माण और मशीनों की स्थापना आदि का कार्य पूरा होने के बावजूद इन केन्द्रों का उद्घाटन करने में अनुचित बिलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नही, तो इनका उद्घाटन कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) इम्फाल (मणिपुर) तथा कोहिमा (नागालैंड में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (पी.पी.सी.) तकनीकी रूप से तैयार हैं। जैसे ही इनके परिचालन तथा रखरखाव हेतु अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध होगा, इन्हें सेवा के लिए चालू कर दिया जाएगा। इन केन्द्रों के लिए स्टाफ की भर्ती तथा तैनाती के लिए कारंवाई पहले से ही चल रही है।

मणिपुर में विद्रोह

308. **श्री एन० तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मणिपुर राज्य में गत कुछ महीनों में विद्रोहियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार इस मामले में मणिपुर सरकार से सम्पर्क बनाए हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) इम्फाल घाटी में मैतेयी उग्रवादियों तथा पहाड़ी जिलों में भूमिगत नागाओं की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुइ है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन, संपूर्ण मणीपुर राज्य को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है तथा विद्रोह-दमन अभियानों में सुरक्षा बल राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं। इस संबन्ध में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुएहै।

मणिपुर में इलेक्ट्रानिक औद्योगिक इकाइयां

309. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर द्वारा इलेक्ट्रानिक औद्योगिक इकाइयां खोलने के लिए की गई जोरदार मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार इस राज्य में निकट भविष्य में केन्द्रीय क्षेत्र में उक्त इकाइयां खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य में, जहां बड़े उद्योग अभी स्थापित किए जाने हैं, ऐसी परिस्थितियों की परियोजनाओं की उपयोगिता और व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब तक गठित कर दी जाएगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) इम्फाल स्थित मणिपुर इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि० (मणिट्रान) नामक मणिपुर सरकार का राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, मणिपुर राज्य में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों का संवर्धन करने तथा उनकी स्थापना करने के कार्य में जुटा हुआ है। मणिपुर राज्य में इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं जैसे कि अति उच्च आवृत्ति, के दुत्तरफा रेडियो संचार, अंकीय रिले उपस्कर, तार विहीन टेलीफोन आदि का विनिर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना करने के लिये मणिट्रान को 3 लाख आशय-पत्र तथा 2 पंजीकरण जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने मणिपुर राज्य के इम्फाल में इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है। किन्तु इस समय मणिपुर में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कोई इलेक्ट्रानिक औद्योगिक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में देश भर के सभी अनुमति प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रनिकी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। संबंधित राज्य सरकार सुविधायें प्रदान करती है तथा राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा अनुमोदन जैसे मामलों पर कार्रवाई की प्रगति पर निगरानी रखता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

छावनी क्षेत्र में नगर निकाय

[हिन्दी]

310. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन छावनी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की तरह के नगर निकाय आदि स्थापित करने का है, जिनमें सिविल जनसंख्या पांच हजार से अधिक है और संबंधित राज्य सरकारें भी इस कार्य के लिये सहमत हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या बिना किसी मुआवजे के सभी संपत्तियां और परिसम्पत्तियां ऐसे निकायों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन केन्द्रों को इन्सेट-2 कार्यक्रम से जोड़ना

311. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए उस के सभी दूरदर्शन केन्द्रों को इन्सेट-2 के कार्यक्रम से जोड़ा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार के क्या विचार हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उत्तर प्रदेश में उपग्रह के माध्यम से क्षेत्रीय सेवा आरम्भ करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुये हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश में उपग्रह के माध्यम से क्षेत्रीय सेवा आरम्भ करना, अंतरिक्ष खण्ड में अपेक्षित क्षमता तथा इस प्रयोजन के लिए समुचित साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में घाटा

312. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन शिकायतों की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट का मूल्य

313. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री आनन्द सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या एकाधिकार निषेधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग ने सीमेंट के मूल्य में वृद्धि पर से प्रतिबन्ध उठा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सीमेंट के मूल्यों को कम करने के लिए जनवरी, 1991 में राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद के तत्वावधान में हुई गोष्ठी में दिये गये सुझावों का पता है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त गोष्ठी में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) एम आर टी पी आयोग ने अपने तारीख 14-9-90 के आदेश में एक अंतरिम एकतरफा अस्थाई आज्ञापत्र जारी किया था, जिसमें सीमेंट निर्माता संगठन और सीमेंट निर्माताओं द्वारा सीमेंट मूल्यों के संबंध में प्रतिबन्धात्मक व्यापार कार्य करने पर रोक लगाई गई थी।

आयोग ने अपने ता० 28-1-91 के आदेश के जरिए एकतरफा अंतरिम आज्ञापत्र रद्द कर दिया है।

(ग) कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनायें

314. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कुछ योजनायें बनाई है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आदिवासी तथा निर्धन छात्रों के लाभार्थ प्रत्येक जिले में छात्रावास बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यदल द्वारा पूंजीगहन परियोजना वाली अवसंरचना के बजाय परिवारोन्मुख कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रासंगिक अवसंरचना के विकास पर अधिक बल दिया गया है। कार्यदल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बजाय कृषि और लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर भी और अधिक बल दिया गया है। आदिवासी उप योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यदल की उक्त सिफारिशों के कार्यान्वियन की सलाह दी गई है।

(ख) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों तथा लड़कों के होस्टलों की दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिए राज्यों को समतुल्य आधार (50:50) पर सहायता दी जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति लड़के/लड़कियों के लिए 18,526 स्थानों वाले लगभग 434 होस्टलों का निर्माण किया जा चुका है।

तमिलनाडु में हाल में हुई हिंसक घटनायें

[अनुवाद]

315. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के पश्चात राज्य के अनेक भागों में हिंसक घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या पुलिस को कुछ स्थानों पर गोली चलानी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो अनुमानतया कितने जान-माल का नुकसान हुआ है; और

(घ) भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

निजी कंपनियों द्वारा "डिश एंटीना" लगाया जाना

316. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी कंपनियों ने अपने भवनों के ऊपर "डिश एंटीना" लगाए हैं और वे लोगों से केबल टी० वी० कनेक्शन लगाने के लिये पैसा वसूल कर रहे हैं ताकि लोग उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों से दिन-रात प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकें;

(ख) क्या नियमों के अनुसार इसकी अनुमति दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे देश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध न रखने वाले दूसरे देशों द्वारा किये जा रहे प्रचार-प्रसार का देश की अधिकांश जनता पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :(क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी है।

(ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कोई गैर-सरकारी व्यक्ति सीधे उपग्रह से टी० वी० सिगनल प्राप्त करने के लिए संचार मन्त्रालय से लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद डिश एन्टीना लगा सकता है। तथापि इस सुविधा का इस्तेमाल केवल भारतीय उपग्रह से दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है।

(ग) और (घ) सरकार ने केबल टी० वी० नेटवर्क और डिश एन्टीना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जाँच के लिए कुछ समय पहले एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया था। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट उपयुक्त कारंवाई के लिए सरकार को दे दी है।

दहेज की बुराई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाना

318. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज की बुराई को दूर करने के लिए उठाए गए कदम निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं;

(ख) क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 भी वांछित प्रभाव छोड़ने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम में कुछ कठोर उपबन्ध शामिल करके दहेज की बुराई को दूर करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में दो बार 1984 और 1986 में संशोधन किया गया ताकि अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को अधिक कठोर और कारगर बनाया जा सके। इस के बाद फिर भी यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम की ओर अधिक कारगर बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जाए। अतः अधिनियम को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें और संशोधन करने हेतु कल्याण मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से दिनांक 12-13 जनवरी, 1991 को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

319. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में "वन विंडो" (एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने का) दृष्टिकोण अपनाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को भी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए नई योजनाएं तैयार करने के लिए निदेश देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन): (क) से (घ) महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के समेकन पर विभाग ने एक स्टेटस पेपर तैयार किया है। इसके अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों को एक ऐसे मंच के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा जहां विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान की जा रही सेवाओं का संकेन्द्रित किया जायेगा। इस तरह का संकेन्द्रित न केवल महिला एव बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के लिए ही किया जाता है बल्कि अन्य सम्बद्ध मत्रालय/विभागों जैसे ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास, कल्याण, सूचना एवं प्रसारण इत्यादि की योजनाओं के लिए किया जाता है। उदाहरणतः ग्रामीण विकास विभाग को ही डब्ल्यू सी आर ए योजना, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कल्याण मंत्रालय की जिला पुनर्वास केन्द्र योजना, शहरी विकास मंत्रालय की शहरी बुनियादी सेवा योजना इत्यादि योजनाओं का संकेन्द्रण करने का प्रस्ताव है। जिस स्टेटस पेपर के माध्यम से ऐसा संकेन्द्रण किया जा सकेगा, उसमें अपनाई गई कार्यनीति दोहरी है।

(क) महिलाओं के लिए एक जागृति विकास कार्यक्रम ताकि उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का बोध कराया जा सके और इस प्रकार सेवाओं के संकेन्द्रण के लिए वे आवश्यक मांग कर सकें।

(ख) महिला और बाल विकास से सम्बन्धित सेवाओं की आयोजना, प्रबोधन और समन्वय के उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर, निर्वाचित पंचायतों के माध्यम से समुदाय पर डालना।

संबन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा उपर्युक्त आदेश जारी करके इस परिकल्पना को कार्यरूप देने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर भी इन विभागों के साथ यह मामला उठाएं ताकि महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाओं में मुख्य गुणात्मक सुधार किए जा सकें।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

320. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा } : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार का इसे पुनर्गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के जिन कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) केन्द्रीय/राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की भूमिका, स्टेटस और ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा महिला विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 3-1 जनवरी, 1991 को नई दिल्ली में किया गया। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ केन्द्र में और राज्यों में बोर्डों को सांविधिक स्वायत्त निकाय बनाए जाने की आवश्यकता; राज्य बोर्डों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बीच कारगर सम्बन्धों के लिए विकेन्द्रीकरण तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को स्वायत्त राज्य बोर्डों के लिए एक प्रमुख निकाय के रूप में मान्यता दिया जाना शामिल हैं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों और इसके कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करके इनमें आशोधन किये गये हैं।

पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों को पाकिस्तान का समर्थन

321. **श्री आनन्द सिंह**
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के प्रति पाकिस्तान के रुख और उसके समर्थन के सम्बन्ध में हाल ही में प्रत्यक्ष रूप से कोई परिवर्तन देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के रुख में परिवर्तन को देखते हुए आतंकवादी समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के समर्थन दिए जाने में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, सरकार आतंकवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली

322. **श्री आनन्द सिंह**
श्री माधव राव सिंधिया } : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में कम्प्यूटर संचार नेटवर्क की स्थापना के बाद एक "प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली" विकसित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर कितनी लागत आएगी, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

(ख) "प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली" की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(I) राष्ट्र व्यापी कम्प्यूटर संचार नेटवर्क निकनेट, जिसमें एक सैटेलाइट पृथ्वी कक्ष तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक कम्प्यूटर है, का उपयोग करते हुए योजना आयोग के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली (एन सी आर एम एस) की स्थापना की जा रही है।

(II) बेसिक साफ्टवेयर, जिस पर प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली विकसित की जा रही है को जिसनिक कहा जाता है, यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित वितरित डेटाबेस प्रबन्ध प्रणाली (डी डी बी एम एस) का उपयोग करते हुए निकनेट पर एक वितरित भौगोलिक सूचना प्रणाली है।

(III) विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली का प्रयोग न केवल धीमे-धीमे शुरू होने वाली विपत्तियों जैसे सूखा, नियमित बाढ़ और टिड्डी दलों के धावों के लिए बल्कि तेजी से शुरू होने वाली विपत्ति जैसे तत्काल उत्पन्न होने वाली बाढ़ के लिए भी किया जा सकता है।

(IV) प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली का प्रयोग विपत्ति-पूर्व, विपत्ति के दौरान तथा विपत्ति के पश्चात प्रबन्ध के लिए किया जा सकता है।

प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली के लिए कोई विशेष लागत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अन्य प्रयुक्तियों की सर्विसिंग हेतु निकनेट, जी आई एस, वितरित डेटाबेस प्रबन्ध प्रणाली इत्यादि के रूप में हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर पहले ही बना चुका है। प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली के लिए किसी अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके विकास के लिए केवल मोजूदा विशेषज्ञों का ही उपयोग किया जा रहा है। जहां तक विभिन्न राज्यों द्वारा प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली के उपयोग का संबंध है, आंकड़ा संग्रहण तथा बंधीकरण की लागत का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों के लिये एक सेवा सहयोग के रूप में है तथा एक सुसाध्य परियोजना है।

(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने भुवनेश्वर स्थित अपने पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र में एक प्राकृतिक विपत्ति सूचना प्रणाली प्रमाग स्थापित किया है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(I) वितरित प्राकृतिक विपदा राहत प्रबंध प्रणाली का विकास तथा कार्यान्वियन करना।

(II) बाढ़/सूखा अध्ययनों को सरल बनाने के लिये एक हाइड्रोमीटरोलाजिक डैटाबेस विकसित करना।

(III) राज्यों में नियमित बाढ़ों के अनुरूप राहत योजना तैयार करना।

(IV) प्राकृतिक विपत्ति प्रबन्ध के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) प्रयुक्तियों को विकसित करना तथा

(V) प्राकृतिक विपत्तियों के विश्लेषण तथा पूर्व घोषणा के लिये रिमोट सेंसिंग डाटा का प्रयोग करना।

उड़ीसा के धेनकनाल, कालाहांडी तथा कटक जिलों में नियमित बाढ़ प्रबंन्ध के लिये प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली के कार्यान्वियन के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। विपत्ति प्रबन्ध के माडेल तैयार करने के लिये आपरेशन अनुसंधान माडेल तैयार किए गए हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान समूचे उड़ीसा राज्य मे प्राकृतिक विपदा राहत प्रबन्ध प्रणाली के कार्यान्वियन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में इसका विस्तार आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में किया जाएगा।

सीमेंट उद्योग की आय

323. श्री आनन्द सिंह
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सीमेंट उद्योग को अपने उत्पादन से कुल कितनी आय हुई; और

(ख) इस उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) वर्ष 1988-89 1989-90 और 1990-91 के दौरान सीमेंट उद्योग को अपने उत्पादन से कुल अर्जित आय के सम्बन्ध में सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 1988-89 के दौरान सीमेंट उद्योग के निवल-मूल्य पर कर देने के बाद आय 11.3% थी।

(ख) सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि के प्रस्तावों पर उदारतापूर्वक स्वीकृति दी जा रही है। निरन्तर मानीटरी के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकतम क्षमता उपयोग के लिए आधारभूत सहायता जैसे कोयला, बिजली तथा रेलवे वैगन पर्याप्त रूप से मुहैया कराई जाती है।

कार सेवा आंदोलन के दौरान की गई गिरफ्तारियां

324. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर और नवम्बर, 1990 में राम जन्म भूमि कार सेवा आंदोलन के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समान रैंक- समान पेंशन योजना का कार्यान्वयन

325. **श्री कमल चौधरी**
श्री पी० सी० थामस
श्री क्षुदिराम अगंल
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान जारी किए गए "समान रैंक-समान पेंशन योजना" सम्बन्ध आदेशों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उपरोक्त आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो इन्हें किस तारीख से कार्यान्वित किया जा रहा है और इससे मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) पेंशनधारियों की पेंशन में, रैंकवार, कितनी न्यूनतम और कितनी अधिकतम वृद्धि होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (घ) ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। तथापि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अफसर रैंक से नीचे के रक्षा कार्मिकों की पेंशन में तदर्थ वृद्धि करने की एक योजना तत्कालीन सरकार ने 01 नवम्बर, 1990 को अनुमोदित की थी। मौजूदा सरकार इस निर्णय की पुनरीक्षा कर रही है।

पंजाब से लोगों का आना

326. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों से जुलाई, 1990 से फरवरी, 1991 तक (आज तक) आये व्यक्तियों की, जिलावार, संख्या क्या है;

(ख) उक्त काल के दौरान दिल्ली में आये ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) ऐसे लोगों पर प्रतिदिन और प्रति माह कुल कितना खर्चा किया गया; और

(घ) लोगों का इस प्रकार आना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय): (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, जुलाई, 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक पंजाब से 3676 व्यक्ति दिल्ली में आए। अन्य राज्यों को प्रवास कर गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से सूचना प्राप्त होनी है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) पंजाब सरकार ने प्रवास की रोकथाम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें सुरक्षा बलों की तैनातगी तथा संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाना शामिल है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

327. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा एक साथ कुछ सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करने की योजना आयोग की सलाह मानने से इन्कार किए जाने के कारण धनराशि

के अभाव में अनेक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) योजना आयोग ने राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को अपने आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए भेजे गए मार्गदर्शी दिशा निर्देशों में चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई उस प्राथमिकता पर बल दिया है। इसका सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने अधिकांशतः पालन किया है। यद्यपि किसी भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र ने योजना आयोग के इस मार्गदर्शी दिशा निर्देशों को मानने से इंकार नहीं किया है। तथापि संसाधनों की बाधाओं और अन्य रुकावटों के कारण अभी चालू मुख्य और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा किए जाने की आशा नहीं की जा सकती।

उल्फा और लिट्टे के बीच सम्बन्ध

328. **श्री सेल्वारासू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में उल्फा और लिट्टे के बीच तथाकथित सम्बन्धों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) लिट्टे और उल्फा के बीच संबंधों के बारे में सूचनाएं हैं।

कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

329. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना, जिसमें 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट होंगे, निर्माणाधीन है। स्थल संबंधी मूलभूत संरचनात्मक कार्य, मुख्य संयंत्र से संबंधित सिविल निर्माण कार्य तथा संघटकों और उपस्करों का निर्माण करने/प्राप्त करने से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। पहले यूनिट द्वारा जून, 1995 में

क्रांतिकता प्राप्त कर लेने तथा उसके बाद दूसरे यूनिट द्वारा दिसंबर, 1995 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने का समय निर्धारित किया गया है।

पंजाब, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा असम में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याएं/अपहरण

330. **श्री मगोड़ा पटेल**
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल
श्री कमल चौधरी
श्री के० एस० राव
: क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, जम्मू और कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश तथा असम में आतंकवादियों द्वारा 1 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक तथा 1 जनवरी, 1991 से आज तक सुरक्षा कर्मियों सहित कितने व्यक्तियों की हत्या की गई, कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया और कितने व्यक्तियों को घायल किया गया;

(ख) प्रत्येक पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कितने आतंकवादियों को मारा गया और कितनों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) आतंकवादियों और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री और सूचना प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

331. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले छह माह के दौरान सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ी है;

(ख) क्या इसी अवधि के दौरान मारे जाने वाले लोगों की संख्या और हत्याओं में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति पर अधिक प्रभावी ढंग से नियन्त्रण पाने के लिए, क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत छह महीनों के दौरान देश में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण रही है। पिछले छह महीनों के दौरान, इससे पहले के 6 महीनों की तुलना में, कुछ राज्यों में हत्याओं तथा व्यक्तियों के मारे जाने की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990 के दौरान हुई हत्याओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत, "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्यों के विषय है। इस प्रकार, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सीधे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है तथा स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखती है तथा उसकी संवीक्षा करती है। जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

1990 की प्रथम छमाही तथा बाद की छमाही में दर्ज किए गए हत्या के मामलों का राज्य-वार तुलनात्मक विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	हत्या के मामले (1990 की प्रथम छमाही)	हत्या के मामले (1990 की (दूसरी छमाही)	आंकड़े । जुलाई, से तक
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1217	832	अक्तूबर, 1990
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	14	नवम्बर, 1990
3.	असम	395	366	अक्तूबर, 1990
4.	बिहार	2138	360	जुलाई, 1990
5.	गोआ	16	13	
6.	गुजरात	687	311	सितम्बर, 1990

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	238	168	अक्तूबर, 1990
8.	हिमाचल प्रदेश	54	45	
9.	जम्मू और कश्मीर	251	263	नवम्बर, 1990
10.	कर्नाटक	682	600	नवम्बर, 1990
11.	केरल	259	233	नवम्बर, 1990
12.	मध्य प्रदेश	1437	676	सितम्बर, 1990
13.	महाराष्ट्र	1347	916	नवम्बर, 1990
14.	मनीपुर	41	58	
15.	मेघालय	58	39	अक्तूबर, 1990
16.	मिजोरम	14	16	
17.	नागालैंड	31	33	नवम्बर, 1990
18.	उड़ीसा	354	256	नवम्बर, 1990
19.	पंजाब	1168	1378	नवम्बर, 1990
20.	राजस्थान	581	325	सितम्बर, 1990
21.	सिक्किम	5	4	
22.	तमिलनाडु	814	513	नवम्बर, 1900
23.	त्रिपुरा	70	77	नवम्बर, 1990
24.	उत्तर प्रदेश	3735	1390	अगस्त, 1990
25.	पश्चिम बंगाल	856	116	जुलाई, 1990
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार	6	11	नवम्बर, 1990
27.	चंडीगढ़	12	10	
28.	दमन और दीव	3	1	
29.	दादरा और नागर हवेली	3	3	
30.	दिल्ली	169	131	अक्तूबर, 1990
31.	लक्षद्वीप	—	—	
32.	पांडिचेरी	14	8	

आपरेशन "बजरंग का प्रभाव

332. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख
श्री के० बोक्का राव
श्री प्रकाश वी० पाटिल
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को "आपरेशन बजरंग" चलाए जाने से अब तक "यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम" के कितने संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए है. उनका ब्योरा क्या है और इस संगठन के साथ उनके क्या संबंध थे;

(ख) उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बरामद हुए हथियारों और गोला-बारूद का ब्योरा क्या है;

(घ) इस आपरेशन के दौरान सेना/पुलिस के कितने कर्मी मारे गए; और

(ङ, राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर "आपरेशन बजरंग" का क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) "बजरंग अभियान" के चलाए जाने के बाद से 20.2.91 तक सेना और पुलिस द्वारा 2554 गिरफ्तारियां की गई है तथा यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) के 5 संदिग्ध कार्यकर्ता मारे गए।

(ख) सम्पूर्ण असम राज्य को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है तथा स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। उल्फा को गैर-कानूनी करार किया गया है।

(ग) 19 2.91 तक 924 हथियार बरामद किए गए है जिनमें एस० बी० बी० एल० बन्दूकें ड.० बं.० बी० एस० बन्दूकें, ए० के०–47 राईफलें पिस्तौलें, कारतूस, हथगोले इत्यादि शामिल हैं।

(घ) "बजरंग अभियान" के दौरान तीन (2 सैनिक तथा एक पुलिस कार्मिक) मारे गए।

(ङ) असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति में आम सुधार हुआ है।

भाजपा द्वारा श्रीनगर के लिए मार्च

333. श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 23 जून को श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए वहां जाने के लिए भाजपा के प्रस्तावित भारी मार्च की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित मार्च के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां. श्रीमान् ।

(ख) और (ग) किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित समय पर आवश्यक प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे ।

आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की ओर से मांगों का ज्ञापन

334. **श्री [illegible] :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल ही में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की ओर से कोई मांगों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही/करने का प्रस्ताव है ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कामगार संघ और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को मांगपत्र दिये हैं जिसमें उन्होंने मुख्यतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने तथा सरकारी कर्मचारियों के समान दर्जा दिए जाने की मांग की है ।

(ग) सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि ऐसा करना समेकित बाल विकास सेवा योजना के उस सिद्धान्त के विरुद्ध होगा जो स्थानीय समुदाय से चुनी हुई स्वैच्छिक, अंशकालिक (4 30 घंटे प्रतिदिन) आधार पर काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं की स्वैच्छिक और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित है । जहां तक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रश्न है सरकार इस मामले पर अधिकाधिक ध्यान दे रही है ।

समन्वित शिशु विकास योजना के अन्तर्गत की गई प्रगति

335. **श्री बी० देवराजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में समन्वित शिशु विकास योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हुई प्रगति के संबन्ध में कोई राज्य-वार सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण प्राप्त कर रहे बच्चों एवं माताओं तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा पा रहे बच्चों की राज्य-वार, संख्या क्या है; और

(ग) ग्रामीण, आदिवासी, सूखा व बाढ़ का जल्दी-जल्दी शिकार हो जाने वाले क्षेत्रों में पोषण-स्तर को उठाने, माताओं में जागरूकता बढ़ाने और टीके लगाये जाने वाले शिशुओं तथा माताओं की संख्या बढ़ाने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कितना धन खर्च किया गया।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) योजना का समय-समय पर व्यापक अध्ययन किया जाता है। इस विभाग ने विभिन्न राज्यों में आई०सी०डी०एस० के विभिन्न पहलुओं पर विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से नीचे दर्शाए अनुसार अध्ययन करवाए हैं।

वर्ष	किए गए अध्ययनों की संख्या
1	2
1987-88	8
1988-89	12
1989-90	4

इसके अलावा, इस विभाग के एक तकनीकी कार्यालय-राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने 1990-91 के दौरान बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित 14 आई०सी०डी० एक परियोजनाओं पर अध्ययन करवाया है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में आई० सी० डी० एस० के स्वास्थ्य और पोषाहार घटकों का प्रबोधन करने वाली केन्द्रीय तकनीकी समिति (ए०आई०एम०ए०), नई दिल्ली ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

सर्वेक्षण वर्ष	परियोजनाओं की संख्या जिनका सर्वेक्षण किया गया
1	2
1987-88	80
1988-89	41
1989-90	32

(ख) आई० सी० डी० एस० योजना का प्रबोधन केन्द्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और परियोजना स्तर पर किया जाता है। केन्द्रीय स्तर पर यह कार्य बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सी० डी० पी० ओ०) से तथा राज्य अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभाग में किया जाता है। स्वास्थ्य और पोषाहार संघटक का प्रबोधन केन्द्रीय तकनीकी समिति (ए. आई. एम. एस.) द्वारा किया जाता है। आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत 31-12-90 की स्थिति अनुसार पूरक पोषाहार पाने वाली माताओं और बच्चों की संख्या तथा पूर्व-स्कूल शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या सम्बन्धी राज्यवार सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ग) आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गंदी बस्तियों में एक आई. सी. डी. एस. परियोजना में औसतन लगभग 100 आंगनवाड़ियां स्वीकृत की जाती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में एक आई. सी. डी. एस. परियोजना में औसत लगभग 50 आंगनवाड़ियां होती हैं। लगभग 89 प्रतिशत परियोजनाएं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत की जाती हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिकांशतया अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और वहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे होते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई. सी. डी. एस. योजना पर खर्च की गई राज्यवार धनराशि (पूरक पोषाहार को छोड़कर, क्योंकि इसका खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है) दर्शाने वाला विवरण-2 सलग्न है।

इसी अवधि के दौरान रोग प्रतिरोधन पर किया गया खर्च, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

भारत सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के जरिए अपने संसाधनों के माध्यम से तथा विदेशी संगठनों अर्थात् केयर इण्डिया और विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नकद और जिनस में पोषाहारीय सहायता प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-4 में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास योजना (केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित है) के पूरक पोषाहार कार्यक्रम और स्कूल पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों (बच्चों और माताओं) की राज्यवार संख्या

(आंकड़े हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	पूरक पोषाहार मार्च, 1988	मार्च, 89	मार्च, 90	दिस०, 90
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	737.04	777.83	916.38	996.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.82	44.80	51.34	50.65
3.	असम	185.25	365.74	319.48	295.59
4.	बिहार	909.84	1029.51	1059.02	926.31
5.	गोवा	37.35	36.26	41.49	40.20
6.	गुजरात	786.36	934.75	909.04	1013.63
7.	हरियाणा	684.15	673.95	689.75	676.88

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	92.55	103.11	106.62	100.64
9.	जम्मू और कश्मीर	94.21	138.79	158.03	156.69
10.	कर्नाटक	871.87	1031.41	1103.99	1269.12
11.	केरल	508.76	590.37	648.19	642.94
12.	मध्य प्रदेश	754.21	862.86	1036.18	1135.88
13.	महाराष्ट्र	1217.21	1318.69	1534.67	1798.94
14.	मणिपुर	79.81	125.51	167.00	118.87
15.	मेघालय	45.49	58.10	70.88	69.53
16.	मिज़ोरम	1.09	73.16	72.54	82.72
17.	नागालैंड	104.66	135.60	151.56	134.05
18.	उड़ीसा	746.82	726.09	770.95	847.82
19.	पंजाब	249.21	244.09	254.10	218.10
20.	राजस्थान	576.77	748.38	760.41	727.99

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	14.10	15.00	16.25	18.32
22.	तमिलनाडु	296.32	356.23	360.50	399.40
23.	त्रिपुरा	51.96	57.24	67.34	59.75
24.	उत्तर प्रदेश	1148.03	1481.84	1319.75	1249.88
25.	पश्चिम बंगाल	864.85	1010.46	1017.27	949.16
26.	अण्डमान और निकोबार	14.66	14.85	25.04	22.71
27.	चण्डीगढ़	10.14	10.54	10.60	10.20
28.	दादर और नगर हवेली	8.99	6.90	12.78	12.84
29.	दिल्ली	358.38	331.47	339.58	338.93
30.	दमन और दीव	5.88	5.77	5.80	5.99
31.	लक्षद्वीप	8.26	8.57	8.10	8.46
32.	पांडिचेरी	37.60	49.42	47.36	44.25
	अखिल भारतीय	11451.14	13357.35	14052.07	14423.09

(आंकड़े हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्कूल पूर्व शिक्षा मार्च, 1988	मार्च, 89	मार्च, 90	दिस० 90
1	2	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	343.59	316.00	415.50	451.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.31	17.90	19.04	18.46
3.	असम	142.27	187.57	182.95	191.39
4.	बिहार	412.97	473.71	468.95	476.33
5.	गोवा	15.03	15.98	15.86	14.80
6.	गुजरात	371.11	431.13	424.18	455.67
7.	हरियाणा	270.05	277.94	276.45	2644.49
8.	हिमाचल प्रदेश	38.06	43.32	46.19	495.77
9.	जम्मू एवं काश्मीर	44.02	59.21	71.29	69.76
10.	कर्नाटक	410.73	475.89	508.44	546.88

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	280.66	168.67	281.93	272.91
12.	मध्य प्रदेश	358.49	424.12	481.97	527.89
13.	महाराष्ट्र	564.58	673.36	732.70	842.65
14.	मणिपुर	41.75	63.75	57.06	54.51
15.	मेघालय	19.75	21.58	27.24	28.03
16.	मिज़ोरम	30.88	88.87	33.74	38.36
17.	नागालैंड	43.19	54.31	62.10	46.06
18.	उड़ीसा	172.38	176.10	202.41	200.94
19.	पंजाब	136.71	1139.61	145.82	150.50
20.	राजस्थान	257.70	351.19	356.50	319.80
21.	सिक्किम	5.37	5.80	8.80	6.02
22.	तमिलनाडु	169.03	193.58	203.19	230.11
23.	त्रिपुरा	20.97	30.02	38.53	35.88

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	551.47	707.91	707.72	711.86
25.	पश्चिम बंगाल	425.76	493.88	517.93	593.80
26.	अंडमान निकोबार	6.65	6.47	11.35	10.70
27.	चंडीगढ़	7.10	6.90	7.22	6.82
28.	दादर और नगर हवेली	2.23	2.24	3.03	2.94
29.	दिल्ली	126.25	113.30	113.76	109.07
30.	दमन और दीव	2.63	2.47	2.43	2.53
31.	लक्षद्वीप	1.22	1.13	1.31	1.22
32.	पांडिचेरी	13.52	15.97	15.13	14.62
	अखिल भारतीय	5248.03	6025.08	6436.39	6742.24

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित आई० सी० डी० योजना के अन्तर्गत दी गई राज्यवार और वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता

क्रम सं०	राज्य का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	823.14	1186.59	975.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.06	124.67	96.04
3.	असम	462.22	457.97	543.61
4.	बिहार	1014.56	1201.15	1374.47
5.	गोवा	73.88	93.26	112.99
6.	गुजरात	960.76	1513.22	1170.40
7.	हरियाणा	340.36	414.97	408.77
8.	हिमाचल प्रदेश	170.22	266.81	216.46
9.	जम्मू और कश्मीर	134.77	143.90	189.90
10.	कर्नाटक	987.40	926.16	1048.74
11.	केरल	481.72	625.15	566.56
12.	मध्य प्रदेश	1060 34	1242.67	1390.29
13.	महाराष्ट्र	1007.02	1282.58	1670.94
14.	मणिपुर	93.68	133.23	198 65
15.	मेघालय	73.90	128.53	133.23
16.	मिजोरम	116.00	136.54	156.45
17.	नागालैंड	133.17	181.41	182.33
18.	उड़ीसा	466.61	775.83	941.17

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	323.61	513.00	410.36
20.	राजस्थान	767.42	787.00	888.40
21.	सिक्किम	27.83	31.00	37.73
22.	तमिलनाडु	564.76	529.91	845.73
23.	त्रिपुरा	123.93	130.37	213.01
24.	उत्तर प्रदेश	1155.37	1493.13	2238.76
25.	पश्चिम बंगाल	1041.89	1467.01	1563.17
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	22.24	25.00	27.00
2.	चण्डीगढ़	23.44	21.50	21.00
3.	दादर व नगर हवेली	11.75	11.00	11.00
4.	दमन व दीव	6.03	8.00	8.00
5.	दिल्ली	244.61	287.52	291.12
6.	लक्षद्वीप	6.51	6.00	6.00
7.	पांडिचेरी	67.52	55.13	65.00
	योग :	13729.72	16200.28	18003.11

विवरण-3

वर्ष	आवंटन	सी०वैन	राज्यों को टीका	सहायता नकद	केन्द्र पर व्यय	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1987-88	4500	1167.30	947.59	433.14	163.00	2711.03
1988-89	5200	1710.30	1356.20	623.25	133.00	3822.75
1989-90	6000	2069.97	1896.83	726.18	195.14	4888.12

विवरण—4

वर्ष	केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम			केयर के माध्यम से प्राप्त सहायता		विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सहायता	
	राज्यों को दी गई धन राशि	भारतीय खाद्य निगम को दी गई राशि (रु० करोड़ में)	दिया गया गेहूं मी. गेहूं मी० टनों में	खाद्य सामग्री मी० टनों में	मूल्य (लाख रु. में)	खाद्य सामग्री मी० टनों में	मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
987-88	38 करोड़	15.96 करोड़	65511 मी० टन	146747	7643.15	37750	2423.00
988-89	26.87 करोड़	11.65 करोड़	42055 मी० टन	146626	10260.23	34500	2507.00
989-90	28 00 करोड़	4.41 करोड़	54225 मी० टन	136295	9772.05	46750	2864.50

हार्डवेयर क्षेत्रों में 'सिंगल विंडो' धारणा अपनाना

336. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'साफ्टवेयर तकनीकी पार्कों में इस समय प्रचलित 'सिंगल विंडो धारणा' को हार्डवेयर के क्षेत्र में भी लागू करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपने देश में ऐसी इकाइयां स्थापित करने हेतु और अधिक विदेशी कम्पनियों को आकर्षित करने के लिये कौन-कौन से नए उपाय अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) विदेशी तकनीक प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों का पता लगाने तथा अड़चनें दूर करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं; तो वे क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के मामले में इस समय प्रचलित 'सिंगल विंडो' अवधारणा को हार्डवेयर के क्षेत्र में भी लागू करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में भारत में विदेशी कम्पनियों के लिए पूंजी निवेश सम्बन्धी अवसरों पर प्रकाश डालने के लिए अपने देश के साथ-साथ विदेशों में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिकी के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा निरन्तर की जा रही है तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी भावी उद्यमकर्त्ताओं को सभी संगत सूचना प्रदान करने वाली विवरण पत्रिकाओं के माध्यम से देश के भीतर आयोजित बैठकों तथा देश में और विदेशों में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने के जरिए भी उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र को ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना गया है जहां विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कार्य-विधियों की समीक्षा निरन्तर रूप से की जाती है। कार्य निष्पादन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में साफ्टवेयर के क्षेत्र को चुना गया है और इलेक्ट्रानिक उद्योग के इस क्षेत्र को सिंगल विंडो' सेवा उपलब्ध कराने के लिए साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को नामित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ग्रुप "डी" के पदों को भरना

337. एस० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी विभागों में ग्रुप "डी" के सभी पदों को स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरा जाता है;

(ख) क्या उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड, नई दिल्ली के पास इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की अनेक पदों के लिए की गई मांगें काफी समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इस एक्सचेंज से गत छः माह के दौरान विभिन्न विभागों ने कितने पदों के लिए मांग की है और इनमें से अद्यतन कितनी मांगें लंबित हैं. और

(घ) लंबित मांगों को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) विद्यमान अनुदेशों के अंतर्गत, उन मामलों को छोड़कर जहां किसी पद के लिए फालतू वर्ग "घ" कर्मचारी सरप्लस सैल के माध्यम से उपलब्ध हैं, तथा सम्बन्धित विभाग में नियमित करने के लिए योग्य नैमित्तिक कर्मचारी उपलब्ध है, केन्द्र सरकार के विभागों में वर्ग "ग" के पदों पर सभी सीधी भर्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी अपेक्षित हैं ।

(ख) से (घ) रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड, नई दिल्ली में वर्ग "घ" पदों के लिए विभिन्न विभागों से 1-8-1990 से 31-1-1991 तक प्राप्त कुल 311 मांगें पूरी कर दी गई हैं ।

कर्नाटक स्थित रक्षा संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपाय

338. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में स्थित रक्षा संस्थानों में अग्नि कांड के खतरे विद्यमान हैं;

(ख) क्या अधिकारीगण आग लगने की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम में असमर्थ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में स्थित रक्षा उत्पादन उपक्रमों में विस्फोटक सामग्री का निर्माण नहीं किया जाता है इसलिए इन उपक्रमों में अग्नि कांड के खतरे नहीं हैं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में पाकिस्तानी नागरिक

[हिन्दी]

339. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक भारत भ्रमण के लिए कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा जारी किया गया है,

(ख) अनुमानत. कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में कुछ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) भारत भ्रमण करने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशनों द्वारा जनवरी, ·991 में 8,308 वीसा-जारी किए गए।

(ख) 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार 9467

(ग) ज्यों ही किसी पाकिस्तानी नागरिक का अवैध रूप से भारत में रहने का पता चलता है उसके विरुद्ध विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के अधीन मुकदमा, वापस भेजने सहित कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जिला हजारी बाग, बिहार में आयुध कारखाना

340. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जिला हजारी बाग, बिहार के मारकाछो सब-डिवीजन में एक आयुध कारखाना स्थापित करने हेतु स्थान का चयन करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सरकार ने प्रणोदकों का उत्पादन करने के लिए नई आयुध निर्माणी स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रणोदकों की अपेक्षित आवश्यकता मौजूदा आयुध निर्माणियों तथा सिविल क्षेत्र से पूरी करली जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष सैन्य-रेल-गाड़ी से प्रक्षेपास्त्रों की चोरी

341 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार का ध्यान धनबाद से प्रकाशित किए जा रहे दैनिक समाचार पत्र "आज" में दिनांक 21 जून, 1990 को "मिलिटरी स्पेशल से मिसाइलों की लूट तातुलमारी स्टेशन में नहीं हुई" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्ग में प्रक्षेपास्त्रों की चोरी किस स्थल पर हुई,

(ग) क्या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है,

(घ) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून, 1990 में रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे 105 मि.मी. फील्डगन क चार राउंड का गोलाबारूद चोरी हो गया था। सेना द्वारा गठित जांच अदालत के निष्कर्षों के अनुसार यह चोरी आसनसोल और तितलीमारी रेलवे स्टेशनों के बीच हुई जो कि तितलीमारी से लगभग 10 कि. मी. दूर है। जांच अदालत के निष्कर्षों के आधार पर अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से न करने पर मार्ग में उक्त गोलाबारूद की रक्षा के लिए तैनात रक्षा कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है।

दिल्ली नगर निगम में चौकीदारों के रिक्त पद

[अनुवाद]

342. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में चौकीदारों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने सूचित किया है कि संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निगम के सामान्य विंग के विभिन्न विभागों में चौकीदार के 91 पद खाली पड़े हैं। चयन करने के लिए रोजगार दफ्तर से 1075 उम्मीदवारों की सूची दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हुई है।

विवरण

19-2-1991 को दिल्ली नगर निगम (सामान्य विंग) के विभिन्न विभागों में चौकीदार के खाली पदों के ब्यौरे :

चपरासी के पदों का कैडर बदलने के कारण विभिन्न विभागों में रिक्त पद	18
अवकाश प्राप्त/मृत्यु आदि के कारण विभिन्न विभागों में रिक्त पद	11
साम्प्रदायिक सेवा विभाग	14
एम. और सी. डब्ल्यू विभाग	04
शिक्षा विभाग (एस. पी. जोन)	01
शिक्षा विभाग (रोहिणी)	04
एम.सी. प्राइमरी स्कूल, खन्जावाला	01
राम रूप हैल्थ केन्द्र खन्जावाला	01
पी.एच.सी. फतेहपुर, बेरी	01
एस. सी. (आटो) का कार्यालय	25
हैकने कैरेज	01
ए.ई. (आटो) शाहदरा का कार्यालय	01
पशु चिकित्सा कार्यालय	01
एच.एम.पी.-II	01
कम्पोस्ट संयंत्र	01
सामान्य शाखा (दक्षिणी जोन)	01
आई. डी. अस्पताल	01
एम. एम. एस. (दक्षिणी जोन)	01
आर. बी. टी. बी. अस्पताल	01
ए. डी. सी. (शाहदरा उत्तर)	01
हिन्दू राव अस्पताल	01
	91

दिल्ली पुलिस के पास चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लंबित मामले

343. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में चरित्र और पूर्ववृन्त से सत्यापन की औपचारिकतायें पूरी होने के बाद ही रोजगार दिया जाता है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के सम्बन्धित अधिकारियों के पास सत्यापन के ऐसे अनेक मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) दिल्ली पुलिस को गत तीन माह के दौरान चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के कितने मामले प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने मामले इस समय लंबित हैं;

(घ) सत्यापन रिपोर्टों को संबंधित विभागों को भेजने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा कितनी है; और

(ङ) लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शीघ्रता से निपटान करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ग) 1-11-1990 से 31-1-1991 तक के गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस को 7440 मामले प्राप्त हुए इनमें से जनवरी, 1991 के माह के दौरान प्राप्त हुए केवल 275 मामले लम्बित हैं ।

(घ) छः सप्ताह ।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन के बारे में रिपोर्ट एक माह के भीतर भेज दी जाती है । इस समय-सारणी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लम्बित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है ।

सरकारी क्षेत्र/औद्योगिक नीति पर स्थिति पत्र

344. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, औद्योगिक नीति एवं प्रक्रिया के बारे में स्थिति पत्र तैयार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन के बारे में नवीनतम आंकड़े 1989-90 के सरकारी उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध होंगे जिसे चालू बजट सत्र में संसद के सभा पटल पर रखा जा रहा है। नयी औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है।

बोफोर्स तोप सौदे की जांच

345. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट**
श्री मान्धाता सिंह
श्री गुलाबचन्द कटारिया
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1450 करोड़ रुपए के बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के रहस्य को उजागर करने के लिए की जा रही जांच के सम्बन्ध में स्वीडन, ब्रिटेन और स्विटजरलैंड गए केन्द्रीय जांच ब्यूरो का दल वहां से 28 जनवरी, 1991 को भारत लौट आया है,

(ख) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है,

(ग) यदि हां, तो बोफोर्स मामले में चल रही जांच की अद्यतन स्थिति क्या है, और

(घ) सरकार इस मामले से संबंधित निष्कर्ष कब तक बताएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन अफसरों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को जानकारी दे दी है।

(ग) और (घ) जांच चल रही है। यह बताना संभव नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के परिणाम कब तक उपलब्ध होंगे क्योंकि कई देशों में इस संबंध में कानूनी कार्रवाई चल रही है तथा इसमे बहुत अधिक संख्या में दस्तावेजों की छानबीन की जानी है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में हिन्दी अधिकारियों की भर्ती

[**हिन्दी**]

346. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मन्त्री** 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए

एक उम्मीदवार के चयन के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच संबंधी ब्यौरों का एक विवरण 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 के संबंध में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में पहले ही अग्रसारित किया जा चुका है। उस विवरण के अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किये जा रहे हैं :

"इस मामले की जांच करने पर पाया गया कि इस पद के लिए चयनित उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के संबंध में आरंभिक तौर पर विचार नहीं किया गया था। क्योंकि हिन्दी अनुवाद में उसका अनुभव 5 वर्षों के निर्धारित अनुभव से एक वर्ष कम था। तथापि, उस उम्मीदवार ने एक अभ्यावेदन दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि इस पद के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि हिन्दी का, अतः अंग्रेजी लेक्चरर के रूप में उसके डेढ़ वर्ष के अनुभव को भी वांछित अनुभव के इस उद्देश्य के लिए जोड़ा जाए।

चूंकि इस संबंध में उसने कुछ उपयुक्त (प्रासंगिक) बिन्दुओं को प्रस्तुत किया, अतः उसके अभ्यावेदन को चयन समिति के समक्ष रखा गया ताकि चयन समिति इस पद के लिए उसकी पात्रता अथवा अन्यथा विषयक निर्णय कर सके। इस चयन समिति द्वारा समुचित विचार-विमर्श के बाद श्री पूरन पाल के एक वर्ष के अध्यापन अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। तदनुसार, अन्य 19 उम्मीदवारों के साथ-साथ उनका साक्षात्कार इस क्षेत्र की एक बहुत ही प्रख्यात सदस्यों वाली चयन समिति द्वारा किया गया और इस चयन समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस उम्मीदवार के पास न केवल हिन्दी और अंग्रेजी दोनों विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं बल्कि उसके पास बी. एड. डिग्री के साथ-साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अनुवाद प्रमाण-पत्र भी है तथा साक्षात्कार में कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए, उसको (इस उम्मीदवार को) पैनल में सबसे ऊपर रखा। उसके बाद सभी ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए इस समिति की कार्यवाही का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदन किया गया। अतः यह माना जाए कि यह चयन मॉडल भर्ती नियमों के अन्तर्गत ही किया गया जिनमें अन्यथा सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में छूट का प्रावधान था।"

औद्योगिक इकाइयों का बन्द होना

347. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उन औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो खाड़ी संकट और पेट्रोल की कमी के कारण बन्द होने के कगार पर हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : सरकार का यह प्रयास रहा है कि औद्योगिक एककों को पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में ढील/छूट देकर औद्योगिक एककों पर खाड़ी संकट के प्रभाव को कम किया जाय।

भारत में विदेशी धर्म प्रचारक

348. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री 29 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 19 धर्म प्रचारकों में से पांच को, जिन्हें देश छोड़ने की सूचना दी गई थी तथा उनके विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट होने के बावजूद उन्हें देश ठहरने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : देश में उनके लम्बी अवधि तक ठहरने, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के विचार/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नाधीन 5 मिशनरियों के मामलों की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय हित के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए उन्हें भारत में ठहरने की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई।

सिंधी उत्प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना

[अनुवाद]

349. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30,000 सिंधी उत्प्रवासी परिवारों से उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी, नहीं, श्रीमान्। तथापि उपयुक्त मामलों में सांविधिक अपेक्षा में छूट देने के लिए सिंधी प्रवासियों से प्राप्त व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार किया जाता है।

पाक के साथ लगी सीमा पर बाड़ लगाना

350. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री शांताराम पोटदुखे } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ लगी सीमा जिस पर बाड़ लगाई गई है अथवा विद्युतीकृत किया गया है उसकी कुल लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) शेष सीमा पर कब तक बाड़ लगाई जाएगी या विद्युतीकृत किया जाएगा; और

(ग) पाकिस्तान में प्रशिक्षित घुसपैठियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) बाड़ और तेज रोशनी का कार्य निम्न प्रकार पूरा किया गया है :—

पंजाब		
बाड़	—	120 कि.मी.
तेज रोशनी	—	172 कि. मी.
राजस्थान		
बाड़	—	58.8 कि. मी.
तेज रोशनी	—	61.8 कि. मी.

पंजाब में अन्य 236 कि. मी. बाड़ लगाने तथा 210 कि. मी. पर तेज रोशनी करने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में 144 कि. मी. में बाड़ लगाने तथा 175.45 कि. मी. में तेज रोशनी करने का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। सीमा के शेष भाग पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सीमा चौकियों तथा सीमा बुर्ज चौकियों का निर्माण करके सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने सहित सीमा पर अन्य उपाय किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल, जो सीमा पर पहरेदारी करता है, को भी अतिरिक्त वाहनों, बायनों कूलरों, ट्विन टेलीस्कोपों, रात्रि-दृष्टि-उपकरणों तथा हाथ में पकड़ने वाले रोशनी यंत्रों सहित सुसज्जित किया गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों का तार द्वारा बाधाएं खड़ी की गई :—

जम्मू	—	50 कि. मी.
पंजाब	—	112 कि. मी.
राजस्थान	—	60 कि. मी.

उल्फा से वार्ता

351. **श्री मायवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने का है;

(ख) क्या ऐसी वार्ताओं में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या उल्फा ने कुछ पूर्व शर्तों के साथ सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) वार्ता कब शुरू करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) इस विषय पर उल्फा ने भारत सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा है।

आठवीं योजना को अंतिम रूप देने में देरी

352. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा**
श्री सी० श्रीनिवास
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
श्री प्रकाश वी० पाटिल
: क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने में देरी होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार खाड़ी युद्ध के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में परिव्यय को कम करने का तथा प्राथमिकताएं फिर से तय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पैदा करने और उत्पादन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए क्षेत्रवार निधियों का आवंटन संबंधी कार्य चल रहा है। इन कार्यों के पूरे होने पर, आठवीं योजना दस्तावेज में आवंटन के ब्यौरों को शामिल कर लिया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय अर्थव्यवस्था पर खाड़ी युद्ध से उत्पन्न संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर और गाजीपुर जिलों में आयुध फैक्टरियां

353. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों का अध्ययन करने वाली समिति ने जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों में एक या दो आयुध फैक्टरियां स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो देश के इस हिस्से में, जो गरीबी और पिछड़ेपन से ग्रस्त है आयुध फैक्टरियां स्थापित न करने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का इस क्षेत्र की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने और लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से जौनपुर गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में एक या दो बड़े रक्षा संस्थानों को स्थापित के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि 1964 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में कोई अध्ययन किया गया था जिसके आधार पर जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों में एक या दो आयुध निर्माणियाँ स्थापित करने की सिफारिश की गई थी ।

(ख) और (ग) आयुध निर्माणियों की स्थापना के बारे में निर्णय तकनीकी—आर्थिक और सामाजिक पहलुओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

लिट्टे उग्रवादियों की गिरफ्तारी

354. श्री राम सागर (सैदपुर)
श्री ए० चार्ल्स } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान भारत में कितने लिट्टे उग्रवादी गिरफ्तार किये गये; और

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा लिट्टे आतंकवादियों की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) तमिलनाडु सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दी जाएगा ।

(ख) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने लिट्टे उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ

तटीय क्षेत्रों में पुलिस जांच चौकी स्थापित करना, चलती फिरती और पैदल गश्त लगाना, अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात करना, उग्रवादियों को गिरफ्तार और नजरबन्द करना और नौसेना, तट रक्षक, सीमा शुल्क आदि के मध्य सम्पर्क बनाए रखना शामिल है।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम में आतंकवादी गतिविधियां

[हिन्दी]

355. प्रो० रासा सिंह रावत
श्री धर्मपाल शर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब, कश्मीर और असम में, राज्य-वार आतंकवादी तथा उग्रवादी गतिविधियों को रोकने तथा सामान्य लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक, राज्य-वार, अलग-अलग इन तीन राज्यों में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, कितनों ने आत्म समर्पण किया, कितने मारे गए तथा कितने भाग निकले।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन आतंकवादियों तथा उग्रवादियों से कितनी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद पकड़े गए; और

(घ) आतंकवादियों से मुठभेड़ में अब तक सुरक्षा बलों के कितने जवान मारे गए तथा इन जवानों के परिवारों के कल्याणार्थ क्या कदम उठाये गए हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर, पंजाब और असम राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा है।

खाड़ी युद्ध को देखते हुए सुरक्षोपाय करना

356. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध के कारण बदलते समीकरणों को देखते हुए सरकार द्वारा देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का अपने परमाणु संसाधनों को विकसित करने और परमाणु हथियारों से लैस होने की कोई योजना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) भारत के सुरक्षा परिवेश पर विशेषकर हमारे पड़ोसी देशों में होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निरंतर नजर रखी जाती है। भारत सरकार हर संभव पर्याप्त रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

(ख) भारत सरकार का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सूफी सन्त ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का प्रबन्ध

357. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अजमेर स्थित सूफी सन्त ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का प्रबन्ध करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन कब किया गया;

(ख) प्रबन्ध समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन राज्यों के हैं;

(ग) समिति की कार्यावधि क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान समिति की कितनी बैठकें हुई और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) दरगाह समिति में राजस्थान, विशेष रूप से अजमेर को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण है;

(ङ) सरकार का दरगाह अधिनियम, 1955 में संशोधन कर समिति का पुनर्गठन कब तक करने का विचार है; और

(च) क्या प्रबन्ध कार्य में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रबन्ध समिति की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन): (क) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम 1955 (1955 का 36) के अधिनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा इसी अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दरगाह समिति, अजमेर गठित की गई, जो दरगाह विन्यास के नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। यह समिति एक निगमित निकाय है और इसका पदारोहण अविनिच्छन होता है। इस समिति के सदस्य रिक्तयों की उपलब्धता के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) समिति के वर्तमान सदस्यों के ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दरगाह समिति में राजस्थान अथवा अजमेर के प्रतिनिधियों को लेने के लिए कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में पहले ही संकेत दिया जा चुका है। दरगाह समिति/निगमित निकाय है जिसका पदारोहण अविच्छिन्न होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस समिति की बैठकें हुई और उन पर कुल 76295 रुपए की राशि खर्च हुई।

(ङ) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम 1955 में इस समय किसी संशोधन का विचार नहीं है।

(च) यद्यपि दरगाह प्रबन्ध में समग्र सुधार के लिए दरगाह समिति से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि समिति के कुछ संकल्पों में दरगाह के एक अधिकारी को बदलने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है।

विवरण

22.5.90 की स्थिति के अनुसार दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य

क्रम० संख्या	नाम और पता	कार्यकाल से	कार्यकाल तक
1	2	3	4
1.	श्री पीरजादा शबीर नक्सबन्दी मकान नं० 1C-5-2-1/1 ए० इत्तेहाद भवन बंजारा हिल्स रोड नं० 3, हैदराबाद-500028	9.6.1988	8.6.1991
2.	श्री मोहम्मद अब्दुल आरिफ अंजिम, वेदीवाड़ा रोड, बीकानेर, राजस्थान	2.6.1986	1.6.1991
3.	ख्वाजा हसन सानी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली।	2.6.1986	1.6.1991

1	2	3	4
4.	श्री रईस मिया चिश्ती, सज्जदा नशीन, दरगाह हजरत सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी, आगरा (उ०प्र०)	2.6.1986	1.6.1991
5.	ख्वाजा अहमद निजामी नायब सज्जदा नशीन, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया बस्ति, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	26.5.1987	25.5.1992
6.	श्री एम०एस० फारूकी, महा प्रबन्धक (कानूनी), टाटा ऑयल मिल्स कं० लि० 24, होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई भवन, बम्बई-400001	26.5.1987 कार्या फोन : 2046395 आवास फोन 2049131	25.5.1992 8222277
7.	श्री जान महोम्मद खां, 44 किदवईनगर, इमली फाटक, जयपुर-302001	26.5.1987 फोन नं० 62287	25.5.1992
×× 8.	श्री जलालुद्दीन अब्दुल मतीन फिरंगी महल, लखनऊ-226003 (उ०प्र०)	4.8.1989—	25.5.1992

×× (आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त)

सेना में भर्ती

358. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने सेना भरती केन्द्र हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन भरती केन्द्रों द्वारा राज्य-वार एवं केन्द्र-वार कितने सैनिकों की भरती की गई; और

(ख) रिक्तियों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और शारीरिक मापदण्ड एवं शैक्षिक अर्हताओं के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) देश में सेना भर्ती केन्द्रों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सख्या का ब्यौरा सलग्न विवरण—I में दिया गया है। सशस्त्र सेनाओं में वास्तविक भर्ती के बारे में सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

(ख) सेना में प्रतिवर्ष उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या, वर्ष में खाली होने वाले पदों और सेना की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मानदण्ड और शैक्षिक अर्हताओं सम्बन्धी मानकों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-2 और 3 में दिया गया है।

विवरण-1

भर्ती केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सैन्य भर्ती केन्द्रों की सं०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	3
3	बिहार	5
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7.	जम्मू-कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	2
10.	महाराष्ट्र	5
11.	मध्य प्रदेश	5
12.	मेघालय	1
13.	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	3
15.	पंजाब	5
16.	राजस्थान	5

1	2	3
17.	तमिलनाडु	3
18.	उत्तर प्रदेश	10
19.	पश्चिम बंगाल	4
20.	दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	1
	कुल :	71

विवरण-2

सेना में भर्ती के लिए शारीरिक मानदण्ड और कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली कतिपय छूट

शारीरिक मानदण्ड

1. **क्षेत्र के अनुसार शारीरिक मानदण्ड**

क्रम सं०	डिवीजन	शामिल राज्य/क्षेत्र	शारीरिक मानदण्ड		
			लम्बाई से.मी.	छाती से.मी.	वजन कि.ग्रा.
1	2	3	4	5	6
(क)	पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं	160	77	48
(ख)	पूर्वी हिमालय के क्षेत्र	भूटान, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र	154	77	48

1	2	3	4	5	6
(ग)	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उ०प्र० (मेरठ), तथा आगरा डिवीजन	167	77	50
(घ)	पूर्व के मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उ० प्र०, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	166	77	50
(ङ)	मध्य क्षेत्र	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव	164	77	50
(च)	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा और पांडिचेरी	162	77	50
2.	विशेष शारीरिक मानदण्ड				
(क)	लद्दाखियों के लिए		155	77	50
(ख)	गोरखा (नेपाली और भारतीय अधिवासी लोगों के लिए)		154	77	48
(ग)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह मिनिकाय सहित लक्षद्वीप समूह				
	(1) अधिवासी		162	77	50
	(2) स्थानीय निवासी		152	77	50
(घ)	ऊपर विशेष रूप से उल्लिखित क्षेत्र के उम्मीदवारों को छोड़कर मान्यता प्राप्त जनजातीय क्षेत्रों के आदिवासी		159	77	48

1	2	3	4	5
3.	ट्रेडवार शारीरिक मानदण्ड			
(क)	सेना पुलिस (सी एम॰पी॰)	170	77	50
(ख)	ब्रिगेड ऑफ गार्डस	170	77	50
(ग)	मीडियम आर्टिलरी	167	77	50
(घ)	क्लर्क (जी॰डी॰ और कोर॰	159	77	50

4. छूट : विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को शारीरिक मानदण्डों में दी जानी वाली कतिपय छूट का ब्यौरा इस प्रकार है —

	लम्बाई	छाती	वजन	
1	2	3	4	5
(क)	1 सें॰मी॰	1 सें॰मी॰	2 कि॰ग्रा॰	16 से 18 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवारों के लिए
(ख)	2 सें॰मी॰	1 सें॰मी॰	2 कि॰ग्रा॰	सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिक के एक पुत्र के लिए
(ग)	2 सें॰मी॰	3 सें॰मी॰	5 कि॰ग्रा॰	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के उच्च कोटी के खिलाड़ियों के लिए
(घ)	2 सें॰मी॰	1 सें॰मी॰	2 कि॰ग्रा॰	ट्रेड्समैन की श्रेणियों के लिए

विवरण-3

भर्ती की श्रेणियां एवं शैक्षणिक अर्हता और आयु सीमा

भर्ती	शैक्षणिक अर्हता	आयु	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1. सोल्जर जनरल ड्यूटी	मैट्रिक पास	16 से 21 वर्ष	जनरल ड्यूटी सिपाही
2. सोल्जर टैकनीकल	अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषयों सहित मैट्रिक पास	16 से 23 वर्ष	सिगनल और ई० एम०ई० के लिए, कुछ विशेष ट्रेड
3. सोल्जर क्लर्क/ स्टोरकीपर टैकनीकल	अंग्रेजी और गणित विषयों सहित मैट्रिक पास	16 से 23 वर्ष	क्लर्क/स्टोरकीपर टैकनीकल
4. सोल्जर नर्सिंग आस्सिटैंट	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और जीवविज्ञान विषयों सहित मैट्रिक पास	16 से 23 वर्ष	नर्सिंग असिस्टैंट
5. सोल्जर ट्रेड्समैन	नॉन-मैट्रिक	16 से 25 वर्ष	धोबी, रसोइया, नाई आदि
6. हवलदार क्लर्क	बी०ए०/बी०एस०सी०/ बी०काम० (अंग्रेजी और गणित विषयों सहित मैट्रिक पास)	20 से 25 वर्ष	हवलदार क्लर्क/ हवलदार स्टोर-कीपर टैकनीकल
7. हवलदार शिक्षा :—			
(क) समूह "क"	प्रशिक्षित स्नातक/	20 से 25 वर्ष	सेना शिक्षा कोर

1	2	3	4
	एम०ए०/एम०एस०सी/० एम०काम० (कला स्नातकों के मामले में विज्ञान और गणित विषयों सहित मैट्रिक पास)		का हवलदार अनुदेशक
(ख) समूह "ख"	बी०ए०/बी०एस०सी०/ बी०काम० (कला स्नातकों के मामले में विज्ञान और गणित विषयों सहित मैट्रिक पास)	20 से 25 वर्ष	सेना शिक्षा कोर का हवलदार अनुदेशक
8. जे०सी०ओ० (आर०टी०)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। इसके अलावा उम्मीदवार को सम्प्रदाय विशेष का ज्ञान भी होना चाहिए।	27 से 34 वर्ष	जे० सी० ओ० (आर०टी०)
9. जे०सी०ओ० (कैटरिंग)	विज्ञान विषय सहित 10+2 पास और मान्यता प्राप्त अहार एवं दस्तकारी संस्थान से 1 वर्ष का पाकशास्त्र में डिप्लोमा/पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र	21 से 27 वर्ष	जे० सी० ओ० (कैटरिंग)

पाल्क खाड़ी में 'सीवार्ड डिफेंस बोआर" की जल-समाधि

[अनुवाद]

359. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक "सीवार्ड डिफेंस बोआर" (एस. डी. बी.) जो पाल्क खाड़ी में गश्त के लिए तैनात था दिसम्बर, 1990 में किसी समय डूब गया,

(ख) यदि हां, तो इस पोत के डूबने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए की गई जांच का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। परन्तु पाक खाड़ी में गश्त के लिए तैनात की गई सागरमुखी रक्षा नौका 11/12 दिसम्बर, 1990 की रात को खराब मौसम के कारण अपना लंगर घसीटते हुए दूर चली गई थी। बाद में नौका को खींच कर सही स्थान पर ले आया गया और अब वह विशाखापत्तनम में लंगरगाह में है। इस घटना में कोई कार्मिक हताहत नहीं हुआ था। घटना के कारणों का पता लगाने और पोत की हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक जांच बोर्ड का गठन किया गया है।

अयोध्या में लापता हुए कार सेवक

[हिन्दी]

360. **श्री हरीश पाल : क्या प्रधान मंत्री** 9 जनवरी, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या के थाने में दर्ज कराई गई लगभग 6 व्यक्तियों के लापता होने की रिपोर्ट पर की जा रही जांच पूरी हो चुकी है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र टेक्नालाजी डिमोन्स्ट्रेशन

[अनुवाद]

361. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे पड़ोसी देशों के पास जमीन से जमीन पर और आकाश से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं जिससे इस देश में मार की जा सकती है,

(ख) यदि हां, तो क्या "अग्नि" डिमोन्स्ट्रेशन प्रौद्योगिकी को सैन्य प्रयोग में लाने की कोई योजना है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश में रक्षा तैयारी के हित में सरकार की मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र टैक्नालाजी डिमोन्स्ट्रेटर का दूसरा परीक्षण तथा बाद के परीक्षण करने की भी योजना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार चीन के पास ऐसी प्रणालियां हैं और दूसरा पड़ौसी राष्ट्र ऐसे प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान स्थिति में तकनालाजी डेमोंस्ट्रेटर "अग्नि" के सम्बन्ध में उड़ान परीक्षण योजना को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

भारत द्वारा विकसित किये गये प्रक्षेपास्त्र

362. **श्री दिलीप सिंह भूरिया**, **श्री कल्पनाथ राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अपनी प्रतिरक्षा तैयारी के संदर्भ में कितने प्रकार और मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया है; और

(ख) प्रक्षेपास्त्रों प्रौद्योगिकी के विकास के लिये क्या कार्यक्रम चल रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत चार प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास प्रगति पर हैं।

ये प्रक्षेपास्त्र इस प्रकार हैं :—

(1) **पृथ्वी**—यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता (रेंज) 250 कि० मी० की दूरी तक है। "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र के तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। इसका निर्माण 1992 में शुरू हो जाने की संभावना है।

(2) **त्रिशूल**—यह त्वरित गति से प्रत्याक्रमण करने वाला कम दूरी तक जमीन से आकाश में 9 कि० मी० की दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है । 'त्रिशूल" के बहुत से उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं । इसका निर्माण 1992 में शुरू हो जाने की संभावना है ।

(3) **आकाश**— यह जमीन से आकाश में माध्यम दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है । इसकी मारक क्षमता 25 कि० मी० है "आकाश" प्रक्षेपास्त्र में उन्नत किस्म की प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है और यह अनेक लक्ष्यों पर मार करने की क्षमता रखता है । वर्ष 1990 में इस प्रक्षेपास्त्र के बहुत से उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए । इसका निर्माण 1991 में शुरू हो जाने की संभावना है ।

(4) **नाग**—यह तीसरी पीढ़ी का टैंक—रोधी प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 4 कि० मी० की है । यह प्रक्षेपास्त्र लक्ष्य —भेदन (दागो और भागो) और उच्च प्रहार क्षमताओं से युक्त है और सभी ज्ञात टैंक—कवचों का भेदन कर सकता है । वर्ष 1990 में इस प्रक्षेपास्त्र के कई उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं । इसका निर्माण 1995 में शुरू हो जाने की संभावना है ।

इसके अतिरिक्त एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम "अग्नि" भी शामिल है । जिसके अन्तर्गत प्रक्षेपास्त्र के पृथ्वी के वायुमंडल में पुन: प्रवेश करने की तकनाली शामिल की जाएगी । वर्ष 1989 में अग्नि का सफल उड़ान परीक्षण किया जा चुका है ।

वर्ष 1990-91 में वृद्धि दर

363. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 के लिए लक्षित वृद्धि कितने प्रतिशत निर्धारित की गई थी और प्रत्येक क्षेत्र में अब तक की वास्तविक उपलब्धि क्या रही है; और

(ख) गत दो वर्षों की वृद्धि दर की तुलना में इस वृद्धि दर की क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अर्थव्यवस्था में प्रमुख सेक्टरों और उद्योगों के लिए उत्पादन की वृद्धि दर—1988-89 (वास्तविक आंकड़े), 1989-90 (वास्तविक आंकड़े) तथा 1990-91 (लक्ष्य और उपलब्धियां)

(प्रतिशत वृद्धि)

क्र० सं०	सेक्टर/उद्योग	1987-88 की तुलना में 1988-89 के (वास्तविक आंकड़े)	1988-89 की तुलना में 1989-90 के (वास्तविक आंकड़े)	1990-91 लक्ष्य (पूरे वर्ष) (1)	1990-91 निर्दिष्ट अवधि के दौरान उपलब्धियां
1	2	3	4	5	·
1.	कृषि				
	खाद्यान्न	21.3	0.2	0 9	0.6 (केवल खरीफ के लिए अनंतिम)
2.	उद्योग				
	क) विनिर्माण	8.9	8.4	लक्ष्य अनिर्धारित	11.3 (अप्रैल-नवंबर, 1990)
	1. सीमेंट	10.9	3.6	7.7	5.2 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990)
	2. इस्पात (बिक्री योग्य)	7.2	(—) 1.9	9.1	3.2 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990)

1	2	3	4	5	6
	3. वस्त्र (मिलें और विकेन्द्रीकृत सेक्टर)	(—) 3.3	2.1	4.4	24.1 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990)
	4. वाणिज्यिक वाहन	(—) 1.0	6.5	2.8	27.7 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990)
	(ख) खनन	7.9	6.2	लक्ष्य अनिर्धारित	1.3 (अप्रैल-नवंबर, 1990)
	1. कोयला (लिग्नाइट सहित)	8.5	3.2	5.5	(—) 0.3 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990)
	2. कच्चा तेल/पेट्रोलियम	5.5	6.4	4.6	(—) 3.0 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990)
	(ग) बिजली (विद्युत उत्पादन)	9.4	10.9	7.9	6.9 (अप्रैल-नवंबर, 1990)
	3. परिवहन रेलवे				
	(क) आरंभिक माल-भाड़ा यातायात	3.5	1.4	2.3	1.5 (अप्रैल-दिसबर, 1990) (राजस्व अर्जित यातायात के लिए)
	(ख) यात्री यातायात	(—) 7.6	3.8	0.4	5.5 (अप्रैल-अगस्त, 1990)

(1) मुख्य वार्षिक योजना 1990-91 के लक्ष्यों से प्राप्त ।

असम में विद्रोही गतिविधियां रोकना

364. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विद्रोही गतिविधियां रोकने और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) असम में विद्रोही गतिविधियां रोकने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम के अधीन पूरे असम राज्य को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

(II) स्थिति से निपटने के लिए सिविल प्राधिकारी को सहायता देने के लिए असम में सशस्त्र बल तैनात किया गया है।

(III) गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम के अधीन यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा तथा नेशनल सोसियलिष्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (एन.एस.सी.एन.) को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया है।

अभी तक 2503 उल्फा उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 924 हथियार तथा 187 वाहन बरामद किए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन पत्र

365 **श्री पी० सी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-1991 तक, वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार, केन्द्रीय स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर कराने के लिए, कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे;

(ख) मंजूरी के लिए अनिर्णीत पड़े सबसे पुराने आवेदन पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र के निपटान में देरी के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देरी से बचने और अनिर्णीत पड़े मामलों के जल्द निपटान के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) दिनांक 1-1-1991 को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त स्वतन्त्रता सेनानियों के 12,751 मामले लम्बित थे। राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के 4469 पुनरीक्षा याचिकाएं तथा विभिन्न गैर-सरकारी संवीक्षा समितियों द्वारा देखे जाने हेतु 1100 मामले लम्बित थे।

इन आवेदनों में से आन्ध्र प्रदेश सरकार के केवल 10 आवेदन पत्र अंतिम तिथि, अर्थात 31-3-82 तक राज्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार से शीघ्र सूचना भेजने के लिए लगातार कहा जा रहा है। जहां तक अन्य आवेदनों का संबंध है यह नवम्बर, 1989 और उसके बाद प्राप्त हुए हैं। इन लम्बित आवेदनों के निपटान हेतु दिसम्बर, 1990—जनवरी, 1991 के दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया है। उनकी समीक्षा की गई है तथा वह अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में है।

विवरण

दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार लम्बित पड़े आवेदनों के ब्यौरे

1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	—	117
2. असम	—	1
3. बिहार	—	7036
4. गुजरात	—	8
5. गोआ	—	6
6. हिमाचल प्रदेश	—	1
7. कर्नाटक	—	235
8. केरल	—	37
9. मध्य प्रदेश	—	51
10. महाराष्ट्र	—	83
11. मेघालय	—	2

1	2	3
12. मिजोरम	—	1
13. उड़ीसा	—	7
14. पंजाब	—	7
15. तमिलनाडु	—	104
16. उत्तर प्रदेश	—	37
17. पश्चिम बंगाल	—	4906
18. चंडीगढ़	—	3
19. दिल्ली	—	53
20. पांडिचेरी	—	55
21. अंडमान और निकोबार	—	1
		12751

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

366. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में महिलाओं के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) महिलाओं के लिए विद्यमान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सुविधाओं में सुधार क लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) जी, हां।

बिहार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर महिलाओं हेतु 8 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने और विश्व बैंक की सहायता से "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण

परियोजना" के अधीन महिलाओं हेतु 2 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय आरंभ करने का प्रस्ताव है। महिलाओं हेतु एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

बिहार के उद्योगों की स्थापना

367. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या स्थिति थी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) बिहार राज्य के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, इस योजना अवधि के दौरान पूर्णिया, खगरिया, भोजपुर, औरंगाबाद और नालदा के पिछड़े जिलों में 5 विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है ?

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बड़े तथा मझौले उद्योगों के लिये अनुमोदित 9060 लाख रुपये परिव्यय की तुलना में 18681 लाख रु० व्यय होने की सूचना दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य को 45 औद्योगिक लाइसेंस तथा 87 आशय-पत्र जारी किये गये थे, जिनमें से 6 औद्योगिक लाइसेंस और 27 आशय-पत्र पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये जारी किये गये थे।

महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

368. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत महिला सहकारी समितियां चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन समितियों को दी जा रही सहायता एवम् प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोमनाथ और पिंडारा का अन्वेषण

[अनुवाद]

369. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी के सागर में समा जाने के कारणों की छान-बीन करने के लिए सोमनाथ और पिंडारा, द्वारिका के समकालीन स्थलों, का सुव्यवस्थित अन्वेषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की व्यापक रूपरेखा क्या है;

(ग) अब तक क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(घ) क्या समुद्री विशेषज्ञों के अतिरिक्त ऐतिहासिक और पुरातत्वीय विशेषज्ञों को भी इस अध्ययन से जोड़ा गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अध्ययन पर कितना खर्च आने का अनुमान है और यह कब तक पूरा होने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं। इस संबंध में अब तक कोई सुव्यवस्थित अन्वेषण नहीं शुरू किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार

[हिन्दी]

370. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1961, 1971, 1981, 1985 और 1990 में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या और प्रतिशत क्या थी; और

(ख) सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का कौन सी योजनाएं शुरू करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर (जो कि संदर्भ-गत वर्षों के लिए विस्तृत रूप में तुलनात्मक आकड़ों का स्रोत है) के अनुसार

1961, 1971, 1981, 1985 तथा 1989 के अन्त में शिक्षित तथा अशिक्षित (अनपढ़ों सहित) काम के इच्छुकों की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है। यह आवश्यकता नहीं है कि चालू रिजस्टरों के सभी काम के इच्छुक बेरोजगार हों। उदाहरणार्थ, 1988 में श्रम मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सभी पंजीकृतों में से 56 प्रतिशत वास्तव में बेरोजगार थे।

(ख) क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रमों के अलावा, अनेक विशेष रोजगार स्कीमें तथा जे आर वाई, आई आर डी पी, ट्राईसेम. एन आर वाई, एस ई बी यू पी तथा एस ई ई यू वाई प्रचालन में हैं। आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में आयोजना में मुख्य जोर रोजगार पर देना प्रस्तावित है। रोजगार हेतु कार्य नीति तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे आठवीं योजना दस्तावेज में सम्मिलित किए जाएंगे।

विवरण

1961, 1971, 1981, 1985 तथा 1989 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में काम के इच्छुकों की संख्या

राज्य	1961		1971		1981	
	मैट्रिक से कम (निरक्षरों सहित)	शिक्षित (मैट्रिक से ऊपर)	मैट्रिक से कम (निरक्षरों सहित)	शिक्षित (मैट्रिक से ऊपर	मैट्रिक से कम (निरक्षरों सहित)	शिक्षित (मैट्रिक से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	73 7	33.1 (31.0)	166.8	169.3 (50.4)	838.7	701.7 (45.6)
2. [illegible] प्रदेश	×	×	×	×	—	—
3. असम	23 4	8.1 (25.7)	49.2	29.7 (37.6)	216.7	154.7 (41.7)
4. बिहार	102.7	29.2 (22.1)	253.7	165.9 (39.5)	1185.0	1234.7 (51.[illegible])

1	2	3	4	5	6	7
5. गोवा	×	×	4.3	6.3 (59 4)	13.1	18.7 (58.8)
6. गुजरात	41.3	22.1 (34.9)	88.2	82.8 (48.4)	224.8	308.5 (57.8)
7. हरियाणा	××	××	52.2	46.8 (47.1)	191.6	187.4 (48.9)
8. हिमाचल प्रदेश	4.4	1.3 (22.8)	31.9	13.4 (29.6)	73.9	85.4 (3.6)
9. जम्मू व कश्मीर	3.4	1.5 (30.6)	15.8	9.6 (37.8)	34.5	21 5 (38.4)
10. केरल	72.8	68.0 (48.3)	156.2	201.2 (56.3)	1006.5	841.5 (45.5)
11. कर्नाटक	45.7	37.4 (45.0)	130 2	139.9 (51 8)	244.7	384.7 (61.1)

1	2	3	4	5	6	7
12. मध्य प्रदेश	57.9	17.4 (23.1)	178.4	137.2 (43.5)	461.2	421.0 (47.7)
13. महाराष्ट्र	116.2	55.7 (32.4)	230.7	199.3 (46.3)	703.7	691.1 (49.5)
14. मणिपुर	8.2	2.0 (19.6)	19.7	17.9 (47.6)	67.5	65.1 (49.1)
15. मेघालय	××	××	××	×	6.0	4.4 (42.3)
16. मिजोरम	××	××	××	××	12.4	3.2 (20.5)
17. नागालैंड	×	×	×	×	6.6	1.9 (22.4)
18. उड़ीसा	60.2	8.7 (12.5)	128.3	56.8 (30.7)	286.8	201.3 (41.2)

1	2	3	4	5	6	7
19. पंजाब	39.4	28.4 (41.9)	57.6	61.2 (51.5)	231.7	254.3 (52.3)
20. राजस्थान	24.1	20.4 (45.8)	75.2	64.7 (46.2)	205.3	190.9 (48.2)
21. सिक्किम ×						
22. तमिलनाडु	110.6	41.2 (27.1)	268.1	191.6 (41.7)	640.4	615.5 (49.0)
23. त्रिपुरा	3.5	0.9 (20.5)	14.8	15.1 (50.5)	46.1	36.6 (44.3)
24. उत्तर प्रदेश	179.7	101.4 (36.1)	300.0	231.7 (43.6)	608.5	885.3 (59.3)
25. पश्चिम बंगाल	242.8	80.2 (24.8)	499.5	368.7 (42.5)	1398.6	1421.3 (50.2)
केन्द्र शासित प्रदेश						
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	×	×	×	×	7.6	3.4 (30.9)

1	2	3	4	5	6	7
2. चण्डीगढ़	××	×	13.9	5.9	32.5	36.9
				(29.8)		(53.6)
3. दादर और नागर हवेली	×	×	×	×	×	—
4. देहली	30.9	33.1	62.6	76.6	54.2	235.5
		(51.7)		(55.0)		(81.3)
5. दमन और दीव	×	×	××	××	××	××
6. लक्षद्वीप	×	×	1.0	0.4	3.9	0.9
				(28.6)		(18.8)
7. पांडिचेरी	1.7	0.3	5.7	3.7	17.9	25.1
		(15.0)		(39.4)		(58.4)
जोड़ :	1242.5	590.2	2804.4	2295.6	8819.9	9018.2
		(32.2)		(45.0)		(50.6)

(हजार में)

राज्य	1985		1989 (अ०)	
	मैट्रिक से कम (निरक्षरों सहित)	शिक्षित (मैट्रिक से ऊपर)	मैट्रिक से कम (निरक्षरों सहित)	शिक्षित (मैट्रिक से ऊपर)
1	8	9	10	11
1. आन्ध्र प्रदेश	1190.3	1138.5 (49.9)	1235.3	1583.6 (56.2)
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	4.7	0.4 (7.8)
3. असम	309.9	293.5 (48.6)	453.3	520.4 (53.4)
4. बिहार	1186.4	1363.1 (53.5)	1186.1	1862.7 (61.1)
5. गोवा	21.6	28.9 (57.2)	22.2	56.5 (71.8)

1	8	9	10	11
6. गुजरात	290.6	439.2 (60.2)	368.5	570.5 (60.8)
7. हरियाणा	255 9	223.3 (46.6)	273.3	300.7 (52.)
8. हिमाचल प्रदेश	128.8	185.6 (59.0)	141.9	276.6 (66.1)
9. जम्मू व कश्मीर	41.6	32.3 (43.7)	74.2	51.2 (40.8)
10. केरल	1195.5	1377.9 (53.5)	1250.1	1850.0 (59.7)
11. कर्नाटक	379.5	547.3 (59.1)	474.8	767.9 (61.8)

1	8	9	10	11
12. मध्य प्रदेश	682.6	766.4 (52.2)	730.6	1248.0 (63.1)
13. महाराष्ट्र	1027.0	1396.8 (57.6)	1054.8	1885.8 (64.1)
14. मणिपुर	102.4	117.0 (53.3)	108.2	143.8 (57.1)
15. मेघालय	9.5	7.8 (45.1)	12.7	10.8 (46.0)
16. मिजोरम	14.6	9.0 (38.1)	31.0	11.0 (26.2)
17. नागालैंड	12.1	4.8 (28.4)	11.6	15.4 (57.0)
18. उड़ीसा	392.3	328.2 (45 6)	363.1	481.4 (57.0)

	8	9	10	11
19. पंजाब	333.3	299.4 (47.3)	268.5	315.8 (54.0)
20. राजस्थान	300.9	376 9 (55.6)	381.7	519.1 (57.6)
21. सिक्किम ×				
22. तमिलनाडु	1053.1	1026.0 (49.3)	1463.0	1527.6 (51.1)
23. त्रिपुरा	55.6	44.5 (44.5)	101.2	46.7 (31.6)
24. उत्तर प्रदेश	1049.3	1515.0 (59.1)	1094.3	2018.8 (64.8)
25. पश्चिम बंगाल	2024.8	1935.4 (48 9)	2173.8	2350.2 (51.9)
केन्द्र शासित प्रदेश				
1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	8.4	3.9 (31.7)	7.6	8.1 (51.6)
2. चण्डीगढ़	50.8	61.4 (54.7)	69 8	83.4 (54.4)

1	8	9	10	11
3. दादर नगर हवेली	×	×	0.9	1.2 (57.1)
4. देहली	138.9	430.3 (75.6)	229.0	564.6 (71.1)
5. दमन और द्वीप	××	××	×	×
6. लक्षद्वीप	4.4	1.7 (27.9)	3.3	1.7 (34 0)
7. पांडिचेरी	34.4	41.2 (54.5)	50.1	62.6 (55.5)
जोड़ :	12294.4	1[illegible]975.5 (53.2)	13639.9	19136.3 (58.4)

नोट :—1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. आंकड़े पूर्णांक बनाने से कुल में वृद्धि नहीं करते है।

3. **इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का इस अवधि में पृथक अस्तित्व नहीं था।

4. आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

5. कोष्ठक के आंकड़े कुल काम के इच्छुकों के मुकाबले शिक्षित काम के इच्छुकों का प्रतिशत है।

6. चालू रजिस्टर में सभी काम के इच्छुक आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं है।

अ—अनन्तिम आंकड़े –

बिहार के भोजपुर जिले के विकास की योजना

371. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले भोजपुर के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) किसी राज्य के औद्योगिकीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को रियायतें/प्रोत्साहन देकर राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। "उद्योग रहित जिले" में पता लगाये गये विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने भोजपुर जिले में आराह् में एक विकास केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। केन्द्र के 2 करोड़ रुपये के सहायता हिस्से में से 50 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। शेष राशि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के लिए परिव्यय

[अनुवाद]

372. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लिए अतिरिक्त साधनों से वित्त जुटाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) इस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के साथ विचार किया जायेगा।

(घ) हाल ही में किया गया एक उपाय, समझौता ज्ञापन की आवधारणा। इसे इस उद्देश्य से लागू किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करके तथा उन पर अत्यधिक जवाबदेही डालकर बेहतर कार्य-निष्पादन प्राप्त करने में, सरकारी क्षेत्र के उपकमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के पारस्परिक दायित्वों को स्पष्ट किया जाये। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और उनके नियंत्रणाधीन उद्यमों के प्रबंधकों द्वारा उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करने, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाने, बेहतर अनुरक्षण प्रबन्ध पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि जैसे अन्य उपाय भी किये जाते हैं।

राज्यों में छोटे समाचार पत्र

373. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार छोटे और मध्यम दर्जे के कितने समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इन समाचार पत्रों की समस्याओं की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो अखबारी कागज की कमी को दूर करने और इसके आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) दिनांक 31.12.1989 की स्थिति के अनुसार, छोटे और मझोले समाचारपत्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। दिनांक 31.12.1984 की स्थिति के अनुसार, देश में प्रकाशित समाचारपत्रों के नाम "प्रेस इन इण्डिया 1986" भाग-2, में समेकित किए गए हैं जिसको संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार समाचारपत्रों के अखबारी कागज की समूची मांग को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है, बशर्ते कि वे सरकार की अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार आवेदन करें तथा अखबारी कागज आयात के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो।

विवरण

31.12.1989 की स्थिति के अनुसार प्रकाशित किए जा रहे छोटे और मझोले समाचारपत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	मझोले समाचारपत्रों की संख्या	छोटे समाचारपत्रों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	24	1370
अरुणाचल प्रदेश	1	—

1	2	3
असम	11	230
बिहार	9	1089
गोवा	—	71
गुजरात	16	790
हरियाणा	1	541
हिमाचल प्रदेश	—	96
जम्मू एवं कश्मीर	2	236
कर्नाटक	17	1356
केरल	30	1244
मध्य प्रदेश	15	1517
महाराष्ट्र	45	3067
मणिपुर	—	105
मेघालय	—	59
मिजोरम	—	80
नागालैंड	—	10
उड़ीसा	6	478
पंजाब	6	810
राजस्थान	7	1726
सिक्किम	—	3
तमिलनाडु	41	1490
त्रिपुरा	1	84
उत्तर प्रदेश	27	3672
पश्चिम बंगाल	26	2644
अंडमान एवं निकोबार	—	29
चंडीगढ़	3	223

1	2	3
दादरा एवं नगर हवेली	—	1
दमन एवं दीव	—	1
दिल्ली	37	3510
लक्षद्वीप	—	2
पांडिचेरी	—	57
कुल	325	26591

बक्सर, बिहार में रक्षा उत्पादन एकक

[हिन्दी]

374. श्री तेज नारायण सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बक्सर जिले में रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह एकक कब तक स्थापित हो जाएगा; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

योजना अवकाश

[अनुवाद]

375. श्री बसन्त साठे
श्री कुसुम कृष्णमूर्ति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाड़ी युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए योजना अवकाश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में योजना आयोग के विचार क्या है और इस सम्बन्ध में उठाये गये/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार द्वारा योजना अवकाश के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण के संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं तथा इन्हें आठवीं योजना दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाएगा।

पिछड़े क्षेत्रों/उद्योगविहीन जिलों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना

376. श्री अनंत दाखे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े और उद्योगविहीन जिलों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करने वाली केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लागू किये जाने के समय से ही कोई समीक्षात्मक पुनरीक्षा करा रही है;

(ख) यदि हां तो, राज्य-वार सफलताओं तथा असफलताओं दोनों के ही मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) योजना में उपयुक्त संशोधन करके असफलताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये/प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या सरकार औद्योगिक रूप से कम विकसित परन्तु उच्च क्षमताओं वाले क्षेत्रों/जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, और यदि हां, तो अन्तिम रूप में प्रस्तावित/स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण की प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करने के लिए 1985 में एक अन्तर्मंत्रालयीय समिति नियुक्त की थी। समिति ने केन्द्रीय प्रोत्साहन योजनाओं की राज्यवार समीक्षा नहीं की थी। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का भी उल्लेख किया गया था।

(क) विकास केन्द्रों की स्थापना;

(ख) पिछड़े जिलों का पता लगाना;

(ग) मौजूदा केन्द्रीय निवेश योजना में संशोधन केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, जो कि विद्यमान थी, 1-10-1988 से बन्द कर दी गयी है। तथापि, केन्द्र सरकार ने बजट प्रस्ताव 1990-91 के दौरान ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु एककों के लिए एक निवेश राजसहायता योजना आरम्भ करने के निर्णय की घोषणा की थी। सरकार ने जून, 1988 में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकास केन्द्रों की स्थापना करने की एक योजना की घोषणा की थी। इन विकास केन्द्रों को सर्वोत्तम आधारभूत सुविधाएं विशेषतया बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रत्येक विकास केन्द्र के विकास पर 25-30 करोड़ रु० लागत आयेगी। पहले चरण में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित 70 विकास केन्द्रों में से 61 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थल का पता लगा लिया गया है। विकास केन्द्र योजना का कार्यान्वयन आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आरंभ किया जायेगा।

अतिरिक्त कार्य भत्ता

377. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के बदले अतिरिक्त कार्य भत्ता देने सम्बन्धी रूपात्मकताएं पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके अधीन निर्धारित संशोधित दरें तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं और उसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ता/समयोपरि भत्ता देने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है। विधियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार की जानी है। आशा है इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय

378. श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1990 से अगस्त, 1990 के दौरान विदेश यात्रा करने वाले केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनके प्रस्थान और आगमन की तारीखों एवं भ्रमण किए गए देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके भ्रमण का उद्देश्य क्या था तथा भ्रमण किए गए प्रत्येक देश के प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज की बिक्री

379. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा नगर मिल्स (नेपा नगर) में नवम्बर, दिसम्बर, 1990 और जनवरी, 1991 के माह में कितने अखबारी कागज की बिक्री की गई हैं;

(ख) क्या नेपा नगर स्थित नेपा नगर मिल में काफी मात्रा में अखबारी कागज बिना बिक्री पड़ा हुआ है; और

(ग) अखबारी कागज का भारी स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) नेपा मिल्स लिमिटेड द्वारा नवम्बर, 1990, दिसम्बर 1990 तथा जनवरी, 1991 के महीनों में बेचे गये अखबारी कागजों की मात्रा निम्नलिखित है :—

(1) नवम्बर, 1990 — 6025 टन

(2) दिसम्बर, 1990 — 5311 टन

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में "टैस्ट फायरिंग रेंज की स्थापना

380. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में एक "टैस्ट फायरिंग रेंज" की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) लगभग 50 किलो-मीटर × 20 किलोमीटर क्षेत्र का एक नया प्रूफ रेंज स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण में इसके लिए जो एक क्षेत्र उपयुक्त पाया गया है वह मध्य प्रदेश राज्य में है और बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता के बारे में अपनी सहमति भेजें। यह प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में टैंक मरम्मत कारखाना

381. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा एक टैंक मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यान्वियन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (घ) सोवियत मूल के बी एम पी श्रेणी के इंफैंट्री युद्धक वाहनों का सेना में इस्तेमाल करना आरम्भ कर लिया गया है। सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने के 10 साल बाद इंफैंट्री युद्धक वाहन की ओवरहॉलिंग की जानी होती है। देश में इन वाहनों के लिए ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने के वास्ते प्रौद्योगिकी अन्तरण की व्यवस्था कर ली गई है। पहले यह सुझाव दिया गया था कि इन वाहनों के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश में एक बेस मरम्मत वर्कशॉप और सम्बद्ध वाहन डिपो की स्थापना की जाए। कुल 161.3 करोड़ रुपए (1983-84 के लागत अनुमानों पर आधारित) की लागत पर उपर्युक्त परियोजना स्थापित करने के लिए जनवरी, 1986 में राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की स्वीकृति भी ले ली गई थी। इस परियोजना में कुल 5437 कार्मिकों को नियोजित करने का प्रस्ताव था। लेकिन इस परियोजना के लिए संसाधन पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने तथा टी-72 टैंकों के ओवर-हॉल व सम्बद्ध वाहन डिपो के लिए ऐसी ही परियोजना होने के साथ-साथ मूल रूप से तैयार की गई योजना की अपेक्षा ओवरहाल के लिए कम क्षमता की आवश्यकता होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि इन परियोजनाओं की पुनरीक्षा की जाए। इन मरम्मत सुविधाओं की लागत प्रभाविता सुनिश्चित करने के संबंध में सिफारिश करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के अधिकारियों के एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। अध्ययन दल ने अनेक स्थानों का दौरा किया है और वह उपर्युक्त सुविधाओं को मौजूदा वर्कशापों में ही अथवा यदि ऐसा करना संभव न हो तो नई वर्कशॉपों में स्थापित करने की संभावना का पता लगा रहा है। इस संबंध में इस अध्ययन दल की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। बी एम पी इंफैंट्री युद्धक

वाहनों और टी-72 टैंकों के ओवरहॉल से सम्बन्धित इन दो परियोजनाओं की संशोधित लागत और नए स्थल, यदि आवश्यक हुआ, के बारे में राजनीतिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन यथासमय ले लिया जाएगा।

कागज उद्योग को पेश आ रही कठिनाइयां

[हिन्दी]

382. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग में व्याप्त कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सरकार ने कागज उद्योग की कठिनाइयों का पता लगाने के लिये हाल में कोई समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय छोटे और मझौले अखबारों के महासंघ की मांगें

383. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय छोटे और मझौले अखबारों के महासंघ ने 4 जनवरी, 1991 को अपनी मांगों के समर्थन में एक प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सरकार को छोटे और मझौले अखबारों के महासंघ द्वारा किए गए प्रदर्शन की जानकारी नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सैनिक पारगमन शिविर के लिए हिमाचल प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण

384. श्री महेश्वर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री 8 जनवरी, 1991 को निदेश 115 के अंतर्गत दिये गये वक्तव्य के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में खाड़ी कुल्लू और छड़ी पचलन कोठी मनाली में सरकारी एवं गैर-सरकारी भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई अधिसूचना जारी की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले किराये की राशि निर्धारित करने तथा इसका भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाये हैं,

(घ) क्या किसानों को, किराये पर दी गई भूमि से गुजरने की अनुमति दी गई है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) रक्षा मन्त्रालय ने उक्त भूमि अर्जन के लिये कोई अधिसूचना जारी नहीं की है लेकिन भारत सरकार की मंजूरी के बिना हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।

(ग) भारत सरकार ने भू-स्वामियों को जुलाई, 1986 से अतिरिक्त किराये के मुआवजे के रूप में 64417.00 रु॰ का भुगतान करने की स्वीकृति 12 फरवरी, 1991 को दे दी है।

(घ) और (ङ) स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि किसानों को हर संभव सहायता दी जाए ताकि कृषि प्रयोजनों के लिये उन्हें अपनी भूमि पर जाने में कोई परेशानी न हो।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वीडियो समाचार पत्रिकाओं का सेंसर किया जाना

[अनुवाद]

385. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वीडियो समाचार पत्रिकाओं का सेंसर करने के लिये कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने वीडियो समाचार पत्रिकाओं के वितरण/प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए अब तक कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) चलचित्र अधिनियम 1952 (52 का 37) के वर्तमान उपबन्धों के अधीन, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये बनी वीडियो फिल्मों सहित सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित करने की अपेक्षा होती है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

(ग) और (घ) न्यूज मैगजीनों सहित फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन मुख्यतया गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में है और सरकार के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है जिससे वह फिल्म उद्योग को विशिष्ट विषयों पर फिल्म बनाने का निर्देश दे सके। तथापि, उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व वीडियो न्यूज मेगजीन सहित सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा होती है।

अखबारी कागज का आयात

386. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री [illegible] मूर्ति
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्र अखबारी कागज की कमी के कारण बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) देश में अखबारी कागज की कुल आवश्यकता कितनी है और इसे किस सीमा तक स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में अखबारी कागज का आयात बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) अखबारी कागज की कमी के कारण किसी छोटे या मझोले समाचार पत्र के बन्द होने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज की कुल अनुमानित आवश्यकता 5.65 लाख मीट्रिक टन है जिसमें से 2.95 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से पूरी होने की उम्मीद है।

(घ) अखबारी कागज का आयात आवश्यकता अनुसार किया जाता है।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केन्द्रीय भंडार में वस्तुओं की क्षति

387. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या प्रधान मंत्री 3 सितंबर 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में वस्तुओं की क्षति के बारे में कोई जांच की गई है और भंडार में घाटे के लिये जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में शीघ्र कार्यवाही हेतु क्या कदम उठाये गये हैं,

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार की विभिन्न शाखाओं में आवश्यक वस्तुओं तथा दैनिक आवश्यकता वाली अन्य वस्तुएं कई दिनों तक उपलब्ध नहीं होती हैं,

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और केन्द्रीय भंडार के कार्यकरण को दुरुस्त बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है, और

(च) क्या बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार दोनों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय भण्डार में क्षतिग्रस्त वस्तुओं की जांच करने का कार्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सौंपा गया है।

(ख) और (ग) जांच चल रही है और इसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) खुले बाजार में वस्तुओं का उपलब्ध न होना, परिवहन समस्या अथवा सप्लायरों को भुगतान करने की अस्थायी समस्याओं आदि विभिन्न कारणों से समय-समय पर केन्द्रीय भण्डार में कुछ वस्तुओं की कमी हो जाती है। तथापि शेल्फों को भर कर रखे जाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय भण्डार की विभिन्न शाखाओं में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं।

(च) केन्द्रीय भण्डार तथा सुपर बाजार दोनों का पृथक-पृथक अस्तित्व है जिन्हें पृथक मन्त्रालयों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इन दोनों संगठनों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चैकोस्लोवाकिया के साथ किए गए-पिस्तौल सौदे की जांच

[हिन्दी]

388. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चैकोस्लोवाकिया के साथ किए गए पिस्तौल सौदे की नए सिरे से जांच कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामला

389. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए गठित चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान् । राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद से निपटने के लिए किसी चार सदस्यीय समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों को चार समूहों—(क) ऐतिहासिक (ख) पुरातत्व (ग) राजस्व तथा (घ) कानूनी—में विभाजित कर दिया गया था। विश्व हिन्दू परिषद तथा आल इण्डिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, दोनों ने 10-10 सदस्य नामांकित किए थे परन्तु उन्होंने अपने विशेषज्ञों को उपरोक्त चार श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया। विशेषज्ञों ने बैठक की और दो ग्रुप बनाए। पहला ऐतिहासिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी साक्ष्यों से तथा दूसरा समूह कानूनी और राजस्व से सम्बन्धित था। बाद में 6-2-1991 को हुई बैठक में यह निश्चय किया गया कि विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट संबंधित दलों को प्रस्तुत करेंगे तथा संबंधित दल विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर सरकार को सारांश प्रस्तुत करेंगे।

समाचार-पत्र उद्योग की समस्याएं

390. श्री छेदी पासवान : प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग की समस्याओं का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) छोटे और मझोले समाचार पत्रों की समस्याओं को देखने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ख) समिति का प्रारम्भिक गठन संलग्न विवरण—1 में दिया गया है। तथापि बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण —2 में दी गई हैं और सरकार इन पर ध्यान दे रही है।

विवरण-1

राजपत्र में यथा अधिसूचित समिति का गठन

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

दिनांक 27-8-1988

संकल्प

सरकार को छोटे और मझौले समाचार पत्रों के समग्र वर्ग से, उनके द्वारा महसूस की जा रही कतिपय समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अतः विभिन्न प्रश्नों की जांच करने तथा उचित सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को समिति का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त करती है :

अध्यक्ष :

श्री सुमन दुबे, सलाहकार, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय।
बाद में श्री सुमन दुबे के त्यागपत्र के कारण श्री आई. मोहन राव, प्रधान सूचना अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हो गए।

सदस्य-गैर सरकारी :

1. श्री तुहिन कान्ति घोष	—इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी।
2. श्री रविदास सेठ	—इंडियन लैंग्वेजिज न्यूज पेपर्स एसोसिएशन।
3. श्री मानक चोपड़ा	—आल इंडिया न्यूज पेपर एडिटर्स कांफ्रेंस।
4. श्री हरभजन सिंह	—अखिल भारतीय लघु और मझौले समाचार पत्रों का संघ (बाद में समिति के विचारार्थ विषय के मुद्दों पर त्यागपत्र दे दिया)

5. श्री मोहन फारुकी —अखिल भारतीय लघु और मझोले समाचार-पत्रों की एसोसिएशन ।

6. श्री पी. उन्नीकृष्णन —महाप्रबंधक, पी. टी. आई.

7. श्री यू. आर. कल्कुर —महाप्रबंधक यू. एन. आई. (बाद में इनके स्थान पर श्री के. पी. के. कुट्टी को रखा गया) ।

सदस्य-सरकारी (अन्य मंत्रालय)

8. श्री बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय (बाद में उनके स्थान पर श्री पी. आर. चव्हाण को रखा गया) ।

9. श्री सुशील त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (बाद में उनके स्थान पर श्री एस. वर्धाचारी को रखा गया) ।

10. श्री के. एस. के. मूर्ति, उप महानिदेशक, दूर संचार विभाग (बाद में उनके स्थान पर श्री आर. सी. मल्होत्रा को रखा गया) ।

11 श्री पी. एन. कालरा, कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड (बाद में उनके स्थान पर श्री एस. के. मन्दा को रखा गया) ।

12. श्री एन. के. सबरवाल, संयुक्त सचिव उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

सदस्य-सरकारी (सूचना और प्रसारण मन्त्रालय)

13. श्री पी. के. सरकार, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार ।

14. श्री आई. राममोहन राव, प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय ।

15. श्री के. एस. बैदवान, संयुक्त सचिव (पी) (बाद में उनके स्थान पर श्री आई. ए. खान को रखा गया)

16. श्री कृपा सागर, प्रेस पंजीयक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (बाद में श्री पी. बी. राय को रखा गया)

17. उप सचिव (आई. पी)—सदस्य सचिव

इसके अलावा श्री सी.जे. मैथ्यू, उप महानिदेशक (डाक) डाक विभाग तथा महानिदेशक समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी को समिति के सरकारी सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया)

विवरण-2

अध्याय-4

निष्कर्ष और सिफारिशें

समिति सिफारिश करती है कि :

1. छोटे समाचारपत्रों को डाक शुल्क के अंतर्गत वर्तमान 15 पैसे की समान दर के बजाए 5 पैसे की दर से विशेष रियायत दी जाए। यह रियायत भारत के समाचार पत्रों के पजीयक के कार्यालय से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सभी पंजीयक छोटे समाचारपत्रों (दैनिक और साप्ताहिकों) को दी जानी चाहिए।

2. साधारण टी० पी० सर्किटों की भांति डाटा फैसिमाईल सर्किटों में भी दूर संचार शुल्क की रियायत दी जाए। डाटा/फैसिमाईल रियायत देने से समाचार एजेंसियां अपनी सेवाएं छोटे और मझौले समाचार पत्रों को बिना दर बढ़ाए सुलभ करा सकती हैं।

3. राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे बसों की ऐसी समय सारिणी बनाएं जिससे छोटे और मझौले समाचारपत्रों की अपेक्षाएं पूरी करने में सुविधा हो।

4. रेलवे की मासिक लेखा प्रणाली के अन्तर्गत समाचारपत्र एजेंसियों को समाचारपत्र प्रेषण की सुविधा दी जाती है जब भी उनके द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है बशर्ते कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों।

5. चूंकि, छोटे और मझौले समाचारपत्रों को लघु उद्योग घोषित करना व्यवहार्य नहीं है, फिर भी लघु उद्योगों को दिए जाने वाली कुछ प्रासंगिक रियायतें छोटे और मझौले समाचार पत्रों को भी दी जानी चाहिए।

6. नई प्रिंटिंग प्रेसों को उपलब्ध रियायती शर्तों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिए जाने की भांति प्रिंटिंग प्रेसों के लिये सैकिंड हैंड उपकरण और मशीनरी हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर भी वित्त मन्त्रालय को विचार करना चाहिये।

7. 35 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया जाए ताकि छोटे और मझौले समाचारपत्र आधुनिकीकरण की अपेक्षाएं पूरी कर सकें। सरकार जब छोटी

औद्योगिक इकाइयों की सीमा बढ़ाए, तभी यह सीमा बढ़ाई जाए।

8. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे छोटे और मझौले समाचारपत्रों को प्राथमिकता आधार पर उपयुक्त आवास आबंटित करने के बारे में विचार करें।

9. छोटे एवं मझौले समाचारपत्रों को उनके आधुनिकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये यू. एन. आई. तथा पी. टी. आई. को उनकी सहायता हेतु रियायती दर पर अपनी सेवाएं देने पर विचार करना चाहिये।

10. राज्य सरकारें प्रत्यायन नियमों का संशोधन करें ताकि जिला मुख्यालय स्तर पर छोटे समाचारपत्रों के सम्पादक प्रत्यायन प्राप्त कर सकें।

11. आकाशवाणी, प्रादेशिक भाषाओं में धीमी-गति के समाचार के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे।

सारांश

समिति ने यह पाया कि विभिन्न सरकारी एजेन्सियां छोटे और मझौले समाचारपत्रों को कई रियायतें/सुविधायें दे रही है। इन वर्गों के अधिकांश समाचारपत्रों को इन सुविधाओं की जानकारी नहीं है। समिति का सुझाव है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय आवधिक आधार पर छोटे और मझौले समाचारपत्रों को दी गई रियायतों/सुविधाओं का संकलन प्रकाशित करें ताकि देश के सुदूरवर्ती भागों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को मिल रही रियायतों/सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल सके।

धर्म निरपेक्ष बल का गठन

[अनुवाद]

391. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों ने एक धर्म निरपेक्ष बल का गठन किया है जैसा कि 5 जनवरी, 1991 के हिन्दुस्तान में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बल का उपयोग साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद के विरुद्ध करने का है;

(ग) क्या सरकार को इस बल को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वालों को सुविधाएं

[हिन्दी]

392. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की तरह गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वालों को भी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले सदस्य भी अन्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों द्वारा ली जा रही सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार हैं बशर्तें वे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता मापदण्ड को पूरा करते हों ।

भारतीय सीमेंट निगम को हुई हानि

393 **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, भारतीय सीमेंट निगम को कुल कितनी हानि हुई;

(ख) तत्संबंधी एककवार ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । अन्तर्वस्तुओं की उच्च लागत तथा बिजली, वैगन और कोयले की कम उपलब्धता, तथा मजदूरी की उच्च दरें एवं नई परियोजनाओं के कारण मूल्यह्रास तथा ब्याज का भारी बोझ हानि के कारण थे । कम्पनी को चालू वर्ष 1990-91 के अन्त तक नकद लाभ होने की आशा है ।

विवरण

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान

हुआ एकक-वार शुद्ध घाटा निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रु० में) लाभ/(हानि)

एकक	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4
माडर	(156.88)	(269.24)	(527.51)
कुरकुन्टा	(286.50)	(233.2[illegible])	(226.69)
बोकाजन	172.82	161.65	504.98)
राजबन	(40.84)	(163.44)	101.86
नयागांव	(723.93)	(491.46)	(632.37)
अकलतारा	(571.47)	(722.25)	(1295.60)
येरागुन्टला	(675.08)	(720.80)	(775.17)
चर्खी दादरी	(357.14)	(474.27)	(576.49)
आदिलाबाद	(561.86)	(439.46)	(582.63)
तन्दूर	(1355.38)	(1351.39)	(2070.34)
अन्य	(40.77)	40.97	(207.59)
योग	(4597.03)	(4562.89)	(6287.58)

मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ छात्र आन्दोलन

[अनुवाद]

394. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ आन्दोलन कर रहे कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए छात्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी और क्या उनकी गिरफ्तारी के 24 घन्टों के अन्तर्गत उन्हें सम्बन्धित न्यायाधीशों के सामने पेश किया गया था; और

(ग) उनमें से कितने छात्रों को अब तक छोड़ा जा चुका है और अन्य छात्रों के न छोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 4614

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सभी को छोड़ दिया गया है ।

कार एवं स्कूटर की सर्विसिंग

395. **श्री भंवलाल मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटोमोबाइल सर्विस स्टेशनों पर सर्विस करते समय कारों एवं स्कूटरों में ईंधन की कम खपत को सुनिश्चित करने के लिए किन-किन बातों की जांच की जाती है;

(ख) क्या समाचार पत्रों में इस प्रकार की शिकायतें छप रही हैं कि सर्विस स्टेशन सर्विस उपयुक्त तरीके से नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कार और स्कूटर के निर्माताओं को ये निर्देश दिये जायेंगे कि वे अपने सर्विस स्टेशनों को वाहनों की संतोषजनक सर्विस के लिए कहें जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि वाहन प्रदूषण रहित हों और वे ईंधन की कम खपत करें; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) वाहनों की विभिन्न श्रेणियों हेतु, ईंधन बचाने संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों का पालन करने के लिए, राजस्व सम्बन्धी कुछ प्रोत्साहन/रियायतें उपलब्ध हैं। कुछ मॉडलों के अलावा, अधिकांश वाहन इन मानदण्डों को पूरा करते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम तथा नियमों के अधीन, उत्सर्जन नियंत्रण के वास्ते भी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विनिर्माताओं, उपयोग कर्त्ताओं तथा संबंधित प्राधिकरणों को निर्धारित तारीख से इन मानदण्डों का पालन करना होता है।

औद्योगिक विकास को संतोषजनक सर्विस इत्यादि के बारे में सर्विस स्टेशनों द्वारा कानून का उल्लंघन करने संबंधी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हैं।

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

396. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि लगाई गई है; और

(घ) आठवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुरानी आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें पुराने संयंत्रों और मशीनों को बदलना तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाना शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरानी निर्माणियों में किया गया निवेश इस प्रकार से है :—

वर्ष	करोड़ रुपये में
1987-88	242.24
1988-89	303.91
1989-90	317.25

और अधिक ब्यौरे देना लोक हित में नहीं है।

(घ) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनायें

397. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना में इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए पूरा धन देगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ग) केन्द्र प्रायोजित एक स्कीम जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम के नाम से विख्यात है 1977-78 से प्रचालन में है और इसके लिए राज्यों को इस समय 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

संस्कृत में शोध-रत संस्थायें

398. **डा० ए० के० पटेल**
श्री शंकर सिंह वघेला } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) देश में भारतीय भाषाएं कार्यक्रम के प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान जिसके अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक प्रणालियों का विकास शामिल है, संस्कृत में शोध में रत प्रतिष्ठित संस्थानों का पता लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) शोध की संस्थान-वार, की गई समीक्षा और आकलन से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टी डी आई एल) के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में संस्कृत भाषा में शोध के क्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित संस्थानों को चुना गया है :—

संस्थान का नाम		कार्य कलाप
1. लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दई दिल्ली	—	संस्कृत सीखने से सम्बन्धित प्रणालियां
	—	कम्प्यूटर विज्ञान में अनुसंधान के लिए संस्कृत भाषा की सुसंगतता ।
2. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	—	संस्कृत व्याकरण तथा न्याय ।
	—	संज्ञानात्मक संसाधन ।
3. संस्कृत अनुसंधान अकादमी- मेलकोट	—	अर्थ संसाधन ।

केरल में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता

399. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में उन स्वैच्छिक संगठनों अथवा एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ संगठनों को अधिक सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांक व्यक्तियों के कार्यक्रमों के लिए केरल के कोट्टायम

तथा एर्नाकुलम जिलों में सहायतानुदान पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	संगठन का नाम	कार्य कलाप/हेतु प्रशिक्षण केन्द्र	संस्वीकृत राशि 1989-90	1990-91
1.	कोट्टायम सोशल सर्विस सोसायटी	मुद्रण प्रौद्योगिकी	34,4?5/-रु०	37, 941/-रु०
2.	आशा निलयम कोट्टायम	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	9,855/-रु०	66,213/रु०

इस योजना के अन्तर्गत एर्नाकुलम जिले में कोई भी संगठन सहायतानुदान नहीं पा रहा है। चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त संगठनों को सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि

[हिन्दी]

400. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित विनोद मिल और विमल टेकसटाइल मिल को अपने कितने सेवा निवृत्त कर्मकारों को भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान करना है और यह राशि कितनी है;

(ख) इन सेवानिवृत्त कर्मकारों को भविष्य निधि की बकाया राशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कारवाई की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) उपलब्ध सूचना नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

मिल का नाम	उन सेवा निवृत कर्मकारों की संख्या जिन्हें भविष्य निधि की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	अदान की गई राशि (रु० लाखों में)
1	2	3
1. विनोद मिल	2500	170.00
2. विमल मिल	279	9.26

(ख) और (ग) अदान की गई राशि नियोजकों के भविष्य निधि अंशदान के हिस्से से सम्बन्धित है जिसका संबद्ध मिलों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। क०भ०नि० प्राधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए संभव सभी कानूनी और दांडिक कार्रवाई कर रहे हैं तथा उस राशि की वसूली होने पर संबद्ध कर्मकारों को उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन

[अनुवाद]

401. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एमरोनाटिक्स लिमिटेड का बिक्री व्यापार में वृद्धि करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनमटेक्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन कैसा रहा; और

(ग) इस कंपनी द्वारा वर्ष 1991-92 के लिये निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) निर्बाध विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर लगाए गए प्रतिबन्धों और कम्पनी के पास मौजूदा आर्डरों एवं इसकी भावी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की बिक्री को बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं।

(ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की कुल बिक्री क्रमश: 679.77 करोड़ रुपए, 689.17 करोड़ रुपए और 871.30 करोड़ रुपए रही।

(ग) कम्पनी ने वर्ष 1991-92 के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

उड़ीसा में आदिवासी विकास परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता

402. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आदिवासी विकास परियोजनाओं और संशोधित क्षेत्र विकास सम्पर्क क्षेत्रों के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या कार्य की प्रगति और सहायता राशि के उपयोग की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में यह कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन): (क) सातवीं योजना के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	सं०आ०वि०का०	सं०क्षे०वि०द०	कुल
1	2	3	4
1985-86	1680.00	168.00	1848.00
1986-87	1762.14	181.94	1944.08
1987-88	1731.07	186.29	1917.36
1988-89	1876.00	175.00	2051.00
1989-90	2055.00	204.00	2259.00

(ख) कल्याण मंत्रालय और योजना आयोग में वार्षिक आदिवासी उप-योजना पर चर्चा के दौरान कार्य की प्रगति और निधियों के उपयोग की नियमित समीक्षा की जाती है। कल्याण मंत्रालय योजना आयोग और राज्य सरकार में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर आयोजित बैठकों और चर्चाओं के दौरान भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ग) यह कार्यक्रम इस अर्थ में, काफी हद तक सफल रहा है कि 5,35,500 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में सातवीं योजना के दौरान 7,53,369 परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की गई।

नए रक्षा उत्पादक एकक

403. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान रक्षा उत्पादन के कुछ नए एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा उत्पादन के नए एकक किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या उड़ीसा में रक्षा उत्पादन का ऐसा कोई नया एकक स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर में उद्योगों का बन्द होना

404. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर के आस-पास स्थापित अनेक उद्योगों को काफी समय से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन एककों के पुनः चालू करने के लिये उठाये गए/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 1988 से अगस्त, 1990 की अवधि के दौरान उड़ीसा में बन्द की गई औद्योगिक इकाइयों के नाम और उन्हें बन्द करने के कथित कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने समुचित पुनर्वास पैकेजों के अन्तर्गत बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन पैकेजों में केन्द्र वा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता तथा छूट और राहतों को प्रदान करना शामिल है। जहां तक रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की परिधि में आने वाली इकाइयों का संबन्ध है आद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्ण इकाइयों के लिए उपचारी तथा अन्य उपायों के निर्धारण तथा प्रवर्तन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।

संभावित जीवनक्षम रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए सम्बन्धित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर पुनर्वास पैकेजों की रूप रेखा तैयार की जाती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं समय-समय पर रुग्ण इकाइयों के प्रबंधतंत्र द्वारा पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं और जहां आवश्यक हो समुचित कार्रवाई करती हैं।

विवरण

वर्ष 1988-90 (अनंतिम) के दौरान उड़ीसा में बन्द की गई औद्योगिक इकाइयां

बन्द करने का कारण	इकाई का नाम	बन्द किए जाने का वर्ष
1 2	3	4
1. वित्तीय तंगी	——	——
2. बिजली की कमी	——	——
3. मशीनों का फेल हो जाना	——	——
4. उत्पादों की मांग में कमी	[i] सालवेन्ट एण्ड आयल प्रोसेसिंग यूनिट घुमीगारी, डूंगरपाली, बलंगीर	1989
5. अन्य	[i] लाइम स्टोन एण्ड ओर्स इन्डिया कन्ट्रेक्टर पुरनपम लाइस स्टोन एण्ड डोलोमाइट, राउरकेला	1988
	[ii] मै० सी० आर० बीडोलिया ठेकेदार, सेल की पी० एल० डी० जी०, राउरकेला	1988
	[iii] मै० आर० सी० साहू, ठेकेदार, सेल की पी० एल० डी० जी०, राउरकेला	1988
6. अज्ञात कारण	(i) मै० माडर्न उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र राउरकेला	

(—) = शून्य

[विशेष ध्यान दें] = उड़ीसा में जनवरी से अगस्त, 1990 की अवधि में किसी भी औद्योगिक यूनिट को बन्द करने की रिपोर्ट नहीं मिली।

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला।

बंगलादेश के आदिवासी शरणार्थियों की घुसपैठ

405. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के आदिवासी शरणार्थियों की त्रिपुरा में घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मामले में सरकार को कितनी सफलता मिली है; और

(ग) त्रिपुरा में आए इन शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उठाए गए कदमों में पंचायतों द्वारा सतर्कता रजिस्टर के रख-रखाव के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा अनुदेश जारी करना, त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि करना, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र मे रात का कर्फ्यू लगाना और सीमा के अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना शामिल हैं।

(ख) जनवरी, 1988 से 31.10.1990 तक 7430 विदेशी राष्ट्रिकों को वापस धकेला गया।

(ग) शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए राजी करने हेतु भारत सरकार ने बंगला देश सरकार पर जोर दिया है। शरणार्थियों को बंगला देश वापस भेजने के लिए गत समय में राजनयिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए गए है।

तमिलनाडु में बाल श्रमिक

406. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अतिशबाजी और माचिस कारखानों में कार्य कर रहे बच्चों की ग्रुप-वार संख्या क्या है;

(ख) बाल श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कारखानों में कार्य कर रहे बच्चों को दी जाने वाली मंजूरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह न्यूनतम मंजूरी अधिनियम में निर्धारित मंजूरी के समान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन कारखानों में उक्त अधिनियम को लागू करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को लागू करना

407. **श्री ए०के०ए० अब्दुल समद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के गैर विवादास्पद प्रावधानों को लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का वक्फ संशोधन अधिनियम, 1984 में इसके विवादास्पद प्रावधानों के संदर्भ में केन्द्रीय वक्फ परिषद की सिफारिशों के आधार पर और संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का प्रतिवेदन

408. **श्री ए०के०ए० अब्दुल समद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल, जिसने अपना अन्तिम प्रतिवेदन जून, 1983 में प्रस्तुत कर दिया था और उसे अक्तूबर, 1990 में सभा पटल पर रखा गया था, की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त पैनल द्वारा अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट 27 अगस्त, 1990 को लोक सभा पटल पर रख दी गई थी । सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर अपना दृष्टिकोण रिपोर्ट के साथ रखे गए विवरण में दर्शा दिया गया है ।

अर्ध-सैनिक बलों को प्रोत्साहन

409. **श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को लम्बी अवधि की सेवाओं में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को अतिरिक्त सुविधायें देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की तैनाती समय-समय पर उन्हें दिए गए कार्य पर निर्भर होती है। समय-समय पर उनके वेतनमानों और अन्य भत्ते/लाभ निश्चित करते समय इन कार्मिकों की ड्यूटियों की प्रकृति पर उचित विचार किया जाता है।

अर्ध-सैनिक बलों की संख्या में वृद्धि

410. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बदली हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्ध-सैनिक बलों की संख्या की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार बलों में वृद्धि करने सम्बन्धी कार्रवाई की जाती है।

इन्डियन रेअर अर्थ, केरल के विकिरण खतरों पर अध्ययन

411. **श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु ऊर्जा केन्द्रों से निकलने वाले निम्न विकिरण और मोनाजाईट, रेत इत्यादि के प्रसंस्करण के खतरों की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड, अल्वाय केरल से विकिरण के खतरों पर हाल में किये गये अध्ययन की समीक्षा करने के लिये एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं। परमाणु बिजलीघरों से तथा उन संयत्रों से, जिनमें मोनाजाइट रेत संसाधित की जाती है, पड़ने वाले निम्न स्तर के विकिरण के प्रभाव से कोई खतरा नहीं है।

परमाणु बिजलीघरों से जन-सामान्य पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा इतनी कम है कि वह वातावरण में प्राकृतिक रूप से विद्यमान अपरिहार्य विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव का एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत है और इसलिए इसकी वजह से कोई खतरा नहीं है। देश में विभिन्न परमाणु बिजलीघरों के प्रचालन की वजह से विकिरण की जितनी मात्रा उन्मुक्त होती है वह परमाणु

ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर ही है। ये सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय विकिरण की संरक्षा आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। काम कर रहे सभी परमाणु बिजलीघरों में स्थापित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं रेडियोधर्मी अंश का पता लगाने के लिए परमाणु बिजलीघरों के आसपास के क्षेत्र में पानी, मिट्टी, खाद्य-पदार्थों वायु आदि के नमूनों की जांच करती रहती है। पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं परमाणु बिजलीघर के प्रचालन से पहले ही काम करना शुरू कर देती हैं ताकि भविष्य के आंकड़ों की तुलना के लिए बेस लाइन डाटा स्थापित कर सकें। पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा की गई जांच के परिणामों की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने इन आरोपों की जांच करने के लिए कि इन्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के कर्मचारियों में कैंसर से पीड़ितों/उससे मरने वालों की संख्या अधिक है, एक स्वतन्त्र समिति नियुक्त की है। समिति ने आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इन्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड में काम कर रहे कर्मचारियों में से जितने कर्मचारी कैंसर से पीड़ित हैं अथवा हृदयवाहिका रोगों से पीड़ित हैं उनकी संख्या उससे अधिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है जितने की जनसामान्य में उसी आयु वर्ग के लोगों में आशा की जा सकती है। समिति ने इन्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के कर्मचारियों में नपुंसकता से सम्बन्धित और उनके बच्चों में पाए जाने वाले आनुवंशिक दोषों से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण भी किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये आंकड़े जन-सामान्य के आंकड़ों से भिन्न नहीं हैं। समिति में निम्नलिखित सदस्य थे—डा० एम.एस. वलियाथुन, निदेशक, चित्रा थीरूनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम; डा० के० सुन्दरम, भूतपूर्व निदेशक, जैव-चिकित्सा वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र; प्रोफेसर बी०डी० गुप्ता, प्रधान, विकिरण-चिकित्सा विभाग, स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़; और प्रोफेसर बालकृष्णन नायर, अध्यक्ष, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति, केरल सरकार।

बटाला में गुरदासपुर रोड़ के किओस्क मालिकों को रक्षा विभाग की भूमि का आबंटन

412. **श्री कृपाल सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बटाला में गुरदासपुर रोड़ के किओस्क मालिकों को रक्षा विभाग की भूमि का आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो आबंटन कब तक किये जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बटाला में फालतू रक्षा भूमि नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) फालतू भूमि उपलब्ध न होने के कारण, भूमि आबंटित करना संभव नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की परिवार पेंशन के लम्बित पड़े मामले

413. **कृपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर जिले की तरन-तारन तहसील के गांव और डाकखाना परवोपुरा के स्वतन्त्रता सेनानियों की परिवार पेंशन के कुछ मामले सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में हाल में लोगों के प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सेनानियों को परिवार पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में ग्राम-वार रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) ग्राम पाखोपुरा के स्वर्गीय सरदार हरनाम सिंह की विधवा श्रीमती गुरनाम कौर को शीघ्र पेंशन दिए जाने के बारे में माननीय सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित लेखा अधिकारी के साथ मामला उठाया गया जिन्होंने श्रीमती कौर को अति शीघ्र भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

प्रादेशिक भाषा की फिल्मों का प्रसारण

414. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित की गई प्रादेशिक फिल्मों की भाषा वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के चयन के लिए कोई भाषा नीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई

क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों की संख्या का भाषावार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। सभी क्षेत्रीय भाषाओं की उन फीचर फिल्मों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रसारित करने की पेशकश की जाती है, और जो पात्रता के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई भाषावार फिल्मों का ब्यौरा।

विवरण

भाषा	वर्ष 1988	1989	1990
1	2	3	4
असमिया	5	7	2
बंगला	5	5	8
कन्नड़	6	5	7
मराठी	5	6	5
मलयालम	6	6	8
उड़िया	5	4	2
तमिल	5	7	7
तेलुगु	5	7	8
कश्मीरी	शून्य	शून्य	1
संस्कृत	शून्य	1	शून्य
बोडो	शून्य	1	शून्य
पंजाबी	—	—	1
गुजराती	—	—	1
कुल	42	49	50

हमीरपुर में उच्च शक्ति और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना

[हिन्दी]

415. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की जनता से इस आशय की

शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक से दिखायी नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश के किन स्थानों पर निकट भविष्य में उच्च शक्ति वाले और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सरकार की हमीरपुर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की असंतोषजनक सेवा के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) हमीरपुर का अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और स्थानीय भूभागीय स्थिति को देखते हुए अपने कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है, तथापि इस ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के भीतर के कई दर्शकों को स्पष्ट संग्रहण प्राप्त नहीं होता क्योंकि उन्होंने टी० वी० एन्टिना को जालंधर में कार्यरत उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर से सिगनल प्राप्त करने की दिशा में लगाया हुआ है । जालंधर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर से, काफी मध्यवर्ती दूरी तथा भूभागीय परिस्थितियों के कारण हमीरपुर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को संतोषजनक सेवा प्राप्त होने की आशा नहीं है ।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश में शिमला के मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (1 कि० वाट) दूरदर्शन) ट्रांसमीटर से बदलने तथा राजगढ़ एक ट्रांसपोजर स्थापित करने की स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं । राजगढ़ का ट्रांसपोजर आगामी कुछ महीनों में चालू हो जाने की आशा है, शिमला के उच्च शक्ति ट्रासमीटर के वर्ष 1991-93 के दौरान सेवा के लिए चालू किए जाने की उम्मीद है ।

आकाशवाणी में समाचार संपादकों के पदों का सृजन

416. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की राजधानियों में कितने आकाशवाणी केन्द्र बिना समाचार संपादकों के कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों में समाचार संपादक कब तक भेजे जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :(क) तेरह राज्यों की राजधानियों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में समाचार संपादक का पद नहीं है ।

(ख) और (ग) इन केन्द्रों में संपादकों की तैनाती के लिए निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि पदों का सृजन पदों की आवश्यकता और साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय नेटवर्क में धारावाहिकों का दूरदर्शन पर प्रसारण

[अनुवाद]

417. **श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि राष्ट्रीय नेटवर्क में दूरदर्शन पर प्रसारित किये जा रहे धारावाहिकों की गुणवत्ता में पर्याप्त गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो धारावाहिकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या जनता ने सरकार से दूरदर्शन पर महाभारत तथा रामायण के पुनर्प्रसारण की मांग भी की है; यदि हां; तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) आगामी तीन महीनों में किन-किन धारावाहिकों का प्रसारण प्रस्तावित है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दूरदर्शन विभिन्न रुचि के अधिसंख्य दर्शकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विभिन्न विषयों पर धारावाहिक प्रसारित करता है। इन कार्यक्रमों पर सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। दूरदर्शनों को नियमित रूप से दर्शकों की शिकायतें या सुझाव प्राप्त होते हैं और सेवा में सुधार लाने के लिए इन पर विधिवत ध्यान दिया जाता है।

(ग) "रामायण" और "महाभारत" धारावाहिकों को कुछ प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए है। इन धारावाहिकों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर हाल में ही प्रसारित किया गया था और इन्हें सभी केन्द्रों द्वारा रिले किया गया था। अतः इन धारावाहिकों को कुछ केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में कुछ समय बाद ही पुनः प्रसारित किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) राष्ट्रीय नेटवर्क पर मार्च से जून, 1991 तक अनंतिम रूप से प्रसारित किए जाने वाले प्रायोजित धारावाहिकों के शीर्षक निम्नलिखित हैं :—

1. इन्कार
2. दाने अनार के
3. एक दिल हजार अफसाने
4. संकल्प (मार्ग दर्शन)

5. पुकार
6. प्रो० वासन
7. सुनहरे वर्क
8. रिश्ते
9. पोटली बाबा की
10. ट्राइबल पीपल आफ नार्थ ईस्ट

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशाला का बन्द होना

418. **श्री के० एस० राव :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद् के अन्तर्गत कोई प्रयोगशाला पर्याप्त अनुसंधान सुविधाओं एवं वैज्ञानिक कर्मचारियों के बिना चल रही थी;

(ख) क्या संस्थान तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने इसे बन्द करने की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा इसे किस तारीख को बन्द किया गया और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निर्णय के कार्यान्वियन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता। तथापि, तुग स्थित केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान (सिमैप) केन्द्र को बन्द करना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई।

जानकारी के चयनात्मक प्रसार की योजना

419. **श्री के० एस० राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वर्ष 1978 में भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र में आरंभ की गई जानकारी के चयनात्मक प्रसार की योजना पर निरर्थक व्यय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर सरकार को कुल कितना घाटा हुआ तथा इस घाटे के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में कामगारों का न्यूनतम वेतन

[हिन्दी]

420. **श्री राम लाल राही** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में कामगारों के लिए कितना न्यूनतम मासिक वेतन निर्धारित किया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन कामगारों को दिया जा रहा है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने दिल्ली में गैर-सरकारी उद्योगों, कम्पनियों आदि में इस सम्बध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) :

(क) दिल्ली प्रशासन से उपलब्ध सूचना के अनुसार उन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में, जिनके लिए दिल्ली प्रशासन समुचित सरकार है, अकुशल, अर्ध कुशल तथा कुशल कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित न्यूनतम मासिक मजदूरी की चालू मासिक दरें क्रमश: 854/-रु०, 952/-रु० तथा 1104/-रु० है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को दी जानी है। जब कभी सांविधिक न्यूनतम मजदूरी अदा न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती है, तो उनकी जांच की जाती है तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समुचित कार्रवाई की जाती है दिल्ली प्रशासन के अनुसार समय-समय पर किए जाने वाले नियमित निरीक्षणों के अतिरिक्त 15-1-91 से 15-2-91 तक संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वियन की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, इसके अन्तर्गत 571 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उल्लघन के 221 मामलों का पता लगाया गया। इन 221 मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अन्तर्गत नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए हैं।

दिल्ली में हत्याएं

421. **श्री राम लाल राही** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1989 से आपसी शत्रुता के परिणामस्वरूप कितनी हत्याएं हुई और हत्याओं के कितने मामलों में लूटपाट भी की गई थी; और

(ख) इस प्रकार के कितने मामलों की गुत्थी सुलझाई जा चुकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क)

वर्ष	दिल्ली पुलिस में कथित व्यक्तिगत शत्रुता के कारण दर्ज किए गए हत्या के मामलों की संख्या	दिल्ली में दर्ज में किए गए हत्या के मामलों की संख्या जिसमें लूट डकैती का भी अपराध किया गया।
1989	87	24
1990	114	30
1991 (31-1-1991 तक)	5	1

(ख) 261 मामलों में से 187 मामलों के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है। और मामले न्यायालय में दायर किए गए।

जम्मू और कश्मीर में राज्य/क्षेत्रीय/जिला स्तर की सलाहकार परिषदों का गठन

[अनुवाद]

422. श्री जनक राज गुप्त : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य स्तर क्षेत्रीय स्तर. और जिला, स्तर की सलाहकार परिषदों के गठन की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर गैर सरकारी सलाहकार निकायों के गठन करने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार को इस बारे में ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है।

जम्मू को जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान करना

423. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू को जम्मू और कश्मीर राज्य को शीतकालीन राजधानी की मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी रिकार्ड में इसकी यही स्थिति है; और

(ग) यदि हां, तो शीतकालीन राजधानी के रूप में इसे कब अधिसूचित किया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्यालय का मामला ऐसा नहीं है जिनके लिये केन्द्र की स्वीकृति की आवश्यकता हो प्रश्न नहीं उठता है।

पाकिस्तान से लोगों का बाहर जाना

424. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त भारत के विभाजन के समय, 1947-48 के दौरान, पश्चिम पाकिस्तान से आए कितने शरणार्थी जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू प्रान्त के सीमांत क्षेत्रों में बसाए गए थे; और

(ख) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इनको दी गई सहायता और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) अगस्त, 1947 में भारत का विभाजन होने के बाद, भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से करीब 47,40 लाख व्यक्ति भारत में आए थे। भारत के विभिन्न राज्यों में विस्थापित इन लोगों के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों, को जब, वे शिविरों में थे, भोजन कपड़े तथा नकद राशि उपलब्ध कराकर उन्हें तुरन्त राहत दी गई थी। उन्हें राहत शिविरों में चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्धारित दरों के अनुसार पुनर्वास सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकारों द्वारा पात्र परिवारों को आवासीय प्लाट तथा कृषि भूमि भी दी गई थी।

कर्नाटक के हसन जिले में अरासिकेरे में टी० वी० स्टेशन की स्थापना

425. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के हसन जिले के अरासिकेरे में एक टी. वी. रिले स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ताकि अरासिकेरे के लोग बंगलौर दूरदर्शन के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम देख सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार का यह सतत प्रयास है कि देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाय। तथापि ऐसा केवल विभिन्न चरणों में ही किया जा सकता है जो इस प्रयोजन के लिये साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक में चित्रदुर्ग आकाशवाणी केन्द्र के लिए नया भवन

426. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग आकाशवाणी केन्द्र के लिए एक नये भवन का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी केन्द्र, चित्रदुर्ग को इस भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) चित्रदुर्ग में इस समय आकाशवाणी का कोई केन्द्र नहीं है. अत: केन्द्र को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, चल रही सातवीं योजना स्कीमों के भाग के रूप में चित्रदुर्ग में एक नया रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

बंगलौर दूरदर्शन और आकाशवाणी बंगलौर के इंजीनियरी सहायकों के वेतनमान

427. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन और आकाशवाणी बंगलौर में कार्यरत इंजीनियरी सहायकों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि इन इन्जीनियरी सहायकों को कैमरामैन, साउंड रिकार्डिस्ट का वेतनमान दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर में 48 तथा आकाशवाणी बंगलौर में 16 इंजीनियरी सहायक कार्यरत है।

(ख) और (ग) हालांकि, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दूरदर्शन मे, इन्जिनियरी सहायकों को साउण्ड रिकार्डिस्टों के समान वेतनमान देने का आदेश दिया है फिर भी इस सम्बन्ध में आगे की कारंवाई विधि मन्त्रालय के परामर्श पर निर्भर करेगी।

"स्वोर्ड आफ टीपू सुल्तान" नामक धारावाहिक से प्राप्त हुआ राजस्व

428. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्वोर्ड आफ टीपू सुल्तान" की जानकारी, 1991 तक दूरदर्शन पर प्रसारित कड़ियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त धारावाहिक के प्रसारण से संबंधित विज्ञापनों से, जनवरी, 1991 तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या यह दूरदर्शन प्रसारण शनिवार के स्थान पर रविवार को कर देने से राजस्व में वृद्धि हुई है; और

(घ) प्रसारित होने वाली शेष कड़ियों की कुल संख्या क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जनवरी, 1991 के अंत तक इस धारावाहिक की 36 कड़ियां प्रसारित की जा चुकी हैं।

(ख) इस धारावाहिक के प्रसारण से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण से जनवरी, 1991 तक कुल 10,56,10,000/- रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) जनवरी, 1991 के बाद इस धारावाहिक की 24 कड़ियां प्रसारण के लिए शेष हैं।

नक्सलवादी गतिविधियां

429. **श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) देश में नक्सलवादी की बढ़ती हुई घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) नक्सलवाद के कारणों को दूर करने तथा नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश और बिहार नक्सलवादियों की गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित राज्य है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु में वामपंथी उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्र हैं। यद्यपि देश में नक्सलवाद के पनपने के ठीक ठीक कारण बताना

कठिन है, आर्थिक पिछड़ापन, बेरोजगारी तथा उसके परिणामस्वरूप युवकों के एक वर्ग में व्याप्त असंतुष्टता, इसके प्रभाव का एक मुख्य कारण हो सकते हैं।

देश में उग्रवादी तत्वों से कड़ाई से निपटना तथा साथ-साथ स्थानीय लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिये सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करना ही सरकार की नीति है। समस्या को हल करने में संबंधित राज्य सरकारें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केन्द्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण सुविधाएं, बेहतर संचार सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध करवा कर सभी संभव सहायता उपलब्ध कराती है।

प्रधान मंत्री और मन्त्रियों की सुरक्षा पर व्यय

430. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्रधान मन्त्री और मन्त्रियों की सुरक्षा पर, अलग अलग, प्रतिदिन कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) प्रधान मन्त्री और उनके परिवार के सदस्यों को निकटतम सुरक्षा प्रदान करना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस पी जी) की जिम्मेदारी है। एस. पी. जी. दिल्ली में प्रधान मन्त्री के निवास और कार्यालय को भी सुरक्षा प्रदान करती है। एस. पी. जी. के अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस और राज्य पुलिस प्राधिकरण जैसी अन्य एजेंसियां भी प्रधान मन्त्री को दिल्ली में सुरक्षा प्रदान करती है। केन्द्रीय मन्त्रियों के दिल्ली में प्रवास के दौरान दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करती है तथा दिल्ली के बाहर उनके दौरे के समय संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करती है।

2. पिछले तीन महीनों के दौरान एस०पी०जी० कार्मिकों के वेतन, मजदूरी यात्रा भत्तों तथा यातायात पर होने वाला दैनिक व्यय 1,1?,465 रुपए था। इसी प्रकार, दिल्ली पुलिस द्वारा मंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करने पर प्रतिदिन 30,000/ रु० व्यय किया जाता है।

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का भुगतान

431. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, वेल्लूर के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय अखबारी कागज कारखाना केरल सरकार को कच्चे माल की क्या कीमत प्रदान करता है; और

(घ) क्या वेल्लूर अखबारी कागज कच्चे माल की कीमत को कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के आठवीं योजना के प्रस्तावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड की क्षमता को दो चरणों में दुगुना करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) कम से कम 50% नमी-अंश

(1) सरकण्डा—39.78 रुपये प्रति टन

(2) यूकालिप्टस—38.70 रुपये प्रति टन

(घ) जी, नहीं।

बेरोजगार युवकों के लिए मुफ्त आवेदन पत्र

432. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेरोजगार युवकों को संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र मुफ्त सप्लाई करने का विचार है,

(ख) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षाओं व साक्षात्कारों में बैठने वाले बेरोजगार युवकों को आने जाने का किराया देने का भी विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 12 परीक्षाओं से सम्बन्धित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) आयोग साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा व्यय········ देता है। तथापि, आयोग लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा व्यय नहीं देता। निम्न कारणों से बेरोजगार युवकों को ऐसी सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है :—

(i) उम्मीदवारों को निर्धारित केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र में परीक्षा देने का विकल्प होता है।

(ii) इस प्रयोजन के लिये "बेरोजगार" के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले युवकों की पहचान करना कठिन है।

(iii) इस सुविधा को दिए जाने से परीक्षा को गंभीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा परिहार्य सरकारी खर्च के दुरुपयोग की संभावना है।

विवरण

क संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं के सम्बन्ध में आवेदन पत्र इम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार तथा देश भर में प्रमुख समाचारपत्रों में परीक्षा की अधिसूचना के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। उम्मीदवारों की परीक्षा के नोटिस के साथ प्रकाशित इन आवेदन

पत्रों को मूल रूप में उपयोग में लाने की अनुमति है। उन्हें परीक्षा के लिए आयोग के विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार मुद्रित टाईप किये हुए आवेदन पत्र प्रयोग में लाने की अनुमति है।

(i) सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा

(ii) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा

(iii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा
(वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है)

( ) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा
(वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है)

ख निम्न छः परीक्षाओं के मामले में उम्मीदवारों को नियम तथा आवेदन पत्र आयोग के कार्यालय द्वारा 2/- रु० के नाम मात्र शुल्क पर दिए जाते हैं।

(i) भू-विज्ञानी परीक्षा

(ii) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा

(iii) विशेष श्रेणी रेलवे एप्रेन्टिस परीक्षा

(iV) भारतीय वन सेवा परीक्षा

(V) इन्जीनियरिंग सेवा परीक्षा

(vi) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड "ख"/ग्रेड-1) समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

ग. निम्न दो परीक्षाओं के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को नियम तथा आवेदन पत्र निःशुल्क दिए जाते हैं।

(i) सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये ग्रेड-I (अवर सचिव) समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा।

12.00 मध्यान्ह

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली, जो 5 जनवरी, 1991 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 213:/19]

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1991, पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली तथा इंस्टिट्यूट फार दि फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1991 जो 14 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ा०का०नि० 22 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2132/91]

(2) (एक) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० टी० 2133/91]

(4) (एक) एक इंस्टीट्यूट फार दि फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार दि फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2134/91]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम; 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गता निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1990, जो 5 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 822 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) पहला संशोधन विनियम, 1990, जो 7 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 938 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1990, जो 7 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 939 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2135/91]

(2) इंस्टिट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2136/91]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड इंदुनगर, का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-

लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, इंदुनगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, इंदुनगर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2137/91]

(3) (एक) सेंट्रल मशीन टूल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मशीन टूल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2138/91]

अध्यक्ष महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र अन्तरिम रेलवे बजट प्रस्तुत करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों की सामूहिक हत्यायें हुई हैं। मैंने आपको नोटिस दिया है। उस पर आप कब चर्चा करा रहे हैं? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा अन्य राज्यों में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के बारे में मुझे स्थगन प्रस्ताव, नियम 193 के अधीन चर्चा तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस

प्राप्त हुए हैं। मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने स्थगन प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दी है, मैं नियम 193 के अधीन चर्चा पर अनुमति दे रहा हूं। चर्चा आज चार बजे की जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है कि इसको 184 में लिया जाये। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि शुक्रवार को दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और सभा में यह राय थी कि दोनों स्थगन प्रस्ताव ही हैं क्योंकि झगड़ा केवल दो संगठनों या दो समुदायों के बीच नहीं है जिसमें हरिजन मारे गए थे बल्कि यहां हत्या और हत्याकाण्ड राज्य पुलिस द्वारा किया गया है। इसलिए, हम हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता पर सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

इसलिये मेरे सहयोगियों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की मांग करना वैध है और मैं आपसे इस पर पुनर्विचार करने और स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने का निवेदन करूंगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना फैसला दे दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आइए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात सुनें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : कल मैं अपने सहयोगियों के साथ प्रतापगढ़ गया था अनुसूचित जातियों के लोगों को गांव से पुलिस जीप में भर कर निर्दयता से मारा गया था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस ने दलितों के विरुद्ध भूमिका निभाई है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लायक है (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपने वचन भी दिया था। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आपका इस बारे में क्या निर्णय है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वही तो कह रहा हूं, आप कुछ कहने वाले थे ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? (**व्यवधान**) इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव के अधीन उठाने पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । पासवान साहब, आपका कहना यह है कि नियम 184 के तहत होना चाहिए ।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग : पहले सिर्फ यह सवाल था कि पहले कौन सा लिया जाए और हमने मान लिया । उसकी फौम बदलने की बात नहीं थी । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । किस आधार पर बोल रहे हैं । प्राइम मिनिस्टर को बोलने दीजिए ।

(**व्यवधान**)

श्री कालका दास : पुलिस द्वारा हरिजनों की हत्या हो रही है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री श्री (चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, उसी दिन मैंने कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है और इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए । लेकिन स्थगन प्रस्ताव के लिए कतिपय नियम हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता इतनी गरमागरमी क्यों है; क्या मैंने ऐसा कहा है जो कुछ वह कह रहे हैं वह गलत है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा है।

श्री चन्द्रशेखर : मैंने इसका विरोध नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : (बांकुरा) : हरिजनों पर अत्याचार का मामला बहुत गम्भीर मामला है स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ वे कहने का प्रयास कर रहे हैं मुझे उस पर हैरानी है। जबकि समूचे सदन को इस मामले की जानकारी है तो इस पर विवाद क्या है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : जब हरिजनों का मामला आता है तो रूल्स आ जाते हैं। अब यह कहकर इसको माइल्ड करना चाहते हैं कि एडजोर्नमेंट मोशन के रूल्स होते हैं। (व्यवधान)

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सरकार को इसमें फैसला देना चाहिए। (व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : उत्तर प्रदेश में चौरा गांव में दस हरिजन और तीन पटेलों की हत्या पुलिस द्वारा की गई जिसे ऐनकाउंटर दिखाया गया जो कि गलत साबित हुआ। इससे साबित होता है कि मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव ने तुरन्त ऐक्शन लेकर उन अधिकारियों को, पुलिस के लोगों को दंडित किया। इससे साबित होता है कि सरकार ने इस अवसर पर तो प्रोम्प्ट एक्शन लिया लेकिन बिहार में 15 हरिजनों को यादवों ने मारा मसौढ़ी गांव में उनके खिलाफ अभी तक बिहार सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो सहायता कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी इस बात से सहमत हैं, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दलितों और शैड्यूल्ड कास्ट्स की जो हत्या हुई है, किस नियम के तहत उस पर चर्चा की जाये? मैं जानना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की हत्या किस नियम के तहत हुई है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारा हाउस इससे सहमत है। अब जो हाउस चाहेगा वैसा ही मैं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि सदन की बैठक के पहले दिन दो एडजर्नमेंट मोशन प्रस्तुत हुए थे—एक तो गल्फ पर था और दूसरा—(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हमने भी इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। जैसा कि श्री वी० पी० सिंह ने कहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम भी उनके साथ उस क्षेत्र में गए थे। वहां पर भयावह स्थिति थी। अब वहां पर परिवार का एक भी पुरुष सदस्य नहीं है। पुलिस द्वारा उन सबकी हत्या कर दी गई है। वे सब हरिजन थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अगर हमारे देश में पुलिस हरिजनों और पददलित लोगों की इस प्रकार हत्या करेगी तो क्या होगा? (व्यवधान) क्या स्थगन प्रस्ताव के लिए यह एक गंभीर मामला नहीं बनता? क्या हरिजनों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए सरकार की निन्दा नहीं होनी चाहिए? हरिजनों की देखभाल कौन करेगा? अतः हम स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, उधर बैठने वाले लोग एडजर्नमेंट मोशन लेकर आये हैं। हम उनके अधिकार को चुनौती नहीं देते हैं, वह उनके अधिकार में है लेकिन एक बात साफ है कि—(व्यवधान)—

हम वही कहने जा रहे हैं...हम आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं...(व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष जी, एडजर्नमेंट मोशन देने के उनके अधिकार को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। जो कुछ उत्तर प्रदेश में चोरा गांव में घटित हुआ है...(व्यवधान)....वह निश्चित तौर पर बड़े ही दुख का विषय है और शर्मनाक विषय है लेकिन उतनी ही शर्मनाक और उतनी ही दुखद घटना बिहार के अन्दर

भी हुई है जब बिहार की सरकार ने, लालू प्रसाद की सरकार ने पुलिस मशीनरी का उपयोग हरिजनों की हत्या के लिये किया है और उसको ढकने की कोशिश की है····(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं, इसीलिए यह सदन उत्तर प्रदेश के अन्दर हुई हरिजनों की हत्याओं के साथ-साथ बिहार में हुई हरिजनों की हत्या का भी विरोधी है ··(व्यवधान)····मैं, माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहूंगा प्रतिपक्ष के मित्रों से कि उनको हरिजनों की, कमजोर वर्गों की जो हत्यायें हुई हैं, चाहे वह किसी भी राज्य के अन्दर हों, उनको प्रोटेक्शन देने की बातें सोचनी चाहिए। यदि इनके ऊपर अत्याचार होता है तो उनको बराबर की पीड़ा होनी चाहिए। बिहार के अन्दर हरिजन की हत्या हो और वह चुपचाप बैठे रहें तो इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती है इसलिए इस पर 193 के अन्तर्गत डिस्कशन होना चाहिए ताकि यह सदन बिहार, फतहपुर और जहां भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उन पर चर्चा कर सके।····(व्यवधान) यू० पी० के साथ बिहार की बात भी तो करो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं आपको बुला लूंगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : आप हमको भी अनुमति दें, उनको तो अनुमति दे दी।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप हम लोगों को तो देखते ही नहीं हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए एडजर्नमेंट मोशन पर विचार करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैंने पहले कालका दास जी को बुलाया है। आप बैठ जायें, इस तरह की बात नहीं करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : हम भी स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं। (व्यवधान) प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैंने आज एडजार्नमण्ट मोशन दिया है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आपको मैंने अनुमति नहीं दी। श्री कालका दास जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में पुलिस के द्वारा हरिजनों की हत्यायें की गई हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एडजार्नमेट मोशन दिया था और आज भी दिया है। आपने

गल्फ के बारे में एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार कर लिया। आपने एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार कर लिया। आपने एडजार्नमेंट मोशन दोनों स्वीकार कर लिये थे, लेकिन आपने आडवाणी जी व अन्य नेताओं से भी पूछा कि कौन सा पहले लें। आडवाणी जी ने आपके ऊपर सौंप दिया कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, जिसको आप लेना चाहें, उसको ले लीजिए। आपने गल्फ के बारे में एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार कर चर्चा कराई और आपने आश्वासन दिया कि हरिजनों की हत्या····(**व्यवधान**)····

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : डा० राम चन्द्र डोम, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, कृपया बैठ जाइए।

···(**व्यवधान**)····

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : राम चन्द्र जी आप बैठ जायें। मैं कालका दास जी को सुन रहा हूं।

····(**व्यवधान**)···

श्री कालका दास : आपने यह तय किया, सदन को आश्वासन दिया कि इस पर भी चर्चा करायेंगे। क्योंकि यह मामला किसी भी अन्य मामलों से कम महत्व का मामला नहीं है। हरिजनों पर अत्याचार बराबर हो रहे हैं।····(**व्यवधान**)····हरिजनों की हत्या उस वर्ग द्वारा की गई है, जिस वर्ग को हरिजनों के संरक्षण के लिए, गरीब कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए, बनाया गया है। आज कमजोर वर्ग की हत्या ही उन्हीं के द्वारा की जा रही है और यह बहुत ही दुखदायी है। इसकी चर्चा भी किसी अन्य विषय की चर्चा से कम महत्व की नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एडजार्नमेंट मोशन स्वीकार करके इस पर चर्चा कराई जाए।

[**अनुवाद**]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, माननीय श्री आडवाणी और विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा उठाया गया हरिजनों पर अत्याचार और उनकी हत्या का मुद्दा बहुत गंभीर है। (**व्यवधान**)····संभवतः माननीय सदस्यों ने मेरी बात नहीं सुनी है, मैंने कहा है कि हरिजनों की हत्या का मामला बहुत गंभीर है और हम इस सम्बन्ध में उनकी भावनाओं के साथ हैं। (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए। हमने आपको सुना था।

ये हत्याएं चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हों या बिहार में, इस सभा में दोनों की ही निन्दा होनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह चर्चा स्थगन प्रस्ताव के तहत हो या नियम 193 के अधीन हो। इस बारे में सभा को निर्णय लेना है। मैं विपक्ष से सहमत हूं कि यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार की निन्दा होनी चाहिए····(**व्यवधान**)···लेकिन कौन सी सरकार की ? बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हो, केन्द्र सरकार की नहीं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव के दायरे को विस्तृत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, हरिजनों के प्रति सदस्यों द्वारा दर्शाए गए स्नेह से मैं बहुत खुश हूं। लेकिन, महोदय, जब फतेहपुर में हरिजनों की हत्या हुई थी तब आप जानते हैं कि श्री वी० पी० सिंह की सरकार की निन्दा करना कितना कठिन था। मैंने उस समय सभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरिजनों के प्रति ऐसा स्नेह नहीं देखा। (व्यवधान) हमें खुशी है कि कम से कम अब तो वे हरिजनों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखला रहे हैं। (व्यवधान) मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम भी इस विषय पर उतने ही चिन्तित हैं। क्योंकि इस विषय पर हम भी उतने ही चिन्तित हैं और हम भी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे अतः हम अनुरोध करते हैं कि सरकार की निन्दा सम्बन्धी यह चर्चा स्थगन प्रस्ताव की बजाय नियम 193 के तहत हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश : कुण्डा में जो सामूहिक हत्याकाण्ड हुआ है यह फेक एकाउंटर की कहानी बनाई गई है। यह एक गंभीर मामला है। ऐसे समय में जबकि फेक एकाउंटर के जनहित श्री वी० पी० सिंह इस मामले को उठा रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए यह और भी गंभीर मामला बन जाता है और यह हरिजनों से सम्बन्धित मामला है। अतः इस पर अवश्य ही उचित एवं आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराई जानी चाहिये। (व्यवधान)

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : आज उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य प्रान्तों में जो अनुसूचित जातियों का कत्लेआम हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोगों की है। प्रशासन में सवर्ण बिरादरी के लोग, जो विचारों से मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं, वे लोग अम्बेडकरवादियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और उसी विचारधारा को लेकर सारे हरिजनों का कत्लेआम कराया जा रहा है क्योंकि उन ब्राह्मणवादियों की प्रशासन में भागीदारी है—विशेषकर पुलिस बल और पी ए सी में है। इसलिए शासन इसका जिम्मेदार नहीं बल्कि प्रशासन इसका जिम्मेदार है और ये लोग उसी विचारधारा से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको बदनाम करने के लिए यह षड्यन्त्र रचाया जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मेरा फैसला 193 के तहत हरिजनों की जो हत्यायें हुई हैं, इस बारे में जो दिया गया था,

[अनुवाद]

मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की सोच रहा हूं। इस दौरान कृपया रेल मन्त्री जी को सुनिए और उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, मुझे दण्डवते जी को सुनने दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, मेरे विचार में इस सारे मामले को उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। सारा विपक्ष उत्तर प्रदेश तथा देश के दूसरे स्थानों पर हुए हरिजनों पर अत्याचार के मामले पर चर्चा के लिए सहमत है। हमें कोई आपत्ति नहीं। (व्यवधान) इस एकमात्र मुद्दे पर सदन में मतभेद नहीं होना चाहिए। बाहर ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए जिससे यह लगे कि सदन इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। इसलिए इस चर्चा को और व्यापक बनाया जाना चाहिए और इसे उत्तर प्रदेश तथा दूसरे स्थानों पर हरिजनों पर अत्याचार के रूप में संशोधित करके इस पर 4 म० प० बजे स्थगन प्रस्ताव के साथ चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान)। महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी भाग में अगर दलितों पर अत्याचार हुआ है, उनके संबंध में यहां पर स्थगन-प्रस्ताव स्वीकृत कर, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। रेलवे बजट को आप रुकवा दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : रेलवे बजट को टेबल पर रखवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर हुए अत्याचार और जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई हैं, यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना चाहिए और इस पर अभी चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब फतेहपुर में घटना हुई थी, उस समय एडजर्नमेंट मोशन स्वीकृत किया गया था, अब एडजर्नमेंट मोशन क्यों अक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : महोदय, अमरीका तथा उसकी सहायक

सेनाओं द्वारा इराक पर ऐसे समय में जमीनी आक्रमण, जबकि गोर्बाचोव शान्ति योजना द्वारा खाड़ी में शान्ति स्थापित करने के प्रयास चल रहे थे, काफी खेदजनक है। (व्यवधान) मेरा विश्वास है कि सारा सदन मेरी बात से सहमत होगा। मैं विपक्ष से निवेदन करूंगी कि वह इस समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान निकालने में सहायता करें। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, प्रातः हमने आपको बताया था कि हम खाड़ी युद्ध के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं··· (व्यवधान)। क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, प्रातः हमने कहा था कि हमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, जिसके द्वारा हम खाड़ी में जमीनी युद्ध आरम्भ होने जैसी गम्भीर कार्यवाही के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए तथा मुझे विश्वास है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा। हमने इसका लिखित प्रारूप दे दिया है। इसे मुद्दे पर हमें अपनी प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करनी चाहिए। हमने प्रस्ताव का प्रारूप दे दिया है। महोदय कृपया इसे अध्यक्ष पीठ द्वारा प्रस्तुत किया जाये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इससे ज्यादा कोई इम्पार्टेंट विषय नहीं हो सकता। जो हमने ऐडजार्नमेंट मोशन दिया है उसे आप स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : पहले ऐडजार्नमेंट मोशन को आप ले लीजिए। हम इसके अलावा कुछ नहीं करने देंगे। (व्यवधान)

श्री सत्य नारायण जटिया : यह गरीब समाज का मामला है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के बारे में सोचा है। मेरे विचार में इसमें कुछ समय लगेगा।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कब तक ?

अध्यक्ष महोदय : आप मधु दण्डवते जी से पूछिए। वह आपको बतायेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया आप यह आश्वासन दे दीजिए कि चर्चा 4.00 म० प० पर होगी और आप बाद में औपचारिकता पूरी कर सकते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप इससे सहमत होंगे कि मुझे कुछ औपचारिकताओं का अध्ययन करना है। जो कि आवश्यक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना यह है कि स्थगन प्रस्ताव चार बजे ले लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वी० पी० सिंह खाड़ी युद्ध के मुद्दे पर चर्चा से पहले कुछ कहना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोगों पर हुए अत्याचार के मामले पर सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए आपने माननीय सदस्यों के निवेदन को स्वीकार कर लिया है।

अमरीकी नेतृत्व वाले सहयोगी देशों की सेनाओं द्वारा इराक और कुवैत में की गई जमीनी लड़ाई की कार्रवाई के संबंध में जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, वह हम सभी के लिये चिन्ता का विषय है और मैं निवेदन करता हूं कि अमरीकी नेतृत्व वाली सहयोगी देशों की सेनाओं द्वारा की गई कार्रवाई की भर्त्सना करते हुए संसद सर्वसम्मत संकल्प पारित करे।

श्री एडुआर्डो फलैरो (मारमागाओ) : महोदय, बगदाद में भारतीय मिशन का बन्द किया जाना बहुत ही दुखद और चिन्ता का विषय है और मैं इस ओर सभा का ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं आपको और आपके माध्यम से सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण समय में इसका बन्द होना क्यों दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह कह सकता हूं कि जब कि इराक और कुवैत में जहां हजारों भारतीय निष्कासित रूप में बेसहारा समुदाय बनकर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा तथा कल्याण के लिये किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना ही मिशन को स्थानांतरित कर तेहरान भेज दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे मिशन को बगदाद से तेहरान क्यों भेजा गया जब कि जिन देशों का इराक से शत्रुतापूर्ण संबंध है, उनके मिशनों को छोड़कर, बाकी सभी मिशन नहीं हैं। इससे पूरी स्थिति है। उपहासपूर्वक बन गई है। हमारा मिशन तो बगदाद से तेहरान स्थानान्तरित हो गया है जबकि ईरानी मिशन अब भी बगदाद में ही है। ऐसी बातें विश्व में तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन से सम्बद्ध देशों के बीच हमारी विश्वसनीयता को नष्ट करती है। मैं प्रधानमंत्री और सरकार का आह्वान करता हूं कि इस सभा को इस बारे में बताएं और हमारे नागरिकों के सुरक्षा और कल्याण के लिये सभी संभव कूटनीतिक उपाव करें। (व्यवधान)

12.42 म० प०

रेलवे बजट के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं, श्री जनेश्वर मिश्र, रेल मंत्री जी से कहूंगा कि रेल बजट पेश करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने नोटिस दिया है... (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, जब कल विपक्ष के नेता ने लेखानुदान का मुद्दा उठाया था तो मैंने और श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि हमें व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना है और हम उसे रेलवे बजट के प्रस्तुत होने से पूर्व कहना चाहते हैं।

रेलवे बजट को अब पूर्ण बजट के रूप में प्रस्तुत न करके लेखानुदान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सामान्य निर्णय लिया गया है कि इसे आम बजट के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, बल्कि इसे लेखानुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि सामान्य निर्णय भिन्न होता, तो शायद रेलवे बजट प्रस्तुत हो जाता। इसलिये हम में से कुछ लोग इस सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दे उठाना चाहते हैं।

जहां तक रेलवे के लेखानुदान का सम्बन्ध है, बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सम्बन्धी कारणों से इसके कुछ हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि लेखानुदान तीन महीनों के लिए होगा या चार महीनों के लिये, लेकिन इसे सीमित अवधि के लिये ही होना है।

एक माननीय सदस्य : चार सप्ताह के लिये।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा नहीं होने जा रहा है। इतना तो ज्ञान मुझे है ही।

यदि यह चार महीने के लिये सीमित रेलवे बजट होने जा रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि लेखानुदान की सामान्य परम्परा यह है कि राजस्व एवं संसाधन रोक दिये जाएंगे। वर्ष 1990-91 के लिए आम बजट में करीब 5500 करोड़ रुपये का आबंटन था। जबकि अतिरिक्त प्राप्तियां और राजस्व प्राप्त नहीं होंगे और सब कुछ रुक जाएगा तो इसके परिणामस्वरूप अगले चार महीनों के दौरान रेलवे की विकासात्मक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिसके फलस्वरूप उत्पादकता ठप्प हो जाएगी, जिससे रेलवे की अनेक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ जाएगा और आने वाले पूर्ण बजट में वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा तथा सरकार को माल भाड़ा और किराए में वृद्धि करनी पड़ेगी।

इस प्रकार पूरे बजट का स्वरूप बिगड़ जाएगा। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने आशा व्यक्त की है कि इससे चार महीने का योजना अन्तराल हो जाएगा। ऐसा होने की वजह से नियोजन का आधार ही अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

महोदय, यदि सरकार 28 फरवरी के बाद सत्ता में आयी होती तो मैं स्वीकार कर लेता कि लेखानुदान प्रस्तुत करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है परन्तु उन्हें शासन करते हुए तीन महीने हो गए हैं इसके बावजूद भी वे लेखानुदान प्रस्तुत कर रहे हैं इसका समूची नियोजन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हूं। यह कार्य देश के आर्थिक हित में नहीं बल्कि तमिलनाडु में होने वाले चुनावों के लिए राजनैतिक हित में किया जा रहा है। यह केवल राजनैतिक चाल है, रेलवे की आर्थिक स्थिति और देश की सामान्य अर्थ-व्यवस्था के कारण ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन का पूरी तरह विरोध करता हूं तथा अध्यक्ष महोदय को भी इस मामले में असहमति व्यक्त करनी चाहिए। अन्त में, (**व्यवधान**) महोदय, राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख किया गया है। कल प्रधानमंत्री ने श्री आडवाणी के प्रश्न का जवाब देते समय कहा है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से परामर्श किया था। हम भी राष्ट्रपति महोदय से मिले थे उन्होंने कहा था "कि मेरा बजट से कोई लेना देना नहीं है।"

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : बजट पेश करते समय कोई बहस नहीं होती है।

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री महोदय ने लेखानुदान को न्याय संगत ठहराने के लिए सभा में राष्ट्रपति का नाम लिया था। यह बहुत ही अनुचित बात है और मुझे इस प्रकार की प्रक्रिया पर आपत्ति है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : जहां तक इस सभा की भावना का सम्बन्ध है, मैं अपने सहयोगी प्रो० दण्डवते की बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस अन्तरिम बजट से देश को बड़ा नुकसान होगा। परन्तु एक प्रश्न प्रक्रिया के बारे में है जिसे मैंने कल उठाया था। परन्तु आपने इस सभा के सदस्यों को सूचित किया था कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि पूरा बजट 25 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। जिस रेल बजट को प्रस्तुत किया गया वह पूरा बजट था। इस आदेश के रद्द होने के बाद मैंने कोई दूसरा समाचार नहीं देखा है यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है क्योंकि प्रत्येक सदस्य यह पूछ रहा है कि प्रक्रिया क्या है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार प्रक्रिया और आर्थिक मामलों की दृष्टि से बुरी तरह असफल रही है क्योंकि विगत 10 दिनों से आर्थिक मामलों के प्रत्येक विशेषज्ञ ने सरकार के निर्णय की आलोचना की है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पिछले दो दिनों से समाचार दिया जा रहा है कि पहले सात बार अन्तरिम बजट क्यों प्रस्तुत किया गया था। उन सब स्थितियों में यह न्याय संगत था वर्तमान स्थिति का पहले की स्थितियों से कोई लेन-देन नहीं है। इस मामले में वित्त मंत्री महोदय बजट तैयार करने के लिए रात-दिन कार्य कर रहे हैं परन्तु यह बताया गया है और वित्त मंत्री महोदय ने भी बताया है कि उन्हें इसके विरोध में त्याग पत्र की धमकी दी गयी है। मेरे विचार से सभा को सरकार द्वारा प्रक्रिया तथा आर्थिक मामलों संबंधी लिए गये

निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए, हम इसमें सहयोग नहीं दे सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : बजट बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। सारे देश का करोड़ों रुपया खा गये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तकनीकी मामला न होने के कारण हमने नोटिस दिया है। यह आर्थिक विषयों का मामला है। संविधान में निर्धारित सभी बजट सम्बन्धी उपबन्धों की राजनैतिक जरूरतें पूरी करने के लिए पूरी तरह अवहेलना की जा रही है संविधान के बजट सम्बन्धी उपबन्धों में राजनैतिक जरूरतों के अनुसार परिवर्तन किया जा रहा है। एक मंत्री महोदय इसके श्रेय का दावा करते हैं उनका कहना है कि यह उनके दिमाग की उपज है। हमने इस देश में अनेक बार इस दिमाग के अनुचित कार्य देखे हैं। उन्हें इसका श्रेय मिल सकता है (व्यवधान)

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : प्रासंगिक बात कीजिए .... व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री के रूप में आपको मेरी बात बीच में टोकनी नहीं चाहिए.... (व्यवधान)

महोदय, कार्य सूची देखिये। इसमें कहा गया है "मन्त्री महोदय अन्तरिम रेल बजट प्रस्तुत करेंगे।" अन्तरिम बजट की व्यवस्था न तो भारतीय संविधान में है और न नियमों में। अनुच्छेद 112 संविधान का एक विनियमक अनुच्छेद है जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिया है :

> "राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।"

अनुच्छेद 112 के अन्य प्रावधानों में यह विचार किया गया है कि मांगों के रूप में अनुदानों को सदन के विचारार्थ चर्चा हेतु रखा जाये और इन्हें सदन द्वारा पारित किया जाये। फिर एक विनियोग विधेयक को भी प्रस्तुत करके पारित करना होता है। इसके पूर्व संचित निधि में से कोई भी राशि व्यय की पूर्ति के लिए निकाली नहीं जा सकती है। महोदय, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का प्रावधान वित्तीय वर्ष के एक भाग के रूप में खर्चों के उस भाग के रूप में दिया है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में दिया गया हो। अत: जो कुल व्यय वह करना चाहते हैं, उसे बजट में देना ही पड़ता है।

संविधान में लेखानुदान की व्यवस्था की गई है और हमारे नियमों में इसकी व्यवस्था केवल अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर सदन में उचित चर्चा के उद्देश्य से की गई है। ऐसा सदन में चर्चा के लिये उचित अवसर और समय देने के उद्देश्य से किया गया है। पिछले सात अवसरों पर जब लेखानुदान को सभा पटल पर रखने की आवश्यकता पड़ी, उन वर्षों में चुनाव हुए थे। केवल उन वर्षों में जिनमें चुनाव हुए, यह प्रावधान किया गया कि सदन में चर्चा हेतु समूचे प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे और इसी दौरान व्यय की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन, क्या यह चुनावी वर्ष है ?

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : क्या पिछले वर्ष कोई लेखानुदान प्रस्तुत नहीं हुआ था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पिछले वर्ष पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया था। **(व्यवधान)** संवैधानिक रूप से भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण को सभा पटल पर रखने का आदेश दें और नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रपति ही इसकी तिथि निर्धारित करता है। राष्ट्रपति ने तिथि निर्धारित कर दी है। कृपया बुलेटिन देखिये। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सामान्य बजट 1991-92 और रेलवे बजट की अमुक तिथियों को निर्धारित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। अन्तरिम बजट की अवधारणा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यही नहीं आपकी स्वीकृति के पश्चात हमारा जो कैलेन्डर जारी किया गया है, उसमें उन नियमों को दिया गया है जिस दिन अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अपने पिछले वर्ष के भाषण के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके बाद कोई और बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। यह सदन का अपमान है। राष्ट्रपति ने एक तिथि निर्धारित की है, आपकी स्वीकृति से बुलेटिन प्रकाशित हो चुका है और आज समाचार पत्रों में यह पढ़ने को मिला कि एक मन्त्री ने मद्रास में यह कहा कि लेखानुदान का विचार उनका था। वह समझते हैं कि संसदीय प्रक्रिया के साथ वह छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसकी सूचना सदन के बाहर दी गई है। लेकिन, प्रधानमंत्री में इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वह सदन को यह बता सकें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। सभा पटल पर कोई स्पष्टीकरण नहीं रखा गया है। संविधान में नियमों में लेखानुदान की जो प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, यह एक विशेष स्थिति से निबटने के लिए है, ना कि सामान्य बजट के विकल्प के रूप में।

श्री वसंत साठे : पिछले साल जब प्रो० मधु दण्डवते वित्त मन्त्री थे, तब क्या यही प्रक्रिया थी।.....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक और महत्वपूर्ण मामला है। यहां तक कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान उनके द्वारा निर्देशित सामान्य वित्तीय कार्य में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई संकेत नहीं दिया था। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस लेखानुदान को पारित हो जाने के बाद अतिरिक्त अनुदानों को प्राप्त करने का जो

एक मात्र तरीका बचता है, वह अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों या अतिरिक्त मांगों के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने का है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है। यह राजनीतिक कारणों से है—क्योंकि वह चुनावों का सामना करने की स्थिति में नहीं है—इसी कारण संपूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी कारण भारत के संविधान और इस सदन को पूर्णतया अनदेखा कर दिया गया है। (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : पिछले वर्ष क्या हुआ था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो शासनकर्ताओं से भी अधिक निष्ठावान हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अपनी राजनैतिक बाध्यताओं के लिये उन्होंने संविधान के संपूर्ण प्रावधानों को ताक पर रख दिया है। 2? फरवरी को सभा पटल पर वित्त मन्त्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था "खाड़ी की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकारी विभागों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये जो उपाय अपनाये हैं, उनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर उपाय शामिल हैं।" क्या वह अब ऐसा करने जा रहे हैं? क्या वह ऐसा कर सकते हैं? यह वित्त मन्त्री की घोषणा है जो आवश्यक है "अतिरिक्त कर प्रस्तावों के माध्यम से देश की गंभीर आर्थिक स्थिति से निबटने के लिए यह आवश्यक है।" क्या इनको नकार नहीं दिया गया है? किस उद्देश्य से ऐसा किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है; क्या उनके निर्णय में परिवर्तन हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर ही व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न कैसे हो सकता है? मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेमा किस नियम के अधीन?

श्री शिकिहो सेमा : नियम 214 के अधीन। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उनके भाषण पर आपत्ति है?

श्री शिकिहो सेमा : हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर ही व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है?

श्री शिकिहो सेमा : इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में यह प्रावधान है कि सरकार लेखानुदान प्रस्तुत कर सकती है। माननीय सदस्य अनावश्यक ही क्यों समय नष्ट कर रहे हैं? माननीय सदस्य नियम 214 का उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस मामले पर तो आपको ही निर्णय लेना है। आप इस सभा के

अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। संसदीय लोकतन्त्र की सम्पूर्ण प्रणाली का संचालन इस सभा के माध्यम होना है।

1.00 म० प०

संसदीय लोकतन्त्र का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वित्तीय कार्य इस सभा के माध्यम से उचित प्रकार किए जाएं। क्या वित्तीय कार्य की प्रक्रिया इसलिए रोक दी जाए कि देश के एक राज्य में चुनाव होने हैं और वे एक प्रतिकूल बजट के होते हुए मतदाता का सामना नहीं कर सकते ? यह तो संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह लोगों और संसद के साथ धोखाधड़ी है। आपका कर्तव्य है कि इनकी गरिमा को कायम रखें। अन्तरिम बजट के नाम पर इस स्वांग की अनुमति न द। अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सभा को इस बारे में विश्वास में नहीं लिया है कि यह परिवर्तन क्यों किया गया है।

इसके अलावा, 15 फरवरी को यह घोषणा की गई थी कि पूरा बजट पेश होगा; एक सप्ताह में क्या उनका निर्णय बदल गया है ? **(व्यवधान)** क्या इस देश में सरकार है ? क्या देश में कोई सरकार चल रही है ? क्या इस सरकार का अपना दिमाग है ? क्या यह मानकर चला गया था कि भारत के राष्ट्रपति सारी बात स्वीकार कर लेंगे ? क्या कुछ ही लोगों गुट द्वारा यह मानकर चला गया कि सभा उनकी सारी बात स्वीकार कर लेगी। **(व्यवधान)** जो कि दलबदलू हैं और इस देश की सर्वाधिक अविश्वसनीय पार्टी द्वारा समर्थित हैं ? हम इनकी सारी बातें ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेंगे। इसलिए इसे पेश नहीं किया जा सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी मुझे दुख है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं दिया गया है····**(व्यवधान)** अन्यथा यह समझा जाएगा कि संसद की परवाह नहीं की जा रही है। यह मुद्दा है, और हम इस पर अपना विरोध जाहिर करना चाहेंगे और इसमें भाग नहीं लेना····**(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पिछली सरकार ने हड़ताल में भाग लेने के कारण 1981 में बर्खास्त सैंकड़ों रेलवे कर्मचारियों की बहाली का आदेश जारी किया था। लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह सरकार इस आदेश को कार्यान्वित नहीं कर रही है इसलिये मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं। **(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों द्वारा उठाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी आपत्तियां सुनी हैं। नियम 213 के अधीन सरकार को एक से अधिक बजट पेश करने की अनुमति है। पहले ऐसे अनेक अवसर आए हैं जबकि एक वर्ष में एक से अधिक बार बजट पेश किया गया। इसमें किसी संवैधानिक उपबन्ध का उल्लंघन नहीं हुआ। अतः यह आपत्ति सही नहीं है।

अब श्री जनेश्वर मिश्र।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर एक बात कहनी है, क्योंकि यह एक आदत बन गई है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझे उद्धृत करते हुए कहा है कि मैंने इसका श्रेय लिया था। मैंने ऐसे किसी श्रेय का दावा नहीं किया। हुआ यह कि मद्रास में एक समाचारपत्र के संवाददाता ने श्री गांधी की टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए कहा था कि यह विचार मैंने दिया और वे परिस्थितियां जिनमें इस विचार पर कार्यवाही हुई। बस यही कहा गया था। इस बात को यह मोड़ देना और कहना कि यह मेरा कार्य है, पूर्णतया हास्यास्पद है और वास्तव में वे सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये आए थे। महोदय, आपने यह सही कहा है कि यह पूर्णतया संविधान के अन्तर्गत है कि लेखानुदान पेश किया जाए····**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी को भी इस विषय में कुछ कहना है। आप हमें भी बोलने की अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय उस पक्ष के तीन सदस्यों को वक्तव्य देने की अनुमति दी गई जो स्पष्टतः बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। आप तथा यहां पर हम सब यह जानते हैं कि पहले भी लेखानुदान पेश किया गया है। **(व्यवधान)** कृपया एक क्षण का समय दें। क्या आप मुझे अपना कथन पूरा करने की अनुमति देंगे। **(व्यवधान)** कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। आप उन्हें बाद में सुन सकते हैं। **(व्यवधान)** 1980 में तत्कालीन वित्त मन्त्री और मौजूदा राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण ने चुनाव वर्ष के बाद वाले वर्ष में लेखानुदान पेश किया था और जून में नियमित बजट पेश किया था। गत वर्ष मेरे विचार में सभा के कार्यवाही वृतांत से इस बात की जांच की जा सकती है, चुनाव वर्ष के एक वर्ष बाद, श्री दण्डवते ने लेखानुदान पेश किया था और लगभग छः सप्ताह बाद पूर्ण बजट पेश किया था। इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि पहले से चली आ रही परम्परा अथवा नियमों के विपरीत है। आपने उन्हें अभी अभी वक्तव्य देने की अनुमति दी, जिसे हम असंगत वक्तव्य ही कह सकते है, और यह स्पष्टतः नियमों के विरुद्ध है और श्री सोमनाथ चटर्जी तो संविधान के कुछ चुने हुए अनुच्छेद ही पढ़ रहे थे। मेरे विचार से उन्हें "संविधान का चुनिंदा अध्ययन" पुस्तक प्रकाशित कर देनी चाहिए। वह हर दूसरे अनुच्छेद को पढ़ते हैं। वह उस अनुच्छेद को नहीं पढ़ते जो कि प्रासंगिक है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें ये वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं मित्रतापूर्ण भाव से यह विरोध जताता हूं कि आपने हमें विरोध जताने की अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना हाथ नहीं उठाया था। अब, रेल मन्त्री।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बोला कि आप हमें सुनेंगे। कृपया हमें मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस और सेन्टर की पुलिस ने इतनी शिद्दत शुरू कर रखी है कि हजारों नौजवानों को घर से निकाल कर बेइज्जत किया जाता है। उनमें से बहुतों को पकड़ लिया जाता है तथा उनमें से आधों को पुलिस द्वारा टॉर्चर करके मार दिया जाता है। यह सब अखबारों में आ चुका है। किसी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं दो-तीन नोटिस आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि हमारी बात सुनी जाए। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनने के लिए इंकार नहीं करता हूं, लेकिन उसका एक वक्त है।

(व्यवधान)

श्री कृपाल सिंह : भजलुओं के पास कोई अथारिटी नहीं है जिसके पास जाकर हम अपनी फरियाद सुना सकें। **(व्यवधान)**

स० अतिन्दर पाल सिंघ (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, आज सारा पंजाब अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। 5 फेक एनकाउंटर अमृतसर जिले में बनाए गए जिनकी रिपोर्ट पिछले शनिवार के हिन्दुस्तान टाइम्स के पेज नं० 10 पर आई है। 2 फेक एनकाउंटर पटियाला जिले में इसी महीने बनाये गये जिनकी रिपोर्ट अखबारों में आई है। अभी अध्यक्ष महोदय, कल, परसों इसी दिल्ली में मेरे अंग रक्षक को, जो पंजाब पुलिस का है, उसे चार लोगों ने जोर बाग में पकड़ कर पीटा, **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस बात को आपने भी उठाया था,

(व्यवधान)

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, इसको मैंने कल नहीं उठाया था, आज ही उठा रहा हूं। उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई और पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि इस देश में सिख असुरक्षित हैं। अतः इस पर बहस होनी चाहिए और सरकार को इस पर अपना जवाब देना चाहिए। इस बात पर हम आपका निर्णय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठ जाइए। मैं देखूंगा।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, हम आपका निर्णय अभी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं अपना निर्णय दे दूंगा। आप बैठ जाइये।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय हम आपका निर्णय अभी चाहते हैं यदि आप फैसला नहीं दे सकते हैं, तो पंजाब की जनता की ओर से मैं अपने आप को पेश करता हूं, आप हमारा भी नकली मुकाबला बनाइये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप हमें मिलिए ।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : इस मुद्दे पर अध्यक्ष महोदय, बहस होनी चाहिए । अगर हाउस को सिखों के मामले में चिन्ता नहीं है, तो हम भी अपने आपको पेश करते हैं, हमारा भी नकली मुकाबला बनाइये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी और पूरे हाउस की इस बारे में बहुत चिन्ता है । मेरा आप से निवेदन है कि आप मुझे बाद में मिलिए । आप मुझसे चैम्बर में जब मिलेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा ।

स० अतिन्दर पाल सिंघ : अध्यक्ष महोदय, हम बहस अभी चाहते हैं । हम आप से भी अवश्य मिलेंगे । लेकिन आज इस मुद्दे पर हम वाक-आउट करते हैं और इसके बाद हम आप से मिलेंगे, उसके बाद हाउस में आयेंगे और अगर हमें हाउस सुरक्षा देगा, तो हम हाउस में आयेंगे, नहीं तो नहीं आयेंगे ।

इस समय श्री कृपाल सिंह और स० अतिन्दर पाल सिंघ सभा-भवन से बाहर चले गए ।

1.10 म० प०

रेलवे बजट 1991-92

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सम्मुख वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमान और वर्ष 1991-92 की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत कराने के लिए खड़ा हुआ हूं । अगले वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित ये अनुमान पूरे वर्ष के लिए हैं लेकिन इस-समय मैं इस सदन से केवल लेखानुदान की मांग कर रहा हूं जो पहले चार महीनों के अनुमानित खर्च के लिए अपेक्षित है । बाकी के वर्ष की आवश्यकताओं के बारे में बाद में अलग से स्वीकृति ली जायेगी ।

सबसे पहले, मैं राष्ट्र के लिए एक अत्यन्त चिन्ताजनक और दुःखद मामले में इस सदन साथ अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं । खाड़ी युद्ध का देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभा पड़ने की सम्भावना है । श्रीमान्, भारतीय रेलों ने इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की सम्भावना कव सामना करने के लिए अपने आपको तैयार कर लिया है और इस बात का भरसक प्रयास किया जाएगा कि जन-साधारण को कम से कम कठिनाई हो ।

वित्तीय निष्पादन, 1989-90

मुझे सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगातार पांचवें वर्ष भारतीय रेलों का वित्तीय परिणाम अधिशेष के रूप में हमारे सामने आया है अर्थात् सामान्य राजस्व को 808.81

करोड़ रुपए के लाभांश के पूरे भुगतान के बाद बजट में दिखाये गये 140 करोड़ रुपए के अधिशेष के बजाय 173.26 करोड़ रुपए का अधिशेष मिला है।

1.13 म० प०

[उहाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सातवीं योजना

इससे सातवीं योजना अवधि के दौरान कुल अधिशेष 560 करोड़ रुपए और लाभांश का भुगतान 3,249 करोड़ रुपए हो गया है। बहरहाल, योजना अवधि की पूरी वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने के लिए उल्लेखनीय है कि इसके बावजूद रेलों को विकास निधि के लिए सामान्य राजस्व से 198.08 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था और इस तरह इन ऋणों की कुल राशि 534.44 करोड़ रुपये हो गई थी। पूर्ववर्ती अवधि से सम्बन्धित लाभांश की आस्थगित दायिता 504.45 करोड़ रुपये से कम करके योजना के शुरू में 128.44 करोड़ रुपये कर दी गई। रेलवे के निधि शेषों में 139 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई। रेलवे का योजना परिव्यय 16,549 करोड़ रुपए रहा जिसका मुख्य स्रोत आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली 7,151 करोड़ रुपए की राशि थी। साथ ही इसके लिए कम होती बजट सहायता के सन्दर्भ में बाजार से 2,520 करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ा। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि परम्परागत बजट सहायता की अपेक्षा बाजार से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करना रेलवे को बहुत महंगा पड़ता है और कुल मिलाकर संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्वक ही ऐसा किया गया था।

माल यातायात 1990-91

1990-91 का बजट तैयार करते समय, 325 मिलियन मीट्रिक टन राजस्व उपार्जक माल यातायात की प्रत्याशा की गई थी। लेकिन इस बीच रेलों को अनेक बाह्य प्रतिकूल घटनाओं का सामना करना पड़ा। मई, 1990 में विनाशकारी तूफान आया जिसकी वजह से पूर्वी तट पर रेल संचालन ठप्प सा पड़ गया जिसका कोयला, इस्पात, लोह-अयस्क, पैट्रोलियम उत्पाद आदि थोक वस्तुओं के लदान पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाद में देश में व्यापक नागरिक उपद्रवों के कारण रेल परिचालन और संसाधनों को भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके अलावा, कोयला, इस्पात और लोह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कम यातायात प्राप्त होने के कारण लक्ष्य की तुलना में लदान में नवम्बर, 1990 तक लगभग 8 मिलियन मीट्रिक टन की कमी अपरिहार्य दिखाई देने लगी जिसके चलते इस वर्ष का संशोधित लक्ष्य अब 316 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया है।

वित्तीय संभावनाएं 1990-91

चालू व्यस्त मौसम में राजस्व माल के लदान में सुधार की सम्भावनाओं और प्रति मिलियन मीट्रिक टन के बेहतर प्रतिफल को देखते हुए माल यातायात से आमदनी जिसकी स्थिति नवम्बर, 1990 तक अच्छी नहीं थी, का अनुमान अब 8,380 करोड़ रुपए रखा गया है जो कि बजट की तुलना में 44 करोड़ रुपए कम है। यात्री यातायात से आमदनी लगभग अपेक्षित स्तर तक ही है

बल्कि 3,115 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में इसके 15 करोड़ रुपए अधिक रहने की संभावना है। अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी बजट में की गई 334 करोड़ रुपए की व्यवस्था से 16 करोड़ रुपए अधिक होने की आशा है। अन्य फुटकर आमदनी का रुख भी उत्साहवर्धक रहा है और इस मद में 207 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में संशोधित लक्ष्य 19 करोड़ रुपए अधिक रखा गया है। कुल मिलाकर सकल आमदनी में बजट की तुलना में 6 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि होने की सम्भावना है। लेकिन साथ ही खासतौर पर कुछ राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त न होने वाली आमदनी की राशि में वृद्धि के रुख को देखते हुए मुझे मजबूर होकर यातायात से कुल प्राप्तियों को बजट में निर्धारित 12,060 करोड़ रुपए की राशि से 22 करोड़ रुपए कम रखना पड़ रहा है।

जहां तक साधारण संचालन व्यय का सम्बन्ध है, उसे 8,241 करोड़ रुपए के निर्धारित बजट स्तर पर बनाए रखने का प्रस्ताव है। हालांकि मार्च, 1990 में डीजल तेल की कीमतें बढ़ गयीं और अक्तूबर, 1990 में खाड़ी अधिप्रभार लगाया गया लेकिन यातायात में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन की कमी और ईंधन के कुशलतापूर्वक उपयोग के उपायों के परिणामस्वरूप इनका प्रभाव अंशतः सन्तुलित हो जायेगा। कुल मिलाकर कुछ अन्य क्षेत्रों में बचत की गुंजाइश और इस वर्ष के शुरू से लागत में कमी, लागत नियन्त्रण और मितव्ययिता के जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, उनके परिणामस्वरूप, आशा है, रेलें अपने मूल बजट के भीतर ही अपना कार्य निष्पादित करने में सफल रहेंगी।

यात्री सेवाएं

श्रीमन् यात्री सेवाओं में वृद्धि की मांग निरन्तर बनी हुई है। पिछले वर्षों में, विशेष रूप से सातवीं योजना अवधि के दौरान, रेलों ने इस मांग को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है लेकिन ऐसा करते समय रेलों को माल यातायात की आवश्यकताओं का भी विवेकपूर्ण ध्यान रखना पड़ा जिसका कि अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोपरि महत्व है। चालू वित्तीय वर्ष में, मई 1990 की समय सारणी लागू होने के बाद, छह अतिरिक्त सेवाएं शुरू की गयीं जिनके नाम हैं :—

1. 2701/2702—2703/2704 निजामुद्दीन-वास्को-ड-गामा (बड़ी लाइन एवं मीटर लाइन) गोवा एक्सप्रेस;
2. 2401/2402 नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस;
3. 5003/5004 गोरखपुर-इलाहाबाद चौरी-चौरा एक्सप्रेस;
4. 229/230 गांधीधाम-भुज-नलिया सवारी गाड़ी;
5. 315 ए/316 ए हवड़ा-बोकारो स्टील सिटी सवारी गाड़ी; और
6. 2403/2404 कानपुर-वाराणसी श्रमिक एक्सप्रेस।

इनके अलावा, 12 वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया। इनमें से कुछ गाड़ियों का चालनक्षेत्र सप्ताह में कुछ दिन के लिए बढ़ाया गया।

जैसा कि सदन को मालूम है, तेल संकट का सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रयास के रूप में रेलों ने कुछ सवारी गाड़ियां रद्द कर दी हैं। मुझे पूरी आशा है कि यह कठिनाई जल्दी ही

खत्म हो जायेगी। यह मानकर कि ऐसा होगा, मेरा प्रस्ताव है कि 1991-92 के वित्तीय वर्ष के दौरान दस अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ियां और एक नई सवारी गाड़ी चलाई जाए। ये गाड़ियां होंगी :

1. बम्बई वी०टी० और वाराणसी के बीच एक अतिरिक्त दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
2. नडिकुडे के रास्ते तिरुपति और सिकन्दराबाद के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी।
3. बम्बई सेन्ट्रल और अहमदाबाद के बीच एक अन्तर्नगरीय एक्सप्रेस गाड़ी।
4. रांची से राउरकेला तक एक एक्सप्रेस गाड़ी जो बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस से मेल लेगी।
5. बेंगलूर और तिरुपति के बीच एक अन्तर्नगरीय एक्सप्रेस गाड़ी।
6. इलाहाबाद और आगरा छावनी के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी।
7. मीटर लाइन पर इलाहाबाद सिटी और छपरा के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी।
8. फिरोजपुर छावनी और जम्मू तवी के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
9. वर्तमान सम्पर्क गाड़ी के बदले बाल्लेक और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।
10. पुरी और तिरुपति के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।
11. पोरबंदर और वासंजलिया के बीच एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी।

इसके अलावा, निम्नलिखित गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव है :—

1. नई दिल्ली-कटिहार महानन्दा एक्सप्रेस का न्यू जलपाईगुड़ी तक।
2. बोकारो-मद्रास एक्सप्रेस का एर्णाकुलम तक।
3. बम्बई वी० टी०-वाराणसी काशी एक्सप्रेस का गोरखपुर तक।
4. गंगा-सतलुज एक्सप्रेस का फिरोजपुर तक।
5. वेरावल-जूनागढ़ सवारी गाड़ी का राजकोट तक।
6. विरार-संजाण सवारी गाड़ी का घिलाड़ तक।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि नई दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच राजधानी एक्सप्रेस से थोड़ा पहले अथवा उसके थोड़ा बाद एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। मैंने मन्त्रालय को निर्देश दिया है कि यदि इसमें सफलता मिलती है तो जैसे ही अतिरिक्त यात्री टर्मिनल क्षमता विकसित हो, अन्य मार्गों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की जाये।

श्रीमन्, महानगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कम दूरी के यात्रियों के घुस-पैठ की वजह से लम्बी दूरी के यात्रियों को जो असुविधा होती है, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे क्षेत्रों में कम दूरी के दैनिक यात्रियों के लिए बिजली अथवा डीजल की बहुएक गाड़ियां चलाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

यात्री आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण

यात्री आरक्षण का काम उत्तरोत्तर कंप्यूटर द्वारा करने की व्यवस्था की जा रही है और नौ बड़े नगरों में यह योजना अब पूरी तरह अमल में लाई जा चुकी है। इस योजना का यात्रियों ने अत्यधिक स्वागत किया है क्योंकि इससे काम में तेजी आई है; लम्बी लाइनें नहीं लगतीं; अनेक

सहायक आरक्षण कार्यालय खुल जाने से आने-जाने में समय की बचत हुई है और कदाचार की संभावनाओं में प्रत्यक्ष कमी हुई है। दस और नगरों में अर्थात् तिरुवनंतपुरम, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, गोरखपुर, जयपुर, जम्मू-तवी, कटक, पुणे और इलाहाबाद में यह कंप्यूटर प्रणाली स्थापित हो चुकी है या इससे सम्बन्धित काम पूरा होने वाला है। 1991-92 के दौरान आठ और स्थानों पर यह काम करने का प्रस्ताव है। ये स्थान हैं—वाराणसी, जोधपुर, आगरा, बड़ोदरा, नागपुर, सूरत, तिरुच्चिरापल्लि और कोयम्बटूर। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल आरक्षण कार्य का लगभग 70 प्रतिशत कंप्यूटर पर होने लगेगा। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बड़े शहरों के बीच आगे के लिये और वापसी के आरक्षण की सुविधा का समावेश भी इस योजना में किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुपक्षीय आरक्षण की सुविधा को सुगम बनाने के उद्देश्य से इन केन्द्रों के लिए एक जाल-क्रम की मंजूरी दे दी गई है और सिकन्दराबाद को भी इससे जोड़ दिया जायेगा।

इसके अलाव, भारतीय रेलों में कुल मिलाकर 51 छोटे स्थानों पर स्वत: संदेशन प्रणाली शुरू की गई, ताकि आरक्षण सम्बन्धी संदेशों के संप्रेषण और आदान-प्रदान में तेजी और विश्वसनीयता आ सके।

स्टेशनों पर सुविधाएं

जहां तक स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रश्न है, किसी एक समय में उस स्टेशन पर होने वाले यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कतिपय मापदंड निर्धारित किये गये हैं। संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए प्राथमिकता दृष्टि से रेलों ने मोटे तौर पर इन सुविधाओं को "बुनियादी" अथवा "अतिरिक्त" के रूप में वर्गीकृत किया है। इस संबंध में 1987 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे बुनियादी यात्री सुविधाओं में कुछ कमियां देखने में आई थीं। पिछले तीन वर्षों में की गई लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था के बल पर इन कमियों को चालू वर्ष में दूर करने के लिए एक कार्य-योजना पर अमल किया जा रहा है। उपलब्ध निधि के अनुरूप महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर सायबान, प्रतीक्षालय, भोजनालय जैसी यथावश्यक अतिरिक्त सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। चालू वर्ष में यात्री सुविधाओं के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो सातवीं योजना में किये गये 15 32 करोड़ रुपये के औसत प्रावधान से काफी अधिक है। 1991-92 के लिए इस मद में 30 5 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

गद्दीदार शायिकाएं

लम्बी दूरी की गाड़ियों के दूसरे दर्जे के शयनयानों में गद्दीदार शायिकाएं लगाने का कार्य पूरा हो गया है और अब आंशिक शयनयानों में गद्दीदार शायिकाएं लगाई जा रही हैं इस कार्य के 1991-92 के दौरान पूरा किये जाने की सम्भावना है।

खान-पान

एल्यूमिनियम के कैसरोलों में गर्म और स्वास्थ्यकर भोजन की सप्लाई, मूल रसोईघरों के आधुनिकीकरण, कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण और गहन निरीक्षण के द्वारा खान-पान के क्षेत्र में काफी सुधार लाया गया है। छोटे स्टेशनों को छोड़कर निविदाएं आमंत्रित करके जाने-माने खान-पान प्रबन्धकों को खान-पान और बेंडिंग के लाइसेंस देने की नीति पर विचार किया गया है। आशा है कि इससे सेवा की गुणवत्ता में और सुधार आने के अलावा सेवा की लागत भी कम होगी।

समय पालन

गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करना रेलों का हमेशा प्रमुख उद्देश्य रहा है और इसके लिए गाड़ियों के चालन पर भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्रबन्धकों द्वारा प्रतिदिन निगरानी रखी जाती है। तथापि, जहां तक चालू वर्ष के लिए गाड़ियों के समय-पालन का सम्बन्ध है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें कुछ गिरावट आई है। इस गिरावट के मुख्य कारण, मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने तथा राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के विरोध में हुए आन्दोलन, पंजाब में और अन्य स्थानों पर कानून और व्यवस्था की कठिन स्थिति तथा विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा हैं।

संरक्षा

आठवें दशक के शुरू में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1,013 थी लेकिन इस दशक के अन्त में यह संख्या घटकर 540 रह गयी अर्थात् इसमें [illegible] की कमी हुई। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर गाड़ी दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी आई और ये 1980-81 के 2.0 से घटकर 1985-86 तक 1.3 और 1989-90 में 0.87 रह गयीं। चालू वित्त वर्ष में, अप्रैल 1990 से जनवरी 1991 तक की अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की कुल संख्या पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 454 की तुलना में 458 रही। चालू वर्ष के आंकड़ों में मुख्यतः सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती के कारण हुई 31 समपार दुर्घटनाएं तथा तोड़-फोड़ और शरारती गतिविधियों के कारण हुई 15 दुर्घटनाएं शामिल हैं। जहां तक विशेष रूप से यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में इनकी संख्या में कुछ कमी हुई है लेकिन इनमें से कुछ में हताहतों की संख्या अधिक रही है। यह हम सबके लिए अत्यन्त दुःख और चिन्ता का विषय है।

मानवीय तत्व की विफलता, गाड़ी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनी रही है। इस ओर सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नाजुक कोटियों के कर्मचारियों जैसे ड्राइवरों और स्टेशन मास्टरों को बार-बार परामर्श, बेहतर प्रशिक्षण तकनीक और मनोपरीक्षण के माध्यम से रेल कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता के स्तर को ऊंचा किया जा सके। मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के लिए रेलपथ परिपथन, धुरा काउन्टर, पैनल अन्तर्पाशन, रूट रिले अन्तर्पाशन और सहायक चेतावनी प्रणाली जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार किए जा रहे हैं। आस्तियों के समुचित अनुरक्षण का संरक्षा और कुशलता के लिए विशेष महत्व है। अतः इस पर विशेष बल दिया जा रहा है।

विपणन प्रयास

अर्थव्यवस्था के अवसंरचनात्मक क्षेत्र के रूप में रेलें कोयले, लौह अयस्क, खाद्यानों आदि थोक पण्यों की उत्तरोत्तर ढुलाई करती रही है, जो 1989-90 में रेलवे माल यातायात का लगभग 89 प्रतिशत है। अधिक लाभ वाले पण्यों की ढुलाई के मामले में, रेलों को सड़क परिवहन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे ग्राहकों को घर से घर तक की सेवा और भाड़ा-दर में तदर्थ कमी जैसे कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं। कंटेनर संचलन के अलावा तेज परिवहन सेवा, माल अग्रेषक योजना और तेज रफ्तार की लिंक एक्सप्रेस जैसी विभिन्न ग्राहकोन्मुखी सेवाओं के जरिए रेलों ने इस तरह के सड़क यातायात को अपनी ओर आकर्षित करने के कुछ उपाय किए हैं। रेलें अपनी सेवा में गुणात्मक सुधार लाने तथा अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को तेज कर रही हैं।

रेल दावा अधिकरण

रेल दावा अधिकरण की स्थापना रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत की गयी है। इस अधिकरण ने 8 नवम्बर, 1989 से कार्य करना शुरू कर दिया है और विभिन्न स्थलों पर इसकी 17 पीठें हैं। दीवानी अदालतों में लंबित मामले इस अधिकरण को अंतरित किए गए हैं। अधिकरण द्वारा मुकदमों का तेजी से निपटारा किए जाने के कारण, दावेदारों को खास तौर पर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में काफी राहत मिली है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

रेलों की आठवीं योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी कि शताब्दी के अंत तक रेलों को छठी योजना के दौरान सम्हाले गए यातायात से प्रायः दुगुना यातायात सम्हालना पड़ेगा। समुचित क्षमता के विकास के साथ-साथ, एक मूलभूत लक्ष्य यह भी था कि प्रणाली के पुनः स्थापना और गतायु आस्तियों के नवीकरण का वह काम पूरा किया जाए जिस पर सातवीं योजना के दौरान बल दिया गया था। बहरहाल, कुल मिलाकर संसाधनों की स्थिति कुछ ऐसी है कि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, पहले दो वर्षों के दौरान रेलों की योजना राशि बहुत ही कम रही है। अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किफायत की आवश्यकता है और आपसी प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखते हुए, रेलों की आठवीं योजना को समुचित ढंग से तैयार करना होगा। बह-रहाल, मुझे पूरी आशा है कि योजना के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाएगी उससे इतनी क्षमता का सृजन किया जा सकेगा जो अर्थ-व्यवस्था की पूर्वानुमानित मांगें पूरी करने के लिए रेलों के लिए आवश्यक होगी। आशा की जाती है कि प्रणाली को वास्तव में पूरी तरह अर्थक्षम बनाने और रेलों के कार्य-निष्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग की तमाम योजनाएं भी इस योजना-आबंटन द्वारा पूरी हो सकेंगी।

वार्षिक योजना 1991-92

रेलवे योजना 1991-92 के लिए परिव्यय 4,820 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो

चालू वर्ष के योजना आकार से कम है। रेलवे बांड जारी करके जनता से प्राप्त किए गए ऋण की राशि, जो चल स्टाक की खरीद के लिए धन की व्यवस्था करने का अब मुख्य स्रोत है, चालू वर्ष में 1,170 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये हो गई है। आबंटित योजना आकार के अंतर्गत, रेलों ने चल स्टाक की खरीद, कारखानों के आधुनिकीकरण, रेलवे विद्युतीकरण और रेलपथ तथा अन्य आस्तियों के पुनःस्थापन के मामले में अपनी प्राथमिकताएं बनाए रखने तथा साथ ही नयी लाइनों, आमान परिवर्तन परियोजनाओं और अन्य अनिवार्य निर्माण कार्यों के लिए उचित स्तर तक धन आबंटित करने का प्रयास किया है। योजना परिव्यय में यदि कोई वृद्धि संभव हुई तो वह बाद में नियमित बजट में परिलक्षित होगी।

नयी लाइनें, आमान परिवर्तन तथा दोहरी लाइनें बिछाना

चालू वर्ष में, कोटा-चितौड़गढ़-नीमच परियोजना का कार्य पूरा हो जाने पर, चितौड़गढ़-नीमच (56 कि० मी०) नयी लाइन खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। जमीरा-भैरबी (18 कि०मी०) खंड को मार्च, 1991 के अन्त से पहले खोल दिए जाने से, लालाबाजार-भैरबी परियोजना भी पूरी हो जाएगी। 6 अन्य खंडों, यथा कोलारस-शिवपुरी (25 कि०मी०), तालचेर अंगुल (18 कि०मी०), दामनजोड़ी-लक्ष्मीपुर (42 कि०मी०), सिंगापुरम रोड-केवटीगुडा (10 कि०मी०), ग्वालियर-पनिहर (23 कि०मी०) और सम्बलपुर मानेश्वर (16 कि०मी०) को भी मार्च, 1991 तक खोल दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार चालू वर्ष में चालू की गई नयी लाइनों की कुल लंबाई 208 कि०मी० हो जाएगी।

आमान परिवर्तन की दो परियोजनाएं, यथा, गुन्टूर-माचेर्ला (131 कि०मी०) और मऊ-वाराणसी (91 कि०मी०) भी इस वर्ष चालू की गई हैं।

आगामी वर्ष 1991-92 में जिन नई लाइन खंडों को खोलने का प्रस्ताव है, वे निम्नलिखित हैं :—

परियोजना	खंड	कि०मी०
1	2	3
कोरापुट-रायगडा	लक्ष्मीपुर-केवटीगुडा	92
सतना-रीवा	सतना-रीवा	50
अल्लेप्पी कायनकुलम	अल्लेप्पी-कायनकुलम	43
त्रिचूर-गुरूवायूर	त्रिचूर-गुरूवायूर	24
आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	21
आमगुरी-तुली	आमगुरी-तुली	15
तेलापुर-पाटनचेरू	तेलापुर-पाटनचेरू	9
गुना-इटावा	शिवपुरी-खजूरी पनिहर-घाटीगांव	30
मथुरा-अलवर	मथुरा-गोवर्धन	26
तालचेर-सम्बलपुर	मानेश्वर-भीमखोज अंगुल-केरजंग	25
चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	रायदुर्ग-मोलकलमुरू	15
जम्मू-ऊधमपुर	जम्मू-बजातला	11
रामपुर-न्यू हल्द्वानी	रामपुर चौराहा	9

उपर्युक्त पहले 7 खंडों को खोल दिए जाने से, सात परियोजनाएं, यथा कोरापुट-रायगडा, सतना-रीवा, अल्लेप्पी-कायनकुलम, त्रिचूर- गुरूवायूर, आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी, अम्मगुरी-तुली और तेलापुर-पाटनचेरू परियोजनाएं भी चालू कर दी जाएंगी।

मैसूर-बेंगलूरू (138 कि०मी०), मानमाड-औरंगाबाद (114 कि०मी०) और लालगढ़-नाबर (50 कि०मी०) के बीच कुल मिलाकर 302 कि०मी० आमान-परिवर्तन परियोजनाओं को भी 1991-92 में चालू कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

चालू वर्ष के दौरान लगभग 350 कि०मी० लंबी दोहरी लाइनें बिछा दिए जाने की संभावना है जबकि अगले वर्ष में अन्य 500 कि०मी० लंबी दोहरी लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बगहा और छतौनी के बीच मीटर लाइन फिर से बिछाने की परियोजना और छपरा से औड़िहार तक आमान परिवर्तन परियोजना पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है।

1991-92 के आरम्भ में, कुल 2,070 कि०मी० लंबी 24 नई रेल लाइन परियोजनाएं और 2,118 कि०मी० लंबी 11 आमान-परिवर्तन की परियोजनाएं रेलों के हाथ में होंगी। इन्हें पूरा करने के लिए अब लगभग 3,005 करोड़ रुपए की और आवश्यकता का अनुमान किया गया है। सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि ऐसे मौके पर जबकि देश को संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, उपलब्ध साधनों के कुछ भाग को नई परियोजनाएं में लगाने के बजाय, पहले से चल रही परियोजनाओं में लगाना और इस प्रकार उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त करना ही अधिक उपयुक्त होगा। "रेलवे जालक्रम विस्तार समिति" ने नई लाइनों और आमान-परिवर्तन के लिए कुल मिलाकर ऐसी लाइनों का पता लगाया है जिनका निर्माण शताब्दी के अंत तक संभावित यातायात को संभालने के लिए अपेक्षित क्षमता के सृजन हेतु किया जाना है। इन परिस्थितियों में, प्रमुख नई परियोजनाओं के बारे में बहुत ही सावधानीपूर्वक और चुनिंदा आधार पर निर्णय लेना होगा परियोजनाओं पर सामान्यतया लाभप्रद की दृष्टि से विचार किया जाता है लेकिन पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी ध्यान में रखकर परियोजनाओं पर विचार करना होता है ताकि उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, निम्नलिखित नई परियोजनाओं के बारे में सक्रियता से विचार किया जा रहा है। ये परियोजनाए हैं :—

नई लाइनें

लाजीगढ़ रोड से जूनागढ़ (54 कि०मी०)

खोरधा रोड से बोलंगीर (289 कि०मी०)

रांची-हजारी बाग कोडरमा (190 कि०मी०)

आमान परिवर्तन

इलाहाबाद और वाराणसी के बीच (125 कि०मी०)

मुजफ्फरपुर और गोरखपुर के बीच (310 कि०मी०)

सगौली और रक्सौली के बीच (29 कि०मी०)

मऊ और शाहगंज के बीच (99 कि०मी०)

इंदारा और फैफना के बीच (51 कि०मी०)

बीड के रास्ते अहमदनगर से परली बैजनाथ तक एक बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और काम शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कोंकण रेलवे निगम

श्रीमन् सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोंकण रेलवे निगम की स्थापना रिकार्ड समय के भीतर की गई है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जुलाई, 1990 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की स्थापना 250 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी से की गई है, जिसमें रेल मन्त्रालय और लाभान्वित होने वाले चार राज्यों--महाराष्ट्र' गोवा, कर्नाटक तथा केरल की भागीदारी है।

परियोजना के पूरा हो जाने पर, दक्षिण-पश्चिम तट के स्टेशनों से उत्तर की ओर की दूरी में अत्यधिक कमी हो जाएगी, उदाहरणार्थ, मंगलौर और बम्बई के बीच की 2041 कि०मी० की दूरी में 1050 कि०मी०, मंगलौर से दिल्ली के बीच की 3033 कि०मी० की दूरी में 707 कि०मी० और कोचीन से बम्बई के बीच की 1849 कि०मी० की दूरी में 436 कि० मी० की दूरी कम हो जाएगी। यात्रा में लगने वाले समय में भी काफी कमी हो जाएगी, मंगलौर से बम्बई तक यात्रा करने में लगने वाले 41 घंटे के समय में 24 घंटे और कोचीन से बंबई तक यात्रा करने में लगने वाले 36 घन्टे के समय में 12 घंटे की कमी हो जाएगी।

वित्तीय मूल्यांकन में ऊर्जा और समय में होने वाली बचत को ध्यान में नहीं लिया गया है, लेकिन इतने बड़े आकार की किसी परियोजना के लागत-लाभ विश्लेषण में इन आंकड़ों का प्रमुखता से उल्लेख होगा।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

कलकत्ता की मेट्रो रेल प्रणाली इस महान शहर के नागरिकों की एक बहुमूल्य धरोहर है। किंतु एसप्लेनेड और बेलगछिया के बीच शेष 6.5 कि०मी० के टुकड़े को पूरा करने में समस्याएं आ रही हैं, जिनके समाधान के लिये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की सक्रिय सहायता बहुत महत्व-पूर्ण है। आशा है कि परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये राज्य सरकार सहायता करेगी।

13.5 कि०मी० की दूरी में दैनिक यात्री गाड़ियों के परिचालन के लिए दमदम जंकशन से प्रिंसेपघाट तक की रेलवे लाइन वर्ष के दौरान आरम्भ कर दी गई है। परिक्रमा रेलवे प्रणाली को पूरा करने के लिए मजेरहाट तक इस लाइन को बढ़ाने की व्यावहारिकता की भूतल परिवहन मन्त्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है क्योंकि प्रस्तावित संरेखण कलकत्ता पत्तन न्यास क्षेत्र से होकर गुजरता है।

बंबई में, मानखुर्द से बेलापुर तक रेलवे लाइन को बढ़ाने की परियोजना की निरंतर प्रगति हो रही है और दिसंबर, 1990 के अंत तक 73 प्रतिशत काम पूरा होने का अनुमान है।

मद्रास बीच-लुज द्रुत परिवहन प्रणाली की दिसम्बर, 1990 के अन्त तक लगभग 41 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है।

बम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के सम्बन्ध में स्थिति-पत्र

भारतीय रेलों ने बंबई उपनगरीय प्रणाली के सम्बन्ध में दिसंबर, 1990 में एक स्थिति-पत्र जारी किया था। इस दस्तावेज में, बम्बई में परिवहन स्थिति का मूल्यांकन किया गया है, विशेष रूप से उपनगरीय रेल प्रणाली का और वर्ष 2001 ईसवी तक उपनगरीय रेल यातायात की मांग को सम्पूर्णतः पूरा करने के लिए वित्तीय और संस्थागत प्रबन्धों के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया है। इस दस्तावेज में बम्बई के नगर-परिवहन के सम्बन्ध में एक समन्वित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और कम किरायों पर दैनिक यात्रियों के लिए तेज और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करने के लिए सम्भावित कार्यनीतियों का वर्णन किया गया है।

नगर परिवहन

तेजी से बढ़ते हुए अन्य कई शहरों मे नगर परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि बम्बई के मामले में, यह मूल रूप से वर्तमान रेल परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रश्न है, फिर भी कतिपय शहरों के लिए, भूमिगत रेलवे सहित अन्य तरीकों से भी तकनीकी समाधान निकालना होगा। इससे सम्बन्धित समग्र नीति शहरी विकास मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आती है और वित्तीय बोझ सम्बन्धित शहर प्राधिकरणों और राज्य सरकारों को उठाना होगा।

रेलपथ नवीकरण

सातवीं योजना के दौरान रेलपथ नवीकरण पर विशेष जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप, 19,623 कि०मी० रेलपथ का नवीकरण किया गया, जिसका वार्षिक औसत 3,925 कि०मी० है। इस प्रकार, सातवीं योजना के आरम्भ में 19,500 कि०मी० का बकाया सातवीं योजना के अन्त में घटकर 12,000 कि०मी० रह गया था। इसमें 2,300 कि०मी० का औसत वार्षिक संचय भी ध्यान में रखा गया है। यद्यपि रेलों का प्रयास रहेगा कि चालू योजना के अन्त तक नवीकरण का पूरा बकाया काम समाप्त हो जाए, फिर भी ससाधनों की तंगी और लागतों में वृद्धि के कारण नौवीं योजना के लिये भी बाकी कुछ रह जाना अपरिहार्य लगता है। इस सबके बावजूद, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है कि आठवीं योजना के अन्त तक कम से कम उच्च घनत्व वाले मार्गों पर रेलपथ नवीकरण का काम बकाया न रहे। इसका लक्ष्य जो चालू वर्ष के लिए 3,500 कि०मी० है, अगले वर्ष के लिए भी इतना ही रखा जा रहा है।

रेल विद्युतीकरण

पेट्रोलजन्य उत्पादों पर रेलों की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, भारी घनत्व वाले मार्गों

के विद्युतीकरण का महत्व और भी बढ़ गया है। सातवीं योजना के दौरान 2,812 मार्ग कि०मी० का विद्युतीकरण किया गया था। इससे सातवीं योजना के अन्त में कुल विद्युतीकरण मार्ग कि०मी० 9,25: हो गया है। आठवीं योजना के दौरान भारतीय रेलों का लगभग 3,000 मार्ग कि०मी० के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

इस समय दिल्ली और हावड़ा तथा पश्चिम रेलवे के रास्ते दिल्ली और बंबई को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है दिल्ली और मद्रास को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिणी मार्ग को चालू वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा। इस वर्ष के लिए लक्ष्य 1,040 मार्ग कि०मी० रखा गया है जिसमें 400 के लगभग वे मार्ग कि०मी० शामिल हैं जो अधिकांशतः पूरे कर लिए गए थे। किंतु गत वर्ष ऊर्जित नहीं किये जा सके।

मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली से बंबई और हवड़ा से बंबई तक के ट्रंक मार्गों का विद्युतीकरण अगले वर्ष पूरा करने की योजना है। 1991-92 के बजट में, दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना (314 मार्ग कि०मी०), साबरमती-गांधीनगर (28 मार्ग कि०मी०) और किरिबुरू से बोकारो तक 398 मार्ग कि०मी०) के लौह अयस्क मार्ग और गोमिया-पतरातू (72 मार्ग कि०मी०) को विद्युतीकरण के लिए नये कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। सीतारामपुर-झाझा खंड (154 मार्ग कि०मी०) के विद्युतीकरण का काम भी शुरू किया जा रहा है।

उत्पादन कारखाने

1989-90 में उत्पादन कारखानों का कार्य-परिणाम सामान्यतया संतोषजनक रहा है। डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ने 140 डीजल रेल इंजन तैयार करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा 100 के लक्ष्य से अधिक 105 बिजली रेल इंजनों तथा 42 डीजल रेल इंजनों का भी निर्माण किया गया। सवारी डिब्बा कारखाने में 925 सवारी डिब्बों की निर्धारित क्षमता तक उत्पादन हुआ था। इन कारखानों द्वारा चालू वर्ष में भी उत्पादन के अपने-अपने लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना है।

जहां तक अन्य तीन कारखानों का संबंध है, जिनमें हाल ही के वर्षों में उत्पादन शुरू हुआ है, रेलवे कोच फैक्टरी, कपूरथला में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन का लक्ष्य मूल के 400 सवारी डिब्बों से बढ़ाकर मोजूदा अभिकल्प के 500 सवारी डिब्बे किया जा रहा है।

डिजल कलपुर्जा कारखाना द्वारा 28 करोड़ रुपये मूल्य के कलपुर्जों का निर्माण और 24 रेल इंजनों का पुनर्निर्माण किए जाने की संभावना है। बेंगलूरू के पहिया एवं धुरा संयंत्र ने गत वर्ष 22,647 पहिया सेटों का निर्माण किया था और चालू वर्ष में इसका उत्पादन लगभग 24,000 तक तक बढ़ने की संभावना है।

कारखानों और उत्पादन यूनिटों का पुनःस्थापन

भारतीय रेलों के कारखाने और उत्पादन यूनिट चल स्टाक के अनुरक्षण और सवारी डिब्बों तथा रेल इंजनों के उत्पादन की रीढ़ हैं। उनमें से अनेक कई दशकों से भारतीय रेलवे की सेवा कर रहे हैं और उनकी मशीनों और उपस्करों की पुनःस्थापना करना आवश्यक हो गया है। बदलाव की प्रक्रिया में, उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण का दूसरा चरण चल रहा है। इसका अंतिम परिणाम सभी किस्म के चल स्टाक की बेहतर उपलब्धता और विश्वसनीयता रहा

है। प्रसंगवश, सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि रेल स्प्रिंग फैक्टरी, ग्वालियर में, जो रेलों के चल स्टाक के लिए काइल स्प्रिंगों के निर्माण हेतु एक आधुनिकीकरण और परिष्कृत संयंत्र है, उत्पादन आरंभ हो गया है।

प्रौद्योगिकीय उन्नयन

रेलों पर संभवतया रेल इंजनों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नयन परम आवश्यक है। जैसा कि सदन को मालूम है, भारतीय रेलों ने ऊर्जा की कम खपत, शीघ्रतर गतिवर्धन, अधिक भारी लदान की क्षमता और अधिक गति और अनुरक्षण की कम अपेक्षा रखने जैसे अनेक लाभों सहित उच्च अश्व शक्ति के आधुनिक बिजली और डीजल-बिजली रेल इंजन प्राप्त करने के लिए पहले ही उपाय किये हैं। इन्हें प्रौद्योगिकी अन्तरण सहित प्राप्त करना है। जापान और स्वीडन से तीन अभिकल्पों के 6,000 अश्व शक्ति के 18 बिजली रेल इंजनों का भारतीय रेलों पर परीक्षण चल रहा है। जब तक कि उच्च अश्व शक्ति के रेल इंजनों का स्वदेशी निर्माण शुरू न कर दिया जाए तब तक अलग-अलग उपस्कर और उप-प्रणालियों के उन्नत अभिकल्पों के माध्यम से यथासंभव चितरंजन और वाराणसी में निर्मित रेल इंजनों का उत्तरोत्तर उन्नयन जारी रखने का प्रस्ताव है। उच्च गति क्षमता सहित एक अधिक लंबे, हल्के और बेहतर सवारी डिब्बे के आधुनिक अभिकल्प को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय रेलें आगामी वर्षों में प्रत्याशित अधिक भारी और तेज यातायात को सम्हालने के लिए रेलपथ आधुनिकीकरण के एक चुनिंदा कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं। यह अधिक सुदृढ़ और भारी रेल खंडों, लंबी या सतत झली पटरियों, लचीले स्विरकों सहित पूर्व-प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों तथा नवोन्मेष अभिकल्पों के पूर्व-प्रबलित कंक्रीट पुलों तथा उच्च गति वाले टर्न आउटों सहित मोटी जाली के स्विचों का अधिकाधिक उपयोग करके प्रयोग किया जा रहा है। रेलों ने मुख्यतया रेलपथ के टिकाऊपन और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर रेलपथ अनुरक्षण कार्यों का यान्त्रिकीकरण भी शुरू किया है। यह काम विभिन्न प्रकार की अधिकाधिक रेलपथ मशीनों द्वारा पूरा किया जाता है। इनमें से कुछ मशीनों की स्वदेशी निर्माण क्षमता का भी धीरे-धीरे विकास किया जा रहा है।

दूर संचार जालक्रम के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में, जहां कहीं पुरानी अस्तियों का बदलाव अपेक्षित है, चालू प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अंकीय प्रौद्योगिकी पर आधारित उपस्कर का उपयोग किया जायेगा। इसी प्रकार, विद्युत-यांत्रिक टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर अंकीय इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। इनमें से अधिकांश उपस्कर स्वदेशी निर्माताओं से खरीदे जाएंगे। चर्चगेट और विरार के बीच आप्टिक फाईबर संचार संपर्क आरंभ किया गया था और इस काम को दुर्ग-नागपुर-इटारसी विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।

ऊर्जा की बचत

श्रीमन्, ऊर्जा की बचत समय की महती आवश्यकता है। यह रेलों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है, जिन्होंने तकनीकी एवं प्रबंधकीय नवोन्मेष के जरिए, तथा अपव्यय को कम करने के

लिए उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का अधिक सदुपयोग करने हेतु पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं। सातवीं योजना के वर्षों के दौरान, किलोग्राम के हिसाब से कोयले के विशिष्ट ऊर्जा उपयोग में प्रति हजार सकल टन किलोमीटर की निरन्तर कमी आई है। तीनों प्रकार के सभी कर्षण अर्थात भाप, डीजल और बिजली के अन्तर्गत विशिष्ट ईंधन के उपयोग का गिरता हुआ रुख चालू वर्ष में भी जारी रहा।

ऊर्जा की बचत तथा उत्पादकता बढ़ाने के सन्दर्भ में, डीजल और बिजली रेल इंजनों के उपयोग में सुधार उल्लेखनीय है जिसके कारण भाप रेल इंजनों को धीरे धीरे हटाये जाने में भारतीय रेलें समर्थ हुई हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,766 रेल भाप इंजन सेवा से हटा लिए गए हैं। आठवीं योजना अवधि में 2,500 तक और भाप रेल इंजन कम करने का प्रस्ताव है।

ईंधन की बचत के लिए रेलों द्वारा पहले से किए गए उपाय अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) गुजरने वाले खंडों और ढोए गए भार के आधार पर डीजल रेल ईंजनों के लिए फैरा राशनिंग का पुनर्मूल्यांकन;

(2) अलग-अलग रेल इंजनों और ड्राईवरों के ईंधन खपत निष्पादन की निगरानी;

(3) ईंधन बचाने के लिए उपयुक्त तकनीकों में अनुरूपकों के माध्यम से ड्राइवरों का प्रशिक्षण;

(4) बेहतर ईंधन कार्यक्षमता, ईंधन कार्यक्षमता किटों और परीक्षण पर उच्च कार्यक्षमता वाले टर्बोचार्जरों को ध्यान में रखते हुए डीजल रेल इंजनों की उप-प्रणालियों का अध्ययन;

(5) चालन के दौरान घर्षण को कम करने के लिए पटरी आमान के सिरों का स्नेहन तथा पहिया कोर स्नेहकों का इस्तेमाल;

(6) रेलों पर "बिजली बचाओ" अभियान;

(7) प्रमुख प्रतिष्ठानों का ऊर्जा लेखा अंकेक्षण;

(8) बिजली रेल इंजनों पर 3 फेस प्रेरक मोटर कर्षण तथा डी॰ सी॰ कर्षण के लिए चापरों का परीक्षण;

(9) कर्षण सब-स्टेशनों पर कैपेसीटर बैंक;

(10) रेल पथ के लिए लंबी झली हुई पटरियों का इस्तेमाल; और

(11) सभी स्तरों पर ऊर्जा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

उठाईगीरी और छीजन को कम करने के लिए कोयला और डीजल तेल के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रबन्ध एवं इन वस्तुओं की प्राप्ति और निकासी का लेखा-जोखा रखने सम्बन्धी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया गया है।

भारतीय रेल कल्याण संगठन

सदन इससे अवगत है कि स्व-वित्तपोषण के आधार पर मकान खरीदने में रेल कर्मचारियों की सहायता करने के लिए भारतीय रेल कल्याण संगठन की स्थापना की गई है। संगठन को अपने क्रियाकलापों के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है। अब तक प्राथमिक सदस्यों के रूप में भारतीय रेल कल्याण संगठन के पास 41,000 रेल कर्मचारियों से भी अधिक ने अपने नाम पंजीकृत कराये हैं।

मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों का आभारी हूं जिन्होंने भारतीय रेल कल्याण संगठन को अपनी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सहायता दी है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल

रेलों द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को परम्परागत रूप से प्रदान की गई सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण सुविधा स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल की है। सातवीं योजना अवधि के दौरान बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया था। इसके अलावा, चिकित्सा की होम्योपैथी तथा औषधियों की स्वदेशी पद्धति को भी बढ़ावा दिया जाता है और इनका उपयोग बढ़ाने के लिए एक चरणबद्ध योजना बनाई जा रही है।

उत्पादकता सम्बद्ध बोनस

वित्त वर्ष 1989-90 के लिए, रेल कर्मचारियों के लिए 45 दिनों की मंजूरी के बराबर उत्पादकता सम्बद्ध बोनस स्वीकृत किया गया है जो अब तक की सबसे अधिक राशि है। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों के लिये 27 दिनों की मंजूरी तदर्थ बोनस के रूप में स्वीकृत की गई थी।

औद्योगिक सम्बन्ध

भारतीय रेलों पर औद्योगिक सौहार्द बना रहा इस दिशा स्थाई में वार्ता तंत्र और संयुक्त वार्ता तंत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जबकि समवेत उद्यम दल इस विशाल रेल उद्यम के प्रबन्ध के लिए विचारों और सुझावों का आदान-प्रदान करने के लिए उपयोगी मंच के रूप में कार्य करता है।

इरकान

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने 989-90 में 2 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया जो अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड है और इस प्रकार इसने 20.5 करोड़ रुपए का करपूर्व लाभ तथा 37.57 करोड़ रुपए की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की है। कंपनी ने बंगलादेश में दो परियोजनाएं और मलेशिया में एक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है और चार अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ठेके प्राप्त किये हैं। कंपनी देश में राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं भी निष्पादित कर रही है।

राइट्स

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड ने 1989-90 में 8[illegible].38 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 18.47 करोड़ रुपए की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की। लेकिन कर-पूर्व लाभ पिछले वर्ष से 9.23 करोड़ रुपए से घटकर 3.74 करोड़ रुपए रह गया जिसका कारण यह है कि इराक में प्रमुख ठेका समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान राइट्स ने जाम्बिया, जिम्बाब्वे और पहली बार बोत्सवाना और स्वाजीलैंड में नये ठेके प्राप्त किए।

भारतीय कंटेनर निगम लि० (कानकोर)

भारतीय कंटेनर निगम लि० (कानकोर) मार्च, 1988 में स्थापित किया गया था ताकि बहु-संरूपात्मक परिवहन के विकास पर निगरानी रखी जा सके। नवंबर, 1989 से, कानकोर ने रेलों पर सात अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ली है और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर सुविधाएं विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

भारतीय रेल वित्त निगम

भारतीय रेल वित्त निगम जनता से ऋण लेकर धन जुटाने और उसे रेलवे आस्तियों में खर्च करने के प्रमुख उद्देश्य से दिसम्बर, 1986 में स्थापित किया गया था। पिछले वर्ष तक, भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे बांड के जरिए बाजार से ऋण लेकर 2,560 करोड़ रुपए की राशि जुटायी गई थी और चालू वर्ष के दौरान 1,170 करोड़ रुपए और अगले वर्ष 1,500 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए बांड जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस)

रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस), जिसे रेल मन्त्रालय के अधीन सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है, भारतीय रेलों पर कंप्यूटर प्रणालियां विकसित करने के काम में लगा है। इस समय यह केन्द्र माल भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रमुख काम कर रहा है। इसने रेलों के लिए बहुत सी अन्य उपयोगी परियोजनाएं शुरू की हैं तथा यह अन्य संगठनों को भी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

जनशक्ति योजना

भारतीय रेलों की वित्तीय अर्थक्षमता काफी हद तक उत्पादकता में सुधार लाने पर निर्भर है और मानव संसाधन विकास जनशक्ति उत्पादकता की कुंजी है। रेल प्रणाली का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसके लिए कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि वे उन प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों से प्रभावकारी ढंग से परिचित हो सकें जो इस समय लागू किए जा रहे हैं। सभी स्तरों पर वैज्ञानिक जनशक्ति योजना, बेहतर काम करने के बेहतर तरीके, भिन्न भिन्न कोटियों की प्रशिक्षण सम्बन्धी जरूरतों का सुव्यवस्थित अध्ययन इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में भारतीय रेलों द्वारा निरंतर प्रगति की गई है। राजभाषा अधिनियम में निर्दिष्ट 95% से अधिक दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी किए जा रहे हैं। संहिताएं नियम पुस्तकें और स्टेशन संचालन नियम हिंदी में उपलब्ध कराए गए हैं और कार्यालय के काम में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय रेलों पर स्थिति पत्र—कुछ मुद्दे और विकल्प

श्रीमन्, रेलवे जालक्रम का विस्तार करने और सेवा का बेहतर स्तर बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को न केवल संसद के दोनों सदनों में बल्कि अनेक सार्वजनिक मंचों पर भी प्राय: उठाया गया है। पहली मार्च, 1990 को एक स्थिति पत्र जारी किया गया था, ताकि स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय रेलों के कार्य-निष्पादन और वर्तमान तथा भावी समस्याओं और संभावनाओं से जनता को अवगत कराया जा सके। इसमें जो 6 बुनियादी मुद्दे हैं वे हैं : प्रौद्योगिकीय उन्नयन, जालक्रम का विस्तार, रेलवे और सामान्य वित्त के बीच वित्तीय प्रबन्ध, पूंजी पुनसंरचना, दर नीति और यात्री सेवाएं तथा माल यातायात का संचलन। रेल प्रबन्धकों की इस पारदर्शिता का जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों और निकायों से जो विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है।

विचारणीय उपाय

मुझे समय-समय पर इस आशय के अभ्यावेदन मिलते रहे हैं कि बड़े रेलवे स्टेशनों पर, जहां से होकर लम्बी दूरी की गाड़ियां नहीं गुजरती हैं, इन गाड़ियों में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए, आरक्षण कोटा आबंटित करने का प्रस्ताव है।

बड़े शहरों में बुकिंग एजेन्सियों के माध्यम से टिकटों की बिक्री पर भी स्थानीय आवश्यकतानुसार ध्यान दिया जा रहा है।

सुपरफास्ट गाड़ियों में भोजन यानों की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को रेल यात्रा में रियायत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बेरोजगारी की विकट स्थिति को देखते हुए बड़े स्टेशनों पर स्टालों की व्यवस्था करने के भी कदम उठाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य यह होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षित बेरोजगारों और उनकी सहकारी समितियों को स्टालों के आबंटन के मामले में प्राथमिकता दी जाये।

आज के परिवेश में समाजवादी साहित्य की विशेष आवश्यकता अनुभव की जा रही है लेकिन इससे संबंधित पुस्तकों के विक्रय का अभी तक कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। इस

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर समाजवादी साहित्य की बिक्री के लिए अलग से स्टालों की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्लेटफार्मों और स्टेशन परिसरों में देश के बड़े राजनेताओं, महान संतों, विचारकों की ऐसी सुभाषित सूक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी जो यात्रियों में नैतिक विचारों की उत्प्रेरक हो सकेंगी।

देश के वर्तमान सामाजिक ढांचे और उससे जुड़ी बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, इस बात पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है कि गाड़ियों आदि में अनाधिकृत रूप से चल रहे असंख्य फुटकर विक्रेताओं को किस प्रकार एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के आधार पर अपनी वस्तुओं की बिक्री की सुविधा प्रदान की जाये।

प्राय: यह देखने में आया है कि रेलवे स्टेशनों के बाहर रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से दुकानें आदि बना ली गई हैं। एक प्रकार से उनकी आवश्यकता भी है, लेकिन इससे रेलवे को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। इस स्थिति में अब यह निर्णय लेने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि रेलवे की ऐसी भूमि, जिसकी रेलवे के विस्तार कार्यक्रमों के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है, पर बनी दुकानों आदि से एक निश्चित लाइसेंस शुल्क वार्षिक तौर पर वसूल किया जाए।

ऐसा भी देखा गया है कि रेलवे भूमि के काफी बड़े भाग पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किए गए हैं। जहां रेलवे प्रशासन को अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए भूमि की आवश्यकता है वहां अतिक्रमणों को तत्काल समाप्त करना है। जहां भूमि कृषि योग्य हो और रेल प्रशासन कुछ वर्षों तक वहां अपनी कोई योजना चलाने की स्थिति में न हो तो उसे भूमिहीन हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों की सहकारी समितियों को वर्तमान दर के आधार पर आबंटित किया जा सकता है।

समवेत उद्देश्य (–) व्यापक आयाम

एक दूरदर्शी संगठन होने के नाते, भारतीय रेल को चालू दशक के लिए समवेत उद्देश्य सामने रखने चाहिए ताकि 21वीं शताब्दी में भारतीय रेल अपने राष्ट्र और अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मैं मन्त्रालय को निर्देश दे रहा हूं कि निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने सामने रखा जाए जिससे कि आस्तियों और मानव संसाधनों की बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिल सके। संक्षेप में ये उद्देश्य हैं :—

1. ग्राहक उन्मुखता;
2. वाणिज्यिक अनुकूलता;
3. प्रबन्ध अनुकूलता;
4. परिवर्तनपरक प्रबन्ध व्यवस्था;
5. मानव संसाधन प्रबन्ध व्यवस्था;
6. संरक्षा और परिचालन में चुस्ती; और
7. अर्थक्षमता।

2.00 म० प०

आठवीं योजना में आर्थिक प्रगति की अधिक तेज गति के संदर्भ में, रेलों को अब तक की अपेक्षा कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य निष्पादन करना पड़ेगा। पर्याप्त लाइन और टर्मिनल क्षमता विकसित करने और चल स्टाक का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता और भी बढ़ जायेगी। 21वीं शताब्दी में रेलों को एक आधुनिक रेल प्रणाली बनाने के लिए जिसमें एक इष्टतम अन्तःरूपात्मक मिश्रण पर आधारित देश की यात्री और माल यातायात दोनों प्रकार की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता हो और जो अर्थक्षमता बनाये रखते हुए समाज की न्यूनतम लागत पर इस परिवहन की व्यवस्था कर सके, आठवीं योजना के रेल कार्यक्रमों में प्रणाली के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को भी प्राथमिकता देनी होगी। रेलों को न केवल समग्र आर्थिक विकास के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए बल्कि उसे अवसंरचनात्मक क्षेत्र के रूप में भावी आवश्यकताओं के लिए पहले से ही अपेक्षित व्यवस्था कर लेनी चाहिए और इसके लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता होगी।

1991-92 का बजट अनुमान

अब मैं 1991-92 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। किराये और माल-भाड़े की वर्तमान दरों पर वर्ष भर में यातायात से सकल प्राप्तियां 12,665 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 627 करोड़ रुपये अधिक है। यातायात से प्राप्तियों में यह वृद्धि चालू वर्ष में राजस्व उपार्जक प्रारंभिक माल के 316 मिलियन टन के संशोधित लक्ष्य से 19 मिलियन टन अतिरिक्त लदान और यात्री यातायात के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान पर आधारित है।

साधारण संचालन व्यय का अनुमान 9,270 करोड़ रुपये रखा गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 1,029 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः ईंधन और बढ़ते हुए यातायात के लिए अन्य साधन सामग्री की लागत, सामग्री की कीमतों में वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धियों के प्रभाव, महंगाई भत्ते के अतिरिक्त भुगतान और भारतीय रेल वित्त निगम को देय अधिक लीज किराये के कारण है।

पेंशन निधि में अंशदान चालू वर्ष के 900 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान चालू वर्ष के 1,950 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1991-92 में 2,050 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। बदलाव और नवीकरण के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था इसी निधि से की जाती है। इन कार्यों के लिए प्रत्याशित 1,891 करोड़ रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए जो राशि अपेक्षित होगी, उससे यह अधिक ही है।

कुल संचालन व्यय, जिसमें साधारण संचालन व्यय और पेंशन तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधियों में विनियोग शामिल है, 12,320 करोड़ रुपये होगा और इस प्रकार यातायात से शुद्ध

प्राप्तियां 345 करोड़ रुपये रह जाएंगी। शुद्ध विविध प्राप्तियों से 180 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है और इस तरह शुद्ध राजस्व 525 करोड़ रुपये हो जाएगा। सामान्य राजस्व को देय लाभांश का अनुमान 1,037 करोड़ रुपये लगाया गया है। अतः किराया और माल-भाड़ा दरों के चालू स्तर पर, 512 करोड़ रुपये की कमी रह जाएगी। मैं इस अन्तराल को अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूं। वित्तीय वर्ष के दौरान इसे भर लिया जायेगा। इसके अलावा, विकास निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए सामान्य राजस्व से 140 करोड़ रुपये का ऋण लेने की भी जरूरत पड़ेगी।

ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक मामलों से सम्बन्धित ज्ञापन रेल अभिसमय समिति, 1989 के विचारार्थ यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा। 1991-92 के लिए लाभांश की व्यवस्था उसी दर पर करने का प्रस्ताव है जिस दर पर 1990-91 में की गयी थी।

निष्कर्ष

मान्यवर, मुझे रेल परिवार का प्रधान होने पर गर्व है। रेल कर्मचारियों में कर्तव्य परायणता और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति समर्पण भाव काफी पहले से और आज भी है। आज रेलें देश की अखण्डता और एकता को सुदृढ़ करने वाली मुख्य शक्ति हैं। इस वर्ष, अत्यन्त दुरूह और कठिन स्थितियों में भी रेल कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता बनाये रखी है। रेल संचालन से बिल्कुल असम्बद्ध कारणों से हुए आन्दोलनों अवरोधों और तोड़-फोड़ के कारण रेल सम्पत्ति को हुई अत्यधिक हानि एवं क्षति तथा संचालन कार्यों में संरक्षा के खतरों के बावजूद, रेलें सदा सामान्य स्थिति में लौट आई हैं। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि सदन संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति रेल कर्मचारियों की अडिग निष्ठा की प्रशंसा करने में मेरा साथ देगा। उन करोड़ों यात्रियों और अन्य रेल उपभोक्ताओं का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने धैर्य और सहानुभूति का परिचय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैटर्स अण्डर रूल 377, श्री मोहन लाल झिकराम।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब एडजर्नमेंट मोशन को लिया जाना चाहिये।

श्री कालका दास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष जी, हमें आज प्रातः आश्वासन दिया गया था कि 4.00 बजे शाम को स्थगन प्रस्ताव लिया जायेगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, आश्वासन हो चुका है, इसी हाउस में तो स्थगन प्रस्ताव को तुरन्त लिया जाना चाहिये।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सारा सदन गवाह है, सदन की कार्यवाही गवाह है कि रेलवे बजट के तुरन्त बाद यह सदन स्थगन प्रस्ताव को लेगा। यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। आप तुरन्त स्थगन प्रस्ताव को लिये जाने की अनुमति दीजिये।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी ने आज प्रातः ही कहा था कि 4.00 बजे इस पर, बहस शुरू होगी **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : यहां कहा गया है और मैं उन्हीं के शब्दों को हिन्दी में इस्तेमाल करके बताना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव को आज ही लेंगे। स्पीकर साहब ने रेल बजट के तुरन्त बाद लेने के लिये आश्वासन दिया था। वे सदन में इसकी घोषणा करके गये हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी इन्फार्मेशन ऐसी है कि माननीय सदस्य अभी स्पीकर साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं। मालूम होने के बाद, मैं आपको बताऊंगा। आप बैठिये।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, आज 4 00 बजे लेने के बारे में सुबह ही तय हो गया था (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : रेल बजट के तुरन्त बाद स्थगन प्रस्ताव की एक्सेप्टेंस के लिए वोटिंग होगा, ऐसी घोषणा हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन अभी 4.00 कहां बजे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिये। इस सरकार पर प्रेशर डालकर बजट को पोस्टपोन कर दिया गया और अब फिर प्रेशर डाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : बस, हो गया।

श्री मदनलाल खुराना जब एक बार हाउस में घोषणा हो गयी तो अब उस प्रस्ताव को लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हो गया।

श्री मदन लाल खुराना : अब फिर प्रेशर डाल कर स्टाल करने की कोशिश की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुछ भी इस सदन में कहा गया है, उस पर विचार-विनिमय स्पीकर साहब के साथ, उनके चैम्बर में माननीय सदस्यों का हो रहा है और जनरली ऐसा होता है ··

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : विचार-विनिमय कहां हो रहा है, साहब।

श्री मदन लाल खुराना : जिन्होंने इस मेन ईस्यू को उठाया है, वे तो यहां बैठे हैं। विचार-विमर्श कहां हो रहा है। वहां तो प्रेशर डाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है. आप बैठिये। मेरी समझ ऐसी है कि यहां पर जो कुछ भी स्पीकर साहब ने हाउस के अन्दर कहा है, उसी के मुताबिक वही होगा। उसके लिये अभी समय आने पर सब कुछ मालूम हो जायेगा।

श्री मदन लाल खुराना : सर, चैम्बर में विचार नहीं हो रहा है प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर डालकर तो इन्होंने बजट नहीं आने दिया। अब फिर प्रेशर डाल रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रावका दास : जैसा कांग्रेस के लोग कहेंगे। वैसा ही करा जायेगा।

श्री मदन लाल खुराना : जब एक बार हाउस में मान लिया गया तो फिर स्पीकर साहब के ऊपर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, यह स्पीकर साहब की गरिमा के खिलाफ है, इट इज मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल और स्पीकर साहब के विरुद्ध इस तरह कहना इनके लिये शोभनीय नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, इस विषय में प्रातःकाल जितना हमने समय लगाया, उसमें इतनी बात तो स्पष्ट थी कि स्थगन प्रस्ताव और नियम 193 के अधीन मौखिक परख यह है कि स्थगन प्रस्ताव में सदन को निर्णय करने का अधिकार है कि इस सरकार की भर्त्सना की जाए या न की जाये मतदान होता है, जो कि नियम 193 के अन्तर्गत नहीं हो सकता। इसी कारण हमारी तरफ के और विपक्ष के सब लोगों की तरफ से तथा कांग्रेस के भी कुछ सम्मानित सदस्यों की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि स्थगन प्रस्ताव होना चाहिये और सारी चर्चा उसी समय समाप्त हुई जब अध्यक्ष जी ने स्वयं यह कहा कि इस मामले में वे पुर्नविचार करेंगे। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव शब्द का प्रयोग भी किया लेकिन चूंकि उसके लिये फॉरमैलिटील करनी होती है, बाकी करना होता है, बैल्ट आदि के बारे में, इसलिये उन्होंने कहा कि आप अभी इसे छोड़ दीजिये और हमने रहने दिया फिर जब हम सदन से गये, जब रेल बजट आरम्भ होने वाला था तो भी हम अपना मत प्रकट करके ही सदन त्याग कर गये थे, तब भी सचिवालय की ओर से हमें कहा गया था कि चूंकि यह स्थगन प्रस्ताव है, इसलिये जैसे ही रेल बजट से सम्बन्धित वह वक्तव्य समाप्त होगा, तुरन्त स्थगन प्रस्ताव को लिया जायेगा। इसीलिये जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, वे सभी यहां बाहर उपस्थित रहे। इसी कारण पौने घण्टे तक बराबर हम लोग लॉबी में बैठे रहे। मैंने स्वयं उनसे कहा कि आप लोग कहीं जाइये मत। मेरा निवेदन है कि इस समय इस मामले में कोई परिवर्तन उचित नहीं होगा क्योंकि एक प्रकार से जब सदन की राय के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया है तो स्थगन प्रस्ताव होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव पर स्वीकृति ले ली जाये।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : मुझसे कहा भी गया है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, मैंने उसे आरम्भ करना है। मेरे पास कागज भी है।

श्रीमदन लाल खुराना : उसके सम्बन्ध में बैलट भी हो चुका है, पेपर भी निकल गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं सारी स्थिति की मालुमात करके आपको बताता हूं कि क्या हुआ है चूंकि यह मैटर मेरे सामने तो है नहीं, इसलिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों से भी यह अनुरोध करता हूं कि यह एक ऐसा नाजुक मामला है जिस पर सभी की भावनाएं एक समान हैं। इस बारे में कोई मतभेद नहीं हैं। हम यह देख सकते हैं। लेकिन अगर बाहर यह बात जाती है कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थगन प्रस्तावों को अनुमति दी गई लेकिन हरिजनों पर अत्याचार के मुद्दे पर यह अनुमति नहीं दी गई, यह एक बहुत ही गलत संकेत होगा।

हम नहीं चाहते कि हरिजनों के सभा के किसी वर्ग को गलत समझें। इससे बहुत गलत भावना पैदा होगी। अत: मैंने अध्यक्ष महोदय से भी अपील की है कि इसे 4 बजे लिया जाए और उन्होंने कहा है कि वह स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराना ज्यादा पसन्द करेंगे। अत: यही निर्णय रहने दें। इससे हरिजनों की भावनाओं की तुष्टि होगी। अन्यथा, वे महसूस करेंगे कि हम बिना कारण उन्हें गलत रास्ते पर ला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों को कहा गया है कि आपको प्रस्ताव इस भाषा में पढ़ना है।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के ऊपर अत्याचार का जहां तक मामला है, इसमें सारे सदन की एक राय है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अन्दर जो कुछ हुआ है, उसकी जितनी निन्दा की जाये, वह कम है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् इसका निर्णय आप अध्यक्ष पर छोड़ दें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : लेकिन उपाध्यक्ष जी, हम उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव लाने के अधिकार को चुनौती नहीं देते, परन्तु अगर स्पीकर साहब ने शुरू में ही स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता, तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन स्पीकर महोदय के रूलिंग देने के बाद, उसको दबाव में बदलवाना, इस पर हमें ऐतराज है। इससे स्पष्ट होता है कि आप हरिजनों और उनकी सुरक्षा के लिए चिन्तित नहीं हैं, बल्कि राजनीति करने के लिए चिंतित हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मेरे पास जो इन्फार्मेशन आई है, उसके आधार पर मैं आपको कहने जा रहा हूं—

———

2.12 म० प०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को उत्तर प्रदेश और बिहार की हाल की घटनाओं के विशेष संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार के बारे में निम्नलिखित 16 सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना प्राप्त हुई है :

1. श्री राघव जी
2. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
3. श्री यादवेन्द्र दत्त
4. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
5. श्री रति लाल वर्मा
6. श्री मदन लाल खुराना
7. श्री संतोष कुमार गंगवार
8. श्री राजवीर सिंह
9. श्री कटिया मुंडा
10. श्री कालका दास
11. श्री शोपत सिंह मक्कासर
12. श्री प्रेम प्रदीप
13. श्री आर० एन० राकेश
14. श्री राम विलास पासवान
15. श्री राम संजीवन
16. बसुदेव आचार्य

अध्यक्ष महोदय ने श्री संतोष कुमार गंगवार, जिन्होंने बैलेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, को निम्न प्रकार से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में अपनी अनुमति दी है :

> देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल की घटनाओं के सन्दर्भ में, हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो इसमें है ही नहीं। इसीलिए मेरा आप से अनुरोध है कि हरिजन के बदले शेड्यूल्ड कास्ट कर दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं । इसे अनुसूचित जातियों ही होना चाहिए ।

अब, यह इस प्रकार है :—

"देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल की घटनाओं के सन्दर्भ में, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार"

—(**व्यवधान**)—

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : श्रीमन् मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मैं यह नहीं चाहता कि इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जाए ।—(**व्यवधान**) —

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति दे दी है और मैंने इसे पढ़ दिया है ।

—(**व्यवधान**)—

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं दो बातें कहना चाहता हूं । सुबह अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट और निश्चित विनिर्णय दिया था कि इस विषय को नियम 193 के अन्तर्गत लिया जाएगा । (**व्यवधान**)

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : उन्होंने अपने निर्णय की पुनरीक्षा की है ।—(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये । इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी । आप इतने उत्तेजित क्यों हैं ? कृपया मुझे भी सुनिए ।

—(**व्यवधान**)—

उपाध्यक्ष महोदय : आपको फैसला नहीं करना है । मुझे निर्णय लेना है । इससे सभा में अनावश्यक रूप से उत्सुकता और क्रान्ति पैदा होती है । मैं वहीं कहूंगा, जो मुझे कहना है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस पर चर्चा करके वाहवाही नहीं लूटना चाहता क्योंकि इस मुद्दे पर हम सभी चिन्तित हैं । इस पर चर्चा करने के लिए हम आतुर हैं । मगर इस पर स्थगन-प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जाती है, तो निश्चय ही सभा, इस मुद्दे पर विभाजित हो जाएगी । लेकिन, हम सब, आपकी भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं । अगर इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाती है तो क्या इस बारे में सर्वसम्मत विचार रख सकती हैं ।—(**व्यवधान**)—

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उनसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है । सभा में इसकी अनुमति नहीं है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : दूसरे, मैं दुःख के साथ कहता हूं कि हम एक गलत परम्परा डाल रहे हैं, सभा में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात, कुछ समय बाद इसे पुनः उठाया जा रहा है । यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि, इसमें हमें दुःख हुआ है । इससे अध्यक्ष के उच्च पद की गरिमा कम हुई है ।—(**व्यवधान**)—

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय पर, आप इस प्रकार नहीं बोल सकते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि, अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम है और हमे मान्य है। मैं यह कह रहा हूं कि अध्यक्ष के निर्णय के पश्चात्, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्णय बदल गया है।

तीसरे, जब नियमों के अनुसार, स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है, तब हमें चर्चा के लिए इसका निश्चित करना होता है। कार्यसूची में तमिलनाडु का उल्लेख है। हमें उस पर भी चर्चा करनी है। हम जानना चाहते है कि इस पर कब चर्चा होगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दी है और व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट थी। इसलिए इस पर विचार करने के लिए सोचना चाहिए और जो व्यवस्था शुरू में दी थी उस व्यवस्था को बदलना उचित नहीं है। **(व्यवधान)** जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय पर चर्चा हो सकती है लेकिन एडजोर्नमेंट मोशन के जरिए नहीं। यह मेरा निवेदन है।—**(व्यवधान)**—

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह कैसे हो सकता है ? सदस्यों के सुझाव सुनने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने अपना विचार बदला है।—**(व्यवधान)**—

श्री चित्त बसु (बारसात) : हमें अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार चलना है।— **(व्यवधान)**—

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में जो कुछ हुआ, उसकी सभी सदस्यों को जानकारी है। अब स्थिति यह है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए, अध्यक्ष के पहले या दूसरे निर्णय पर विचार करना सही नहीं है। मैं सभा की मर्यादा के हित में, अनुरोध करता हूं, कि इस मुद्दे पर और चर्चा न करें। आपने जो भी मुद्दे उठाने थे, वे आपने जोरदार शब्दों में कह दिए हैं। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में दर्ज है।

—**(व्यवधान)**—

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रत्येक प्रश्न को इस प्रकार न पूछें।

—**(व्यवधान)**—

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में सदन की अनुमति दी जाए।—**(व्यवधान)**—

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अनेक सदस्यों को शायद यह जानकारी नहीं है कि इस पर कब चर्चा की जाएगी। उन्होंने सोचा था कि इस पर चार बजे चर्चा की जाएगी। उन्हें कैसे पता चलेगा कि, इस पर कब चर्चा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें। नियम यह है कि जब मामला उठाया जाता है और अगर अध्यक्ष द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है, तब इसे सभा की सूचना में लाया जाता है। इसे सभा में रखा जाता है और तब प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके पश्चात् समय निश्चित किया जाता है। सामान्यतः हम 4.00 या 4.30 बजे का समय निर्धारित करते हैं। जब मैं, इसे सभा में रखूंगा, तब इस पर चर्चा होगी, पहले नहीं।

2.20 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल की घटनाओं के संदर्भ में, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों में विगत दिनों में अनुसूचित जातियों के ऊपर हुए अमानवीय और अमानुषिक अत्याचार के बारे में अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति दिए जाने का विरोध है ?

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : जी हाँ, मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यक संख्या से इनकी संख्या अधिक है। अतः अनुमति प्रदान की जाती है।

नियम 61 के अन्तर्गत, स्थगन प्रस्ताव 4.00 म० प० या उससे पूर्व लिया जाना है। इस चर्चा के लिए 2½ घन्टे से कम समय आवंटित नहीं किया गया है। प्रस्ताव पर आज 4.00 म० प० पर चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दें।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय, सुबह जब स्थगन प्रस्ताव के लिए कहा गया था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह इसे नियम 193 के अन्तर्गत मानेंगे। इसलिए अब जबकि सदस्य यह मान रहे हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है तो आप इसे स्थगन प्रस्ताव मान रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, यदि आपने नियम पढ़ा होता तो यह स्पष्ट हो जाता :

श्री के० एस० राव : लेकिन महोदय, अधिकतर सदस्यों का मानना है....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। मैं आपको नियम स्पष्ट कर दूंगा। निर्णय लेने की भी प्रथा रही है।

नियम 377 के अधीन मामले

2.24 म० प०

(एक) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में एक और गैस एजेन्सी खोले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का मंडला जिला जो आदिवासी बाहुल्य है वहां पर भी मात्र एक अग्रवाल गैस एजेन्सी है। इतने बड़े जिले में जहां डिंडौरी, नैनपुर, शहपुरा, बम्हनी, बंजर जैसे बड़े कस्बे हैं, वहां अनेक बार प्रार्थना करने पर कोई एक गैस एजेन्सी नहीं खोली गई है। इनके कस्बों के उपभोक्ता जो 100 से 150 कि० मी० मंडला शहर से दूर रहते हैं, वे भी मडला अग्रवाल गैस एजेन्सी से गैस, मीटरों द्वारा अथवा प्राइवेट वाहनों से ले जाते हैं जो नियम विरुद्ध है। मंडला शहर जो मुख्यालय है जिसकी आबादी 50 से 60 हजार के बीच है उसके निवासियों तथा उपभोक्ताओं को भी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के अलावा हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जो दुगनी कीमत पर गैस कनेक्शन चोरी छिपे लेते हैं। इस कारण पंजाब उपभोक्ता को भी गैस सिलेंडर प्राप्त करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। आये दिन वहां उपभोक्ताओं और गैस एजेंट से झगड़ा होना आम बात हो गई है। अनेकों शिकायतें उपभोक्ताओं और मेरे द्वारा भी माननीय मन्त्री जी, पैट्रोलियम और रसायन, नई दिल्ली से दी गई, किन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उपभोक्ता और जनता परेशान

है। दूसरी एक और एजेंसी खोलने बाबत मैंने पैट्रोलियम विभाग को लिखा कि मंडला में एक एजेंसी बहुत अच्छी तरह चल सकती है। हजारों उपभोक्ता इसके लिए तैयार बैठे हैं। कृपया अति शीघ्र दूसरी एजेंसी वहां खोली जाए।

(दो) जम्मू को जम्मू और कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी घोषित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकारी कार्यालय जम्मू में शीतकाल के दौरान छह माह खुले रहते हैं। जम्मू को जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी माना जाता है लेकिन इस तथ्य का न तो राज्य सरकार और न केन्द्र सरकार के पास कोई लिखित प्रमाण है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जम्मू को जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी सरकारी तौर पर घोषित किया जाए और तदनुसार इसका उल्लेख सरकारी रिकार्डों में किया जाये।

(तीन) एक उड़िया माध्यम स्कूल का निर्माण करने के लिए दक्षिण दिल्ली में भूमि आवंटित किए जाने की मांग

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : दिल्ली में करीब दो लाख उड़िया भाषा-भाषी लोग इस समय दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन उड़िया माध्यम का एक भी विद्यालय दिल्ली में नहीं है। इसके विपरीत कई भाषाओं के माध्यम वाले विद्यालय पहले से ही यहां स्थापित हैं जो कि हमारे बहुभाषी राज्य के मांग को पूरा करती है। भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन ने शिक्षा की इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सराहनीय भूमिका निभाई है।

दिल्ली उड़िया शिक्षा समिति की स्थापना 1988 में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य उड़िया माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना है। इसका प्रयोजन दिल्ली में उड़िया भाषा-भाषी लोगों के हितों की रक्षा करना है। इस समिति को विद्यालय भवन निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान पर दक्षिण दिल्ली में कम से कम पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता है। चूंकि इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा इसलिए लोदी इस्टेट अथवा होज खास जहां उड़िया परिवार रहते हैं, उसके करीब ही चार साथ के क्वार्टर उपलब्ध कराएं ताकि वहां अविलम्ब विद्यालय खोला जाए।

मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि लोदी इस्टेट अथवा होज खास में चार साथ के क्वाटर तुरंत उपलब्ध कराएं। साथ ही उड़िया की शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए जल्द से जल्द पांच एकड़ भूमि भी आवंटित की जाए।

(चार) खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि रोके जाने की मांग

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष जी, खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह मत स्पष्ट है कि देश में कितना खाद्य तेल पैदा होता है, वह संतुलि

आहार की दृष्टि से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जितना जरूरी है पर्याप्त है। किन्तु व्यापारियों व संग्रह-कर्त्ताओं के कारण एक कृत्रिम अभाव की स्थिति बनाई जाने के कारण भावों में निरन्तर वृद्धि हो रही है व आम जनता को महंगा तेल खरीदने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है तथा सरकार आयात करने को बाध्य है। अत: यह आवश्यक है कि सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाये।

(पांच) गिरवन के आसपास के गांवों में शेरों के कारण फैले आतंक को रोकने के लिये कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री गोविन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा (जूनागढ़) : जूनागढ़ जिले के गिरवन के आसपास के गांवों में विशेषकर तलाला, उना मलिया, मेंदारा, और विशमदार तालुक के क्षेत्र में गिरवन के शेरों के आक्रमण प्राय: होते रहते हैं। विगत कुछ वर्षों में ये शेर आदमखोर हो गए हैं। वन के कटाव के कारण का पारिस्थितिकी संतुलन बहुत अधिक बिगड़ गया है। वनों के कटाव के कारण बाइसन, जेब्रा तथा अन्य जानवर जो घास पत्ते पर निर्भर करते हैं उनकी संख्या में तेजी से कमी आई है जिससे शेरों के लिए भोजन की कमी हो गई है। जीवित रहने के लिये शेर वन क्षेत्र से बाहर निकलने लगे हैं और अब वे आए दिन उन गांवों पर भी आक्रमण करते हैं जो वन क्षेत्र से बहुत दूर होते हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है और उपर्युक्त क्षेत्रों के लोग हमेशा भय और मृत्यु के माहौल में जी रहे हैं।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं निम्नलिखित उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का सुझाव देता हूं :—

(1) शेरों के लिये भोजन उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें वनों से बाहर आने से रोका जा सके।

(2) सीमांत गांवों में और वे गांव जहां शेरों का खतरा है. सुरक्षा बल तैनात किए जाएं।

इसके अतिरिक्त बन रोपण का कार्य किया जाए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन जो बिगड़ गया है उसे फिर ठीक किया जा सके और शेरों के द्वारा जिनके जानवर मारे गए हैं उन्हें बाजार भाव पर क्षतिपूर्ति की जाए। सरकार को उस क्षेत्र में वन परियोजनाओं को बढ़ाना चाहिये ताकि वहां के ग्रामीण अपने को जंगली जानवरों से सुरक्षित महसूस करें और वहां शान्ति बहाल हो।

(छह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शाहगंज और मऊ के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का पिछड़ा प्रान्त है। उक्त प्रदेश में आजमगढ़ बहुत ही पिछड़ा जिला है जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। आजमगढ़ से आजमगढ़ का पूर्वी क्षेत्र मऊ आदि निकल जाने से आजम गढ़ जनपद उद्योगहीन जिला हो गया है। उक्त जिले

के औद्योगिक विकास, यातायात एवं आवागमन के लिए शाहगंज से मऊ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना अति आवश्यक है। आजमगढ़ के पांच एम पी को दिल्ली आने-जाने के लिए कम से कम 150 कि० मी० की दूरी दूसरे साधनों से तय करके बड़ी लाइन पकड़नी पड़ती है। वहां से दिल्ली आने के लिए कम से कम डेढ़ दिन लग जाते हैं।

शाहगंज से मऊ तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए कई बार मैंने तथा अन्य सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है तथा सम्बन्धित मंत्रियों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया है। आश्वासन मिलने के बाद भी कोई प्रगति इस तरफ नहीं दिखायी दी। बड़ी लाइन न बनने से जनता में काफी आक्रोश है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि अतिशीघ्र इसी बजट सत्र में शाहगंज से मऊ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की घोषणा करें।

रेल मंत्री श्री (जनेश्वर मिश्र) : लगता है, आपने आज बजट नहीं सुना।

श्री रामकृष्ण यादव : जी, यह तो मैंने सुबह ही दे दिया था।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि चावडाजी उपस्थित नहीं है, तो इसमें स्टेंडबाई मेरा नाम है। आप मुझे अनुमति दें तो मैं नियम 377 के अन्तर्गत इसको रख सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरे दिन कीजिएगा।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : इसमें स्टेंडबाई मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां जो नाम होता है, उसी को करना होता है।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : मैं आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पीछे के मामले के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं अगला मामला शुरू कर चुका हूं।

2.32 म० प०

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू जाने किए के सम्बन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य के संबंध में 30 जनवरी, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे। श्री सुबोधकांत सहाय बोलेंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1991 को संविधान के अनुच्छेद 356 अन्तर्गत तामिलनाडु राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, उद्घोषणा की प्रतियां सभा पटल पर रखी गई है। तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है। उपलब्ध सूचना से यह संकेत मिले हैं कि हाल की घटनाओं और बिगड़ती हुई स्थिति से तमिलनाडु के स्थानीय लोगों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ था। स्थानीय अपराधियों और अन्यों की हरकतों के कारण बढ़ते हुए हिंसक अपराधों के अलावा अत्यधिक खलबली पैदा करने वाला पहलू इस बात की व्यापक जानकारी देता था कि लिब्रेशन-टाइगर्स- आफ-तमिल-एलक (एल० टी० टी० ई०) देश के कानून की परिधि के बाहर एक स्वतन्त्र बल के रूप मे कार्यशील है और उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसी शरणस्थलियां बना रखी हैं, जिन पर राज्य प्रशासन का कोई अधिकार नहीं चलता है। वे रामनाथपुरम, तंजाबुर, पुडकोटाई, और तिरूविरापल्ली जिलों के कुछ भागों में एक स्वतंत्र प्रशासन के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्य प्रशासन के एल टी टाई से प्रभावी ढंग से निपटने से आनाकानी करने के कारण उनकी हिंसक गतिविधियों में उलझे रहने तथा तटवर्ती इलाकों में आम लोगों को भयभीत करके अपना शासन चलाने तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहन पाने के चलते भयावह स्थिति पैदा हो गई थी।

तंजाबुर, पुडकोटाई और रामनाथपुरक तटों पर चोरी छिपे आने जाने वाली नौकाओं की व्यापक जानकारी के बावजूद राज्य पुलिस तथा अन्य स्थायी अधिकारी उस आवाजाही को रोकने में असमर्थ थे। तट पर उनके रुकने की कम से कम 40 जगहें थीं जिनका पता राज्य सरकार को था। इनमें से अधिकतर क्षेत्रों की प्रभावशाली ढंग से न तो चौकसी की जा रही थी और न ही वहां सरकारी मौजूदगी का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा था। इन क्षेत्रों में अगर कुछ था तो वह एल टी टी ई की हुकूमत ही थी। इससे एल टी टी ई की हरकतों के दीर्घावधि दुष्परिणाम हो सकते थे स्थित आम नागरिकों के साथ इनका घुल मिलकर काम करना और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाना, इ का एक महत्वपूर्ण पहलू था। एल टी टी ई के सुव्यवस्थित गुप्त सचार नेटवर्क की मौजूदगी जिसमें एच एफ और वी एच एफ दोनों प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग हो रहा था। दू रे तमिलनाडु पार जाने का तथा श्रीलका में एल टी टी ई उग्रवादियों के प्रयोग के लिए शस्त्रों गोली बारूद विस्फोट पदार्थों को ले जान का एक प्रमुख स्थल बना हुआ था। कुछ शस्त्र और गोली बारूद भारत के अंदरूनी भूमिगत रास्तों से ले जाते हुए भी पाए गए। तीसरे एल टी टी ई तत्वों ने तमिलनाडु के राजनीतिक और आर्थिक तबकों के बीच मेल मिलाप का व्यापक जाल फैला रचा था। जिसका परिणाम यह

निकला कि डीजल और पेट्रोल एवं फार्मास्युटिकल जैसी दुर्लभ वस्तुओं की बड़ी पैमाने पर चोर-बाजारी और देश में सोने की तस्करी का एक रास्ता बन गया था। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। तमिलनाडु में एल टी टी ई की हरकतों के कारण भारत और श्रीलंका के साथ संबंधों पर बुरा असर भी पड़ रहा था।

राज्य में कुछ अर्से से व्याप्त वातावरण से राज्य के अन्दर और देश के अन्दर और देश के अन्य भागों, दोनों में, उग्रवादियों और अलगाववादियों को प्रोत्साहन भी मिल रहा था। ऐसे सबूत मिले हैं कि पट्टाली माक्कल काची (पी एम के) तमिल नेशनलिस्ट मूवमेन्ट (टी एन एम) तमिल मन्नावर पेरावई (टी एम पी) जैसे संगठन एल टी टी ई के उदाहरण से निडर हो करके अपना काम कर रहे थे। ये ऐसे संगठन हैं जो अलगाववाद का खुल कर एडवोकेसी करते रहे हैं और इससे वहां पर अलगाववादी प्रतिनिधियों का बल मिलता रहा है। ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए असम के युनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ने राज्य में प्रत्यक्ष रूप से अथवा मध्यस्थलों के जरिए एल टी टी ई के साथ एक तरह के संबंध स्थापित कर रहे थे। अभी हाल में कुछ उल्फा उग्रवादियों ने एल टी टी ई के साथ मिलने के लिए तमिलनाडु का, एक शरणस्थली एवं आधार क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया था।

राज्य सरकार द्वारा इन हरकतों के प्रति आंख मूंद लेने के कारण, राज्य की स्थिति मौजूदा स्थिति से भी अत्यधिक खराब हो सकती थी। सत्ताधारी दल के कुछ प्रमुख सदस्यों, जिनमें कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल थे, द्वारा इन गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्टों के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई थी।

महोदय, इन सब से प्रशासन की प्रभावकारिता पर बुरा असर पड़ गया था। यह पुलिस प्रशासन में अत्यधिक दिखाई दे रहा था। एल टी टी ई उपद्रवियों ने जिस आसानी से ई पी आर एल एफ प्रमुख पद्मनाभन और अन्य 15 व्यक्तियों की हत्या की और पुलिस से बच कर तमिलनाडु से श्रीलंका पहुंच गए, यह राज्य में पुलिस व्यवस्था ठप्प होने की एक असाधारण मिसाल है। प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रशासन इस कदर ठप्प हो गया है कि उसे संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता। विधान सभा को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्-घोषणा जारी करके विघटित करने के अलावा कोई विकास नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद—356 के अधीन 30 जनवरी, 1991 को उद्घोषणा जारी की गई।

महोदय, आज स्थिति यह है कि 10 दिन के अन्दर वहां पर जो कार्यवाही की गई है वह अपने आप में उदाहरण के रूप में है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, एल टी टी ई के 70 उग्रवादियों और पहली बार उनके 17 स्थानीय समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है और उनको एन एस ए के अधीन रखा गया है। एन एस ए के

अधीन रखे जाने वाले उग्रवादियों और उनके समर्थकों की संख्या 33 है। उपाध्यक्ष महोदय, इनके कब्जे से 6 हाईपावर वायरलैस सैट्स, दो फैक्स मशीनें, 4 कारें, ट्रैक्टर, मोटर सायकल्स, बड़ी संख्या में जाली नम्बर प्लेटें, फाइबर ग्लास की 15 नौकाएं, 15000 लीटर डीजल-पैट्रोल, एक लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा और 7 लाख रुपए के करीब भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। इनके कब्जे से जाली पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, एक-एक व्यक्ति के नाम से 3-3, 4-4 पासपोर्ट बने हुए जब्त किए गए हैं। ये लोग खुले रूप से तमिलनाडु राज्य को अपना बेस बनाकर हिंसात्मक राजनीति कर रहे थे। महोदय, गैर-कानूनी ढंग से धन का लेन-देन करने वाले एल टी टी ई के मद्रास स्थित रैकेट का पता लगाया गया है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में धनराशि का आदान-प्रदान किए जाने वाले व्यापक सूत्रों का ब्यौरा प्राप्त होने की संभावना है। श्रीलंका में एल टी टी ई को आवश्यक वस्तुओं को भेजने वाली जो टीम जिम्मेदार थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। यह भी पता चला है कि यह यूनिट पैट्रोल डीजल, दवाइयां और विस्फोटक सामग्री भी एल टी टी ए की सप्लाई किया करता था।

महोदय, जो भारतीय नागरिक एल टी टी ई को उनकी गतिविधियों के समर्थन दे रहे थे, उन्हें पहली बार पकड़ा गया है और इस देश की एकता और अखण्डता को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्य में जो गतिविधियां चल रही थीं, उनसे मजबूर होकर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। इसके लिए राज्य-सरकार को हरएक स्तर पर इन लोगों से निपटने और कार्यवाही करने के लिए कहा गया था और जब इस कार्य में राज्य सरकार फेल हुई तो इस परिस्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत तमिलाडु राज्य के सम्बन्ध में 30 जनवरी 1991 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ;

"कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"
श्री पी० चिदम्बरम।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : सरकार की ओर का सदस्य एक ही समय में कैसे बोल सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी बाद में आएगी।

श्री पी० चिदम्बरम : हम सरकार नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : यह स्थापित प्रक्रिया से हटकर है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सरकार में नहीं हैं। वे सरकार से बाहर हैं।

श्री जसवन्त सिंह : अवश्य। किन्तु मेरा निवेदन है कि बहुमत दल का नेता, विपक्षी दल का नेता नहीं है। विपक्ष का एक मनोनीत नेता नहीं होता है। हर चर्चा में, भाजपा को पहले बोलने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। फिर भी, इस विशेष मामले में, यदि आप चाहें, आप यह अवश्य कर सकते हैं, किन्तु यह कहकर नहीं कि प्रक्रिया इस प्रकार की है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दल है जो सरकार का समर्थन कर रहा है इसलिए आप एक ही समय में दोनों दलों के विचारों की आलोचना कर सकते हैं। अन्यथा, आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा।

श्री जसवन्त सिंह : प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक बार, सरकार के बोलने के पश्चात्, विपक्ष को बोलने के लिए आमन्त्रित करके, आप एक ही समय में सरकार को बोलने के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं, जब कि विपक्ष को बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं वह एक प्रकार से सही है, यह गलत नहीं है। किन्तु इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से किसी को भी बोलने के लिये कह सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बात को मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में, यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि सत्तारूढ़ दल और सरकार को समर्थन देने वाले दल के विचार एक से हों; और कभी-कभी दोनों विषयों की आलोचना करना विपक्ष, वास्तविक विपक्ष, के लिए लाभदायक होता है।

श्री पी० चिदम्बरम : वास्तव में, मैं इस बात से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय स्थिति ऐसी ही है।

श्री पी० चिदम्बरम : हम इससे सहमत हैं। हम उनसे इस बात पर सहमत हैं कि हम इसे अभी साबित करेंगे। हम उनसे इस बात पर सहमत हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी इस उद्घोषणा क समर्थन करने के अपने कर्त्तव्य का निवेदन करने में कष्ट महसूस करता हूं।

दो वर्ष पहले, राज्य में चुनाव कराए गए थे। किसी अजीब राजनैतिक संस्थिति के कारण द्रविड़ मुन्नेत्तकड़गम दल, जो लगभग 13 वर्षों से चुनाव हार रहा था, पुनः सत्ता में आ गया। तब भी, हमने द्रविड़मुन्नेत्रकड़गम को आगाह किया था कि वे इस धारणा को लेकर आगे न बढ़ें कि उन्हें तमिलनाडु के लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं है। किन्तु वे सत्ता

में इसलिए आए थे क्योंकि अन्य तीनों राजनैतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्रकड़गम के विरोध में एकजुट नहीं हुए थे। हमने द्रविड़मुन्नेत्रकड़गम को सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के लिए समझदारी के साथ शासन करने के लिए और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध न जाने के लिए आगाह किया था।

दो वर्षों के पश्चात्, भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विधान सभा को भंग किया जाए, सरकार को बरखास्त करके, राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् पुनः चुनाव कराए जाएं। इस सदन में हम जो कुछ भी कहें, तमिलनाडु से निर्वाचित संसद सदस्य के रूप में तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को इस सदन में अपने माननीय साथियों के पास पहुंचाना मेरा कर्त्तव्य बनता है। उदाहरण के तौर पर, मेरे माननीय साथी श्री जसवन्त सिंह यहां पर ऐंसा विचार व्यक्त नहीं कर सकते—मेरे विचार में वह ऐसा विचार व्यक्त नहीं कर सकते जो तमिलनाडु में उनके दल के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भिन्न हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। भाजपा, छोटा या बड़ा, कम सदस्यों के साथ अथवा अधिक सदस्यों के साथ, तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने वाला पहला दल था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जब आपने मांग की तो उन्होंने इसे वापस ले लिया था।

श्री पी० चिदम्बरम : और आज, मुझे उम्मीद है कि श्री जसवन्त सिंह, अपने दल की ओर से बोलते हुए मांग करेंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

मैं चार मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। ऐसा करते समय मैं बहुत गम्भीर आरोप, लगाने पर बाध्य हूं और मैं माननीय सदस्यों से इसे सहने का निवेदन करूंगा। मैं ऐसा पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। मैं अपने द्वारा दिए गए हर वक्तव्य का उत्तरदायित्व लेता हूं और अन्त में, मैं मांग करूंगा और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों में जो हुआ है उसकी उच्च-स्तरीय जांच करवाने की मांग करने में मेरा साथ दें। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप केवल आरोप ही रह जाए। जिन पर आरोप लगाया गया है, उन्हें अपने बचाव का अवसर अवश्य ही मिलना चाहिए। हममें से जिन्होंने आरोप लगाया है उन्हें भी हमारे आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करने का और दुनिया को यह दिखाने का अवसर मिलना चाहिए कि तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों में क्या हुआ है।

मैं चार मुख्य मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। पहला, तमिलनाडु में उग्रवादियों, विशेषतया लिट्टे, की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून और व्यवस्था की समाप्ति।

दूसरे, एक ओर राष्ट्रीय मोर्चा के नेताओं और मन्त्रियों के और दूसरी ओर लिट्टे के साथ समझौता।

तीसरे, अपने निजी हितों और द्रविड़-मुन्नेत्रकड़गम के राजनैतिक हितों को बढ़ाने के लिए मुख्य असैनिक पदाधिकारियों की साजिशें। और चौथा है वी० पी० सिंह सरकार और करुणानिधि

सरकार द्वारा 1990 में तमिलनाडु में हो रहे क्रियाकलापों को उजागर करने वाली खुफिया रिपोर्ट को छुपाना।

महोदय, तमिलनाडु की घटनाओं का उल्लेख करने से पूर्व मैं तमिलनाडु की राजनैतिक स्थिति की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। वहां पर 1989 में विधान सभा चुनाव हुए। विधान-सभा चुनाव के एक महीने पश्चात् ही श्री करुणानिधि भारी बहुमत से विजयी हुए। उसके एक मास पश्चात् ही दो उपचुनाव हुए एक मरुंगापुरी में और एक पूर्व मदुरई में। लोगों ने यह परवाह नहीं की कि एक नया मुख्यमंत्री सत्ता में आया है लोग श्री करुणानिधि और उनके मंत्रियों द्वारा प्रदर्शित सत्ता के प्रदर्शन और इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सरकार और दल द्वारा खर्च की गई अंधाधुंध राशि से भ्रमित नहीं हुए डी० एम० के० के सत्ता में आने के एक महीने बाद ही इन दोनों उपचुनावों में डी० एम० के० पराजित हो गई। चुनाव होने के एक महीने पश्चात् ही कु० जयललिता के नेतृत्व में ए० आई० ए० डी० एम० के० ने दोनों उपचुनावों में एक अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। यह तथ्य इस बात का संकेत देता है कि करुणानिधि सरकार अपनी लोकप्रियता के बल पर विजय नहीं हुई थी। वे सिर्फ इसलिए विजय प्राप्त कर सके कि डी० एम० के० विरुद्ध मत चार दिशाओं में विभाजित हो गए थे ·· (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कांग्रेस भी पिछले चालीस वर्षों से इसी प्रकार शासन कर रही है····(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, नवम्बर, 1989 में लोकसभा चुनाव हुए थे। एक चुनाव रद्द कर दिया गया। अड़तीस निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव किए गए। यह 234 खण्डों में से 228 खण्डों का प्रतिनिधित्व करता था। 228 क्षेत्रों में से, 226 क्षेत्रों में डी० एम० के० दल पराजित हुआ। इसमें श्री करुणानिधि का अपना निर्वाचन क्षेत्र हार्बर, शिक्षामंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, राजस्व मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र श्री करुणानिधि का परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें काफी पैसा बहाया गया था। इन सब में उन्हें पराजय मिली।

महोदय, पलानी उपचुनाव लोकसभा चुनावों के तीन महीने बाद हुए। वहां के छहों क्षेत्रों में डी० एम० के० पराजित हो गई। उसके साथ ही, पेरामनल्लुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी उपचुनाव हुए। वहां भी डी० एम० के० पराजित हो गई। पिछले दो वर्षों में तमिलनाडु में डी० एम० के० ने एक भी उपचुनाव या चुनाव नहीं जीता है।

महोदय, अगर यह ऐसा देश होता, जिसमें डी० एम० के० ने लोकतंत्र की कुछ मूलभूत धारणाओं का सम्मान किया होता; अगर यह ब्रिटेन होता और पदस्थ प्रधानमंत्री या पदस्थ मुख्यमंत्री एक लगातार तीन या चार उपचुनाव हार जाते, तो लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, श्री करुणानिधि पद त्याग कर चुके होते और नए चुनाव करवाए जाते। महोदय, हम मांग करते हैं कि वे ऐसा करें।

मैं एक पूर्व दृष्टान्त देता हूं। वर्ष 1985, में श्री रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में पराजित हो गए। उन्होंने पदत्याग कर दिया। उन्होंने विधान सभा भंग कर दी और कामचलाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहे और फिर विधानसभा के चुनावों में विजय हासिल की। महोदय, यह मांग करने वाले हम पहले थे, यह मांग करने वालों में मैं पहला था कि श्री करुणानिधि को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, संसदीय चुनावों के पश्चात्, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए उन्हें विधानसभा को भंग करने की सलाह देनी चाहिए और फिर वे कामचलाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहें, एक नए चुनाव करवाएं और अगर वे विजयी होते हैं, तो अगले पांच वर्षों तक शासन करें। महोदय, श्री करुणानिधि का मंत्रालय कैसे कार्य करता रहा? 1977 के सिद्धान्त का प्रवर्तक कौन था? आज जनता दल का कोई व्यक्ति उस सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं बोल सकता क्योंकि उनसे पूर्ववर्ती लोग इस सिद्धान्त के प्रवर्तक थे; कि अगर संसदीय चुनावों के पश्चात् यह सिद्ध हो जाए कि उस राज्य के लोगों का राज्य सरकार से विश्वास उठ गया है, तब राज्य सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ेगी और नए चुनाव कराए जाने चाहिए। श्री करुणानिधि सत्ता में सिर्फ इसलिए बने रहे, क्योंकि यहां दिल्ली में श्री वी० पी० सिंह ने सरकार बनाई थी। इसका यही कारण····**(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : विधानसभा सीटों में, आपके निर्वाचन क्षेत्र में विधायकों ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की है? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : मैं अपनी हार के कारणों का खुलासा करूंगा। मत तीन दिशाओं में बंट गए थे। श्री आर० के० हेगड़े द्वारा स्थापित आदर्श परम्परा के विपरीत डी० एम० के० की सरकार सत्ता में बनी रही, इसका कारण सिर्फ यही है कि जब यहां श्री वी० पी० सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डी० एम० के० सरकार को बचाने में भरपूर सहायता की, जो कि अपना समर्थन खो चुकी थी····**(व्यवधान)**

अब वहां घटी घटनाओं का मैं यथा संभव संक्षिप्त उल्लेख करता हूं। आप केन्द्र में सरकार की बर्खास्तगी के पश्चात् कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं। आपको याद होगा कि, पिछले वर्ष भी, कई अवसरों पर हमने इस सदन में उठकर कहा था कि तमिलनाडु में कई गंभीर बातें हो रही थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री के कथन कार्यवाही वृत्तान्त में हैं। मंत्री इस सदन में बोल चुके हैं। पिछले दो वर्षों में जो हुआ है, मुझे उन सब का उल्लेख करने दें।

यहां श्री वी० पी० सिंह की सरकार आने के बाद तमिलनाडु में चालीस वर्षों से चली आ रही प्रथा बदल गई। तमिनाडु में चालीस वर्षों तक जब कि पुलिस गृह विभाग के अन्तर्गत थी। कानून और व्यवस्था और जन व्यवस्था जन विभाग के अन्तर्गत थे। कामराज के समय में ऐसा ही था। करुणानिधि की प्रथम शासनावधि में भी यही था। एम० जी० आर० के शासन के 11 वर्षों में भी ऐसा ही होता था। किन्तु, जब श्री करुणानिधि दोबारा मुख्यमन्त्री बने, तो जन व्यवस्था और कानून व्यवस्था और व्यवस्था तो जन विभाग में मुख्य सचिव के अधीन रहे। जब तक 1989 में राजीव गांधी की सरकार यहां रही, यह परिवर्तन करने का साहस उन्हें नहीं हुआ। श्री वी० पी०

सिंह की सरकार के सत्ता में आने के बाद और जब उन्हें यह आश्वासन प्राप्त हो गया कि उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और विधानसभा भंग की जाएगी, जब एक बार वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए, तो उन्होंने तमिलनाडु प्रशासन में अत्यन्त घातक परिवर्तन किए। दिनांक 17 फरवरी 1990 को जन व्यवस्था और कानून और व्यवस्था को मुख्य सचिव के अधिकार से लेकर गृह सचिव के अधिकार में कर दिया गया। तमिलनाडु में गृहसचिव श्री करुणानिधि से कुछ खास भिन्न नहीं हैं वे श्री करुणानिधि के एक निकट संबंधी हैं। उनके राजनैतिक आचार व विचार एक ही है और सारा तमिलनाडु और विशेषकर प्रशासनिक सेवाएं जानती हैं कि व्यवहार में तत्कालीन गृह सचिव तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री थे। उनकी बर्खास्तगी के पश्चात् यह स्थिति बदल गई है।

दिनांक 2 फरवरी, 1991 को जिन व्यवस्था, कानून और व्यवस्था को पुनः मुख्य सचिव के अधीन कर दिया गया। अतः, 17 फरवरी, 1990 से 2 फरवरी, 1991 की इस 12 महीनों की अवधि में जो कुछ हुआ वह तमिलनाडु का अत्यन्त गोपनीय इतिहास बन चुका है।

2.59 म० प०

[श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

अप्रैल, 1990 में तमिलनाडु राज्य की पुलिस की 'क्यू' शाखा ने लिट्टे से औपचारिक संबंध स्थापित कर लिए। मुझे विश्वास है कि इस बात के सबूत हैं कि लिट्टे का एक नेता 'क्यू' शाखा से मिला और एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया कि किस प्रकार 'लिट्टे' पुलिस के हस्तक्षेप के बगैर तमिलनाडु में अपनी गतिविधियां जारी रख सकती है।

'ई०पी०आर०एल०एफ०' कैडरों को उड़ीसा लाया गया। श्रीलंका के उत्तर पूर्व प्रांत से खदेड़ दिए जाने पर वे यहां शरणार्थी के तौर पर आए थे। प्रारंभ में उन्हें उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में रखा गया।

3.00 म० प०

फिर, क्योंकि उन्हें वहां की भाषा, जलवायु या भोजन पसन्द नहीं आया उनके अनुरोध पर और तमिलनाडु की जनता की मांग पर उन्हें तमिलनाडु भेज दिया गया। 'ई०पी०आर०एल०एफ०' और विशेषकर श्री पद्मनाभ और अन्य वरिष्ठ नेताओं की प्रत्येक गतिविधि राज्य पुलिस द्वारा लिट्टे को बताई गई। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में, जब पद्मनाभ मद्रास आए, तो उनके आगमन की सूचना लिट्टे को दी गई। ई०पी०आर०एल०एफ० के मुख्यालय के स्थान की सूचना लिट्टे को दी गई और 19 जून, 1990 को मद्रास शहर में फिलहाल के कुछ वर्षों में किया गया सर्वाधिक कायरता पूर्ण अपराध हुआ। श्री पद्मनाभ सहित, 'ई०पी०आर०एल०एफ०' के लगभग सोलह या सत्रह व्यक्ति लिट्टे द्वारा मारे गए। श्री करुणानिधि और उनके मुख्य पुलिस अधिकारी मुख्याधिकारी प्रथम प्रतिक्रिया थी; "हम नहीं जानते कि ये हत्याएं किसने की हैं।" उन्होंने सिर्फ उनकी हत्या ह.

नहीं की। बल्कि उन्होंने मद्रास से तंजावूर किनारे तक 350 किलोमीटर की दूरी पार की और हमारी महान केन्द्रीय सरकार और करुणानिधि की तमिनाडु पुलिस उन्हें रोक नहीं सकी जब उन्होंने मद्रास से तंजाबुर किनारे को 350 किलोमीटर को दूरी पार की और वे एक नाव में पाक जल-संधि से बचकर निकल गए। संसद के एक माननीय सदस्य जो डी०एम०के० और राष्ट्रीय मोर्चा के अंग से संबंधित है, वे लिट्टे के एक जासूस से 'डिक्सन' के नाम से मिले, और एक अन्य जासूस से 'नतेशान' नाम से मिले और उन्हें सूचित किया कि 'ई०पी०आर०एल०एफ०' के व्यक्तियों की हत्या के बाद, उन पर कार्यवाही करने के लिए दबाव पड़ रहा है और इसलिए लिट्टे को अपने वायरलैस संदेश भेजने में काफी सावधान रहना चाहिए। मैं गृह राज्य मन्त्री से पूछता हूं कि वह इस बात को स्वीकार करें या इसका खंडन करें कि 26 जून, 1990 को मुख्यमन्त्री जी "लिट्टे" (एल० टी० टी० ई०) के दो गुप्तचर श्री कासी आनंदन तथा श्री नतेशन से मिले थे। ये दो नाम कल मद्रास में वाणिज्य मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बताये थे।

एक माननीय सदस्य : बहुत विश्वसनीय सूत्र है।

श्री पी० चिदम्बरम : वह आपके सूत्रों से बेहतर हैं। 26 जून, 1990 को मुख्यमन्त्री ने इन दो गुप्तचरों से मुलाकात की थी। उस दिन अर्थात् इस हत्या के सात दिन पश्चात् द्रविड मुनेत्र कषगम ने "लिट्टे" को चार लाख रुपए दिए थे। उस बैठक में एक माननीय संसद सदस्य उपस्थित थे तथा उस बैठक में मुख्यमन्त्री ने "लिट्टे" के नेताओं से कहा था कि "यहां पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप मुझे विश्वास में ले लीजिए ताकि मैं पुलिस को सचेत कर सकूं। यह पदनामन एक धोखेबाज हैं इसी प्रकार वर्दराज पेरूमल भी एक धोखेबाज हैं। मुझे केवल इसी बात का पछतावा है कि पद्मनाभ की तमिलनाडु में हत्या हुई तथा इसीलिए यह मेरा कर्त्तव्य बनता है कि मैं उसके शव पर फूलमाला चढ़ाऊं परन्तु मैं शवयात्रा में शामिल नहीं होऊंगा।" उन्होंने श्री नतेशन तथा कासी आनन्दन से ऐसा कहा बताया गया है। उन माननीय संसद सदस्य ने "लिट्टे" को एक संदेश भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि ई०पी०आर०एल०एफ० एक नेता की हत्या में अपना हाथ होने मे इंकार करो" छानबीन शुरू होने से पहले ही मुख्य पुलिस आयुक्त ने "लिट्टे" को दोष-मुक्त करार दे दिया था। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात् भी तथा उनके पास बेतार संचार सुविधा होने के बावजूद वे एक वाहन को नहीं रोक सके वे जानते थे कि नावें कहां खड़ी हुई हैं परन्तु उन्होंने उन्हें जाने दिया। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को ई०पी०आर०एल०एफ० के नेताओं की हत्या के सिलसिले में क्या निर्देश दिए थे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई निर्देश दिए गए थे ? यदि निर्देश दिए गए थे तो वे कौन से निर्देश थे ? यदि निर्देश भेजे गए थे तो क्या उनका पालन किया गया था ? हम इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। क्या ये निर्देश केवल कागजों पर ही दिए गए थे अथवा क्या उनका पालन किया गया था ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गई थी ? क्या दिल्ली से कोई अधिकारी वहां गया था ? केन्द्र सरकार ने उन ई०पी०आर०एल०एफ० शरणार्थियों की सुरक्षा के क्या प्रबन्ध किए थे जिन्हें भारत सरकार

उत्तर-पूर्व क्षेत्र से इस देश में इस वादे के साथ लेकर आई थी कि उन्हें शरण, आश्रय तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी ?

महोदय, इस समय तत्कालीन गृह सचिव ने "लिट्टे" के साथ अनेक गुप्त बैठकें की थी तथा उन्हें बताया था कि "चिन्ता मत कीजिए। गुप्तचर विभाग की ओर ध्यान मत दीजिए, यदि गुप्तचर विभाग अथवा तमिलनाडु पुलिस की किसी शाखा का कोई अधिकारी आपके पास आता है तथा आप से कोई भी प्रश्न करता है तब उन प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। मैं उन्हें देख लूंगा।" क्या यह सही है अथवा नहीं ?

महोदय, अब मैं वर्ष 1990 में घटी एक दूसरी चौंका देने वाली घटना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 14 मई, 1990 को तमिलनाडु पुलिस की किसी शाखा ने कोयम्बटूर में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त नं० 1 अरुणैमी नामक व्यक्ति है जो द्रविड कणगम का जिला सचिव है। द्रविड कषगम द्रविड मुनेत्र कषगम का पूर्व संगठन है तथा अभी भी द्रविड मुनेत्र कषगम के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। उनके खिलाफ आरोप यह लगाया गया था कि भूमिगत शस्त्र कारखानों में हथियार, बम तथा गोला-बारूद बनाये जा रहे थे। आरूल-89 नामक बम बनाया गया था। पसालन-2000 नामक बारूद बनाया जा रहा था। कलेमोर माइन्स तथा जौनी माइन्स बनाई गई थी। 30," 40" मोर्टार बनाए गए थे। महोदय, मैं गृह राज्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? क्या यह मामला विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार की जानकारी में आई थी ? इस मामले में कितनी उन्नति हुई है, क्या इस बारे में उन्होंने जांच-पड़ताल की थी ? जो विदेशी भारत में शरण लेने आए थे तथा उन्होंने कोयम्बटूर में एक बड़े आयुध कारखाने की स्थापना की थी, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था तथा एक मुकदमा दर्ज किया था। केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की थी ? उस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ? वह मामला कितना आगे बढ़ा है ? किल्ले अन्नान तथा उदयन कौन हैं ? महोदय, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार किल्ले अन्नान तथा उदयन 'लिट्टे" के ही दो प्रमुख कार्यकर्त्ता थे जिन्हें विशेष रूप से कोयम्बटूर में इस आयुध कारखाने की स्थापना करने का काम सौंपा गया था। उदयन को सबसे पहले कब गिरफ्तार किया गया था ? उद्यन को विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार तथा करुणानिधि सरकार के शासन के दौरान नहीं पकड़ा गया था बल्कि उसे यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् इसी वर्ष 4 फरवरी को पकड़ा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उद्यन से पूछताछ की गई है ? उद्यन ने क्या कहा था ? क्या उसने कुछ स्वीकार किया है ? क्या उसने यह बताया है कि वहां क्या बनाया जा रहा था ? क्या उसने यह भी बताया है कि श्रीलंका को क्या भेजा गया था ? क्या उसने धन प्राप्त करने के साधनों के बारे में कुछ बताया है ?

महोदय, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए तथा हमें यह मालूम होना ही चाहिए कि 14-5-1990 को तमिलनाडु पुलिस की किसी शाखा द्वारा दर्ज किए गए इस मुकदमे में कितनी प्रगति हुई है :

महोदय, अब मैं आपको एक और दूसरी गोपनीय घटना के बारे में बताता हूं। एक "लिट्टे" के एक प्रख्यात सदस्य को विशेष रूप से तमिलनाडु तट पर नावों को उतारने, खेने आदि के काम पर लगाया गया था। इनमें से कई ऐसे तट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं तथा पिछले संसद सत्र में मुझे उनके बारे में कुछ कहने का अवसर मिला था। मैंने प्रधानमन्त्री महोदय से इस मामले की छानबीन हेतु अधिकारी नियुक्त करने की मांग की थी। प्रधानमन्त्री जी ने मुझे लिखा भी था कि मैंने जो कहा था उसे किया गया है। आज, मेरे पास कुछ और सूचना है।

महोदय, नावों को खरीद करने के लिए तथा तमिलनाडु में डीजल, पेट्रोल, अन्य पेट्रोलियम उत्पाद, स्वर्ण तथा हथियारों की तस्करी करने के लिए उनका उपयोग करने के लिए यहां एक बड़ा कार्य शुरू किया गया था। जुलाई, 199) से लेकर दिसम्बर, 1990 की अव धि के दौरान प्रति सप्ताह औसतन दो से तीन नावें वहां उतरती थी। हो सकता है इससे भी अधिक उतरती हों। छः मास की इस अवधि के दौरान तमिलनाडु से एक लाख लीटर पेट्रोल भेजा गया था। ऐसा कैसे हुआ? 2 जुलाई 1990 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने नतेसन, जिसे गुप्तचर नियुक्त किया था उससे मुलाकात की थी। गांवों की एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई थी जिन्हें नौकाएं आदि के रुकने के स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं आपको उन गांवों के नाम बताऊंगा। पुदुकोट्टाय जिले में मीमिसल तथा रामनाथमन जिले में मुल्लीमुनै, करंगडु, सोलियाकुड्डी तथा एम.आर पंतनम नामक गांव हैं : इस उद्देश्य के लिए इन गांवों का चयन किया गया है। इनमें से चार गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। मैं वहां गया था तथा पिछले संसद सत्र में मैंने ये आरोप लगाए थे। इन गांवों में बस सेवा, जल आपूर्ति आदि कम कर दी गई है ताकि इन गांवों से लोग आ जा न सकें मैंने स्वयं इन स्थलों को देखा है। उस पूरे क्षेत्र को साफ-सुथरा कर दियाग या है ताकि नाव जब कभी भी वहां आ जा सकती हैं। लिट्टे के विशेष अनुरोध पर तत्कालीन गृह सचिव ने कहा था कि नावों के यहां पर आने-उतरने के लिए मल्लीपतनम को भी साफ कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में नावें खरीदी गई थी तथा तमिलनाडु की एक फर्म में फाइबर ग्लास वाली नावों को बनाने का आर्डर दिया गया था। जब मैं 'अल्फा' के बारे में जिक्र करूंगा उस समय मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। गुप्तचर मलेशिया में नाव खरीदने के लिए गए थे वह इंग्लैंड में धन की व्यवस्था करने के लिए गए थे। मलेशिया में नाव खरीदी गई, इंग्लैंड से धन प्राप्त किया गया, तमिलनाडु के एक कारखाने में नाव बनाने का आदेश दिया गया तथा इन नावों का इस्तेमाल किया गया।

महोदय, हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार अकेले डेढ़ करोड़ रु० मूल्य के सोने की तस्करी की गई थी तथा पिछले छः मास के दौरान लगभग डेढ़ करोड़ रु० का लेन-देन किया गया था। केन्द्र सरकार क्या कर रही थी? उस समय प्रवर्तक निदेशालय क्या कर रहा था? उस समय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो क्या कर रहा था? राजस्व आसूचना विभाग क्या कर रहा था तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों को क्या हो गया था? 12 दिसम्बर, 1987 को श्री गोविन्दराजन, सीमा शुल्क निरीक्षक तथा चार अन्य कांस्टेबलों का अपहरण कर लिया गया था तथा वे 24 दिसम्बर, 1989 को वापस लौटे थे। अनेक बार मांग करने के बावजूद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने अभी तक

संसद में तथा इस देश को यह नहीं बताया है कि 12 दिसम्बर, 1989 से लेकर 24 दिसम्बर, 1989 की अवधि में इन सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ क्या हुआ था। "लिट्टे" कार्यकर्ताओं ने उनका अपहरण किया था जो उन्हें श्रीलंका में एक दूरस्थ स्थान में ले गए थे जहां उन्हें बारह दिन तक बन्दी बनाकर रखा गया था। फिर उन्हें वापस तमिलनाडु लाया गया। इस अवधि के दौरान 94 लाख रुपये हथियारों की खरीद के लिए बैंकांक भेजे गए थे। इस कार्य में "लिट्टे" कार्यकर्ताओं ने एक माननीय संसद समस्य की कार का इस्तेमाल किया था। यह कार 29 जून, 1990 को तमिलनाडु में रोकी गयी थी। इसमें श्री अदैक्कालम नाम का एक राज्य कर्मचारी था, इन बातों के बारे में तमिनाडु का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अब ये बातें स्पष्ट हो गयी हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 29 जून, 1990 को कार रोकी गयी थी तथा इसमें श्री अदंक्कलम नामक एक राज्य कर्मचारी था? क्या यह भी सच है कि यह कार लिट्टे द्वारा प्रयोग की गयी थी? क्या यह भी सच है कि नौकाओं के आने-जाने के लिए ये गांव साफ किये थे? अब तक किसको गिरफ्तार किया गया है? हमें सूचना मिली है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में उदायन के साथ-साथ मैनन और किरुवन को गिरफ्तार किया गया है। क्या मैनन तथा किरुवन से पूछताछ की गयी है? पूछताछ के दौरान उन्हें पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

महोदय, मैं एक और आरोप लगाता हूं कि इनमें से एक व्यक्ति को तमिलनाडु पुलिस ने विगत वर्ष दो बार गिरफ्तार किया था। सामान्य कार्यवाही में वे उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं जो संदिग्ध अवस्था में घूमते हैं; इनमें से एक व्यक्ति को दो बार गिरफ्तार किया गया और दोनों बार इसे राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस रिकार्ड में इसकी गिरफ्तारी दिखाये बिना ही छोड़ दिया गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसे तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था और अब उसे हिरासत में लिया गया है। क्या केन्द्र सरकार को इन गिरफ्तारियों की जानकारी थी? क्या सरकार को इस लेन-देन, तस्करी संबंधी गतिविधियों की जानकारी थी और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

महोदय, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री की श्री नाटेसन से 2 जुलाई, 1990 को भेंट हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि लिट्टे के लोगों को उतरने के लिए तटीय क्षेत्र को साफ कर दिया जाएगा साथ ही उन्होंने एक और रुचिकार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज से बातचीत कर ली है, आप अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यह मालूम करने के लिए आरोप लगा रहा हूं कि क्या बैठक हुई थी अथवा नही। मैंने आपको तारीख, स्थान और नाम बता दिए हैं। अब सरकार हमें बताये कि क्या कोई बैठक हुई थी।

अब मैं लिट्टे-उल्फा के बीच संबंध का उल्लेख करना चाहता हूं। 2 सितम्बर, 1990 को श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह कहा था कि उल्फा आतंकवादियों के गुट के रूप में उभरा है और इसका लिट्टे सहित भारत के सभी आतंकवादी समूहो से संबध है। यह मेरा वक्तव्य नहीं है। यह श्री जार्ज फर्नान्डीज का वक्तव्य है जो उन्होंने 2 सितम्बर को दिया था।

मैंने पिछली बार सभा में कुछ जानकारी दी थी। मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें बतायें कि क्या यह सच है अथवा नहीं। वीं.पी.सिंह की सरकार के सत्ता में आने के बाद उल्फा के सर्वोच्च नेता श्री कोकिल गोगोई ने मद्रास का दौरा किया था। फरवरी 1990 में तमिलनाडु में उल्फा के एक सेल केन्द्र की स्थापना की गयी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:—

1. तमिलनाडु में कुछ सुरक्षित ठिकाने बनाए जायें जिससे असम में उल्फा के कार्यकर्ताओं पर दबाव पड़ने के कारण तमिलनाडु में उन्हें शरण मिल सकेगी।

2. घायल उल्फा कार्यकर्ताओं को क्रिश्चियन मेडीकल कालेज, वेलोर के झूठे रिकार्ड के द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान की जाये।

3. लिट्टे के लिए हथियार प्राप्त करने तथा प्रशिक्षकों की भर्ती की सुविधा प्रदान की जाये

तमिलनाडु के तीन सदस्यों का एक सेल स्थापित किया था। पिछली बार भी मैंने आरोप लगाया था कि मद्रास और वेलोर में छः सुरक्षित ठिकाने हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इन छः ठिकानों का प्रयोग एक साथ किया जाता है परन्तु इतना हो सकता है कि तीन ठिकाने कुछ समय के लिए प्रयोग किए जाते थे उसके बाद वे दूसरे ठिकाने पर चले जाते थे तदुपरान्त दूसरे ठिकानों का प्रयोग होता था। परन्तु मद्रास और वेलोर में छः सुरक्षित ठिकाने थे। आपको याद होगा कि पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ की हत्या कर दी गयी थी जिसमें असम पुलिस का सदेह श्री जुवल गोगोई पर था। पुलिस महानिदेशक, असम ने पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ की हत्या और कुछ अन्य मामलों के संबंध में केवल श्री जुवल गोगोई को ही नहीं बल्कि कुछ अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कराने में सहायता प्राप्त करने के लिए दो पत्र लिखे थे। पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु ने इन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने यह बात राजनैतिक व्यक्तियों को बतायी थी परन्तु इतना अवश्य था कि उन्होंने राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ इसके बारे में विचार-विमर्श नहीं किया था। श्री जुवल गोगोई फरवरी, 1990 में अनेक बार तमिलनाडु गए थे। इस कारण यह विश्वास है कि वह तमिलनाडु-मद्रास-वेलोर में अनेक दिनों तक ठहरे थे परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। केन्द्र में वी.पी.सिंह के स्थान पर चन्द्रशेखर की सरकार बनने के बाद दिसम्बर, 1990 में श्री जुवल गोगोई को गिरफ्तार कर लिया गया।

मैं उन हालातों को जानना चाहता हूं कि जिनके अन्तर्गत श्री जुवल गोगोई को गिरफ्तार किया गया था तथा ऐसा किसके कहने पर किया गया था? यह सूचना किसने दी थी कि वह वेलोर में है, उन्हें किस प्रकार गिरफ्तार किया गया तथा वह कब से तमिलनाडु में थे, उन्हें पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

मैं मांग करता हूं कि पुलिस महानिदेशक, असम द्वारा पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को को लिखे गए दो पत्रों की जांच की जाए कि पुलिस महानिदेशक, तमिलानडु द्वारा इन पर कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं तथा उन सभी परिस्थितियों की जांच की जाए जिनके कारण श्री गोगोई को दिसम्बर, 1990 में गिरफ्तार किया गया था तथा इसे सभा पटल पर रखा जाए। यह बड़ा गम्भीर आरोप है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पुलिस अधीक्षक, डिब्रुगढ़ की हत्या कर दी गई, राज्य सरकार ने हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहा। उन्हें सूचना मिली कि वह तमिलनाडु चला गया। उन्होंने संबंधित राज्य करकार को लिखा परन्तु राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। केन्द्र सरकार अपने दायित्वों से प्रति उदासीन थी केन्द्र में सरकार बदलने के बाद नयी सरकार के कहने पर दिसम्बर, 1990 में श्री जुवल गोगोई को गिरफ्तार किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कर्नाटक सरकार द्वारा।

श्री पी. चिदम्बरम : श्री वी० पी० सिंह आपको बहुत जबाब देने हैं। आपकी भी बारी आएगी। यदि आप सत्ता में रहते तो आप तमिलनाडु का विनाश कर देते। आप भारत का विनाश कर देते (**व्यवधान**) आप आरोप का जबाब दे सकते हैं। आप अभी हस्तक्षेप क्यों करते है (**व्यवधान**) तमिलनाडु जाइए वहां की जनता आपको सबक सिखायेगी। (**व्यवधान**)*

श्री श्रीकान्त जेना (**कटक** : वह इसके लिए जिम्मेदार हैं।

सभापति महोदय : इन सब बातों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये सब अनावश्यक टिप्पणियां हैं। इसलिए इन्हें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी भी बारी आएगी। श्री चिदम्बरम, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

(**व्यवधान**)

श्री पी. चिदम्बरम : श्री रातुल कटोकी और अन्य दो व्यक्तियों समेत तीन सदस्यों वाली उल्फा की केन्द्रीय समिति ने तमिलनाडु का अगस्त के प्रथम सप्ताह में दौरा किया था **व्यवधान**) वे रंगप्पा के नाम से लिट्टे के सर्वोच्च नेता के साथ असम लौटे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इसके बाद श्री वी०पी०सिंह बोलेंगे। यदि आप ऐसा ही करते रहेंगे तो श्री वी.पी.सिंह के बोलते समय वे भी व्यवधान डालेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : मैं सभा की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया!

सभापति महोदय : आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ।

श्री पी० चिदम्बरम : अगस्त के प्रथम सप्ताह में श्री राहुल कटोकी और दो अन्य व्यक्तियों वाली केन्द्रीय उल्फा समिति ने तमिलनाडु का दौरा किया था । वे लिट्टे के रंगप्पा नाम के नेता के साथ असम लौटे थे । रंगप्पा असम में दो महीने तक ठहरे थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई प्रमाण है कि लिट्टे के प्रशिक्षकों ने असम का दौरा किया है । क्या 'लिट्टे' के प्रशिक्षकों द्वारा 'उल्फा' के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कोई प्रमाण है ! 'उल्फा' और 'लिट्टे' के बीच क्या संबंध है ? यह सभी सभा के समक्ष रखा जाए ।

महोदय, बहुत दिन पहले की बात नहीं है, तीन माह पूर्व 14 नवम्बर, 1990 को तत्कालीन गृह सचिव ने एक आश्चर्यजनक वक्तव्य दिया था । यह सभी समाचारपत्रों में नवम्बर को प्रकाशित हुआ । अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा— 'तमिलनाडु में 'लिट्टे' अथवा कोई भी अन्य उग्रवादी गुट घुसपैठ नहीं कर रहा है ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह कब कहा गया था ?

श्री पी०चिदम्बरम : तीन माह पूर्व-14 नवम्बर, 1990 को ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब श्री सुबोधकान्त मंत्री थे ।

श्री पी चिदम्बरम : वास्तव में श्री सुबोधकांत मंत्री थे और श्री वी०पी० सिंह प्रधानमंत्री थे । (**व्यवधान**)

श्री सभापति महोदय : कृपया शांत रहिये । पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना उठायी गयी ये सभी बातें कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएंगी ।

(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : उन्होंने आश्चर्यजनक वक्तव्य दिये । इसका विस्तृत ब्यौरा समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ । उन्होंने कहा—' तमिलनाडु में 'लिट्टे' सहित किसी भी उग्रवादी गुट द्वारा घुसपैठ नहीं की गई है । जैसा कि आरोप लगाया गया है । तमिलनाडु में अथवा इससे बाहर कोई तस्करी नहीं होती और कोई वायरलेस से बातचीत नहीं होती है ।" महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् फरवरी माह में 17 मुख्य 'लिट्टे' नेता गिरफ्तार किये गये जिनमें छ. उनके सर्वोच्च नेता थे । उसके कुछ ही समय बाद 12 और व्यक्ति पकड़े गये जिससे पकड़े गये कुल लोगों की संख्या बढ़कर 29 हो गई । जब ये 29 व्यक्ति पकड़े गये, तो उनके पास से 27 पासपोर्ट जब्त किये गए जो असली पासपोर्ट इस अर्थ में थे कि वे एक सक्षम अधिकारी द्वारा काल्पनिक नामों पर भारत सरकार

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

तथा श्रीलंका की सरकारों ने जारी किये थे। हवाला नामक लेन-देन से संबंधित कागजात बरामद किये गये, जिनमें 1½ करोड़ रु० की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हवाला नामक लेन देन के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ? (**व्यवधान**)

श्री पी चिदम्बरम : अति उच्चशक्ति वाले वायरलेस से संचार व्यवस्था बरामद हुई और यहां तीन माह पूर्व एक गृह सचिव ने यह वक्तव्य दे डाला कि तमिलनाडु में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं चल रही है। पांच दिन के बाद जब सरकार बर्खास्त की गई तथा इन लोगों को पकड़ा गया, तो ये सभी बातें सामने आईं (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें। लगातार बातचीत नहीं की जानी चाहिये।

(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भारत सरकार क्या कर रही है जिन्होंने इन बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। मेरा यह आरोप है कि 1990 में जो घटनाएं घटी, उन पर पर्दा डालने के लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की मिली भगत थी। सरकार परिवर्तन के बाद 12 दिसम्बर, 1990 को मुख्यमंत्री ने पुन: श्री कासी आनंदन से मुलाकात की। इसके अलावा 19 दिसम्बर, 1990 को उन्होंने दूसरे दूत श्री सच्चिदानंदन से भेंट की। उनका कहना है कि, वह केंद्र सरकार के दबाव में हैं। वह कहते हैं : "अर्ध सैनिक बल तमिलनाडु में जल्द ही पहुंच रहे हैं इसलिये, छिप जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री पर हमारा यह आरोप है कि उन्होंने 'लिट्टे' को यह सूचना पहुंचाई थी कि अर्ध-सैनिक बल वहां पहुंच रहे हैं और सलाह भी दी कि वे छिप जाए। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें यह सब जानकारी कहां से मिली ?

श्री पी. चिदम्बरम : आप इस आरोप से इंकार करते हैं। मैं यह जानता हूं चूंकि मैं ध्यान-पूर्वक अपनी बात कहता हूं। जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था तो आप यहां नहीं थे। मैं जिम्मेवारी लेता हूं। मैं जानता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी आप जब बोलेंगे तभी इसका उत्तर दे सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने जिम्मेवारी तो ले ली है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह एक माननीय सदस्य हैं और स्पष्ट है कि वह सरकार में नहीं हैं। उन्होंने सरकारी दस्तावेज कैसे देखे ? (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने जो भी कहा है, उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है। मैं एक सार्वजनिक जांच की मांग करता हूं। **(व्यवधान)**

समापति महोदय : यह ठीक नहीं है। श्री चटर्जी जब आप बोलें तभी आप उत्तर दे सकते हैं। आप इंकार कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यहां सरकार नहीं हूं। प्रश्न यह है कि उन्हें यह सब कैसे पता चला?

(व्यवधान)

समापति महोदय : उनका कहना है कि वे यह जानते हैं। श्री चटर्जी, कृपया समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह पार्टी का मामला नहीं। उन्हें इसका कैसे पता चला। यदि मैं फाईल मांगूं तो क्या वह दिखाएंगे ?

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आप चाहें तो मांग सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप यह कहना चाहते थे।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं यह नहीं चाहता। मैं नहीं बता सकता कि मुझे यह जानकारी कैसे मिली।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह षडयंत्र है। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : यह पद बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। मुझे याद है कि कभी इस पद पर माननीय सदस्य श्री जसवन्तसिंह हुआ करते थे। जब श्री जसवन्तसिंह खड़े होकर वक्तव्य दिया करते थे, तो श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह नहीं पूछा कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली। आज वह जानना चाहते हैं, "कि मुझे यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई।" मैंने यह जानकारी उसी तरह प्राप्त की जिस तरह श्री जसवन्तसिंह जानकारी प्राप्त करते थे। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः आप श्री जसवन्तसिंह से प्रभावित हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हां, मैं प्रभावित हूं। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा के प्रश्न पर श्री जसवन्तसिंह की पार्टी पूरी तरह हम से सहमत है **(व्यवधान)**

समापति महोदय : आप और कितने मिनट का समय लेंगे ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं पांच मिनट का समय लूंगा। तमिलनाडु में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। **(व्यवधान)** तमिलनाडु में क्या हो रहा है इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब तक कांग्रेस (इ) ही सबसे बड़ी पार्टी रही है और अब वे(**व्यवधान**)

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्या यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जा रहा है ?

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह सब बातें जो मेरी अनुमति के बिना बोली गई है उन बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे श्री सोमनाथ चटर्जी हों या श्री संतोष मोहन देव हों, जो भी टिप्पणियां मेरी अनुमति के बिना की गई हैं, उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पी० चिदम्बरम : इसका क्या फायदा है? तमिलनाडु में पिछले डेढ़ वर्ष से जो कुछ हुआ है, उसी कारण उग्र राष्ट्रपति और अलगाववादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। तमिल राष्ट्रवादी आन्दोलन जो 1990 में शुरू हुआ आज तमिलनाडु में सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि यह तमिल लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार में विश्वास करता है। यह सब तमिलनाडु में डी० एम० के० सरकार और श्री वी० पी० सिंह द्वारा उत्पन्न राजनीतिक वातावरण के कारण हुआ है। डी० एम० के० ने लगभग 26 या 27 वर्ष पहले 1963 में अलगावाद को छोड़ दिया था, उन्होंने अलग से तमिलनाडु या सार्वजनिक रूप से अलगावाद के लिए आवाज नहीं उठायी थी। आज तमिलनाडु में ऐसा वातावरण विकसित किया जा रहा है कि तमिल राष्ट्रवादी आन्दोलन 1990 में शुरू हुआ था और यह एक पार्टी के रूप में है। वह हमको बता रहा है कि यह तमिल लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार में विश्वास करता है (**व्यवधान**) इस प्रकार के अलगाववादी आन्दोलनों को बढ़ावा मिलता है। यदि आप इसको शुरू में ही समाप्त नहीं करेंगे, और जब तक आप कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह विकट रूप धारण कर लेगा। आज थमिजह मनवर पैरावी तथाकथित विद्यार्थी निकाय है। मार्क्सिस्ट पेरियरिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी…

एक माननीय सदस्य : श्री सोमनाथ चटर्जी की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री चिदम्बरम ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने ऐसा नहीं कहा है। आज मर्किस्ट पैरीयारिस्ट कम्यूनिटी पार्टी है कम से कम ऐसे तीन संगठन हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि बड़े तमिलों को बड़ा तमिलनाडू बनाना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से आत्म-निर्णय और अलगाववादी होने की बात कर रहे हैं। यही समय है जब हम सब को मिलकर इस बुराई को दूर करना चाहिए। आपको तमिलनाडु में इसको और आगे बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए यह एक विकृति का रूप धारण कर लेगी और फिर इस बुराई पर नियंत्रण करना कठिन हो जायेगा।

यह गलत धारणा है कि तमिलनाडु में शान्ति है। वर्ष 1990 में वहां 37 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं। मैं इसकी किसी अन्य राज्य से कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ अन्य राज्य हैं, जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, इन 37 साम्प्रदायिक घटनाओं में 8 व्यक्ति मारे गये और 237 घायल हुए थे। इसके अलावा 137 जाति सम्बन्धी दंगे हुए थे। उनमें 52 व्यक्ति मारे गये और 375 घायल हुए थे साथ ही 97 अन्तर्दलीय राजनीतिक दंगे हुए थे जिनमें 7 व्यक्ति मारे गये थे। यह जानकारी अब राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है।

राज्यपाल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मेरे लिए उसका उत्तर देना जरूरी नहीं है। मैं एक बार फिर 1977 की बात बताता हूं जब इस सिद्धान्त के प्रवंतकों ने अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौ सरकारों को बरखास्त किया था। यह आरोप लगाने से वह खुद ही झूठे पड़ जायेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा था, उससे राज्यपाल श्री बरनाला पूरी तरह अनभिज्ञ थे और उन्होंने इसे कई बार कहा राज्यपाल श्री बरनाला ने कहा "तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा था, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी क्योंकि मुझे अंधेरे में रखा गया था। मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई और मुख्यमंत्री द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी।" वह क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करते? सभी समाचार पत्रों में कहा गया था कि जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया, तब उनके समक्ष यह बातें रखी गयी थीं और मेरी जानकारी के अनुसार राज्यपाल श्री बरनाला ने यह कहा था कि यह जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास है, यह कार्य आपको करना है।

राज्यपाल श्री बरनाला को हटाने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मुझे एक प्रश्न पूछना है। राष्ट्रपति शासन के समय श्री एलेग्जेंडर वहां राज्यपाल थे ··· (व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी मुझे राज्य विधान मंडल में नहीं धकेल सकते। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और उनके पीछे पड़ा रहूंगा।

जब चुनाव हुए थे तब श्री एलेग्जेंडर राज्यपाल थे। इन्होंने डी० एम० के० सरकार को सत्ता सौंपी थी और श्री करूणानिधि ने उनकी बरखास्तगी की मांग नहीं की थी। फिर वी० पी० सिंह की सरकार ने राज्यपाल श्री एलेग्जेंडर को हटा दिया था। क्यों? राज्यपाल श्री बरनाला को हटाने के बारे में बड़ी ऊंची व तेज आवाजें उठाई गई हैं लेकिन, जब राज्यपाल एलेग्जेंडर को हटाया गया था, तब ये आवाजें कहां गई थीं। राज्यपाल श्री बरनाला को हटाने के बारे में उनके पास अधिकार कहां से आ गये।

आज हमने तमिलनाडु में तुरन्त चुनाव कराने की मांग की है मैं रिकार्ड में यह शामिल कराना चाहता हूं कि एक पार्टी के नेता जो चुनावों के विरुद्ध बोले हैं और वह स्पष्ट कह रहे हैं कि "तमिलनाडु में तुरन्त चुनाव क्यों होने चाहिएं" वह नेता श्री करुणानिधि जी हैं जो लोकतन्त्र में बड़ी श्रद्धा

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रखने वाले हैं। उन्होंने कहा है" तमिलनाडु में चुनाव क्यों कराये जाए" क्योंकि वह जानते हैं कि अगर तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, तो उनकी पार्टी तमिलनाडु में मिट जायेगी ? इसलिए वह तुरन्त चुनाव नहीं कराना चाहते। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस वाद-विवाद के अन्त में तमिलनाडु में चुनाव कराने की घोषणा करें।

अगले चार सप्ताहों में बहुत कुछ किया जाना है। प्रथमतः तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है। इस प्रणाली में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। प्रधानमंत्री या सम्बंधित मंत्री को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए।

डी० एम० के० ने पिछले वर्ष हुए 'कॉपरेटिव सोसाइटी' के चुनाव को चालाकी से जीता था। डी० एम० के० की यह द्वेष पूर्ण कार्यवाही थी जिससे उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई थी इस 'कॉपरेटिव' के चुनावों को रद्द किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन में यह रद्द नहीं किए जाते हैं तो मुझे नोटिस देने दीजिए कि नई लोकप्रिय सरकार इन 'कांपरेटिव' चुनावों को जो समूचे तमिलनाडु में पूर्णतः कपटता से करवाये गये थे, रद्द करेगी। बस ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीयकरण की धमकी देकर तथा पांच लाख से अधिक के कारोबार वाले होटलों पर बिक्री कर की धमकी देकर डी. एम. के. सरकार ने विशाल धन राशि एकत्र की है। मैं आपको एक असाधारण घटना के बारे में बताता हूं। तमिलनाडु के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि वह सकेण्डरी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती करेंगे, भर्ती हुई और लिस्ट तैयार की गई। चूंकि लिस्ट शिक्षा मंत्री द्वारा तैयार की गई थी, मुख्यमन्त्री ने उस लिस्ट को रोक लिया और फिर उस लिस्ट पर कभी अमल नहीं किया गया जिन लोगों ने उस लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए पैसों का भुगतान किया था, अब वे अपने पैसे डी० एम० के० से वापिस मांग रहे हैं (व्यवधान)

पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती लम्बित रखी गयी थी क्योंकि पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए धन एकत्र किया गया था। गांव स्तर के कार्यकर्त्ता—एक पुरुष तथा एक महिला कैडर जो कि डी० एम० के० से सम्बन्धित थे, को सभी 16,500 गांवों में नियुक्त किया गया, यही कार्य है, जो डी० एम० के० द्वारा किया गया। यदि राष्ट्रपति शासन में 33,000 नियुक्तियों को तुरन्त समाप्त नहीं किया जाता, तो मैं एक नोटिस दूंगा कि नई लोकप्रिय सरकार प्रत्येक गांव में डी० एम० के० कैडर में की गई। एक पुरुष व एक महिला कार्यकर्ता की इन नियुक्तियों को निश्चय ही समाप्त करेगी।

राजनैतिक दलों के नेताओं समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विरुद्ध झूठे मुकदमें दायर किये गए हैं। तमिलनाडु में ऐसा कोई भी समाचार पत्र नहीं है जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर न किया गया हो। तत्कालीन गृह सचिव ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राजनैनिक दलों के विरुद्ध मानहानि के अनेक मुकदमें दायर किये हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी भी इस बात की सफाई नहीं दे सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस बात की सफाई ?

श्री पी० चिदम्बरम : डी० एम० के० के विरुद्ध लिखने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के विरुद्ध दायर किये गये झूठे मुकदमों के पक्ष में सफाई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि झूठा मुकदमा है तो मैं आपका समर्थन करूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : जब कांग्रेस पार्टी ने श्री कामराज के नाम पर रखे गये एक रेलवे स्टेशन के नाम को बनाए रखने के लिए आन्दोलन किया तो 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कार्यपालिका और पुलिस के भारी दुरुपयोग के आधार पर उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय का यह फैसला एक खण्ड पीठ द्वारा दिया गया था। उस मुकदमें को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करने के लिए 50,000 मामले दर्ज किये गये थे। सत्याग्रह के लिए तिथि समय और स्थान की घोषणा कर दी गयी थी। जब मैं वहां गया तो पुलिस उपाधीक्षक ने कहा "कृपया इस प्लेटफार्म पर आईये; गाड़ी प्रतीक्षा कर रही है; कृपया सत्याग्रह शुरू कीजिए"। और 50,0 0 मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं।

जब ए० आई० ए० डी० एम० के० ने आन्दोलन शुरू किया तो उनके 30,000 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। उनके मामले लम्बित पड़े हैं।

इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राजनैतिक दलों और उनके नेताओं के विरुद्ध दायर किये गये इन झूठे मुकदमों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम चुनाव कराये जाने की मांग करते हैं। हम चुनाव स्थगित कर दिये जाने की स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

महोदय, रमजान का त्यौहार 18 मार्च से शुरू हो रहा है और 17 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। चूंकि मुझसे कहा गया है कि महाविद्यालयों········

श्री सोमनाथ चटर्जी : जिनके द्वारा कहा गया ?

श्री पी० चिदम्बरम . विचारवान व्यक्तियों द्वारा मुझसे कहा गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्योंकि आप स्वय विचार नहीं सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : कोई भी व्यक्ति आपको न तो सही विचार और न ही मानवता की शिक्षा दे सकता है !

महोदय, मुझसे कहा गया कि अप्रैल में करीब दस दिनों तक विद्यालयों और महाविद्यालयों के भवन उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। ये सब हमें केवल अप्रैल के अन्त तक उपलब्ध हो सकते हैं। हम अप्रैल में जल्द ही चुनाव करवाना चाहेंगे। यदि रमजान के कारण, विद्यालयों और महाविद्यालयों के भवन उपलब्ध न हो पाने के कारण चुनाव कराया जाना संभव नहीं है तो हम मई के प्रथम सप्ताह में चुनाव कराये जाने की मांग करते हैं। महोदय हम मई में चुनाव करवाये जाने की मांग करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। (व्यवधान) मैं यह कहूंगा कि चुनाव मई के शुरू में ही होने चाहिए। महोदय, मैंने गम्भीर आरोप लगाये हैं। यदि इन गम्भीर आरोपों से इन्कार किया जाता है तो भी बात खत्म नहीं होती है। (व्यवधान) इस मामले में विलम्ब अथवा इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जन व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले में, तमिलनाडु में जो कुछ हुआ है उस मामले में हम सरकारी जांच की मांग करते हैं। हमें इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं मानना चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को, जन व्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्या है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इस सभा को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वर्ष 1989 के उत्तरार्ध में और वर्ष 1990 में जो कुछ हुआ है, तमिलों के लिए आत्म-निरीक्षण के अनुरोध के अन्तर्गत तथा अलगाववाद के समर्थन में एक पृथक तमिलनाडु की स्थापना के अपने गुप्त उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए डी० एम० के० ने जो किया है, इन सब मामलों की सरकारी जांच की जायेगी और इनकी जांच के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की जायेगी। तमिलनाडु के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से चुनाव और जांच कराये जाने की मांग का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

3.46 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

खाड़ी में व्याप्त स्थिति

सभापति महोदय : खाड़ी संकट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : सभापति महोदय जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि युद्ध बन्द कराने और खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये 23 फरवरी की सुरक्षा परिषद द्वारा किये गये प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ। जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है और विगत दो दिनों से जारी है। इसके परिणाम वास्तव में विनाशकारी होंगे। ईराक और कुवैत लगभग बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं। इन दो देशों के हजारों लोगों के दुख उठाने और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाने की संभावना है। इन विनाशकारी हथियारों के उपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मानवता के विरुद्ध एक अपराध है।

सुरक्षा परिषद में जिसकी बैठक सोवियत संघ की पहल पर बुलायी गयी थी और जिसमें श्री गोर्बाचोव के प्रस्ताव पेश किये थे, भारतीय शिष्ट मंडल ने दोनों पक्षों के बीच मतान्तर दूर कराने का तथा युद्ध बन्द कराने के लिये एक आधार तैयार करने का हर संभव प्रयास किया था। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आधार रूप में एक दस्तावेज तैयार करने के हमारे परामर्श को अधिकांश सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में एक समय तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में मसौदा तैयार करने के कार्य को भारत, इक्वाडोर और अस्ट्रीया के जिम्मे सौंपने के बारे में सोचा था; दुर्भाग्यवश कुछ सदस्यों द्वारा कठोर रुख अपना लिये जाने के कारण कि वर्तमान स्थिति में सुरक्षा परिषद को कोई भूमिका नहीं निभानी है। परिषद के लिये संयुक्त राष्ट्र

के चार्टर के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्बाह करना असंभव हो गया। तब से सुरक्षा परिषद मूक बनी रही। हमने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की सरकारों से उनकी राजधानियों में सम्पर्क स्थापित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे न्यूयार्क में सुरक्षा परिषद में अपने प्रतिनिधियों को निर्देश भेजे ताकि सुरक्षा परिषद अपनी उचित भूमिका निभा सके। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हम न्यूयार्क में सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों से, यह देखने के लिए सम्पर्क बनाये हुए है कि सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, हमारा सर्वप्रथम कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत कुवैत से ईराक की सम्पूर्ण वापसी के आधार पर युद्ध को बन्द कराना है। बिना और समय गंवाये सुरक्षा परिषद को इस शान्तिपूर्ण कार्य को करने का दायित्व अपने हाथों में लेना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति : आमतौर पर ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी जो कहा है वह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। सुबह हमने यह मुद्दा उठाया था और हम चाहते हैं कि जमीनी लड़ाई शुरू हो जाने के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए सभा द्वारा एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाए। हमने विश्व समुदाय से अनुरोध करने की कोशिश की ताकि युद्ध रुक जाए। वह संकल्प अध्यक्षपीठ के पास है। इसका क्या हुआ ?

श्री चन्द्रशेखर : यह सत्य है कि इस सम्बन्ध मे एक सुझाव दिया गया था कि हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। सभा के कुछ वर्गों को इस पर कुछ आपत्ति थी।

एक माननीय सदस्य : किस वर्ग को ? (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रशेखर : लेकिन मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की थी और सभी सहमत थे कि सरकार को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। यह वक्तव्य उन्हें दिखाया गया था और सभी राजनैतिक दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के गम्भीर मुद्दे पर सभा में मतभेद नहीं होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम यह स्थिति स्वीकार करते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय; मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो भारतीय नागरिक ईराक में फसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, ईराक में भारतीय नागरिक 107 या 109 हैं, उनको इस समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले जब उनसे कहा गया तो उस समय वे आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन चिंता ज्यादा कुवैत में है, जहां हमारे लगभग 5000 नागरिक अब भी हैं और उनमें से बहुत से लोग लड़ाई छिड़ी थी, उससे पहले उसके तुरंत बाद भी आने को तैयार

नहीं थे। आज दिक्कत यह है कि उनको निकालना बहुत कठिन है, असंभव तो मैं नहीं कह सकता फिर भी जितने लोग वहां पर उस लड़ाई में हैं. हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी सहायता वे कर सकें, करें।

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : बगदाद स्थित हमारा दूतावास किस प्रकार बद हो गया ? **(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : बगदाद स्थित हमारे मिशन को बन्द कर दिया गया है। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इराक में रह रहे हमारे देश के राष्ट्रकों के संबंध में कोई व्यवस्था की गई है. क्योंकि यह कहा जा रहा है, कि इराक स्थित हमारा दूतावास बन्द कर दिया गया है।

प्रो० राम गणेश कापसे सभी राष्ट्रों के दूतावास वहां कार्य कर रहे हैं। केवल हमारा दूतावास ही बन्द किया गया है **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर : यह सत्य नहीं है कि सभी दूतावास वहां कार्य कर रहे हैं। 'दक्षेस' के सदस्य देश, खाड़ी देश या पश्चिमी जगत के किसी देश का दूतावास वहां कार्य नहीं कर रहा है। यदि मेरी जानकारी सत्य है, तो केवल दो-तीन देशों के दूतावास ही वहां कार्य कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार हम उन आखिरी तीन देशों में से है, जिन्होंने अन्त में अपना दूतावास खाली किया है। मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। केवल क्यूबा और सोवियत संघ के थोड़े बहुत कर्मचारी वहां है। हमने किसी अन्य देश के साथ कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने अपने कूटनीति कर्मचारियों से तेहरान में रहकर भारत के हितों को देखने के लिए कहा है **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उन्हें अपने देश में वापिस लाने के लिए क्या किया जायेगा ? क्या आप इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ? कुवैत में भी लगभग 4000 लोग हैं।

श्री चन्द्रशेखर । कुवैत की स्थिति के बारे में आपको पता ही होगा, उस स्थिति में लोगों को निकाल पाना असंभव है। हम इराक से लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसी युद्ध की स्थिति आज वहां बनी हुई है उसमें लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में, मैं सदन को उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के बारे में कोई आश्वासन देने में अपने को असमर्थ पाता हूं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप उनको निकालने की घोषणा करते हैं उस स्थिति में मार्ग में उनके लिए और समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में चर्चा जारी रखी जाये। अब श्री जसवन्त सिंह बोलेंगे।

3.52 म० प०

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदय, तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी चर्चा को हम पुनः प्रारम्भ कर रहे हैं। शिवगंगा से हमारे माननीय सदस्य की टिप्पणियों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है····(**व्यवधान**) मैं माननीय सदस्य की बड़ी-बड़ी बातों से सहमत नहीं हूं। महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाये हैं। मैं कुछ देर में इन आरोपों की चर्चा करूंगा। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रश्न पर गम्भीर आरोप लगाते समय यदि माननीय सदस्य ने संकीर्ण रूख नहीं अपनाया होता तो मैं इसका स्वागत करता। मैं समझता हूं कि जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि तमिलनाडु राज्य की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग सबसे पहले की थी तो वह पूर्णतया सही थे। राज्य इकाईयां जो भी कार्य करती है, वह कार्य अधिकांशतः राज्य को राजनीति से प्रभावित होता है। अतएव मैं यह आवश्यक समझता हूं कि एक विशिष्ट स्थिति को छोड़कर, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मैं स्पष्ट कर दूं। तमिलनाडु में जो हाल ही में कार्यवाही की गई है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। वहां जो स्थिति बनी हुई है उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अनुच्छेद 356 के उपयोग पर या राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। महोदय, इस अनुच्छेद का प्रयोग और राष्ट्रपति शासन लागू करता कठोरतम उपाय है हमारे मतनुसार यह कदम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।····(**व्यवधान**)

जैसा कि मैंने कहा कि इस कदम को राष्ट्रीय हित को ध्याम में रखकर ही उठाया जाना चाहिए। दूसरी बात हमारी दृष्टि में यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू करते समय विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार एक कार्यकारी आदेश के द्वारा आप लोगों के जनादेश को ठुकरा रहे हैं। असम और तमिलनाडु में विधानसभाओं को भंग करना और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने में अन्तर है, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा निर्धारित पांच बर्षों में से दो ही वर्ष चल पाई थी। मैं सरकारिया आयोग से एक छोटा-सा उद्धरण देता हूं, जिसने संविधान के अनुच्छेद 356 और उसके विभिन्न उपधाराओं की विवेचना पर काफी कार्य किया है।····(**व्यवधान**)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : वह 1980 में जो कुछ हुआ, उसे भूल रहे हैं, जब करुणानिधि ने इस अधिकार के द्वारा एम० जी० रामचन्द्रन की ढाई साल पुरानी सरकार को बर्खास्त कराया था।····(**व्यवधान**)

इस बात के प्रमाण हैं कि एम० जी० रामचन्द्रन को सरकार को गिराने के पीछे श्री करुणानिधि का हाथ था। उनके दल ने एक प्रस्ताव पारित किया कि एम० जी० रामचन्द्रन सरकार को

बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वह 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास खो चुके थे। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मेरे मित्र श्री तम्बि दुरै ने जो कुछ कहा है, मैं उसका खण्डन नहीं कर रहा हूं। जो कुछ उन्होंने कहा उसकी सत्यता को मैं स्वीकार करता हूं। यदि इस प्रकार का कोई कदम उठाया गया था तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 356 के बारे में डा० अम्बेडकर ने जो विचार व्यक्त किए हैं और जिसे सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उद्धृत किया है वह इस प्रकार है :

> "मैं उन विचारों से सहमत हूं कि ऐसे अनुच्छेद को कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा और यह निष्क्रिय ही रहेंगे। यदि किसी तरह इनका प्रयोग किया जाता है तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति, जिन्हें यह शक्तियां प्राप्त होंगी, प्रांतों के प्रशासन को वास्तव में निलम्बित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेंगे। मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले वह गलती करने वाले उस प्रांत को केवल चेतावनी ही देंगे जहां कार्य उस तरह से नहीं हो रहे हों, जैसा कि संविधान में अभीष्ट है।"

मैं जो कुछ कह रहा हूं उस सम्बन्ध में संविधान तैयार करते समय डा० अम्बेडकर की यह चेतावनी महत्व रखती है। यह गलत समय पर बुलाया गया विकृत बजट सत्र है शीत कालीन सत्र भी विकृत किया गया था, जिसे सामान्यतया पांच सप्ताह चलना था। इसकी केवल दस बैठकें हुईं। तब भी उस दौरान मैंने माननीय प्रधानमंत्री से वह पूछा था कि तमिलनाडु में गंभीर स्थिति को महसूस करने और यह जानने के पश्चात् की तमिलनाडु सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, क्या आपने अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत कभी कोई निर्देश जारी किया, जब कि यह अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित है ? यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के निर्देशों को नहीं मानती है, यदि कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है, तब अन्य प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। क्या अनुच्छेद 246 के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किया गया था ? शिवगंगा के हमारे मान्ननीय सदस्य ने जो समस्याएं उठाई हैं उनके बारे में कुछ उपाय कीजिए।

सभापति महोदय : अब चार बजे हैं। अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम आधा घंटे को समायोजित कर सकते हैं।

सभापति महोदय: पहले ही चार बज चुके हैं और हमें स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा करनी है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, चर्चा को आधा घंटे बढ़ाया भी जा सकता है।

डा. तम्बि दुरै : महोदय, पहले तो उनकी रुचि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में थी और अब वह समय बढ़ाने की मांग कर रहें हैं। वह कल भी बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : शेष आप कल बोल सकते हैं

[अनुवाद]

4.00 म. प्र.

स्थगन प्रस्ताव

देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल की घटनाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार।

सभापति महोदय : सभा अब देश के विभिन्न भागों में विशेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में हाल की घटनाओं के संदर्भ में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं के समाचार के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि सभा अब स्थगित हो।"

[हिन्दी]

मान्यवर, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा के लिये यहां उपस्थित हुए हैं, वास्तव में आजादी के बाद से निरन्तर इसके ऊपर इतनी अधिक चर्चा हुई, पर परिणाम क्या निकला ? हमारे गांव में एक कहावत है कि 'आखिर में पतनाला वहीं गिरेगा। आजादी तो हमें मिल गई, हम आजाद तो हो गये पर उसके बाद भी इस देश में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को जो सम्मान और स्थान मिलना चाहिए था उसके हिसाब से वह स्वरूप सही ढंग से प्राप्त नहीं हुआ। समाज में जो लोग रहे उनसे वोट लेने के खातिर, उनका किस प्रकार से वोट मिल सके उनकी जातियों का शोषण किया गया और इस ढंग से किया कि समझ में नहीं आ रहा है कि शोषण की सीमा कहां तक रहेगी। हम अगर 40 वर्ष का इतिहास उठाकर देखें तो हमें निरन्तर ऐसे प्रकरण मिलेंगे जहां पर इस प्रकार की घटनायें हुई। विभिन्न स्तरों पर, इस सदन में आश्वासन दिये गये कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। उसके बाद भी कुछ नतीजा सामने नहीं आया। मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे एक मंत्री जो यहां पर बैठे थे श्री हुक्मदेव नारायण यादव, पिछले दिनों मैंने उनका भाषण सुना था, जो उन्होंने इस सम्बन्ध में यहां पर दिया था। उन्होंने एक बात विशेषरूप से कही थी। उसको मैं यहां पर इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि जब तक हम मानसिक उत्पीड़न समाप्त नहीं करेंगे, मानसिक शोषण समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम समाज को बराबरी पर लाने की बात नहीं कर पायेंगे। यह शोषण किस प्रकार का है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे मित्र और माननीय मंत्री श्री रामजीलाल सुमन यहां पर बैठे हैं। वे एक प्रकरण से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अलीगढ़ के इंस्पेक्टर का मामला था उसे 4 साल इसलिए उत्पीड़न मिला कि वह पिछड़ी जाति का था, जाटव था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर एक सार्थक चर्चा करें कि आने वाले समय के लोगों को यह मिले कि वास्तव में देश के अन्दर जाति-बिरादरी की बात नहीं रही। अगर कोई जाटव है, पिछड़ी जाति का है या अनुसूचित जाति का है उसको इस रूप में न लिया जाये कि यह इस जाति का है उसके साथ भी समान रूप से व्यवहार हो। इस संदर्भ में जिस घटना को लेकर हम यहां पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। पिछले दिनों प्रतापगढ़ में जो घटना हुई थी उसको संक्षेप रूप में बताना चाहूंगा। 14 तारीख को एक देवतादीन नाम का पासी जाति का भाई था।

उसका कसूर केवल इतना था कि वह अच्छी विचारधारा का था और समाज में तरक्की चाहता था। अपने पासी भाई जो पिछड़ी जाति के थे उनका उत्थान चाहता था और वह एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में; वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उत्पीड़न के खिलाफ और समाज में अन्याय के खिलाफ निरन्तर आवाज उठाता रहा। उसकी इस बात को स्थानीय लोगों ने पसन्द नहीं किया, क्योंकि वह जिस जाति का था वे लोग चाहते थे कि उसी जाति का काम करे, उस जाति के लोग शराब का धंधा करते थे और उसमें लिप्त रहते थे तथा पुलिस उनसे पैसे लेती थी। पर वह इस कुरीति को दूर करना चाहता था कि उसकी बिरादरी और जाति के लोग तरक्की करें और इनके साथ पिछड़ी जातियों के लोग भी जुड़े थे, वहां कुर्मी जाति के लोग भी रहते हैं। इस बात को पुलिस ने पसन्द नहीं किया। जिस दिन देवतादीन के घर लड़की के सम्बन्ध को लेकर कुछ मेहमान आये थे तो पुलिस उनके घर आई और कहा कि हमने आपके दुश्मन को पकड़ लिया है आप उसकी पहचान करिये। जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको जीप में बिठाया और वे ले गये। दुर्भाग्य यह हुआ कि उस जीप में जहां 13-14 आदमी बैठे थे, एक आदमी कूदकर भाग गया। पुलिस को लगा कि हमारी पोल खुल जायेगी। अपनी चाल को पूरा करने की नीयत से उन्होंने 13 लोग जो मौजूद थे उनकी वहां पर हत्या कर दी। जिस जीप के अन्दर 13 लोग बैठे हों और उनकी हत्या हो जाये और जीप पर एक निशान न लगे यह आश्चर्य की बात होगी। जीप की फोटो अखबार में आयी। जीप के बारे में बहुत कुछ लोगों ने देखा कि वहां पर आगे का पहिया भी सही है शीशा भी सही है, पीछे भी सब कुछ ठीक है तो निश्चित रूप से 13 आदमियों पर उन लोगों ने पुलिस के कथनानुसार जब काफी गोली चलायी फिर मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस के किसी आदमी को गोली तो क्या खरोंच भी मामूली आयी होगी। मैं समझता हूं कि अखबार में जो सी.आई.डी. का वर्णन आया, वह भी सुनाना चाहूंगा। सी.आई.डी. ने तात्कालिक जांच की, उसके बारे में कुछ बातें कहूं। मैं निश्चित रूप से उसका उद्धरण देना चाहूंगा। सी.आई.डी. के जांचकर्त्ता कहते हैं कि जीप को देखने से नहीं लगता कि उसमें 13 आदमी फंस गये और मारे गये। जीप को चारों तरफ से गोलियों से छलनी हो जाना चाहिये था। जांचकर्त्ताओं का यह मानना है कि कांसटेबिलों को गोली नहीं, खरोंचे लगी हैं और वहां खरोंच कुछ भी लगायी जा सकती है। मामले की जांच करने वाले एक दूसरे सी.आई.डी. अधिकारी कहते हैं कि मुठभेड़ में सभी 13 डकैत मारे जायें, उसमें पुलिसकर्मियों का गंभीर रूप से घायल नहीं होना अकल्पनीय बात है और यह भी अकल्पनीय है कि जीप की धातु वाले ढांचे की आड़ में पुलिस फायरिंग इतनी सटीक थी कि जीप में बैठे हुए सभी लोग मारे गये। हालांकि उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। मान्यवर, यह किसी अखबार या किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। यह सी.आई.डी. के जांच कर्त्ताओं ने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट दी है जिसके परिणाम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं।

मान्यवर; यह बताया गया है कि सभी लोग अपराध प्रवृत्ति के थे। पुलिस ढूंढने के बाद ही केवल 5 लोगों के खिलाफ मामूली अपराध का मामला अंकित कर पाई। दुर्भाग्य है कि वह मारना चाहते थे और उन्होंने इसकी आड़ में अनुसूचित जाति के 11 लोग और 3 पिछड़ी जाति के जो पूरबी लोग थे, उनकी हत्या इस ढंग से की कि वास्तव में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के इतिहास के जो कई काले अक्षर हैं, उनमें से यह भी एक काला अक्षर है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि

मुलायमसिंह यादव किस ढंग से काम लेते हैं। बहरहाल, मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि 30 अक्तूबर और 2 नवम्बर के घटना चक्र से पता चला कि यह भगवान और हरि के विरोधी हैं और अब यह लग रहा है कि हरिजन विरोधी भी हैं। साथ ही एक मजेदार बात यह आयी कि.........

(व्यवधान) मान्यवर, मेरी बात इन लोगों को इसलिए बुरी लग रही है कि उन्हें लगता है कि हमारे वोट दूर हो रहे हैं। कल और आज के इस कार्यकलाप से सब को यह पता लग गया कि वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों का हितचिन्तक कौन है ? वे कौन लोग हैं जो अनुसूचित जाति के लोगों को सही दिशा देना चाहते हैं। वास्तव में ये लोग नहीं चाहते कि लोग सही ढंग से तरक्की करें और सही ढंग से आगे आयें। परन्तु कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारी जेब से इनके वोट निकल रहे हैं। यदि वे ऐसी बातें कहेंगे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं। 30 अक्तूबर और 2 नवम्बर की घटनाओं के लिए जो दोषी थे, उन्हें लम्बे-चौड़े पुरस्कार दिये गये। मैंने अखबार में पढ़ा कि इस घटना में 14 तारीख की घटना में 500-500 रुपये का पुरस्कार दिया गया और इन पुलिस कर्मियों को दिया गया। मैं चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जब तक बने रहें, पुलिस-कर्मियों को इससे भी बड़ा कोई सम्मान दे दें और कोई पद दे दें लेकिन निश्चित रूप से उनकी तस्वीर सामने आयेगी मैं कहना चाहूंगा कि जब मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आये हैं, उनके काले कारनामों के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश को लोगों ने कर्फ्यू प्रदेश घोषित करके बता दिया है कि 40-40 नगरों में कर्फ्यू लगना प्रशासनिक अक्षमता की निशानी है। वे जहां भी गये वहां दंगे हुए, वहां लोग मारे गये और वहां ऐसी घटनायें हुई कि लोग निश्चित रूप से मानने लगे कि अगर मुलायमसिंह यहां पर आये तो कुछ न कुछ झंझट हो जायेगा। हमारे बरेली जिले में महामहिम राष्ट्रपति जी आने वाले थे, वहां मुलायम सिंह को इसलिए नहीं बुलाया गया कि कहीं कोई दंगा न हो जाये

[अनुवाद]

श्री उदयप्रताप सिंह (मैनपुरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह चर्चा हरिजनों पर अत्याचार से संबंधित है न कि श्री मुलायमसिंह यादव से संबंधित है। उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है और वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: अब मैं मुलायम सिंह को एट्रोसिटीज बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जिले आतंक के पर्याय बन गये हैं। ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि पता करें कि इस दिन से पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग हुई है किस दिन से वहां पर व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों की एक घटना है कि एक पिक्चर हाल के मालिक के एक सज्जन गये और कहा कि पिक्चर हाल को देखिये मजबूर होकर सेल लेटर पत दस्तखत करवा लिये और उनकी हर्ट अटैक में डैथ हो गयी। इटावा की घटना है कि एक लड़की को पकड़ लिया गया, उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या करके उसके घर के बाहर डाल दिया और दुबारा फिर ऐसी घटना घटित हुई।

मैं बरेली जिले का रहने वाला हूं। हमारे जिले के एस० पी० को इसलिए हटाया गया कि उनका एक चहेता एक एस० पी० वहां आना चाहता था। इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल सकती। यह वास्तव में ऐसा रूप प्रस्तुत करेगा जिससे प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बना; कि लोगों को लगने लगा कि जब तक मुलायमसिंह प्रदेश में रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती।

मान्यवर, 40 वर्षों के अरसे के बाद भी ऐसा माहौल बन रहा है कि इस सरकार के मंत्री लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं कि जिनके बारे में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। तो पुलिस क्या करेगी ? मुझसे पुलिस के लोग कहते हैं कि बरेली के अंदर जो मंत्री आते हैं उनके साथ माफिया और ऐसे लोग घूमते हैं जो चोरी करते हैं, जो हत्यारे हैं, वे ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं। तो पुलिस वाले कैसे समाधान कर सकते हैं; कैसे सही व्यवस्था कर सकते हैं ? मान्यवर, आज मैं यहां पर मुख्य रूप से इसी बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो इस ढंग की कार्यवाही हुई है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कुछ विषयों के ऊपर इसलिए बात करनी चाहिए कि एफ.आई.आर. कितने दिनों के बाद लिखी गई, और एफ०आई०आर० के बाद इसके अभियुक्त क्यों नहीं पकड़े गए ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस के पास एफ० आई०आर० हो और मुल्जिम न पकड़े जाएं, इससे ज्यादा सरकार की अक्षमता, पुलिस की अक्षमता की निशानी और क्या हो सकती है। निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर गौर नहीं किया और यहां जो लोग बैठे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात और कहनी है। पिछले दिनों में बिहार में जो कुछ हुआ, जिस तरह से 19 तारीख को 15 हरिजनों की हत्या की गई, यह भी वास्तव में एक दुर्भाग्य की निशानी है। उस प्रदेश के अन्दर ऐसा माहौल बन रहा है और वास्तव में सही बात भी है जब राजा कमजोर हो जाता है तो इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं। आज निरंकुशता और अफरशाही को बढ़ावा मिल रहा है। जो इनके मन में आता है वह कर रहे हैं और पिछली बातों का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस ढंग से विचार किया जाए और इन सरकारों के बारे में —आपने तमिलनाडू की सरकार को बरखास्त किया और जो भी सरकारें हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं कि इतिहास में जिनके नाम काले अक्षरों में लिखे जाएंगे, उनके बारे में कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के बारे में यहां पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसके साथ ही जो घटनाएं हैं, उनको इस रूप में लिया जाए खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो घटना है प्रतापगढ़ की, इनके अभि-युक्तों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए, घटना की न्यायिक जांच तुरन्त प्रारम्भ की जाए और जो 14 लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों को एक-एक लाख रुपए मुआवजे की तुरन्त घोषणा की जाए। बिहार में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, वहां पर कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और निश्चित रूप से लग रहा है कि वहां पर हमने उचित कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में स्थिति और भयंकर और विकराल हो जाएगी। इन बातों के संबंध में गंभीरता से विचार करके हम फैसला लें और हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं है, वह इस बात को बता पाएंगे

कि वास्तव में इन समस्याओं का क्या हल होगा ? हमारा उद्देश्य खाली यह नहीं है कि हम यहां पर इस बात की चर्चा करें और चर्चा के बाद आराम से चले जाएं, पर मैं यह जरूर कहना कहूंगा कि जिस गंभीरता से इस चर्चा को हमने शुरू किया है सभी लोग उतनी गम्भीरता से इसमें शामिल हों और एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करें कि लोगों को आने वाले समय में लगे कि वास्तव में समाज के अन्दर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं उनके अन्दर एक सुरक्षा की भावना आ रही है। उनके मन में ऐसी भावना नहीं आ रही है कि हमारे शोषण के लिए काम हो रहे हैं। आज कुछ लोगों ने इन जातियों को अपने तीर का निशाना बना लिया है और उन्हीं के कंधे पर तीर रखकर उनका दुरुपयोग करते हैं। जब तक हम इस ढंग से विचार नहीं करेंगे, तुष्टिकरण की नीति को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम न देश का भला कर पाएंगे और न समाज का भला कर पाएंगे। चाहे कोई कितना ही पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों का मसीहा हो, उनके लिए हम बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं पर यह सारी थोथी बातें है। निश्चित रूप से उनको बराबर लाने के लिए बराबरी और सम्मान का दर्जा दीजिए ताकि लोगों को लगे कि कोई हमारा जाटव भाई या पिछड़ी जाति का कोई भाई आ जाए तो वह भी उतना ही बराबर है जितना हमारे परिवार का है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जिला स्तरों पर कुछ खेमे बन गए हैं और तमाम लोग इस तरह की बात करते हैं, सवर्ण लोग इस तरह की बात करते हैं कि ये जाटव हैं, चमार हैं, इनका काम मत करिए। काम इस ढंग से करना चाहिए कि इनके अन्दर यह भावना आए कि वे बराबर हैं। काम कौन करेगा ? काम करेंगे जो सत्ता में बैठे हैं, ये बातें ऊपर से नीचे आएंगी और अगर हमने चेहरे देखकर काम किया, हमने इस ढंग से काम किया कि यह हमारा रिश्तेदार है तो हम देश और समाज का भला नहीं कर पाएगे और आज जरूरत इस बात की है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों का शोषण न किया जाए। उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनको समाज में बराबर उठने-बैठने का स्थान मिले और मैं तो उस समाज से आया हूं और मुझे गर्व है कि देश को बनाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जातियों और अनुसूचित जातियों की है पर उनका शोषण आने वाले समय में बरदाश्त नहीं किया जाएगा। मैं और ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे साथी बहस में भाग लें और आने वाले समय में लोगों को लगे कि इस लोक सभा में इस ढंग का निर्णय लिया गया कि उसके बाद इस जाति-बिरादरी की बात को पीछे रख दिया गया। हम ऐसी बातें तो निश्चित रूप से करते हैं कि जाति बिरादरी के आधार पर लोग वोट न दें, जाति बीरादरी के हिसाब से कोई काम न करें, लेकिन हकीकत में सारे फैसले उसी के हिसाब से किये जाते हैं। कहने को हम जरूर कहते हैं कि एक पिछड़ी जाति का बने, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बने, एक अल्पसंख्यक बने, परन्तु हकीकत में वैसा कुछ नजर नहीं आता। क्या बात है, आपके मन में कहीं न कहीं कोई चोर बैठा हुआ है। उसी के आधार पर आप यह चाहते हैं कि कैसे हिन्दुस्तान की जनता को हम बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लें। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं ज्यादा न कहते हुए, यह मेरा पहला प्रयास था, आपने मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि सभा अब स्थगित हो।"

अब श्री जगपाल सिंह।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, इस सदन का और देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई सत्र ऐसा नहीं रहता है जिसमें हरिजनों पर अत्याचार की चर्चा किसी न किसी रूप में न होती हो। जितनी ज्यादा चर्चा इस सदन में हरिजनों पर अत्याचारों के विरोध में होती है, उतने ही अत्याचार हरिजनों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में, इतनी बात ही कहना चाहूंगा कि अब तक इस सदन में चर्चा के बाद किसी भी सरकार ने इतना मजबूत कदम नहीं उठाया जिससे कि अत्याचार करने वालों को यह अहसास हो कि इन गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार करने के बाद, उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि सदन में इतने बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है, वैसे हमारे साथी सुमन जी यहाँ मौजूद हैं, वे हमारे भी मित्र हैं, हम भी उस तरफ रहे हैं और मैं स्वयं एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर था लेकिन उस समय यह हल्ला किया जाता था कि ऐसी चर्चा के दौरान होम मिनिस्टर साहब यहां सदन में उपस्थित रहें, प्राइममिनिस्टर मौजूद रहें। उस पक्ष के अनेक वरिष्ठ साथी यहां मौजूद हैं, मैं सिर्फ उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अब हाऊस में दलितों पर अत्याचार जैसे गम्भीर विषय पर बहस चल रही है और यह मामला पुलिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है गम्भीर मामला है, इसलिये कृपा करके प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद रहें, जो कि स्वयं होम मिनिस्टर भी हैं। आप कृपया अपनी तरफ से ऐसे डायरेक्शन दीजिये ताकि कम से कम गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री तो सदन में आ जायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह ठीक है, श्री पासवान आप शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं। मैं यह मुद्दा उन पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आज से पहले जब भी इस हाऊस में इस विषय पर चर्चा हुई है, हमें उस समय रोका गया और उस समय मैंने स्वेच्छा से कहा था कि यद्यपि हम वैल्फेयर मिनिस्टर हैं परन्तु वैल्फेयर मिनिस्टर इसके लिये सक्षम नहीं है। इसके लिये कम से कम होम मिनिस्टर होना चाहिये। मै समझता हूं कि होम मिनिस्टर की इन मामलों में सीधी जिम्मेदारी आती है। मैं सुमन जी या किसी दूसरे मिनिस्टर साहब के बारे में नहीं कहता हूं, वैसे तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, मालवीय जी यहां मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इस मामले को हम एडजर्नमेंट मोशन के रूप में सदन में ले रहे हैं, बहस हो रही है, इसलिये एडजर्नमेंट मोशन की गम्भीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट को आप हाऊस में बुलवाइये।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन): सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जं। राज्य सभा में व्यस्त हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : फिर आपके गृह राज्य मंत्री कहां हैं, उन्हें बुलाइये। **(व्यवधान)**

श्री रामजी लाल सुमन: राज्य सभा में भी आवश्यक चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री जी वहां व्यस्त है। वैसे हमारी सरकार के वरिष्ठ सहयोगी यहां हाजिर हैं। इस चर्चा का मेरे महकमे से सीधा सम्बन्ध है, इसलिये मैं स्वयं हाऊस में मौजूद हूं। यदि आवश्यकता होगी तो प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : गृह राज्यमंत्री को बुलाइये। कोई तो यहां रहें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जगपाल सिंह, कृपया अपनी बात जारी रखिए। श्री पासवान मैं आपकी बात समझ गया हूं। लेकिन यह मात्र शिष्टाचार का मामला है और इस विषय को मैं सरकार पर छोड़ता हूं। जहां तक मेरा संबंध है, यदि कोई मंत्री उपस्थित है तो ठीक है। अन्यथा यह शिष्टाचार का मामला है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, जब यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, तब मेरे दूसरे मित्र विपक्ष में थे। में आपको यह बताना चाहता हूं कि उस समय सभापति महोदय ने क्या विनिर्णय दिया था। सभापति महोदय ने कहा था कि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि गृह मन्त्री को यहां उपस्थित होना चाहिए। मेरा कहना केवल इतना है कि आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हों। लेकिन कम से कम गृह राज्य मन्त्री को तो यहां उपस्थित रहना चाहिए।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री यहां हैं। वह कृपया नोट कर लें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : सभापति जी, इस समय एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो रही है, प्रधान मन्त्री या गृह मंत्री के न रहने से इसकी गंभीरता खत्म हो जाती है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं हर किसी को मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : सभापति जी मैं माननीय पासवान जी की राय से सहमत हूं क्योंकि सरकार के संजीदेपन पर एक अंगुली उठ गयी है और हम लोग चाहे इस तरफ अब बैठते हैं या उस

तरफ बैठते थे, तो हमेशा कांग्रेस के लोग मांग करते थे कि गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री को जब इस देश के हरिजनों की समस्याओं पर विचार हो रहा हो, तो उनको यहां उपस्थित होना चाहिये। आज हम चाहे सरकार की समर्थक पार्टी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहां हरिजनों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, और वे उपस्थित न हों। मैं सुमन जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री, दूसरे सदन से फारिग हों, वे इस सदन में इस चर्चा को सुनने के लिये हाजिर हों।

4.21 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

श्री कालका दास : सभापति महोदय, प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री का न होना इस चर्चा के सम्बन्ध में यह दर्शाता है कि यह सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की समस्याओं और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति गम्भीर नहीं है।

सभापति महोदय : सुमन जी, आप बैठ जाइये। मैं संभाल लूंगा। माननीय सदस्य मुझे सम्बोधित कर रहे हैं। माननीय सदस्य से निवेदन है कि मैंने आपकी बात सुन ली है। अतः अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदय, यह जो विषय है, यह गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। इसमें सुमन जी, कोई आदेश नहीं दे सकते, निर्देश नहीं कर सकते। इसलिये गृह मन्त्री जी को आना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : सभापति महोदय. विषय की गम्भीरता को कम किया जा रहा है यह विषय गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। इसलिये गृह मन्त्री को और अच्छा हो प्रधान मन्त्री जी, को यहां आना चाहिये। यह कोई साधारण बहस नहीं है। हमें पहले ही सरकार की नीयत पर शक है। वे यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिये हमारा शक सही साबित हो जाता है **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र श्री हरिकिशोर सिंह आये हैं, ये बता रहे हैं कि प्रधान मन्त्री जी सेंट्रल हाल में बैठे हैं। मेरा मान्यवर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनका सेंट्रल हाल में बैठना या चाय पीना उतना आवश्यक नहीं है जितना इस चर्चा में उपस्थित होना **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बैठ जाइये। हो गया।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, जब मैं सरकार में था, तो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होते हुये भी, कभी, मुझे एलाऊ नहीं किया गया और न हमने जरूरत महसूस की।

यह विषय चूंकि गृह मंत्रालय का है, अतः मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय जिनके पास है, अर्थात् प्रधान मंत्री जी को यहां बुलाइये। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, इस सवाल पर कि यहां पर गृहमंत्री उपस्थित हों और यदि गृह मंत्री न भी हों, तो कम से कम गृह राज्य मन्त्री तो उपस्थित हों ही, सदन की एक राय है और यह अच्छी बात है कि उस पक्ष में बैठने के बाद माननीय राम विलास पासवान जी और उनके सहयोगियों को कुछ अक्ल आयी है, कुछ समझ आयी है और उनको इस बात का अहसास हुआ है कि कभी जब वे इधर मन्त्री की हैसियत से बैठते थे और हरिजनों को प्रोटेक्शन देने में उनकी सरकार असमर्थ हुयी थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : उस समय वे अपनी कमजोरी को नहीं समझ पाए थे लेकिन आज इस बात को समझ रहे हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से दरख्वास्त करना चाहूंगा क्योंकि इस मामले में सदन की एक राय है। हम सरकार की दिक्कत को भी समझते हैं, मन्त्रीगण दूसरे हाउस में हो सकते हैं। कृपया करके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रधानमन्त्री जी तक सदन की भावना को पहुंचा दें। उन्हें जैसे ही समय मिले वे सदन में आकर चर्चा सुन सकते हैं। और यदि उचित समझें तो उसमें इन्टरवीन कर कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : प्रधानमन्त्री जी को यहां पर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ....(व्यवधान) आपको अधिकार है जो हमको भी अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है, श्री जनार्दन पुजारी।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, इस सभा के माननीय सदस्य, श्री पासवान जी ने धमकी दी है (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मुद्दे के बारे में बोलिए।

श्री जनार्दन पुजारी : हां, मैं मुद्दे के बारे में बोल रहा हूं। यह विशेषाधिकार का हनन है। अभी माननीय पासवान जी ने सभा में यह धमकी दी है कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी सभा में नहीं आते, तब वह सभा को कार्यवाही नहीं चलने देंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि उन्हें यहां होना चाहिए। लेकिन वह स्वयं ही ऐसी धमकी नहीं दे सकते हैं। हम श्री पासवान के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। यह विशेषाधिकार हनन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, एक अनुभवी सांसद के नाते आप सब कुछ जानते हैं। वह सभा की कार्यवाही रोकने की धमकी नहीं दे सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया है।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री जनार्दन पुजारी : आपका क्या विनिर्णय है ?

सभापति महोदय : आप बैठेंगे, तभी मैं अपना विनिर्णय दे सकता हूं।

जगपाल सिंह जी कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मित्रतापूर्ण धमकी है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद की संयुक्त रिस्पांसिबिलिटी होती है और इसलिए यहां पर राज्य मन्त्री और अन्य मन्त्रीगण उपस्थित हैं। एक विषय की ओर श्री जनार्दन पुजारी ने ध्यान आकर्षित किया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उस पर आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह बता रहा हूं कि सरकार का जो दायित्व है उसका निर्वाह यहां पर हो रहा है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रधान मन्त्री या गृह राज्य मंत्री हर समय यहां पर उपस्थित हों। (**व्यवधान**)

सदन की जो भावना है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया जायेगा।

(**व्यवधान**)

श्री कालका दास : हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में हो रही चर्चा के समय प्रधान मंत्री और गृहमंत्री दोनों को यहां उपस्थित होना चाहिये था। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर व्यक्त की गई गहन चिंता की ओर ध्यान दें।

[हिंदी]

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : वह मैं निवेदन कर चुका हूं।

अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभापति की बात बीच में मत काटिए। कृपया बैठ जाइए।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सभा के बड़े वर्ग द्वारा व्यक्त की गई चिंता की ओर ध्यान दें और इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी दें।

[हिंदी]

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : मैंने इस बात का निवेदन किया था कि सदन के सदस्यों की जो भावना है, उससे मैं प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जहां तक श्री जनार्दन पुजारी द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न का उल्लेख किए जाने का संबंध है, यदि वह महसूस करते हैं कि विशेषाधिकार हनन हुआ है, तब वह सूचना दे सकते है और इसके लिए उचित संसदीय प्रक्रिया अपनाई आएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं सारे सदन को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास यहां 20 नाम हैं। इसके अलावा कई पार्टियों ने अपने सदस्यों के नाम अभी दिये नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के मेरे पास 6 नाम हैं और उसके 40 मिनट हैं। यह आपस में तय कर लें कि एक मैम्बर 40 मिनट लेगा।

(व्यवधान)

श्री आर०एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। 2-4 मिनट बोल कर काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय: यह सदन तय करेगा मैं नहीं करूंगा। बी०जे०पी० की ओर से मुझे 7 नाम दिये गये हैं और उसको केवल 23 मिनट मिले हैं। बी०जे०पी० आपस में तय कर ले कि वह 3-3 मिनट लेंगे या फिर उनका एक वक्ता बोलेगा। जगपाल सिंह जी, आप अब अपना भाषण जारी रखिये।

श्री जगपाल सिंह : सभापति महोदय, पूरे सदन को स्मरण होगा और खास तौर से पासवान जी को कि जब उनकी सरकार थी तो इस सदन में राजस्थान के कंजरों पर हुए नरसंहार पर चर्चा हुई थी। आगरा के पनवारी कांड पर जिस में एक के नहीं कई सौ के हाथ-पैर तोड़ कर फूंक दिये गये थे तो उस पर भी चर्चा हुई थी। पासवान जी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सामाजिक न्याय दिलाने के नारे से इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। इस देश में सोशल जस्टिस और इकोनमिक जस्टिस तब तक नही मिल पायेगा जब तक बुनियादी तौर पर पूरी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पासवान जी, इस तरीके के आक्षेप और आरोपों से हरिजन समस्या का हल नहीं निकलेगा।

इस सदन को यह याद होगा कि जब मध्यप्रदेश के शिवपुरा जिले के अन्दर एक नहीं 10-20 औरतों को नगा करके बंदर और बंदरिया की तरह नचाया गया था तो इस पर यहां चर्चा हुई थी। उस समय आपका ही राज था। आज जिन कांडों पर चर्चा की जा रही है वह मानवता के लिये कलक है। 43 वर्षों की आजादी के बाद भी बिहार के अन्दर वहां की पुलिस ने हरिजनों पर नरसंहार किया, एनकाउण्टर के नाम से भी जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए, हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार में वहां की पुलिस ने नहीं मारे हैं। बल्कि बिहार के सामन्तों ने जो पैसा देकर सेना बनाई हुई है····**(व्यवधान)**····अब नीतीश जी और देवेन्द्र जी की तो मजबूरी है कि लालू प्रसाद की सरकार पर यह अंगुली उठाना पसन्द नहीं करते लेकिन सरकार किस आदमी की है, यह सवाल नहीं है। सवाल

यह है कि जिन फ्यूडल्स की सेना ने उन गरीब लोगों-का नरसंहार किया है, उनको देश की सरकार और प्रदेशों की सरकारें कैसे कब्जे में लायें। कल लालू प्रसाद की सरकार चली जायेगी तो इसके माने यह नहीं होंगे कि हरिजनों के प्रति अत्याचार खत्म हो जायेंगे लेकिन इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते कि आपकी सरकार में अत्याचार हों और उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं हो, यह नहीं हो सकता है। किसी प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां हरिजनों पर अत्याचार होते हैं तो कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे राज में अत्याचार हुए हैं इसलिए यह अंगुली मत उठाइये।

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : सब जगह हो रहा है,... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : सभी जगह नहीं हो रहा है।

श्रीमती उमा गजपति राजू : लालू प्रसाद के यहां हो रहा है।

श्री जगपाल सिंह : पासवान जी बैठे हैं, पासवान जी भी दामन के धुले हुए नहीं हैं। आपकी सरकार जब तक रही, आपकी सरकार में इस सरकार से ज्यादा अत्याचार हुए थे, आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। आपकी सरकार में तो यह हुआ कि किसी हरिजन की औरत सुन्दर हो सामन्त के सामने पेश न हो तो उसको जिन्दा जला दिया जाता था, आपकी सरकार में यह हुआ। आप जिस आदमी को हरिजनों को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए चैम्पियन बनाना चाहते हो, उस व्यक्ति के राज में, जब वह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा अत्याचार हरिजनों पर हुए थे, चाहे वह साढ़पुर हो या देवली और उस समय आप हमारे साथ बोलते थे। आप उस व्यक्ति को हरिजनों को सोशल जस्टिस दिलाने के नाम पर चैम्पियन बनाना चाहते हैं, आपकी इस बात को हिन्दुस्तान का एक भी हरिजन स्वीकार नहीं कर सकता....

एक माननीय सदस्य : वह तो चुनाव में पता चलेगा।

श्री जगपाल सिंह : देवली के हत्यारे उसी आदमी की शरण में रहे थे। आपने इस सदन में खुद इस बात को उठाया था इसलिए पासवान जी पार्टीबाजी पर मत चले जाइये। संतोषा और राधे को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने रखा था, आप उस पर मत जाइये। आज सवाल उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को...(**व्यवधान**)...प्रतापगढ़ के बारे में आप यह बताइये अगर मैं नहीं जानता हूं कि देवतादीन सी०पी०आई० का आदमी था, सी०पी०एम० का था या कांग्रेस का था, मैं उस को नहीं जानना चाहता हूं, मैं नहीं उठाना चाहता हूं कि वह रिवोल्यूशनरी था, नक्सलाइट था या कांग्रेस का था लेकिन इस देश में हरिजनों के नाम पर अगर कोई गरीब हरिजन नेतृत्व दे और सामन्तों के और पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाये तो...(**व्यवधान**)...सभापतिजी, मैं सदन का इशारा उस तरफ करना चाहता हूं कि आज हरिजनों को नेतृत्व देने के लिए कोई हरिजन नौजवान आगे आये, पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ सामंतों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और रात को साढ़े आठ बजे पुलिस की गाड़ी घर पर जाये...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : जगपाल सिंह जी, मेरा निवेदन है कि इन्टरप्शन का टाइम काटने के बाद भी आपने 25 मिनट ले लिए हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप 25 मिनट ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : जिस रूप में यह एडजार्नमेंट मोशन आया है, हम उसके पक्ष में नहीं थे और जो लोग पक्ष में थे, ये बोलेंगे, तो सुनेंगे नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने पूरा समय 25 मिनिट से कहीं ज्यादा लिया है। इन्टरपशन का समय काटने के बाद 25 मिनट है।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : समय काट दीजिए। सात मिनट इन्होंने लिए हैं और छः मिनट आपने लिए हैं।

सभापति महोदय : मैं समय ले सकता हूं, मेरा समय नहीं काट सकते हैं।

श्री जगपाल सिंह : सभापति जी, मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय मेरा आग्रह है (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आग्रह सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : इसका मतलब मैं फिर बाहर चला जाऊं।

सभापति महोदय : आप बाहर मत जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : सभापति महोदय, जिसकी वजह से हमारे विपक्ष के लोग यह एडजार्नमेंट मोशन लेकर आए हैं, मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ के अन्दर रात साढ़े आठ बजे दो सिपाही जाते हैं और देवतादीन से कहते हैं कि तुम्हारे भाई के कातिल पकड़े गए हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि घर के जितने आदमी हैं, सब गाड़ी में बैठ जाओ और सब को बैठा कर जंगल में ले गए और एक-एक को गोली से मार दिया। पुलिस के बारे में तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन सवाल यह है कि हमारे उन गरीब लोगों की अबतक किन रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री कुल्याण सिंह जी, कहते हैं कि हमने सब-इन्सपेक्टर को सस्पेंड कर दिया। मैं कहता हूं कि सस्पेंड क्यों किया, गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। यह कोई साधारण मामला नहीं है, मर्डर का मामला है। सभापति जी, देश का कोई भी आदमी यदि कत्ल करता है, तो उसको धारा 302 के अन्दर गिरफ्तार करके जेल भेजा

जाता है। मैं कहता हूं, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करके 302 के अन्दर जेल भेजा गया मैं मांग करता हूं, पूरा सदन यह मांग करें कि उन सारे पुलिस वालों को 302 के अन्दर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तब यह सदन गारन्टी दे सकता है कि आगे अगर कोई किसी हरिजन पर पुलिस वाला अत्याचार करता है तो उनको जेल भेजा जाएगा ··(व्यवधान)····सुमाधिनी जी, मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने लालू प्रसाद जी को कितनी बार कहा, वहां जो हुआ है, वे क्यों नहीं गिरफ्तार करते। एक का भी नाम नहीं आ रहा है···(व्यवधान) आप डिफैंड मत करिए (व्यवधान) लालू प्रसाद जी की सरकार में पुलिस ने नहीं मारे हैं, मैं कह रहा हूं कि वहां सामंतों की सेनाओं ने मारे हैं, जो जनतन्त्र के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है। आज हमारे यहां पर फ्यूडल की फौज नहीं है, पुलिस नहीं है,। बिहार के अन्दर फ्यूडल अपनी लाठियां बन्दूकों के साथ····(व्यवधान)····इसलिए मैं कहता हूं कि फ्यूडलिज्म को और फ्यूडलिज्म से कम्प्रोमाइज आज कैपिटलिस्ट सोसायटी है, उनके ठेकेदारों से उनको तोड़ने के लिए करते हैं। मैं कहता हूं कि फ्यूडलिज्म पर जबरदस्त हमले किए जाने चाहिए, इस देश की ससंद में और संसद के बाहर, तब अत्याचार खत्म हो सकते हैं। फ्यूडलिज्म जब तक जिन्दा रहेगा, इस देश में हरिजनों पर अत्याचार खत्म नहीं हो सकते हैं। दिस-इज-ए-रिफ्लेक्शन-आफ-दि फ्यूडलिस्टिक-सोसायटी।···(व्यवधान)···सभापति जी मैं कनक्लूड कर रहा हूं, मैं सदन से तीन मांग करता हूं कि 43 साल की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि हमारे अफसरों की ब्यूरोक्रेट की बहन है वह बहन हिन्दुस्तान की इस गरीब सोसायटी से मेल नहीं खा रही है। आज इसके ऊपर हमारे प्रदेशों की सरकारें कितना अंकुश रख पायेगी ताकि उनके जिले के अन्दर या प्रशासन में हरिजनों के ऊपर अत्याचार न हो; पासवान जी ने कहा जरूर था कि पर्सनल रिसपोंसिबिलटी होगी, डी० एम० और एस० एस० पी० की लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया। इससे काफी सुधार हो सकता था। दूसरा, अभी तक 85 प्रतिशत गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के और अखबारों में जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से इस तरह के अत्याचारों की एफ आई आर नहीं लिखी जाती है। लोगों को गाइड कर दिया जाता है लेकिन पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट नहीं होती। ऐसे केसिस में गवर्नमेंट की मशीनरी कोई भी न्याय दिलाने के लिए या जूडिशयरी जो है, वह न्याय नहीं दे पाती। इसलिए जिस थाने में इस तरह की एट्रोसिटीस की एफ आई आर दर्ज नहीं की जायेगी, उस थाने के अफसरों को तुरन्त ससपैंड कर दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको नौकरी से ही निकाल दिया जाना चाहिए। तीसरा, मेरा यह कहना है कि जब तक लैंड रिफार्म नहीं होंगे तब तक गरीबी नहीं मिटेगी। यह हरिजन लोग अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। वे जमींदार के खेत पर या मेंड पर जायेंगे। जब तक इस देश के करोड़ों हरिजन स्वावलम्बी नहीं होंगे तब तक ये इनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकते। इनको ताकत तभी मिलेगी जब तक ये किसी जमींदार के खेत पर घास काटने के लिए मजबूर न होंगे या मजदूरी के लिए।

कम से कम इतनी गारण्टी हमारी सरकार को जरूर देनी चाहिए कि पेट की भूख मिटाने के लिए कोई गरीब आदमी या औरत, हरिजन या बूढ़ा, किसी के यहां रोजी-रोटी कमाने के लिए मजबूर नहीं होगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हरिजनो के ऊपर अत्याचार नहीं रुक सकते और सामाजिक न्याय दिलाने वाले लोग, जो नारा दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप और हम हों, इनके लिए कोई योजना या कार्यक्रम नहीं बनायेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे राजीव गांधी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं

चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना में कम से कम इतना तो हुआ था कि लोगों को रोजगार मिला था, मजदूरी मिली थी, सड़क बिछाने के लिए तथा मिट्टी डालने के लिए। आपकी सरकार ने इसको भी खत्म कर दिया।

इसलिए मैं चाहता हूं कि रोजगार की योजनाओं पर सरकार विचार करे तभी हम सही कदम उठा पायेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने आज इस महत्व को समझा और इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एट्रोसिटी के सवाल को लाने का काम किया। यह चौरा की 14 जनवरी की घटना है अभी हमारे साथी ने बताया, इसलिये हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। 14 जनवरी की रात को 10 शेड्यूल्ड कास्ट और 3 पिछड़ी जाति के लोगों को चौरा में ले जाया गया, उन जगह का नाम है—बेगन गोपालपुर ग्राम और उनको कुण्डा में ले जा करके चौरा में गोली मार दी गई। क्या कोई भी सरकार इस तरह का काम कर सकती है? अगर कोई क्रिमिनल रात में आता है या किसी दो ग्रुप का झगड़ा है तो सरकार कह सकती है कि पुलिस वहां पर रात को बैठी नहीं रह सकती है लेकिन जब पुलिस स्वयं हत्या करने का काम करे और स्वयं ले जाकर के गोली मारने का काम करे तो फिर किसे सरकार पर विश्वास रहा जायेगा। सभापति महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। हम लोग स्वयं 30 तारीख को, श्री वी०पी० सिंह, सैफुद्दीन चौधरी और अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर गये थे। श्री शिव शरण जी, सरयू प्रसाद सरोज, राम सजीवन जी हम सब लोग वहां पर गए थे एक आदमी ने भी नहीं बताया कि मरने वाला क्रिमनल था, यह हालत थी। स्वर्गीय रामलखन की बच्ची को देखने जब उसके रिश्तेदार आये हुए थे, विभिन्न जगहों के लोग आए हुए थे, वे इलाहाबाद जिले के थे, उनको भी ले जाकर मारने का काम किया गया। इसके अलावा आश्चर्य की बात है कि पुलिस अधिकारी, जिसकी गोली से लोग मारे गए, वह वहां पर गर्व से कहता है कि मैंने 73 एनकाउंटर किए हैं. उसको ईनाम दे दिया गया। जब हम लोग वहां विजिट करने के लिए गए, कार्यक्रम बना, तब उसको ससपेंड किया गया। एक ही चीज कैसे हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी को पहले तो ईनाम दे दिया गया, बाद में उसको दोषी साबित किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि उसको ईनाम किसने दिया, किस आधार पर दिया, बाद में वही एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि यह अधिकारी दोषी है, इसको ससपेंड किया जाए।

सभापति महोदय, जो लोग मारे गए, वे तो लौट कर आने वाले नहीं हैं लेकिन आज जब हम लोग टी वी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं तो यही पता लगाने की कोशिश की जाती है कि मरने वाला किस जाति का है। मुआवजे के वक्त यह देखा जाता है कि मरने वाला अमीर है या गरीब है। जो गरीब, दलित लोग मारे गए, वे तो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन हमने यह मांग की थी कि जिस अधिकारी ने यह जघन्य अपराध किया है, उसके खिलाफ तो कम से कम दफा 302 का मुकदमा चलाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और मरने वाले के आश्रितों का 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह ठीक है कि कोई मुख्यमंत्री हर जगह लोगों की हिफाजत करने के लिए

नहीं बैठा रहता, लेकिन जब यह प्रशासन का मामला है तो उसके लिए शासन सीधा जिम्मेदार होता है। इसलिए हमने मांग की थी कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

यह मांग इसलिए थी कि इस मामले की गंभीरता को हम देश के सामने बताना चाहते थे। यह बात सही है कि यह मामला किसी एक प्रान्त का नहीं है, आंध्रप्रदेश के सदस्य यहां बैठे हुए हैं। आंध्रप्रदेश के 14 जिले हैं जिनके अन्दर कोई एडमिनिस्ट्रेशन घुस नहीं सकता है क्यों नहीं घुस सकता, क्योंकि कहा जाता है कि वे नक्सलाइट्स के कब्जे में आ गए हैं। नक्सलाइट एक बीमारी है, लेकिन उसकी उपज जिस गंदी नाली से होती है, उस गन्दी नाली को साफ करना होगा। डी डी टी से मच्छर नहीं मरेगा, असली बीमारी तो असमानता की है, असमानता की बुनियाद पर खड़ी है

सभापति महोदय, अभी हमारे साथी ने यह कह दिया कि बिहार के मामले में आपने क्या कभी सोचने का काम किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के किस आदमी को मालूम है कि बिहार की घटना क्या है। मैं आज इस मामले को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप अगर पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में आपकी पार्टी के लोगों का हाथ है, लेकिन मैं इस मामले में उसको नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि यह मामला बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है या आंध्र प्रदेश का मामला है, आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के लोग बैठे हुए हैं। 1978 में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम जब श्री पवार चीफ मिनिस्टर थे, उस समय असेंबली ने प्रस्ताव पास करके कहा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा जाएगा; आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मशताब्दी मना रहे हैं, लेकिन जन्मशताब्दी वर्ष में भी इस बात की घोषणा नहीं हो पाई। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों है, जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके बारे में समाज की मन स्थिति क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का दृष्टिकोण क्या है, उनका रोल क्या है, पोलीटिकल पार्टीज का रोल क्या है; रोल आफ मीडिया क्या है। रोल आफ मीडिया के बारे में बताना चाहूंगा कि आज डा० अम्बेडकर जन्मशताब्दी वर्ष चल रहा है और कुछ समय पहले नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था। हम लोगों के मन में बाबा साहब अम्बेडकर का रिगार्ड पं० जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं है, उन्होंने विधान बनाया था, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि आज मीडिया डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष में, नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में किए गए प्रचार का हजारवां हिस्सा भी कर रहा है? उस समय आकाशवाणी में कार्यक्रम को रोक-रोक कर जवाहर लाल नेहरू का वक्तव्य दिया जाता था कि "मेरा देश महान् हो गया।" आज 14 अप्रैल, 1991 आने वाला है, हम फरवरी के अन्त में हैं, डेढ़ महीना बचा है, लेकिन एक दिन भी बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं आती है, वक्तव्य नहीं आता है। हम लोगों ने तय किया था कि 130 करोड़ रुपया अम्बेडकर सैंटेनरी पर खर्च करेंगे। हमने कहा था कि जो शेडयूल्ड कास्टस और ट्राईबस हैं, ऐसी जातियों के नौजवान हैं उनके लिए ट्रेनिंग सैंटर की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था करो, उनके लिए इलैक्ट्रोनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करो। आदिवासी इलाके में जा कर अनुसूचित जाति के इलाके में, दलितों के इलाके में ट्रेनिंग सैंटर की व्यवस्था कीजिए। जो लोग 5 फीट 6 और 7 इंच लम्बे हैं, मैट्रिक पास हैं, आई० ए० पास हैं उनको आप उसमें भर्ती कीजिए।

कहीं भी पुलिस की बहाली होती है, सी० आर० पी० की बहाली होती है, बी० एस० एफ० की बहाली होती है, तो उनको वहां भेजिए । आप यह जो शब्द लिखा हुआ है—

[अनुवाद]

यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तब उस सीट को गैर-आरक्षित मान लिया जाएगा ।

[हिन्दी]

इसको खत्म कीजिए । हमको मालूम हुआ कि हम लोगों ने 130 करोड़ रु० रखा था लेकिन अब 10 करोड़ रुपया उस पर रखा गया है । यह भी मालूम हुआ कि वैलफेयर मिनिस्टरी के बजट में से कटौती करके रखने का काम करेंगे । हमने तय कर लिया था लैजिस्लेशन फार रिजर्वेशन । बहुत बार चर्चा होती है आरक्षण सम्बन्ध में यह भी आक्षेप लगता है कि इससे जातिवाद बढ़ा है । जातिवाद इससे बढ़ रहा है ? जातिवाद आज से है ? हजारों साल से इस देश में जातिवाद रहा है । हम उस जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं । हमें गर्व है कि देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए दलित लोग ही आगे नहीं आए, पिछड़ी जाति के लोग ही आगे नहीं आए, ऊंची जाति के लोग भी आगे आए । बुद्ध पिछड़ी जाति के नहीं थे । वे राजा थे, क्षत्रीय थे, लेकिन उन्होंने समता का मार्ग अपनाने का काम किया और बाबा साहिब ने कहा "बुद्धम शरणम गच्छामी ।" दयानन्द सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन उनको भी जहर देने का काम ब्राह्मण ने किया था । गांधी वैश्य थे, लेकिन उनको गोली मारने का काम नाथू राम गोडसे ने किया था । पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी जी को अम्बेडकर साहब ने बचाने का काम किया था । विवेकानन्द कायस्थ थे । लेकिन उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति के लोगों, समय रहते अधिकार शूद्रों के हाथ में दे दो नहीं तो जब ये उठेंगे तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी हस्ती को मिटा कर रख देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि हमने ठेका नहीं लिया है, दृष्टि हमारी क्या है ? दृष्टि हमारी साफ रहनी चाहिए । हमने फैसला लिया था, कैबिनेट ने फैसला लिया था, चौधरी देवीलाल यहां बैठे हुए हैं, हमने कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसका हम बजट अलग से रखेंगे और उसी के ऊपर खर्च किया जाएगा । आज क्या होता है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया आदिवासी विकास के नाम पर, छठी पंचवर्षीय योजना में पांच हजार करोड़ रुपया आदिवासी विकास के नाम पर खर्च हुआ, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 हजार करोड़ रुपया आदिवासी विकास के नाम पर खर्च हुआ, 16 हजार करोड़ रुपया आदिवासी विकास के नाम पर खर्च हो गया, लेकिन 16 हजार आदिवासी भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं । हालत क्या है ? जब चोर चोरी करने के लिए चलता है तो जेब में रोटी का टुकड़ा रख लेता है, जैसे ही जानवर पास आए रोटी का टुकड़ा फेंक दो । चोर चोरी करने में मस्त है और कुत्ता रोटी का टुकड़ा खाने में मस्त है । 16 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया । कहाँ खर्च हुआ, कोई पता नहीं । हमने कहा कि कानून बनाएं । सिंचाई पर यदि खर्च होगा तो आदिवासी की जमीन पर सिंचाई होगी, स्कूल बनेगा तो आदिवासी के गांव में स्कूल बनेगा, अस्पताल खुलेगा तो आदिवासी के गांव में खुलेगा । यह नहीं कि नेशनल हाई-वे बना दिया और आदिवासी का विकास

हो गया। नैशनल हाई-वे से आदिवासी का क्या मतलब है। आदिवासी रहता है गांव की पगडण्डी पर। हम कानून बनाने जा रहे थे, हमको खुशी हुई कि पिछले पार्लियामेंट के सेशन में जब सुमन जी ने मंत्री की हैसियत से कहा कि हम लेजिस्लेशन फार रिज़र्वेशन 1991 बना कर जो बैकलॉग है उसको पूरा करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं और पार्लियामेंट के पहले दिन हम उसको मूव करने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक नहीं हो सका। सारे का सारा कानून बना हुआ है उस के मुताबिक हमने कहा था कि एक समय सीमा के अन्दर आप पूरे बैकलॉग को पूरा कर दो। इकोनॉमिक क्राईटीरिया का पाठ चलता है कि आर्थिक आधार होना चाहिए दलितों के लिए। साढ़े बाईस कुर्सी है, साढ़े बाईस कुर्सी को पूरा कर दो फिर आर्थिक आधार पर सोचो। लेकिन इसमें अमीर-गरीब मिलाकर केवल आठ आदमी आए हैं। उसमें आर्थिक आधार करोगे। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आज है उसको आप निकालना चाहते हो। इसलिए मैंने कहा कि नीयत साफ करके हमको करना चाहिए।.... (व्यवधान)

5.00 म०प०

मैं यह कह रहा था कि कानून बनाकर के रिजरवेशन लाना चाहिए। लेबर पार्टी शपेशन इन मैनेजमेंट। एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ पसीना है। जो जूता बनाता है उसको रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है। जो अनाज पैदा करता है उसको खाने के लिए सूखी रोटी नहीं है। हमने कानून पेश किया था कि प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी हो। जितना अधिकार पैसे का हो उतना ही अधिकार पसीने का हो। जिससे फायदा और घाटा मालिक मजदूर दोनों का हो। वह बिल अभी लटका हुआ है। आपकी सरकार बहुमत में है आपकी नीयत साफ हो तो वह राज्य सभा में पेश किया हुआ है और उसको पास करा दीजिए। हम मजदूरों के लिए कानून बनाने जा रहे थे। वह लेबर मिनिस्ट्री में है। आप देखेंगे कि पूरी की पूरी चीज बनकर तैयार है। कन्स्ट्रक्शन लेबर के लिए पूरी चीज बनायी हुई है। आज इस देश में बान्डेड लेबर है। 99 परसेंट दलित लोग बान्डेड लेबर हैं, उसमें अनुसूचित जाति के भी हैं जिनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। हमने कहा था कि उसके लिए, कमीशन बनाएंगे। वह भी आपके पास मामला तैयार है। डी० एम० और एस०पी० के मामले में शुरू से हमारी यह राय रही है कि अत्याचार के मामले में जब तक उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा.... (व्यवधान) अगर एस०पी० को सस्पेंड या डिस्चार्ज किया जाय तो यह घटना नहीं घटती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई दल का मामला नहीं है। राजनीति के समान इसको नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक चीज में राजनीति नहीं आनी चाहिए। फतेहपुर की घटना पांच, छह और सात तारीख को हुई थी और ग्यारह तारीख को कुर्की की जब्ती का आदेश दे दिया गया था। बाईस तारीख को 302 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया था। जब हम ट्रेजरी बैंच में थे तो राजीव जी वहां पर गए थे। जहां तेरह को दलितों की हत्या हो गई वहां क्यों नहीं जा सके।....... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कोई उत्तर न दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने समय में प्रत्येक जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही थी। जहां जुल्म और अत्याचार होते हैं तो उसके लिए स्पेशल

कोर्ट बनाने का फैसला किया था । मैं समझता हूं, साढ़े चार सौ में से सवा चार सौ जिले मैं बन चुका था । निश्चित रूप से आपने बना दिए होंगे । भूमि सुधार कानून के संबंध में मेरा एक सुझाव है । इस सदन में पास किया था । वह यह था कि भूमि सुधार हम संविधान की नौंवी सूची में डालेंगे और डालने का काम किया ।

5.04 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय (पीठासीन हुए)

जब तक आप लैंड ट्राइब्युनल नहीं लाते तो तब तक लैंड रिफार्म्स एक्ट नहीं लाया जा सकता और जब तक गरीब लोगों को उनमें जोड़ने का काम नहीं करते । यह कोई दल का मामला नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि दो तरह की विचारधारा हैं । एक अहिंसा है जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का है । अगर अहिंसा के दरवाजे को बन्द करने का काम किया गया तो दूसरा हिंसा का दरवाजा आटोमेटिक खुल जाता है । आज गरीबों में राजनीतिक चेतना आई है । जो उसमें सामाजिक चेतना आई है, आज वह इनकार कर रहा है गुलामी करने को, आज वह नकार रहा है बेगारी को, आज वह अपने अधिकार के लिए खड़ा हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में दिक्कत इस बात की है कि जिसके पास में अधिकार है उसके पास में काम नहीं है जिसके पास में काम है उसके पास में अधिकार नहीं है । जो काम करता है वह सबसे छोटा माना जाता है । उसके पास कोई डिग्निटी नहीं है। इसलिए इस सदन को, जो कि सर्वोपरि है हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठकर इसको लेना चाहिए और हम लोगों को इस बात का अधिकार है चाहे जनता पार्टी के समय में 1977 में बेलछी की घटना हुई हो चाहे विरोधी दल के जयपाल सिंह जी जो इधर नहीं हैं, उनके साथ हम रहे हों या उधर बैठे हों, जहां तक दलितों का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, अक्लियत वालों का सवाल है, हमने सदा ईमानदारी से और सच्चाई से उस रास्ते पर चलने का काम किया है । अतः हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस पर पार्टी, पोलिटिक्स न लायें । अगर कोई दोषी हो, चाहे रामविलास हो हमारे भाई, आप हों दलितों के मामले में तो आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें । जनता दल का आदमी हों, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता शामिल हो या अन्य कोई हो तो उसके खिलाफ भी आप कार्यवाही करने का काम करें । लेकिन दल के नाम पर या राजनीति के नाम पर उसको बचाने के लिए कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए, यहां पर चौधरी साहब हैं, सुमन जी हैं, एक आदमी भी कह दे कि चौरा में मरने वाला क्रिमिनल था तो आप बेशक उसके बचे हुए परिवार के लोगों को सजा दें लेकिन यदि वह ईमानदार आदमी था, एक पार्टी का लीडर था, वह देवतादीन और उसके भाई की हत्या हुई और कहा गया गया कि तुम्हारे भाई के हत्यारे पकड़े गये हैं तुम चलो और उनको देखने का काम करो । यहां राकेश जी बैठे हैं उनको सारी स्थिति मालूम होगी । वहां ले जाकर गोलियों से भूनने का काम किया जाता है और उस परिस्थिति में भी यदि प्रशासन को बचाया जाता है तो मैं सदन को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं कि इसी देश में फूलन देवी पैदा हुई है, इसी देश में मोहन बिन्द पैदा हुआ है । आज जो विधवा, 16-17 साल की लड़की है जिसके पति को मारा गया है, जो रो रही है यदि उसको यह विश्वास नहीं हुआ कि हत्यारों को सजा मिली है, कल यदि उसकी

कोख में कोई सतान होगी, उसका भाई जिन्दा होगा वह किस रास्ते पर आयेगा, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं सोचने के लिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जो अफसर है उसको गिरफ्तार करिये, 02 के तहत मुकदमा चलाइये और स्पेशल कोर्ट से ट्रायल करवाकर दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दीजिए, अगर हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया है इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और जैसा अभी माननीय पासवान जी ने कहा कि हमें पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिए, मैं उनसे शत-प्रतिशत सहमत हूं। आज जो आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसका मैं पूरा सम्मान करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह मामला उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठ चुका है वहां उस पर बहस हुई है। उनके बाद वहां पर जांच हुई है, इन्क्वायरी के लिए सेट कर दिया गया है। अभी पासवान जी ने कहा कि एस०एम०पी० को भी मुअत्तल कर देना चाहिए। एक वक्ता ने कहा कि दरोगा को मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा। इन्क्वायरी जब सेट हो चुकी है, उसका परिणाम आने पर, वहां के मुख्यमंत्रीजी ने स्पष्ट बयान दिया है कि इन्क्वायरी होने पर जो निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार इन लोगों को सजा दी जायेगी। मैं नहीं जानता कि इतना तोड़-मरोड़ कर तथ्यों को यहां रखा गया है और अभी पासवान जी ने कहा कि अगर उन पर एक भी क्राईम हो तो मैं नहीं जानता कि आप कहां से गये कहां? मेरी जहां तक जानकारी है, वह बहुत सही जानकारी है कि वे लोग भी अच्छे चरित्र के लोग नहीं थे, यद्यपि उनका इस प्रकार मारा जाना गलत है···(व्यवधान)···माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अभी बोल रहा हूं····(व्यवधान)····मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब इन्क्वायरी सैट हो चुकी है····(व्यवधान)····

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है कि उदय प्रताप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं कि जो मरने वाले थे, वे क्रिमिनल्ज थे?

श्री उदय प्रताप सिंह : नहीं, यह मैंने नहीं कहा····(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : सवाल यह है कि ये क्या कहना चाहते हैं? क्या ये पुलिस की दलील देने आये हैं?

श्री आर०एन०राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। यह जो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वे अच्छे चरित्र के नहीं थे तो उनके पास इसका प्रमाण नहीं है। अगर इसी ढंग से बात····(व्यवधान)····उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि उनके खिलाफ 32 अपराध दर्ज हैं। जो बात सही हो, वही सही बात कहें ···(व्यवधान···

श्रीमती सुभाषिनी अली : मेरा कहना यह है इनके बारे में बात को रिकार्ड पर रखा जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को बताया कि जनता दल (समाजवादी) का हरिजनों के प्रति

तथाकथित रवैया क्या है ? जिनको पुलिस की गोलियों द्वारा भूना जाता है । इस बात की जांच की जानी चाहिये । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जायें उदय प्रताप जी । आपने तो देख लिया कि सदन की क्या भावना है ? जो भी आप बोल रहे हैं, सोच समझ कर व तोलकर बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह : मैं पूरे होश-हवास से कह रहा हूं वह मेरे पास····**(व्यवधान)**····

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : इतना कहने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं होश-हवास में हूं और जो कह रहा हूं, वह सही कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुश्किल तो यह होती है कि अगर इस प्रकार की यहां चर्चा होगी तो जिसके बारे में मालूमात तो स्टेट गवर्नमेंट को होती है तो मुश्किल हो जाती है ।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव (बदायूं) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही और जैसाकि सदन के बहुत से लोगों ने सी०आई०डी० के **(व्यवधान)** माननीय सदस्य नये हैं । एट्रोसिटीज के मामले में जिन सदस्यों की मौत हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, वे उस बाजू के रहने वाले थे । मेरा निवेदन है कि इसको कार्रवाई से निकाला जाना चाहिये जो भी विकट्म्जि हैं ····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, टेक यूअर सीट । आम बैठ जायें प्लीज । अगर वह रह सकता है तो रह जायेगा, नहीं रह सकता है तो नहीं रहेगा कार्यवाही में देखिये, मेरे पास बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है, अगर ऐसे व्यवधान होना शुरू हो जाये तो आप लोगों को टाईम नहीं मिलेगा कृपया आप अगर कुछ बोलना चाहें तो अपने भाषण में बोलें । अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं बोलें । नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि अन्त में आप में से बहुत सारे लोग बोल नहीं सकेंगे, इसलिए कृपया हमको जरा मदद कीजिए ।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हरिजनों पर अत्याचार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ । मैं खुद मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आजादी के 40 साल बाद भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं । लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, हालांकि मैंने पहले कहा कि न तो मैं इसको स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक मामले को लेकर इस सदन में चर्चा हो, इसके मैं कतई पक्ष में नहीं था । यह चर्चा वहां सदन में पहले उठ चुकी है, वहां पर आश्वासन दिए जा चुके हैं, 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिया जा चुका है, उन्हें जमीन दी गई है, इन्क्वायरी सेट की

गई है और इन्क्वायरी में स्पष्ट मुलायम सिंह जी ने कहा है कि यदि वे लोग दोषी पायें जायेंगे, उनको किसी भी हालत से बख्शा नहीं जाएगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी जब कोई घटना हो जाती है तो उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखा जाता है। होता क्या है कि जो कुछ 30 अक्टूबर और 2 नवबर को हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हुई क्या उनका नाम अत्याचार में अवश्य आएगा? उस अत्याचार के लिए जिम्मेदार कौन है? (**व्यवधान**) आप लोग तो सदैव एक रहे हैं और एक रहेंगे। आप लोगों का तो अजीब मामला है। तब भी एक थे, अब भी एक है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता की बहुत-बहुत प्रशसा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या हिमाचल में हरिजनों पर अत्याचार नहीं हुए? (**व्यवधान**) क्या बिहार में नहीं हो रहे, मध्य प्रदेश में क्या अत्याचार नहीं हो रहे, आंध्र प्रदेश में नहीं हो रहे? (**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मेरा एक पाइंट ऑफ आर्डर है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो वह उसका प्रमाण भी दें। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कृपया अब बैठ जायें।

[**हिन्दी**]

श्री उदय प्रतापसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में 27 नवंबर को बोलंगीर में टिटनागढ़ में क्या हुआ है? एक हरिजन नारी को अपमानित किया गया, उसकी बेइज्जती की गई। (**व्यवधान**) देखिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मामला (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह उड़ीसा में नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है आपके इलाके में बाल गोपाल मिश्रा के यहां हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री उदय प्रताप सिंह : मेरा निवेदन यह है कि जो हरिजनों पर अत्याचार हर जगह पर हो रहे हैं, और वह गलत चीज है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐड्रेस करके बोलिए, बराबर शांति रहेगी।

श्री उदय प्रताप सिंह : मै यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जिस प्रकार से इस घटना को राजनैतिक रंग दिया जा रहा है और सारी जानकारी को गलत तथ्यों को रखा जा रहा है, उस पर मेरा ऐतराज है। अभी आपने कहा मीडिया के रोल के बारे में। (**व्यवधान**)

श्री उपाध्यक्ष महोदय : पुनः आप श्रोताओं को सम्बोधित कर रहे है। यदि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें तो आपको परेशानी नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, पासवान जी ने अभी मीडिया के रोल पर साम्राज्यवाद और फ्यूडलिस्ट सामंतवादियों के रोल पर जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं।

लेकिन एक बात देखने वाली है कि इसका सारा ठेका क्या एक ही पार्टी का है, क्या हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते, क्या हम बुद्ध को नहीं मानते, क्या हम अम्बेडकर को नहीं मानते, क्या हम गरीबों के विरोधी हैं और जैसा अभी यहां सुभाषिनी जी कह रही थीं कि पहली पार्टी को भी कह दीजिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, आप अगेन ट्रबल को इन्वाइट कर रहे हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह : इसलिये मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो मामले हैं, उन पर बहुत गहराई से, छानबीन करके, विचार करके चलने की आवश्यकता है और इससे कोई भी सहमत नहीं होगा कि मामलों को राजनीतिक रंग देकर, दलगत आधार पर उसका फायदा उठाया जाए। यहां पर दलगत आधार पर, राजनैतिक लाभ लेने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने के लिये, उस पर चोट करने के लिये, इस मुद्दे को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर मुझे आपत्ति है। मान्यवर, मुझे आपसे यही कहना है।

श्री हरीश रावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने परम-मित्र रामविलास पासवान जी की इस बात से सहमत हूं कि हरिजनों, जनजाति के लोगों या अनुसूचित जाति के लोगों पर यदि कहीं अत्याचार होता है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग यह क्या कर रहे हैं। आपकी रनिंग कमेंटरी से कैसे हो जायेगा।

श्री हरीश रावत : उस अत्याचार की घटना को हमें राष्ट्रीय महत्व की घटना मानकर, उसके विषय में उसी प्रकार से सोचना चाहिये, दलगत हितों से ऊपर उठकर, रामविलास जी की इस बात से मैं स्वयं सहमत हूं। चौरा की घटना 14 जनवरी को घटित हुई और मैं भी चाहता हूं कि दोषी लोगों को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष जी, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहीं कोई कोताही बरती है, शिथिलता बरती है, कहीं कन्नाइव की है, कहीं पर शैल्टर देने की कोशिश की है, उन लोगों को जो इस घटना के लिये दोषी हैं, या उनको दण्डित करने के मामले में द्रुतगति से कदम नहीं उठाया है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, जैसा रामविलास जी ने यहां मांग की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये लेकिन पहले यह सिद्ध होना चाहिये। ऐसे मामलों में दोहरे मापदण्ड से काम नहीं चलेगा। मैं मुलायम सिंह जी का प्रशंसक नहीं हूं। **(व्यवधान)**

श्री राजवीरसिंह : समर्थक है तो हैं, या नहीं बोलिये **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : मैंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा की उस कार्यवाही को बड़े गौर से पढ़ा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चुप बैठिये। यदि आप वहां से बैठे बैठे कमेंटरी करेंगे तो उसका जवाब भी आयेगा और आपके स्पीकर बोल नहीं सकेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : और उस कार्यवाही से मुझे जो जानकारी मिली है, उपाध्यक्ष जी, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना की जानकारी होने के बाद, वस्तुस्थिति की जानकारी होने के बाद, दोषी लोगों को दण्डित करने का हर सम्भव प्रयास किया है। मैं रामविलास जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस समय वे चौरा की घटना का जिक्र कर रहे थे, मैं उनकी वेदना और उनके दर्द से सहमत हूं, मैं भी उसको समझता हूं, लेकिन उतना ही दर्द उनके मन में उस समय भी होना चाहिये था, जब उन्हें यह जानकारी मिली थी कि बिहार के मसौदी गांव में अनेक हरिजनों की सामूहिक हत्या कर दी गयी है।

श्री रामविलास पासवान : आपने सुना नहीं, हमने कहा था। (**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, इस बात को देखकर तकलीफ होती है कि एक नौजवान इस प्रकार के दोहरे मापदण्ड में विश्वास करे। जिस प्रकार से उनके नेता दोहरे मापदण्डों में विश्वास करते हैं, उसी तरीके की दोहरी मानसिकता, दोहरे मापदण्डों में जीने के वे आदि हो गये हैं और यही कारण है कि चौरा की घटना के लिये उन्हें दोषी मुलायम सिंह जी तो दिखायी दिये लेकिन मसौदी की घटना के लिये लालू प्रसाद यादव दोषी नहीं देते। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। चूंकि माननीय रावत जी ने मेरा नाम लिया है। इसलिये मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उस समय वे मौजूद नहीं थे, मैं बोल रहा था, तो मैंने चौरा काण्ड के लिये जहां उत्तर प्रदेश की सरकार को दोषी ठहराया था वहीं मैंने बिहार में मसौढ़ी की घटना के लिये कांग्रेस के लोगों का हाथ होने की बात कही थी। यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी हासिल कीजिये। यदि आप चाहते हैं, तो मैं नाम भी बता सकता हूं लेकिन संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखकर ही मैं यहां नाम नहीं खोलना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, रामविलास पासवान जी, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं और अब भी हैं, मैं एक मित्र के नाते उनसे कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, अब आप यह संदर्भ छोड़िये और अपनी बात कहिये। आप लोग बाहर जाकर इनका नाम लीजिये, मित्रता निभाइये, हाथ मिलाइये, लेकिन यहां न लीजिये।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ हो रही है जब मैं अपने परम मित्र का नाम इसलिये मजबूरी में ले रहा हूं कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आयी, तो कुछ ऐसी मानसिकता के लोग सत्ता में आ गये जिनकी वजह से हरिजन, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों पर अत्याचारों की घटनायें बढ़ी हैं। सन् 1977 से लेकर आप इनके समय को देख लीजिये, यह सिद्ध किया जा सकता है कि जिस तरह से बिहार हरिजनों पर घटनायें बढ़ी हैं, वे इनके समय में ही शुरू हुयी थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एक सरकार या दूसरी सरकार को दोष देने का मन्तव्य नहीं है। प्रश्न इस बात का है जो बात हमारे मित्र श्री जगपाल जी ने कही है कि आजादी के इतने लम्बे अन्तराल के बाद कौनसी मानसिकता ऐसी आयी जिसे सरकारी एक्सचेकर से तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि वह हरिजन, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की रक्षा करेंगे, वे ही आज इनके भक्षक बने हुए हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि जब से चन्द्र शेखर जी की सरकार आयी है तभी से हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। जब वी० पी० सिंह की सरकार थी, तब भी हरिजनों पर अत्याचार हुये थे और एक जगह नहीं बल्कि एक लम्बा सिलसिला हत्याओं का उनके शासन-काल में चला था जो उनके चुनाव-क्षेत्र में जाकर समाप्त हुआ, वहां पर वीभत्सरूप से हत्यायें हुयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस पार्टी की ओर से यह काम रोको प्रस्ताव रखा गया और इसको स्वीकार कर इस पर यहां चर्चा कराई जा रही है उन सदस्य महोदय और उनकी पार्टी के बारे में मैं कोई कमेन्ट्स नहीं करना चाहता हूं। उसके बारे में तो सारा हिन्दुस्तान जानता है कि उनकी जैसी मानसिकता है और कितना उनकी पार्टी हरिजन और अनुसूचित जाति और जन जातियों के कल्याण में विश्वास करती है। आजादी के बाद और आजादी से पहले भी उनकी पार्टी की कितनी कमिटमेंट इन लोगों के प्रति थी और कितनी पीड़ा थी, इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस बात को सारा देश जानता है। लेकिन अभी ताजे उदाहरण के रूप में चित्तौड़गढ़ में बर-बर अत्याचार हुये हैं उनको कोई नहीं भूला है। मध्यप्रदेश में शिवपुरी में महिलाओं को नग्न करके नचाने का जो दुष्कृत किया गया है, उसे कोई नहीं भूला है। दोनों जगह उसी पार्टी की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम चन्द्रशेखर जी की सरकार को सैन्सर करें, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी उस मानसिकता को सेन्सर करें जिसके तहत हरिजनों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं होती हैं और हम राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सदन को, जो सदन हमेशा हरिजनों पर अत्याचार को रोकने के मामले में एकमत रहा है, विभाजित करने का प्रयास करते हैं, उस मानसिकता को सैन्सर किया जाना चाहिए, उस मानसिकता की निन्दा की जानी चाहिए। निन्दा की जानी चाहिए उस मानसिकता की जिसके तहत ऐसे ब्यूरोक्रैटस को प्रौटेक्स दिया जाता है जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार का माध्यम बनते हैं। पासवान जी ने कहा कि हमने हरिजनों के लिए 110 करोड़ रुपये अम्बेडकर सैन्टेनरी के अन्तर्गत निश्चित किए हैं।.... (**व्यवधान**) उन्होंने बहुत लम्बी लिस्ट बताई

है कि हम अमुक-अमुक कार्य करने जा रहे थे। यह सारा देश जानता है कि उन्होंने सारे कार्य मौखिक किये हैं, इसके लिए कहीं पर कोई प्रोवीजन नहीं लिया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे रिप्लाई दें और मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि क्या इसके लिए वे कोई बजटरी प्रोवीजन करके गये थे क्योंकि आज भी तो वही बजट चल रहा है जिसको उनकी सरकार पेश करके गई थी। यदि 110 करोड़ रुपये का प्रोवीजन करके गये थे और चन्द्रशेखर जी और देवीलाल जी ने कहीं उसको लुटाकर फेंक दिया है तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने उस पैसे को लुटाकर कहां फेंक दिया है। यदि नहीं करके गए थे तो मैं आग्रह करना चाहूंगा पासवान जी से कि इधर तो गलत बयानी की थी उधर तो कम से कम सच्ची बात कह दें। मुझको यह कहने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। सारा हिन्दुस्तान जानता है। आज कहते हैं कि मानसिकता बदलने का सवाल है। देश की आजादी के दिनों में देश की मानसिकता को बदलने के लिए कौनसी पार्टी, कौन से लोग ऐसे थे, यदि आप उस इतिहास को ढूंढेंगे तो उसमें पासवान जी को वही देखने को मिलेंगे जो हमारी पार्टी से कोई इक्का दुक्का गए हों बाकी कोई नहीं मिलेगा जिन्होंने हरिजनों के उद्धार का कार्य किया हो। मैं अपने भाई गंगवार जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी पार्टी की लिस्ट उठाकर देख लें कोई नाम ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने देश की आजादी के दिनों हरिजनों के कल्याण का कार्य किया। ...(**व्यवधान**) यह कांग्रेस पार्टी थी गांधी जी के नेतृत्व में हमेशा हरिजनों के साथ रही और आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी है जो दृढ़ता के साथ हरिजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार है। मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि जो सेन्सर मोशन लाया गया है एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लाया गया है और ऐसी पार्टी द्वारा लाया गया है जो पार्टी हरिजनों के कल्याण में विश्वास नहीं करती है।

श्री कैलाश मेघवाल (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में आज यहां स्थगन प्रस्ताव चल रहा है। यह बहस तो चालीस सालों से इस देश में हो रही है चाहे विधान सभा का मंच हो चाहे लोक सभा का मंच हो, हर मंच पर हरिजनों की बहस चालू है, चालू रहेगी। इसका एकमात्र कारण यह है कि आजादी के बाद हरिजनों को राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया गया है और जिस तरह मोहरा बनाया गया है वही एक कारण है जिससे कि हमेशा हरिजनों का वास्तविक उत्थान नहीं होगा। राजनीति के कच्चे मार्ग के रूप में ज्यादा से ज्यादा हरिजनों के हितैषी बनने की बातें की जाती हैं लेकिन वास्तविकता क्या है। आज कहा जाता है कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। कौन-सा प्रदेश है जहां पर हरिजनों पर अत्यार नहीं हो रहा है। बंगाल हो, उड़ीसा हो या कोई और हो, मैं बताना चाहता हूं......(**व्यवधान**) अत्याचार कहां दिखता है? अत्याचार वहां पर दिखता है जहां पर यथा स्थितिवाद को तोड़कर हरिजनों ने सिर उठाया है, वहां-वहां अत्याचार दिखता है। आज पंजाब की स्थिति मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम नही है लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश आदि राज्यों की स्थिति की मैं व्यक्तिगत जानकारी रखता हूं। जब भी यथास्थितिवाद के खिलाफ हरिजनों ने अपनी आवाज उठायी तभी उन्हें दबा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने जब भी ऊपर उठने की

कोशिश की और उच्च वर्ग के समान अपना समाज में स्थान बनाना चाहा उन्हें दबा दिया गया। हरिजनों को एक प्रकार से राजनीतिक मोहरा ही बनाया गया है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में डा० अम्बेडकर का केन्द्रीय कक्ष में फोटो तक नहीं लगाया। आज हम उनका शताब्दी वर्ष मना रहे है। उन्होंने ही इस देश के संविधान का निर्माण किया। 1952 के चुनाव में देश के कुछ चिन्तक जिनको कि जवाहर लाल नेहरू चाहते थे उनको वह लोक सभा में लाये। उनमें हीरेन मुखर्जी, सी. डी. देशमुख, आचार्य कृपलानी, नरेन्द्र देव और कामथ आदि नेता थे। इनके खिलाफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े न करके उनको इस बहस के मंच पर आने की खुली छूट दी। कांग्रेस उस समय एक शक्तिशाली पार्टी उभर कर आई थी। जवाहर लाल जी ने डा० अम्बेड़कर के प्रति भी अच्छी सदाशयता दिखायी थी। उस समय अच्छे विचारक और अच्छे फिलासफर इस देश की संसद में चुनाव जीत कर आये थे।

हरिजनों पर अत्याचार कई वर्षों से होते रहे हैं। हरिजनों को ऊपर उठाने की बात करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। उनके लिये वास्तविक रूप से हमें काम करना होगा। आजादी मिलने के कुछ वर्षों बाद कई आन्दोलन चले—उनमें से एक सुधारवादी आन्दोलन और दूसरा प्रगतिशील आन्दोलन था। महात्मा गांधी जी जो कि एक सुधारवादी नेता थे उन्होंने खादी ग्रामोद्योग आंदोलन चलाया था। इन सभी आन्दोलनों का अब नाम लेकर वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। हर कोई राजनीतिक नेता इस कोशिश में रहता है कि हरिजनों के वोट कैसे लिये जाएं। हो सकता है मेरी बात से मेरी पार्टी के माननीय सदस्य सहमत न हों लेकिन मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो पूना पैक्ट हुआ था उसने हरिजनों में बटवारे की नींव डाल दी थी। आज हरिजनों की राजनीतिक हैसियत ही क्या है? संविधान में उनको जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया है वही एकमात्र उनको सुविधा मिली। 43 वर्षों की आजादी के बाद भी उसका न अपनी सम्पत्ति पर कब्जा है, न नोकरी पर कब्जा है और न ही उसका समाज में कोई सम्मानजनक स्थान है। डा० अम्बेड़कर और महात्मा गांधी जी का भला हो जिन्होंने उन्हें वोट का अधिकार दिलवाया। इस वजह से आज उनकी बहुत पूछ हो रही है। आज जब हरिजनों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा होती है तो जो अपने आप में तीसमार्का बनते हैं···(व्यवधान)····

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें। भविष्य या वर्तमान की बातें करने मात्र से समस्या का निदान होगा। आज अपनी बात लम्बी मत खींचिये।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन मेरी पार्टी ने मेरा नाम दे दिया। मेरी पार्टी के नेता ने मुझे इस विषय पर बोलने का आग्रह किया। इस वजह से मैं इस पर बोल रहा हूं। समय अधिक नहीं है वरना मैं इस पर और बोलता। इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गंगा चरण लोधी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में 13 पासी जाति के लोगों की और तीन कुर्मी जाति के लोगों की सामूहिक हत्याएँ हुई और यह हत्याएँ किसी जाति विशेष के लोगों द्वारा नहीं की गई, ऊंची जाति के लोगों ने नहीं की बलिक ये हत्याएँ वहां की राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा की गई।

आज सरकार डा० बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म शती मनाने जा रही है और यह पहला तोहफा देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए इस सरकार ने पेश किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने 13 हरिजनों और तीन पिछड़ी जातियों के लोगों की हत्या करके यह नक्शा दलित लोगों के समाज के सामने पेश किया है कि हमने सबसे दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए यह काम करके दिखाया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समय यह हत्याएँ हुई तो हत्यारों को राज्य के मुख्य मंत्री ने उपहार के रूप ईनाम दिया कि आपने जो काम करके दिखाया है, यह एह सराहनीय काम है।

मैं अभी अपने बड़े भाई रावत जी के विचार सुन रहा था, अपने और बड़े भाइयों के विचार भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यह सवाल मानसिकता का है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मानसिकता एक दिन में या 11 महीने में बनती बिगड़ती है ? मानसिकता बनने में वर्षों लग जाते हैं, यह सदियों पुरानी मानसिकता है। आपने 40 साल देश में हुकूमत की और आपने उस मानसिकता को बिगाड़ने का काम किया, यह आप बतायें। आज सवाल इस बात का नहीं है कि हरिजनों की हत्या हुई है कि किसी जाति विशेष के लोगों की हत्या हुई है। हम यह नहीं कहते कि आप हरिजनों को, इन्सान को भगवान मान लो लेकिन यह मांग जरूर करेंगे कि एक इन्सान के साथ कम से कम एक इन्सान जैसा सुलूक होना चाहिए। आज तक के इतिहास में; जब से यह देश आजाद हुआ है, कई जाति के लोगों की हत्याएँ हुई हैं, हिन्दुओं की, मुसलमानों की, ऊची जातियों की, पिछड़ी जातियों की हरिजनों की हत्याएँ हुई हैं लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक कभी भी ऊंची जाति के लोगों की हत्याएँ नहीं हुई है, जब भी पुलिस के द्वारा हत्याएँ हुई हैं तो हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों की हत्याएँ हुई हैं और अल्पसख्यकों की हत्याएँ हुई हैं। यह उस मानसिकता का द्योतक है, जिन लोगों ने सदियों पुरानी मानसिकता बनाई थी, जिसमें इन्सान को जानवर बनने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस व्यवस्था के अन्दर एक इन्सान दूसरे इन्सान के बराबर नहीं बैठ सकता जिस व्यवस्था के अन्दर एक इन्सान दूसरे इन्सान का छुआ पानी नहीं पी सकता और जिस व्यवस्था के अन्दर एक इन्सान दूसरे इन्सान का छुआ भोजन नहीं कर सकता, उस व्यवस्था के अन्तर्गत यह हत्याएँ हो रही हैं और उसी व्यवस्था को बदलने के लिए राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो हमारे इन साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया और आज आप हरिजन उत्थान की बात करते हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि 41 साल से हरिजनों के लिए जो आरक्षण लागू था, उस आरक्षण को आपने आज तक पूरा नहीं किया। आज यदि आपने 22 परसेण्ट का आरक्षण पूरा कर दिया होता तो पासी का बेटा और भंगी का बेटा एस० पी० और कलैक्टर प्रतापगढ़ में होता तो कोई माई का लाल उनकी हत्याएँ नहीं कर सकता था।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : वहां एस० पी० और डी० एम० दोनों ही अनुसूचित जाति के हैं।

श्री गंगा चरण लोधी : और मारने वाले किस जाति का है ! मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां एस० पी० और डी० एम० तो अनुसूचित जाति के हैं लेकिन वहां का जन प्रति-

निधि किस जाति का है और उसने इन हरिजनों की हत्याओं के लिए क्या काम किया ?

चूंकि हरिजन जाति का कोई मर गया तो कुत्ता-बिल्ली मर गया। घरों में कुत्ता-बिल्ली भी मरता है, तो लोग आंसू बहाते हैं····(**व्यवधान**) प्रतिनिधि पक्ष में बैठे हुए हैं, मौन-व्रत धारण करके····(**व्यवधान**)····घर में कुत्ता-बिल्ली भी मरता है लोग आंसू बहाते हैं। लेकिन तेरह-तेरह हरिजनों की हत्याएँ हुई हैं, पिछड़ी जातियों की हत्यायें हुई हैं और वहां के प्रतिनिधि की आंख में एक आंसू नहीं आया।····(**व्यवधान**)····

उपाध्यक्ष महोदय : अन्याय तो नहीं हो रहा है प्रतिनिधि के ऊपर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरण लोधी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे छोटी उम्र का हूं और सबसे कम समय दिया जाता है और जब बड़े लोग बोलते हैं तो उनको कभी टोका भी नहीं जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : छोटी-छोटी चीजों को छोड़ दीजिए।

श्री गंगा चरण लोधी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में तेरह लोगों की; दलित जाति के लोगों की हत्यायें हुई हैं। पासी जाति जोकि हिन्दुस्तान में हिन्दू समाज की सबसे नीचे की इकाई है, जिसके लोग पास नहीं बैठ सकते हैं, जिसकी परछाई पड़ जाए तो लोग नहाया करते हैं। उस जाति के लोगों की हत्यायें हुई हैं। ये हत्यायें इसलिए हुई है कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दलितों के अन्दर इस व्यवस्था के खिलाफ आग जगाई है। पिछड़ी जातियों के नौजवानों के अन्दर इस व्यवस्था से लड़ने के लिए आग जगाई है। वह आग गांवों की झोंपड़ियों के जन-जन तक पहुंच चुकी है। इस व्यवस्था के खिलाफ जब दलितों ने, पिछड़ी जातियां ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, तो कुछ जो पुरानी मानसिकता के लोग हैं, जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। दलितों और हरिजनों को कुचलकर दलितों के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं कि कोई भी यह साहस नहीं कर सके।····(**व्यवधान**)····

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सवाल उठा था कि बिहार में भी कुछ लोगों की हत्यायें हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 23 दिसम्बर को भोपाल में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। इस मूर्ति को तोड़ने से बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं हुआ बल्कि हमारे संविधान का अपमान हुआ है और समूचे देश का अपमान हुआ है। जहां-कहीं भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, तो लोगों में उनके प्रति और भी आस्था बढ़ती है क्योंकि उन्होंने दलितों और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हरिजनों के ऊपर अत्याचार और जुल्म तब तक बन्द नहीं हो सकते हैं, जब तक हम लोगों की मानसिकता को नहीं बदलेंगे। इस मानसिककता को बदलने के लिए जरूरी है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए सब एकजुट होकर प्रयास करें। हरिजनों को अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर निःशुल्क बन्दूकों के लाइसेंस दिए जायें, ताकि जब पुलिस द्वारा अत्याचार और जुल्म हो तो वे अपनी रक्षा कर सकें। जहां तक डी० एम० और एस० पी० को बर्खास्त करने का सवाल है, तो एक कानून बना दिया जाए कि जिस जिले में हरिजनों और दलितों

व पिछड़े लोगों की हत्यायें होंगी, वहां के डी० एम० और एस० पी० को बर्खास्त कर दिया जाएगा इतना ही नहीं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से कानून बनाया जाए कि जिस राज्य में दलितों और पिछड़ों पर सामूहिक अत्याचार या हत्यायें होंगी, तो वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री बर्खास्त होगा और जब हरिजनों के मामले पर मुख्य-मंत्री बर्खास्त होगा तो वह सदैव ध्यान रखेगा कि हमारे राज्य में पिछड़ी जातियों और दलितों पर अत्याचार और जुल्म न होने पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के तारतम्य में मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाये और सरकार यदि सही रूप में डा० अम्बेडकर की शताब्दी समारोह मनाना चाहती है, उनको सही श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है और उनके सपनों को साकार करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बर्खास्त करके एक उदाहरण प्रस्तुत करे। जिससे सरकार के प्रति इस देश के दलितों और पिछड़ों का विश्वास जग सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 14 जनवरी की प्रतापगढ़ की घटना है यह हृदय को दहला देने वाली घटना है। अब तक जितने अत्याचार अनुसूचित जातियों पर हुए हैं उनमें यह अपना एक खास स्थान रखती है और हैरत तो इस बात से होती है कि अगर हम इस घटना के क्रम में जाएं तो देखेंगे कि पूरी तरह से गढ़ी हुई घटना है या इस माने में कि देवता दीन खेत मजदूरों के नेता थे, खेत मजदूरों के संगठनकर्त्ता थे। यह जाहिर है कि वह खेत मजदूरों की रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करते थे और उनको बसाने के लिए जमीन देने की मांग करते थे। सच्चाई तो यह है कि वह देवता थे, इसलिये उनका नाम भी देवतादीन था।

अब जहां इस तरह की बात हो वहां की पुलिस की सांठ-गांठ से एक ही घटना नहीं हुई है बल्कि इस तरह की बहुत सी घटनायें विभिन्न राज्यों में होती रही हैं। जब दातादीन को यह कह कर पुलिस ले जाती है चलो तुम्हारा भाई मारा गया है, उसकी शिनाख्त कर लो। उनकी बिटिया की शादी पर जो लोग वहां पर आए हुए थे वह सभी लोग साथ जाते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वह अपराधकर्मियों का नेता था, गैंग लीडर था। अब सोचने की बात यह है कि उस पर चार्ज क्या है? जीप चोरी का चार्जेज है और उसमें पुलिस मुठभेड़ होने की बात है। मुठभेड़ कहां होती है? मुठभेड़ वहीं होती है जब पुलिस के पास शस्त्र अस्त्र होता है और साथ ही साथ उसके भिड़ने वालों के पास भी शस्त्रास्त्र होता है तभी मुठभेड़ होती है जिस तरह से सी०आई०डी० की रिपोर्ट है उस हिसाब से किसी तरह से जीप को क्षति नहीं हुई है। पुलिस अगर फायरिंग करती है और डकैत उस पर सवार होता है तब गोली चाहे आगे से चलाई जाये या पीछे से, इस तरफ से या उस तरफ से। बहरहाल उस हालत में जीप को क्षति होनी चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब उस हरिजन पर जो अत्याचार किया गया, जो सारी बातें हुई, 13 लोग जो मारे गए वे सारे के सारे निर्दोष व्यक्ति थे। अगर यह बात नहीं होती तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन पुलिस कर्मियों को जिनको ईनाम देने की घोषणा कर दी और जब सच्चाई आई तो उनको ससपेंड किया गया दोनों बातें ठीक

एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां ईनाम देने की बात है, दर्जा बढ़ाने की बात है, दूसरी तरफ ससपेंड करने की बात है, ये दोनों विपरीत बातें हैं, इसलिए यह साबित होता है कि यह किस्सा मनगढ़ंत है। अब यह सोचने की बात है कि 13 व्यक्तियों की हत्या हो जाए और हत्यारों को छूट दी जाए, चाहिए तो यह था कि दफा 30' के तहत उसको गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल में बंद कर दिया जाता, लेकिन उसको पुरस्कार दे दिया गया और बाद में ससपेंड करने की सजा दी गई। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की चर्चाएं बराबर होती रहती हैं, लेकिन जब तक मूलभूत सुधार नहीं किया जाता, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो अनुसूचित जातियां किस पर भरोसा करें। पुलिस पर कैसे भरोसा करें जब पुलिस ही हत्याएं करती हो, उसके बाद बहाने बनाती हो। अगर ऐसे कांड में पुलिसकर्मी दोषी पाया जाए तो उसको दफा 302 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए और यदि अनुसूचित जातियों की घटनाओं की एफ आई आर दर्ज न की जाए, उनके खिलाफ भी तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इस घटना के बारे में भी पता चला है कि एफ आई आर दर्ज नहीं की गई। इसी तरह से अनुसूचित जाति का खून सस्ता होता है, इसलिए उसको मुआवजा सबसे कम दिया जाता है। पुलिस के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज श्री आनंद मुल्ला ने एक बार बहुत टिप्पणी की थी तो जवाहरलाल जी ने कहा था कि इसे तरह से पुलिस की छवि विदेशों में क्या बनेगी। तो पुलिस तो बेचारी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी घटना घटी है। घटना यह है कि जब अपनी मेहनत से बोई हुई फसल को काटने के लिए लोग गए तो पता चला कि भूपति ने पुलिस के साथ मिलकर रात में ही फसल कटवा ली है। यही सच्चाई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर घटना भूमि से जुड़ी हुई हो, जहां पर भूमि संबंधी मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या होती हो उस भूमि पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को छीनकर कब्जा दिलाया जाए. जब तक यह काम नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। कोर्ट-कचहरी तो बड़े लोगों के लिए हैं, खेत मजदूर या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए नहीं है।

अभी मेरे कांग्रेस के भाई बात कर रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जिनको हराकर लोकसभा में आए हैं, उस हारे हुए नेता को हरिजनों ने गांव में प्रवेश नहीं करने दिया, यह सच्चाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास कम से कम 20 लोगों की लिस्ट है। जो प्वाइंटस यहां पर पहले उठाए गए हैं, उनको नोट किया गया है, उनको

दोहराने में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए कृपया करके आप संक्षेप में जो खास बात बताना चाहते हैं उसे बता कर समाप्त करें।

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में और बिहार के पटना और बेगूसराय जिले में हरिजनों की सामूहिक हत्याएं हुई हैं। हम इसकी घोर निन्दा करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के संबंध में जो तथ्य रामविलास पासवान जी ने बताए हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने बताए हैं मैं उनसे सहमत हूं। मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता। प्राय: सभी सदस्यों ने उन तथ्यों को स्वीकार किया है। उनके बारे में कहीं से कोई जुबान दबी हुई, अन्त में और दवा दी गयी, वह जबान जो निकली है वही जुबान हरिजनों पर हत्या काण्ड के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह मैं कहना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में जो 13 हरिजनों मारे गए हैं, उनमें 13 में से 12 हरिजन हैं और एक कुर्मी है, जो तथ्य अभी तक बताए गए हैं उन्हें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है इनाम जो बांटे गए हैं उसके बारे में जो यह कहा गया कि मुख्यमंत्री ने ईनाम बांटे हैं, मैं उसमें भी सुधार करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने ईनाम नहीं बांटे। ईनाम बांट दिए गए इलाहाबाद जाने के आ०जी० द्वारा और तुरन्त दूसरे या तीसरे दिन इनाम बांट दिए गए इसलिए जिम्मेदारी मुख्य रूप से आई. जी. इलाहाबाद पर जाती है। उनको तत्काल मुअत्तिल करना चाहिए, यह आवाज सदन को लगानी चाहिए। उसी के साथ-साथ मुख्यमंत्री जी का रोल बहुत ढुल-मुल है। धक्का जब लगा तब आगे बढ़े हैं. प्रतापगढ़ जिले की बार एसोसिएशन ने कचहरी का बहिष्कार किया, उत्तर प्रदेश विधान सभा दो दिन चलने नहीं दी गयी तब सी०आई०जी० इन्क्वायरी बिठायी गयी। इन्क्वायरी के बाद जब रिपोर्ट चली गयी तो फिर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर आन्दोलन हुआ, लखनऊ में धरना दिया गया तब मुअत्तिल किए गए। अब मुकदमा कायम नहीं हो रहा। 13 हरिजन बेवाएं लखनऊ में अभी तीन दिन पहले विधान सभा पर धरना लगाती हैं तब जा कर 3 दिन बाद मुकदमा दायर होता है। अब फिर मामला आया हुआ है, मुकदमा तो पुलिस वालों पर कायम हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। यहां जो दबी जुबान निकलती है कि वे ठीक चरित्र के आदमी नहीं थे यही जुबान उन पुलिस वालों की मदद कर रही है, यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जब तक उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक कोई भी सरकार हो, उनको न्याय नहीं दिया जा सकता। यह मानने के लिए हमें सहमत होना चाहिए। इसमें पार्टी का सवाल नहीं; दल का सवाल नहीं। जब मुकदमा कायम हो गया तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि गिफ्तारी होगी भी तो मुकदमे की पैरवी ठीक से नहीं होगी और पुलिस वालों को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिए अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य दिनेश सिंह जी बोलेंगे, उनको बुलवाएं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मांग करें कि जल्दी से जल्दी उन पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। आई. जी. इलाहाबाद को मुअत्तिल किया जाए। अब जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी जांच चल रही है। पता नहीं कितने दिन जांच चलेगी। कोई भी इस सदन

का सदस्य जांच की मांग नहीं कर रहा है। सारा सदन एकमत है कि उनको जेल भेजना चाहिए। जो भी सरकार है उसके ऊपर जवाब पड़ना चाहिए कि उन्हें तुरन्त जेल भेजा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए। ये सारी चीजें पहले हो चुकी है।

श्री राम सजीवन : दो मिनट और लूंगा। चार-पांच साल के बच्चे और विधवाएं भूखों मर रहे हैं। उनको दो-दो लाख रूपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 25-25 हजार रुपया दिया हैं। वह नाकाफी है भारत सरकार को नियम बनाना चाहिए औ भारत सरकार से हो उनके पास भेजा जाए। भविष्य में हरिजनों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हों तो भारत सरकार से मदद दी जाए जबकि प्रदेश सरकार पर भरोसा न रखा जाए। आज मुख्यमंत्री बड़े अड़ियल चल रहे हैं और श्री वी०पी० सिंह मौके पर गए थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि श्री चन्द्रशेखर जी चले जाएं और उन विधवाओं के दुख के आंसू पोछे जाएं तो उससे हम लोगों को बड़ा बल मिलेगा। मंडल कमीशन पर श्री वी०पी० सिंह चले गए। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतने निर्दोष लोगों को सामूहिक रूप सें कभी नहीं मारा। मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में यह कहना चाहूंगा कि अगर वे हरिजनों को लेकर कुर्सी छोड़ दें या कुर्सी को लात मार दें जिससे दूसरा मुख्यमंत्री भी घबरा जाए कि यदि इस तरह का कांड होगा तो सीधे जिम्मेदारी उन पर आयेगी। मैं इसमें राजनीतिक सवाल नहीं ला रहा हूं दिनेश सिंह जी इतना कह सकतें हैं कि जो अत्याचार हुआ है उससे सबक सीखो। मुझे संदेह है कि वें ऐसा कहेंगे। अगर हरिजनों के सीने पर गोली चलेगी तो सीधे वे समर्थन करते रहेंगे। अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचिय जाति और अनुसूचित जनजातियों की उत्तर प्रदेश व विहार में हत्याएं हुई हैं। वह बड़ा दुखद है और लज्जास्पद है। मेरा मानना है कि हत्याएं सरकार को चुनौती दे रही हैं। डा० भीम राव अम्बेडकर का जन्मशती समारोह मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि यह सामाजिक न्याय के रूप में मनाया जायेगा। उसका विरोधात्मक रूप हो रहा है। मेरा यह मानना है कि उस समाज के हाथों में राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति जानी चाहिए जिनके पास जन शक्ति है श्रम शक्ति है। लेकिन वह दोनों शक्तियां अभी तक नहीं गई है जबकि आर्थिक शक्ति भी जानी चाहिए, वह भी नहीं गई। आजादी से पहले जिन लोगों ने जमींदार बन कर, राजा बनकर, सामन्त बनकर या समर्थ बनकर कुछ नहीं किया जब कि आज भी वे सन् 52 से लेकर आज तक सत्ता में मौजूद है। आज जमींदारों के बेटों व राजा या सामन्तों के बेटों ने सामाजिक व्यवस्था को पनपाया रखा जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं है सन् 52 से लेकर आज तक लगातार अनुसूचित जाति व जन-जाति के बेटों ने कांग्रेस को वोट दिया या जनता पार्टी को वोट दिया लेकिन अभी तक चमार या मुसलमान का बेटा इस देश में प्रधान मन्त्री नहीं बना। सन् 52 से लेकर सवर्ण, सामन्त या जमींदार के बेटों ने आजादी से पहले शोषण किया है, समाज की व्यवस्था बनाई है उससे हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं उन लोगों के हाथों में राज शक्ति जानी चाहिए। जिनके पास जनशक्ति है। जनशक्ति उसके पास है जो देश के 85 प्रतिशत लोग हैं। हमारे 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग और करीब 14 प्रतिशत अकलियत के लोग। ये 85 प्रतिशत लोग

जनशक्ति के प्रतीक हैं। उनके हाथों में जब तक सत्ता नहीं जायेगी इस देश में गरीबों का और मजदूरों का भला नहीं होगा। निश्चित रूप से इस देश में अनुसूचित जाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग सताये जाते रहेंगे। इस देश में जो श्रम शक्ति है उनके हाथों में धन शक्ति जानी चाहिए थी। इस देश में काम करने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं, वही मेहनत करने वाले लोग हैं और गांव में काम करने वाले लोग हैं। इनके पास श्रम शक्ति है, धन शक्ति नहीं है, इनको धन शक्ति नहीं दी जा रही है। वह तो टाटा, बिड़ला, गोयनका और सामंतों के हाथों में है। सामंती ताकतें जनशक्ति और धनशक्ति के आधार पर हमारे समाज का शोषण करना चाहती हैं। सामाजिक शक्ति उन लोगों के हाथों में जानी चाहिए जो देशभक्त हैं। हमारे देश में जो सामाजिक शक्ति है वह देश द्रोहियों के हाथों में है। ये जो हत्यायें हो रही है इसकी जिम्मेदारी शासन या प्रशासन दोनों पर हैं। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुभावी व्यवस्था के लोग हैं। उनमें फासिज्म भरा हुआ है नहीं चाहते हैं कि गरीब की का बेटा अनुसूचित जाति का बेटा उठे। डा० भीमराव अम्बेडकर ने वर्गों को सामाजिक, राजनैतिक चेतना के लिए प्रोत्साहित किया आज उनमें वह चेतना पैदा हो रही है। इनमें राजनीतिक चेतना भी पैदा हो रही है, सम्मान पैदा हो रहा है। दुनियाँ में जितनी क्रांतियां हुई हैं वह रोटी, कपडा और मकान के लिए नहीं हुई हैं, सारी क्रांतियां सम्मान, इज्जत के लिए हुई हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं कर रहे हैं वे प्रशासन में और शासन में भागीदारी की बात करते हैं। वे सामन्तवादी व्यवस्था के खिलाफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसी ताकतें जिनका मनुवादी व्यवस्था में विश्वास है, सामन्तवादी व्यवस्था में विश्वास है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास है वे सारी ताकतें एकजुट होकर चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वे सारी की सारी सरकारें ब्राह्मणवादी व्यवस्था की प्रतीक हैं। इसलिए हमारे देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक शासन और प्रशासन में अनुसूचित जाति के लोगों की साझेदारी नहीं होगी और सत्ता का जो केन्द्र बिन्दु है, अगर इस समाज का बेटा प्रधान मन्त्री नहीं बनता है तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था के जिम्मेदार हैं उनको कड़े से कड़ा दण्ड देना चाहिए।

श्री वामनराव महाडोक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समागृह में जितने वक्ताओं ने भाषण किया उनमें से किसी ने इस समस्या का जो रोग है उसके निदान के बारे में सदन का मार्गदर्शन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ी हुई जाति के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ उसके लिए तो बड़ा दर्द यहां देखा गया, उसके साथ-साथ जिस उत्तर प्रदेश का यह प्रकरण है उसी उत्तर प्रदेश में जब राम मन्दिर के लिए लोग गये, वे निहत्थे थे तो उनको वहां की हकूमत ने गोलियों से मारा तब इस समागृह में कोई हलचल नहीं हुई। सद्दाम साहब ने दुनिया को ठकराया और जब इराक की जनता को तकलीफ हुई तो हम इधर हलचल करने लगे, लेकिन हमारे कश्मीर में या पंजाब के हिन्दू लोगों का कत्ल किया गया तो इसी समागृह में ऐसी चर्चा नहीं हुई। यह बात मैं इसलिए बोलता हूं कि यहां जातिवाद, धर्मवाद को पैदा करने वाले तो हैं, लेकिन उसकी समस्या का निदान करने वाले नहीं हैं जब कोई गरीब को नंगा देखते हैं तो उस पर दया तो सब करेंगे, लेकिन उसको कोई कपड़ा नहीं देता कोई बात नहीं करता। भूखे को कोई अनाज नहीं देता।

जिसके पास मकान नहीं उस पर दया तो सब करते हैं, लेकिन उसको कोई आश्रय नहीं देता, रोग के लिए दवा की जरूरत होती है दया की नहीं। अनपढ़ आदमी पर दया तो सभी करते हैं, लेकिन उसे कोई शिक्षा नहीं देता है। आज रामेश्वर में आग लगी है और बम लेकर जाते हैं अयोध्या में। ऐसा उल्टा चलते हैं तो के० यशवन्त राव जी चौहान बोले कि जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको पहले काम देना चाहिये। हमारे पास अनुसूचित जनजातियों और सब गरीबों के लिये कोई ऐसा आर्थिक सुझाव होना चाहिये जिससे सब गरीबी मिट जायेगी, यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो गरीब लोगों का संरक्षण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्थगन प्रस्ताव आया है, उसमें पालिटिक्स है। इसमें तो यहां तक सुझाव आया था कि 1ˢ3 का डिवाईस लेकर सब लोग एक हो जाओ तो हम सब लोग नफरत की राजनीति दृष्टि से देखेंगे लेकिन इस प्रस्ताव में भी पालिटिक्स है, राजनीति की वजह से प्रस्ताव में कोई न कोई बगावत होने वाली है। हम लोग मनसि अन्यत् वचसि अन्यतः, कार्यम् अन्यत् करते हैं लेकिन गलत बात के लिए ठोकर देना चाहिये। हम सब लोग गरीबों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं····

उपाध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिये। आप दूसरे विषय पर बोलिये।

श्री वामनराव महाडीक : श्री राम विलास पासवान जी ने मराठवाड़ा विद्यापीठ को माननीय परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम देने के वक्त महाराष्ट्र में हुए दंगों के बारे बताया। इनका नाम लेकर दोनों जमात के लोगों को मारा गया, जलाया गया। यदि बाबा साहब होते तो पू ते कि हमारा नाम लेकर दो जमातें क्यों मरते है, काटते हैं, घर जलाते हैं, आप सब का निर्णय क्या है? बाबा साहब जरूर बोल देते कि मेरे नाम से किसी को मारो मत, जलाओ मत, ऐसा कोई रास्ता ढूढ़ना होगा, उसके लिए सोचें, यही मेरी विनती है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : उपाध्यक्ष महोदय. आज हमारे सामने जो विषय है, वह एक तरह से हरिजनों पर अत्याचार के सवाल को लेकर है और उसके साथ-साथ विशेष रूप से अभी जो हाल में उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही शर्मनाक घटनायें घटित हुई हैं, उनको लेकर है। अभी जो शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राईब्स कमीशन की रिपोर्ट छपने वाली है, उसके हिसाब से कुछ प्रान्त हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़ी मात्रा में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों की घटनायें सामने आती हैं। उन प्रान्तों में सबसे पहला है मध्यप्रदेश, उसके बाद बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। इसमें सिर्फ इस बात का सवाल नहीं है कि किसी पार्टी की सरकार किस स्थान पर या किस प्रदेश में किसकी है? सवाल यह है कि हमारे उत्तर भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, वह किस प्रकार की है? मेरा मानना है कि आज भी उत्तर भारत में सामन्तवादशक्तिशाली रूप से खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छाया हुआ है। आज भी सामन्तों का जुल्म, सामन्तों के साधनों का पूरी तरह से उनकी मि कियत है और उसके कारण सामन्ती मानसिकता का बोलबाला पूरे उत्तर भारत में देखा जाता है और और उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तर भारत में खासकर दूसरे प्रान्तों में लोग भी अछूते नहीं हैं। इस तरह की घटनायें घटती हैं। आज जो उत्तर

प्रदेश में हुआ, उसकी जो खासियत है जिसे लेकर आप लोग इस सदन में चिन्तित हैं, वह है जो रक्षक है, उसने भक्षक का रूप धारण करके झूठ बोलकर फरेब करके यह कहा कि हमारे भाई हैं हत्यारों का शिनाख्त करने का काम करना है फुसलाकर 10 परिवार के लोगों को जो पासी जाति के हैं, उनको झूठ बोलकर जीप में लेकर बैठाकर ले गये। उस जीप में तीन अन्य व्यक्ति जो कुर्मी जाति से थे, उनको बर्बर ढंग से बल्कि निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गयी और यह कहा गया कि वे डकैत थे। मुझे बहुत अफसोस होता है और शर्म भी आती है कि हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य यहां आ करके बहुत ही सरल ढंग से कहते हैं कि उनका चरित्र अच्छा नहीं था। यह कोई तरीका नहीं होता है इस तरीके के गंभीर सवाल पर अपने विचारों को रखने का।

मेरा आज आपसे निवेदन है कि यह जो पूरा सवाल है सांमतवाद का और भूमि सुधार का इस पर सिर्फ हमारे सदन के सदस्यों को गंभीरतापूर्वक ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि तमाम इस देश में राजनीति करने वालों को भी गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। यह सयोग नहीं है कि बंगाल में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। यह यह संयोग नहीं है कि केरल में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। उसका कारण है कि बगाल और केरल में जो गांव का गरीब है, वह संगठित है, उसने लम्बी लड़ाइयों को लड़कर के सामतवाद की जड़ों को वहां कमजोर किया है, जमीन को जबरदस्ती बांटा है। किसी सरकार की दया पर नहीं, किसी सरकार की मदद लेकर नहीं बल्कि अपनी ताकत के बल पर और अपनी सरकार को राजनीतिक चेतना के माध्यम से कुर्सी देकर के उसने जमींदारों की जमीनों को छीनकर बांटा है और अपने आपको सक्षम बनाया है कि वह अपनी भी हिफाजत कर सके और अपनी घरवाली की इज्जत की हिफाजत कर सके। इस तरह के काम करने की जरूरत पूरे देश के पैमाने पर है।

आज जो बिहार में हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? वहां पर जो भूमिहीन जनता है, जो भूमिहीनों की करोड़ों की संख्या है, आज बिहार में वह संगठित हो रही है। आई० पी० एफ० के लोगों के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन यह बात सच है कि बिहार के कई हिस्सों में जो भूमिहीन जनता है, उनको जबरदस्त संघर्ष कहीं पर आई० पी० एफ० के नेतृत्व में, कहीं पर सी० पी० आई० के और कहीं पर सी० पी० आई० (एम) के नेतृत्व में वहां के भू-स्वामियों के खिलाफ करना पड़ रहा है। वहां की सरकार को तय करना पड़ेगा कि वह किसकी तरफ होगी? हमें उम्मीद है कि बिहार की सरकार अपने वजूद को अगर बचाना चाहती है और अपने भविष्य को बनाना चाहती है तो उसको भी गरीबों का पक्षधर बनना पड़ेगा और यह जो हमारे देश में तरीका है कि गांवों का सामंत हमेशा हर पार्टी में घुसपैठ करके हमेशा खुद को सत्ता में बनाए रखना चाहता है, इस प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा और बिहार के मुख्य मंत्री और बिहार की सरकार तय करेगी कि वह गरीबों की पक्षधर बनेगी और अत्याचारी जमींदारों और गरीबों पर अत्याचार करने वाले किसी को भी नहीं बख्शेगी।

जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है आज हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में,

तो सबसे बड़े योद्धा बनकर सामने आए थे और उस समय के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने सबसे लम्बी चौड़ी लड़ाई लड़ी कि यह ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो गरीबों की हत्या एनकाउन्टर के नाम पर पुलिस के जरिए कर रहा है। मगर आज ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह जी लोगों से अच्छी बात सीखने की क्षमता नहीं रखते हैं लेकिन बुराइयों को अपनाने में किसी से भी पीछे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ? बड़े शर्म की बात है और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि उनके बहुत से साथियों का हाथ उस निर्मम हत्या में भी था। सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता उन लोगों के साथ थी जिनकी पुलिस द्वारा हत्या करवाई गई। प्रतापगढ़ से उस गांव में देवतादीन सी० पी० आई० का कार्यकर्ता था। आज से कुछ साल पहले उसका भाई भी मारा गया था। यह बात सच है कि ये लोग गांवों के अंदर गरीबों को संगठित कर रहे थे, भूमिहीनों को संगठित कर रहे थे और बड़े-बड़े जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये जमींदार हर पार्टी के मालिक बन जाते हैं, जो पार्टी सत्ता में आती है, उसके मालिक बन जाते हैं। यह जो हमारे देश की, हमारे समाज की सोच है और उसके कहने पर वहां की पुलिस जाकर के 14 लोगों को फुसलाकर के जीप में बैठाए और उनको भून डाले, उनकी हत्या करे, इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा दुख की बात हमारे देश और हमारे समाज के लिए नहीं हो सकती। इसलिए हमने अपनी कमेटी में भी उठाया था प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आप उत्तर प्रदेश की इस घटना के बारे में रिपोर्ट दीजिए। प्रधान मन्त्री क्या जबाव देते हैं उनकी पार्टी के नाम के आगे समाजवाद शब्द लिखा है। मेरा इन नेताओं से कहना है कि थोड़ी सी शर्म खाइये, कम से कम इस "समाजवाद" शब्द को अपनी पार्टी के सामने से हटा दीजिए, उसको कम से कम बदनाम करना बन्द कीजिए। एक ये प्रधान मन्त्री जी हैं बलिया हर दूसरे दिन जाते हैं भांजे की शादी हो तो जाते हैं। भतीजे की शादी हो तो जाते हैं, लेकिन बगल में ही प्रतापगढ़ है यदि वहां 14 लोगों की हत्या होती है तो प्रधानमन्त्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वहां जाकर देखें और उनकी बेवाओं के आंसू पोंछने का काम करें। आज हमारे प्रान्त में नतीजा यह हो रहा है कि अगर कोई कहे कि जातिवाद आज इस देश में घट रहा है तो मुसीबत यह है कि आज जातिवाद के खिलाफ लड़ने का हथियार भी जातिवाद बनता जा रहा है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। इसके परिणाम भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आज किसी जिले में डी० एम० कौन बनेगा, इसके लिए नाम पूछा जाता है कि उसकी जाति क्या होगी। पिछले दिनों अलीगढ़ में एक हरिजन एस० एस० पी० को भेजा गया तो इस सदन के अंदर घड़ियाली आंसू बहाने वाले हमारे भा० ज० पा० के नेता को याद करना चाहिए कि अलीगढ़ में भा० ज० पा० के लोगों ने धरना दिया और कहा कि अलीगढ़ में हम किसी हरिजन जाति के एस० एस० पी० को घुसने नहीं देंगे। यह आज उत्तर भारत में हमारे लोगों की हमारे राजनेताओं की मानसिकता बनती चली जा रही है।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या आपके पास इसका प्रमाण है ? **(व्यवधान)**

श्रीमती सुभाषिनी अली : प्रमाण आपको दिया जायेगा। वहां इस बात को लेकर धरना दिया गया था और आपके एक महान नेता के नेतृत्व में धरना दिया गया था, एस० एस० पी० साहब की नियुक्ति के खिलाफ ···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं नाईक साहब। आप भी बोलने वालों की लिस्ट में हैं। जब आपका नम्बर आये तो आप कह लीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : यह एक मानसिकता का सवाल है । यह पार्टीबाजी या पार्टीबंदी का सवाल नहीं है । मैंने पहले ही कहा कि सामन्ती विचारधारा और स्वयं सामन्त आज हर शासक पार्टी के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं । पार्टियों को भी, उनके प्रभाव से, अपने आप को. उसकी घुसपैठ से बचने की कोशिश करनी चाहिये । चारों तरफ देखिये, राजा ही राजा छाये हुए हैं अब भइया, इनका जमाना खत्म करके भेज दो और एक नई व्यवस्था के निर्माण के लिये हम सब लोग जुटें । उसी के तहत जमीन बंटेगी । तभी सामन्तवाद खत्म होगा, उसकी कब्र खोदी जायेगी, उसकी जड़ें खोदी जायेंगी और तभी ऐसे तमाम सवाल, हरिजनों पर अत्याचार वाले सवाल, खत्म होंगे । इसके लिये हम सब को मिलकर प्रयास करना चाहिये । इन शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी अभी एक माननीय सदस्या ने हमारी पार्टी पर गम्भीर किस्म का आरोप लगाया है । इस सम्बन्ध से मुझे इतना ही कहना है कि उनका आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद है । अपनी पार्टी की तरफ से मैं सदन में यही कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती ।

[**अनुवाद**]

श्रीमती सुभाषिनी अली : मैं अपने वक्तव्य पर दृढ़ हूं और यदि आप चाहें तो मैं सभी आवश्यक सबूत उपलब्ध कराऊंगी ।

[**हिन्दी**]

इसलिये आपके कहने या नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री मदनलाल खुराना दक्षिण (दिल्ली) : हमने इन्हें कोई इस बात का ठेका नहीं दिया हुआ है कि ये हमें प्रूफ उपलब्ध करवायें । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उमा भारती जी, आप बोलना चाहती हैं या नहीं ?

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : उपाध्यक्ष जी, मुझे भी आप बोलने का मौका दीजिये । इसीके बारे में मैंने कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है । हमने तो किसी को भी नहीं टोका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनको बोलने दीजिये, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा । आपको मैंने कहा है तो टाइम दूंगा मगर एक साथ सब को कैसे टाइम दिया जा सकता है । सम्भव ही नहीं है । जब मैं आपको कहूं कि दो मिनट में अपनी बात कहिये तो आप कृपया दो मिनट में ही अपनी बात कह दें । उमा भारती जी आपने 5 मिनट का समय मांगा है, आप 5 मिनट में ही अपनी बात कह दीजिये ।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : थैंक यू ।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 15 फरवरी को स्वयं प्रतापगढ़ जिले के उस गांव में गयी थी, जहां यह घटना घटी थी और मैंने देवतादीन के परिवार के लोगों से और उसके साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, जो उस घटना में मारे गये थे । प्रतापगढ़ जिले के इस हत्याकाण्ड के बाद, हमारे सामने जो सवाल उठकर खड़े हुए हैं, उनके जवाब के बारे में, सारे देश को विचार करना होगा । आजादी के 44 सालों के बाद भी हरिजनों को लगातार आरक्षण देने की बात करके हम उन्हें अपने समाज का एक अंग मानते हैं, यह बात कह करके, और खास करके कांग्रेस का राज इस देश में ज्यादातर समय तक रहा है लेकिन उन लोगों ने भी हरिजनों को एक प्रकार से अपना वोट बैंक बनाकर, जो मानसिकता का परिवर्तन इस देश में होना चाहिये था, वह नहीं हो पाया । प्रतापगढ़ की घटना हमें इसी बात का प्रमाण दे रही है । जब मैंने उस परिवार के लोगों से मुलाकात की और बात की, तो उस गांव के लोगों से जो मेरी बात हुयी थी उससे यह मालूम पड़ता था कि उनमें जो 4 लोग थे, यद्यपि वे कुछ छुट,पुट घटनाओं में संलग्न पाये गये, भले ही उनके अपराध प्रमाणित नहीं हुये थे, लेकिन इतने बड़े उनके अपराध नहीं थे कि उन लोगों को कहीं ले जाया जाता और वहां ले जाकर के गोली मारी जाती ।

देवतादीन के साथ जो और 10 लोगों को ले जाया गया और उनको वहां पर ले जाकर गोली मारी गयी, इन सारी घटनाओं से एक बात साबित होती है कि भले ही हमारे देश में शहरों में लोग कितने ही पढ़-लिख जायें, कितने ही आगे बढ़ जायें, हरिजनों और पिछड़े तबको की प्रगति को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वे अपनी कुण्ठा को किसी न किसी प्रकार से निकालते हैं ।

यदि कोई बड़ी जाति का व्यक्ति अपराध करे तो उसका बड़ा अपराध भी छोटा हो जाता है और यदि छोटी जाति का व्यक्ति कोई छोटा सा भी अपराध करे, तो उसका छोटा अपराध भी लोगों की नजर में अखरने लगता है । लोगों को लगता है कि पुण्य भी जायें, तो सवर्णों के खेमे में जायें, उनके खाते में जायें और अपराध भी जाये तो सवर्णों के खाते में जायें । अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति बड़ा भी अपराध करता है, तो उसकी करने वाले लोग होते हैं, उसको बचाने के लिये पुलिस भी होती है और कई जगह तो ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां बड़ी-बड़ी हत्याओं के अपराधी भी पुलिस स्टेशनों पर जा करके दरोगा के बगल में बैठकर चाय पीते हैं और छोटी जाति के लोग यदि छोटा सा भी अपराध करते हैं, तो कहते हैं—अरे इनकी अपराध करने की हिम्मत कैसे हो गयी ? यानी धर्म करने का काम भी सवर्णों के हिस्से में और अगर कोई ऐसी बात आवे तो वह काम भी सवर्णों के हिस्से में । अगर छोटी जाति के लोग कोई छोटा कृत्य भी करते है, तो उसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, यह प्रतापगढ़ की घटना से साबित होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, देवतादीन की पत्नी से मेरी मुलाकात हुयी थी । उन्होंने मुझे स्वयं बताया था कि वे लोग और उनके रिश्तेदार बैठे आग सेक रहे थे । रात में पुलिस के लोग आये, उन्होंने आकर के कहा कि आपके भाई के हत्यारे की शिनाख्त करनी है । जब वह अकेला उठकर चलने लगा, तो पुलिस वालों ने कहा कि आप अकेले मत चलिये, क्योंकि उधर से लौटकर आयेंगे, तो

आपको रात में कोई तकलीफ न हो जाये इसलिये आप अपने साथ में अपने और लोगों को भी ले लीजिये और चलिये। जब वह अपने 10 रिश्तेदारों को अपने साथ लेकर गया, तो फिर दूसरे दिन उनकी लाशें ही देखने को मिलीं। इससे एक बात झलक रही है पुलिस की, वह यह कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन, खासकर पुलिस, अयोध्या की घटना के बाद बहुत दुस्साहसी और बहुत उद्दण्ड हो गयी है और यह जो घटना है, जिस प्रकार से लोग मारे गये हैं, इसका मतलब यह है कि अपराधियों को किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है और उनको लगता है कि हम किसी भी अपराध को करके बच सकते हैं और हम प्रशासन से प्रोटेक्शन पा सकते हैं और यह बात साबित भी हुयी, जब आई०जी० के द्वारा उनको इनाम बांटे गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि मुलायम सिंह की सरकार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिये इस घटना की न्यायिक जांच होने के साथ ही साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो कि फरार हो गये हैं, उनको दण्ड दिया जाना चाहिये और हकीकत तो यह है उपाध्यक्ष महोदय कि जो एनकाउण्टर में मारे गये हैं, वे तो मारे जाने लायक लोग नहीं थे, लेकिन ये जो फरार लोग हैं, इनकी सम्पत्ति कुर्क होनी चाहिये और यह आदेश देना चाहिये कि यदि ये जल्दी से जल्दी पेश नहीं होते हैं, तो फिर इनको कहीं न कहीं एनकाउण्टर में मार दिया जायेगा क्योंकि ये लोग इस बात के लिये डिजर्व करते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त होनी चाहिये अन्यथा उत्तर प्रदेश में हरि-भक्तों और हरि-जनों का जीना मुश्किल हो जायेगा। इससे पहले कि वहां लोग पूरी तरह से बर्बाद हों, मैं मांग करती हूं कि मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज स्वतंत्रता के 40-45 सालों के बाद भी हमारे देश में ऐसी घटनायें हों जहां कि पुलिसकर्मी जबर्दस्ती अनुसूचित्त जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को पकड़कर ले जाये और उनकी हत्या कर दे, यह शर्मनाक ही नहीं बल्कि दुखद भी है।

हमारे मित्र रामविलासी ने एक इतिहास का जिक्र किया कि किस तरह समय-समय पर हमारे बीच में बड़े महात्मा आये जिन्होंने कि इस समाज को सुधारने की कोशिश की, जिन्होंने इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की और जिनका एक आदर्श था कि हिन्दुस्तान में जो नागरिक रहते हैं, वे सब बराबर माने जायें।, जाति और वर्ग से वे अलग न किए जाएं। मुझे केवल इस बात का दुख है कि उन नामों में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क का नाम नहीं लिया है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने नाम लिया है मैंने गोली मारने वाले का भी नाम लिया है और बचाने वाले का भी लिया है। (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि हम लोग एक बड़ी अहम समस्या पर विचार कर रहे है लेकिन मैं देखता हूं कि सदन में कुछ ऐसे सदस्य है जो यह नहीं चाहते है कि

इस पर गम्भीरता से बातचीत हो सके बल्कि उसको एक हल्के ढंग से टाल देना चाहते हैं। पासवान जी ने महात्मा गांधी जी का नाम जरूर लिया लेकिन उस सन्दर्भ में नहीं लिया जिसमें और समाज सेवियों का लिया था। उस सन्दर्भ में लिया कि उनकी हत्या की गई, एक ब्राह्मण ने उनकी हत्या की।

श्री राम विलास पासवान : मैंने ब्राह्मण नहीं कहा। मैंने कहा कि समाज को बदलने का काम जिन्होंने किया है वे सब जातियों में पैदा हुए। उसमें मैंने बुद्ध, गांधी, विवेकानन्द जी का नाम लिया और कहा कि उनको मारने वाले पिछड़ी जाति के लोग नहीं थे। एक व्यवस्था की लड़ाई थी जिस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : हमारे मित्र ने जो कहा मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य पढ़ लेंगे जब उनके पास आएगा। उन्होंने इशारा किया कि यह किसी एक संस्था का सवाल नहीं है बल्कि पूरे देश का सवाल है। उसके बाद उन्होंने उसका एक लम्बा विवरण दिया कि उनकी संस्था क्या करना चाहती थी जिससे कि आज के विषय का कोई सम्बन्ध नहीं था। लेकिन मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आज हमको समाज की मनोवृत्ति बदलनी है और जब तक समाज की मनोवृत्ति नहीं बदलती है तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मैं समझता हूं कि आज जो सबसे बड़े खतरे की चीज पैदा हो रही है और वह इससे बहुत हद तक जुड़ी हुई है वह यह है कि देहात में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के पास बहुत से नए साधन होते जा रहे हैं, खेती से उनको उतना लाभ नहीं है जितना कि देहात में छोटे-छोटे काम लगने से उनकी आमदनी बढ़ रही है। एक नया समाज पैदा हो रहा है जो कि जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल कर रहा है। यह जाति से सम्बन्धित नहीं है यह आर्थिक प्रगति से सम्बन्धित है जो प्रगति अभी सबको बराबर साधन नहीं दे पा रही है इसकी वजह से एक ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें आज हरेक आदमी के लिए जान और माल का खतरा बढ़ता जा रहा है, अराजकता बढ़ती जा रही है। इस पर इस सदन को, माननीय सदस्यों की गहराई से विचार करना पड़ेगा कि हमारे इस तरह से आज जो वहां के देहात के अफसर हैं और जो लोग आज नई ताकत पा रहे हैं उनका जो एक गठबन्धन बन रहा है जैसा कि अभी सुभाषनी जी ने कहा वह बात बहुत हद तक सच है और उसके लिये मैं समझता हूं कि कोई अवसर आयेगा जब कि हम लोग और गम्भीरता से उस पर विचार कर सकेंगे।

जहां तक प्रतापगढ़ में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, का प्रश्न है उसके बारे में मैंने उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह जी को लिखा था कि जो भी वहां के वरिष्ठ अफसर हैं आप उनको फौरन वहां से हटा कर उनकी एक न्यायिक जांच करायें जिससे कि इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके और प्रोत्साही ढंग से काम न चल सके। मैं समझता हूं कि कुछ इस सम्बन्ध में कदम उठाये गये हैं और इनके बारे में वहां की विधान सभा में बातचीत हुई है लेकिन जिस ढंग से और जिस मजबूती से उत्तर प्रदेश सरकार को यह काम करना चाहिये था वह उन्होंने नहीं किया है। इस बात में कोई शक और कोई दो राय नहीं है और इसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानूंगा। उनको स्वयं इस घटना का ख्याल होना चाहिये था। विपक्ष के संसद सदस्य भी मौके पर गये। मुझे बहुत खुशी है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, राम विलास जी, सैफुद्दीन साहब, उमा भारती और दूसरे लोग भी वह

पर गये। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ना चाहिये था कि इतने लोग इस बात को उठा रहे हैं तो इसकी गहराई से छानबीन करायी जानी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : ऊपर जिनका असर है वह गये हैं।

श्री दिनेश सिंह : असर जिनका है, वे आज नहीं गये, पहले नहीं गये, आप फिर इन बातों को उठा रहे हैं जिस पर हमें बहुत बातें कहनी पड़ेंगी। आप चाहते हैं कि मैं भी अब पार्टी की तरह से बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी घटनायें पहले भी हुई और प्रधान मन्त्री जी के अपने क्षेत्र में हुई हैं और वह नहीं गये। अब उनको कहने से क्या फायदा है। मैं उनको नहीं उठा रहा हूं, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि यह मामला इस सदन से भी संबंधित है क्योंकि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सम्बन्ध में इस केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है, इस सदन की भी जिम्मेदारी है लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसी तरह से आप देखें कि आज हमने उत्तर प्रदेश की बात उठायी है, बिहार की, मध्य प्रदेश की और दूसरे प्रदेशों की बातें जो हैं अगर उनको इसी तरह से जिम्मेदारी से, गहराई से संस्था के फायदे और नुकसान को छोड़कर उठाते हैं तो इसी में भला है। अगर सब में एक भावना पैदा होती है कि देश इनको देख रहा है—चाहे छोटे से गांव चौरा में हुई हो और चाहे किसी शहर में हुई हो, ससद की निगाह से कोई अलग नहीं है, पूरा देश संसद देख रहा है, अगर यह भावना फैलेगी और अफसरों को उचित दंड मिलेगा तो मैं समझता हूं कि जरूर वह मनोवृत्ति जिस के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने कहा, उसको बनाने में मदद मिलेगी। और सबसे पहली बात यह है कि मैं चाहता हूं कि यह प्रथा बने कि इस तरह के जो काण्ड होते हैं तो जिले में जो सबसे जिम्मेदार आफिसर होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। प्रशासन का यह नियम है कि जो जिम्मेदार है, वह वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और वहां का एस० पी० होता है, अगर उनकी जिम्मेदारी हटाकर हम दरोगा और और दूसरे लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डालेंगे तो यह काफी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० पी० दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, दोनों को वहां से हटाकर इन्क्वायरी होनी चाहिए थी जिससे कि सच बात निकल सके और उसके बारे में लोगों को उचित दण्ड दिया जा सके।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी भी इसमें देर नहीं हुई है, इन्क्वायरी शुरू नहीं हुई है, डी० एम० को वहां से हटायें और जो सम्बन्धित पुलिसकर्मी हैं, उनको भी वहां से हटायें और उसकी जांच करायें तभी जाकर लोगों को यह विश्वास होगा कि हां, सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही है। नहीं तो यह बात भी उसी तरह की मानी जायेगी जिसमें कि एक अत्याचार हुआ, उसके बारे में आवाज उठी और कोई कार्रवाई नही हुई। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें एक इतना मजबूत कदम उठाये कि देश जान सके कि हां, यह सरकार वाकई में इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ कदम उठायेगी, उनको बन्द करके तभी कोई इसका रास्ता निकल सकता है।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिहार राज्य में तिस्खोरा गांव में हुई घिनौनी घटना के बारे में एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है। महोदय, चिन्ता न कीजिए, मैं

ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। परन्तु जो मुद्दे मैं अब रखूं माननीय मन्त्री को उत्तर देते हुए उनका जरूर उत्तर देना चाहिए। मैं एक नियमानुसार चलने वाला सदस्य हूं। जब मैं बोलता हूं तो मैं अध्यक्ष पीठ की आज्ञा का पालन भी करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय, स्वतन्त्रता मिलने के 43 वर्षों के पश्चात भी हमारे देश में इस तरह की घृणित घटनायें घटती हैं। यह हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह किसी दल की राजनैतिक समस्या नहीं है।

महोदय, 1930 में डा० अम्बेडकर ने यह प्रश्न उठाया था कि अनुसूचित जातियों और दलित वर्गों पर ब्रिटिश शासन के दौरान अत्याचार किये जाते थे और इसी वजह से उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने अब्राहम लिंकन को उद्धृत किया। उन्होंने कहा था। "हम लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों की एक लोकतान्त्रिक सरकार चाहते हैं।" परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज हम जो देख रहे हैं वह दलबदलुओं की सरकार है दलबदलुओं द्वारा चलाई जा रही सरकार है और दलबदलुओं के लिए है। अतः हम इस तरह की सरकार से किसी प्रकार की अच्छी बात की आशा नहीं कर सकते है।

महोदय, बिहार में तिसखोरा गांव में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के 15 लोग मारे गये हैं।

मैं इस घटना का मूल कारण जानना चाहूंगा। मेरी जानकारी के मुताबित यह इंडियन पीपुल्स फ्रन्ट तथा किसान संघ के बीच झगड़ा था। अगर बिहार राज्य विधान सभा की कार्यवाही का अध्ययन किया जाए तो पता लगेगा कि यह आरोप एक कांग्रेसी विधायक के खिलाफ लगाया गया है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वह बिहार में इस तिसखोरा गांव में हुई इस भयानक घटना के लिए उत्तरदायी थे। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने इस घटना से ठीक पहले वहां से केन्द्रीय पुलिस बल वापस बुला लिया था। मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरे मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि किसान संघ से सम्बन्ध व्यक्तियों ने पुलिस पर गोली चलाई थी और उस समय एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे कारणों की वजह से ही ऐसे मामलों पर विधान सभाओं में चर्चा नहीं होती। इन पर न्यायालय में चर्चा होती है। अगर इन पर चर्चा होनी है तो यह विधानसभाओं में होनी है, संसद में नहीं।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अन्यथा हम उत्तर प्रदेश या बिहार में हुई घटना पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है मैं विधान सभा की कार्यवाही नहीं पढ़ रहा। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

उन्होंने केन्द्रीय पुलिस बल को वापस क्यों बुलाया है : गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के आदेशों के कारण ही केन्द्रीय पुलिस बल वापस बुलाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कांग्रेस (आई) से सम्बद्ध एक विधायक इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता किसान संघ में है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात और है। मझे खेद है कि हम उन व्यक्तियों का नाम ले रहे है जो अपना बचाव करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है। परम्परा यह है कि अगर हमें किसी मुख्यमन्त्री का उल्लेख करना है तो हम मुख्यमन्त्री के रूप में उल्लेख करते है। अगर हमें किसी व्यक्ति का नाम लेकर उल्लेख करना है तो उसे अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अन्यथा वह बचाव नहीं कर पाता। कृपया इस बारे में सावधानी बरतें। मैंने आपको रोका नहीं है। लेकिन ऐसा एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : मैंने अत्यधिक सावधानी बरती है। इसी कारण यद्यपि मैं कांग्रेस (आई) के विधायक का नाम जानता था, फिर भी मैंने श्री रामलखन पाल यादव का नाम नहीं लिया है। (**व्यवधान**) मैंने उनका नाम नहीं लिया है। यह श्री रामलखन पाल यादव है जिन्होंने तिसखोरा गांव से श्री वर्मा को हराया था। यह गांव सभी पिछड़े वर्गों का गांव है। (**व्यवधान**) मैं कहता हूं कि मैं तो नियमों का अत्यधिक पाबन्द हूं फिर भी आप मुझे नाम बताने के लिए बाध्य कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा मैं 1960 से 1971 तक राज्य सभा का सदस्य रहा हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण जारी रखिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें उकसाइए मत, अन्यथा वह बहुत सी और बातें कहेंगे। (**व्यवधान**)

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : मैं इस घटना का मूल कारण जानना चाहता था। मन्त्री महोदय इस घटना का मूल कारण बताएं। वह इस बात का जवाब भी दें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता को धारा 302 की तहत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें। जैसाकि मैंने वायदा किया था, मैं अधिक समय नहीं लूंगा और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कुछ समय पहले जब यह एडजार्नमैंट मोशन शुरू हो रहा था, जब इस पर बहस चल रही थी तो मैंने कहा था कि

होम मिनिस्टर को यहां हाऊस में बुलाया जाए। उस समय हमारे मालवीय जी ने कहा था कि राज्य सभा चल रही है और वहां प्रधानमन्त्री जी बैठे हुए हैं उस समय हमने कहा था कि राज्य सभा 10 मिटन पहले एडजार्न हो चुकी है और मन्त्री जी सेन्ट्रल हाल में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद यहां पर न ही प्रधान मन्त्री जी उपस्थित हुए और न ही स्टेट होम मिनिस्टर उपस्थित हुए। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि यह चेयर इसको गम्भीरता पूर्वक ले रहा है तो सरकार को भी इसको गम्भीरता पूर्वक लेना चाहिए। इसलिये आप प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वे स्वयं यहां पर जाएं। (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना : इसका जवाब भी प्राइम मिनिस्टर से आना चाहिए क्योंकि यह होम मिनिस्ट्री का मामला है, केवल एट्रोसिटीस का मामला नहीं है। ये कोल्ड बलडड मर्डर बाय यू० पी० पुलिस का मामला है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि पहले भी ऐसा ही हुआ है इस तरह की घटना जो हुई हैं तो उसका जवाब होम मिनिस्टर की तरफ से आता है। (व्यवधान) इसमें हम आपकी एश्योरेंस चाहते हैं क्योंकि इसमें हमने जो मांग की है वह डिसमिसल आफ दी मुलायम सिंह गवर्नमेंट नाम की है। उसके बारे में जवाब कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर देंगे या कोई समाज कल्याण मन्त्री तो इसका उत्तर देंगे नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष जी, जब जसवत जी आपके स्थान पर बैठे थे तो उन्होंने इस सदन को बताया था (व्यवधान) कि सदन की जो भावना है उसको प्राइम मिनिस्टर तथा होम मिनिस्ट तक पहुंचायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसका जवाब दें और यहां पर स्वयं उपस्थित हों तो ज्यादा अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, यह एडजार्नमेंट मोशन है इसलिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के यहां न होने से हरिजनों के सम्बन्ध में चर्चा को सदन ने गम्भीरता से नहीं लिया है और प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री यहां पर उपस्थित रहना भी गवारा नहीं समझते, ऐसा वे लोग समझेंगे। इसलिये उनको यहां उपस्थित होना चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज, एट्रोसिटी पर बहस करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जब आगामी पहली मार्च को देश की जनता रंग की होली खेलेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार हरिजनों के खून से होली खेली इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। जहां तक बिहार का सवाल है मसौढ़ी में जिस भूमि डिसप्यूट को लेकर जिस तरह से 15 लोगों की निर्मम हत्याएं की गई हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुए हैं, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। वहां की सरकार इस माहौल को साबित करती है कि बिहार की सरकार ने स्वयं हरिजनों और गिरिजनों के खून से जाति उन्माद में होली खेली।

दूसरी बात उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा थाने के जयसांवा गांव में दातादीन के मृतक भाई रामलखन की बेटी सीमा को देखने के लिए इलाहाबाद जिले के गांव से कुछ लोग वहां

पर आए हुए थे। इसलिए वहां उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे थे। 3 बजे तक लड़की को देखने वाले चले गये, काफी रिश्तेदार भी चले गए। कुछ लोग बाकी थे जिनके साथ शाम के 7 बजे दातादीन आग ताप रहा था। पुलिस के दो आदमी एक खूंख्वार डकैत जो कि कुंडा थाने का है, उसको

7-00-म० प०

प्राइवेट जीप एम के ए847 में लेकर आती है और दातादीन को यह कह कर जीप में बिठाती है कि तुम्हारे स्वर्गीय भाई रामलखन का हत्यारा पकड़ लिया गया है, उसकी पहचान के लिये चलो। वह भी कहा कि वापसी में तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए उसके भांजे सुरेश, भतीजे राम सजीवन, रामफेर, दामाद रमेश, नजदीकी रिश्तेदार हरीशचन्द्र, जिया लाल, रामप्यारे, रघु, संतलाल और अखबारों में जिसके बारे में आया है कि शिनाख्त नहीं हो सकी, उसका नाम प्रभु था, ये सब हरिजन थे, इनको बिठाया और थोड़ी दूर चलकर रामेश्वर और हीरा कुर्मी को भी ले लिया। इसके बाद चौरा गांव में सड़क पर सरकारी गाड़ी से पुलिस ने आकर इनको गोलियों से भून दिया। जब वे लोग रात में नहीं लौटे तो दातादीन की पत्नी सुमेरा सवेरे थाने पता लगाने गई, लौट कर आई तो पता चला कि चौरा गांव में सबको पुलिस ने मार दिया है। जब वह थाने जाती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उसकी लाश नहीं दिखाई जाती और पुलिस द्वारा लाश को नदी में फेंक दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की गलती यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की। जब असेम्बली में बहुत दबाव पड़ा तो 50000 रुपए का मुआवजा डिक्लेयर किया, लेकिन दिया गया केवल 25-25 हजार। मुलजिमों को दफा 302 के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन साक्ष्यों को नष्ट करने के लिये सी आई डी इन्क्वारी का आडर्र कर दिया और मुलजिमों को बचाने की कोशिश की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रथा आज की नहीं है। पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाएं, इस प्रथा के जनक आज उस तरफ बैठे हुए हैं। गरीबों, हरिजनों, गिरिजनों को डकैत बनाकर कैसे मारा जाता है, इस प्रथा की शुरूआत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जब उ० प्र० में मुख्यमन्त्री थे, तब उनके गर्भ से हुई थी। आज वे उधर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हत्यारा* और कोई नहीं, वह कुंडा थाने का एस० एच०ओ० था और जो अभियुक्त है, जब उनके भाई मुख्यमन्त्री थे, तब बड़गढ़ जंगल में शिकार करते समय हत्या हो गई थी तो एक फर्जी जगतपाल पासी को पकड़वाया गया और पकड़वा कर जो लखनऊ लेकर गया था, जिससे कहा गया कि इसको ले जाकर मार डालो तो* जो महू में पोस्टेड था, उसी ने जगतपाल की हत्या की थी और 68 हत्याएं कर चुका है। (व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल लिमिट के बाहर बात कर रहे हैं ।

श्री आर० एन० राकेश : जहां तक* की बात है, इलाहाबाद के एक थाने में 4 कुर्मियों की हत्या कर चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है । आप किसी पर मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : मैं जो कह रहा हूं उसको प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रमाणित इस तरह से नहीं किया जाता ।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर में, धर्मपुर में जिन लोगों ने हत्याएं की थीं, उसको राजनीतिक संरक्षण मिला और वहां कोई नहीं गया था, शेखपुर फतेहपुर में जहां मातादेवी हरिजन को मारकर जला दिया गया था ।

तीन दिन लाश पड़ी रही, उसके बाद जला दी गयी । वहां कोई नहीं गया और यहां तक तक कि उस समय के प्रधान मन्त्री जो आज भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हैं उनके क्षेत्र का कोई नहीं गया था उनको संरक्षण मिला । फतेहपुर जनपथ के मलवा थाने के पलटुराम की* ने हत्या की थी । जिन्होंने हत्या की थी उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है । बेहुनी साधोपुर में 27 हरिजन मारे गए थे । राधा और संतोषी तब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे जब तक ये उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे । साधोपुर में 10 हरिजन मारे गए थे । मुलजिमान तब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे जब तक ये उत्तर प्रदेश में मुख्य मन्त्री थे । इलाहाबाद में 17 फेक-एनकाउंटर हुए हैं । 1995 में आम चुनाव के पहले इलाहाबाद में बाई इलैक्शन हुआ था, मुन्नी लाल पासी ने वीर बहादुर की मिटिंग बुलाकर कांग्रेस की मीटिंग बुलायी थी । उन्होंने जिस उम्मीदवार का विरोध किया था उसी मुन्नी पासी को नैनी के थाने में घर से सोते हुए निकाल कर मार डाला गया और वहां के एस० पी० और पुलिस को दण्डित नहीं किया गया । इसी प्रकार से थाना करनलगंज में भोदी हरिजन को थाने में मार दिया गया । इन मुलजिमान की रक्षा की गयी । इलाहाबाद में 17 फेक-एनकाउंटर कराए गए हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया और जो अभी तक सत्ता में बैठे रहे वे बराबर मुलजिमान की रक्षा करते रहे और उनको बचाते रहे । ये परम्पराएं बुरी हैं और जब तक उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी ।

अभी तक जो प्रधान मन्त्री थे, अब भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हैं उनके गांव की बात बताता हूं । मयदा थाने के अटखरिया गांव की बात बताता हूं । वहां अभी भी सीता देवी एक हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । उसके गुप्तांग में डण्डे डाले गए । महिला थाने में मुकदमा मैंने दर्ज करवाया । लेकिन अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई है ।.....**(व्यवधान)**....

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोल रहे थे तो आपने व्यवस्था दी थी कि अतीत की चीजें हैं उनका सदन में जिक्र न किया जाए। माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ और देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। दो चार और छः साल पहले जो हुआ वह निन्दनीय काम हुआ। लेकिन आज प्रतापगढ़ में जो हुआ है उस पर इन्हें बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश जी, मैं इनका प्वाइंट आफ आर्डर एप्रूव करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जितना संदर्भ है उसके बारे में ही बोलिए। इतनी लम्बी-चौड़ी कहानी न बनाइये कि दूसरों को ओब्जेक्शन करने की जरूरत पड़े।

श्री आर० एन० राकेश : मैं केवल बातें ही बता रहा हूं। आज पुलिस के लोग हरिजन को डकैत कह कर मार देते हैं उसका इजाद किसी न किया ? मैं इतना कहना चाहता हूं कि संरक्षण कौन-कौन लोग देते है। उनको बचाने के लिए किस-किस करैक्टर के लोग हैं। उनको बेनकाब करना इस सदन में जरूरी है।...**(व्यवधान)**..

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इसके पहले जितने भी मर्डर हुए हैं उनके एविडेंस इनके पास हैं। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के समय में जितने मर्डर हुए हैं उसके पूरे एविडेंस इनके पास हैं। इन्होंने उन एविडेंसिस को सप्रेस किया है। यह इनका अपराध है. इसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं.....**(व्यवधान)**...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राकेश जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका खण्डन करता हूं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं मुख्य मन्त्री था तो शेडयूल्स कास्टस व पिछड़े वर्ग के लोगों की एक दिन हत्या हुई थी, उसी मुद्दे पर मैंने इस्तिफा दिया था।

श्री आर० एन० राकेश : कानपुर में बैकवर्ड क्लास के आठ लोग मारे गये थे, उस समय इस्तिफा दिया था। **(व्यवधान)**...मुलायम सिंह जी भी उस समय अपोजिशन में थे ..**(व्यवधान)** उस समय यह कहा गया था कि काउन्टर में इतने मारे गए... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश जी, आपकी पार्टी को जितना समय दिया गया था, उससे ज्यादा समय मैं दे चुका हूं। आप इस विषय में रूचि रखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से बोलते हैं व कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता है वह अलग है। मैंने आपको समय दिया है उस गरिमा को कायम रखते हुए खत्म कर दीजिए।

श्री आर० एन० राकेश : मैं अटखरिया गांव की चर्चा कर रहा था **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप गांव की कहानियां क्यों सुना रहे हैं।

श्री आर० एन० राकेश : हर सीता की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये। हमारी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। एक सीता के लिए सोने की लंका जला दी गई थी। एक

सीता भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के घर की शोभा बढ़ा रही हैं। एक सीता की अटखरियां में आबरू लूटी गई····(व्यवधान) उत्तर प्रदेश व बिहार में हरिजनों के ऊपर जो घटनाएं हुई हैं उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिहार की सरकार लूली व अंधी बनी हुई है इसलिये वहां पर बिहार की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी साबित होती है तो उसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जहां पर हरिजनों पर अत्याचार हुआ है तो केन्द्र की सरकार उन हालात को देखे। मैं एक प्रभु के घर गया था। प्रभु की औरत श्यामा 21 वर्ष की है। वह रो रही थी और उसका पांच साल का बच्चा भी रो रहा था। मैं उस बच्चे से पूछा कि रवी तुम्हारा बाप कहां है। उसने कहा कि हमारे बाप को पुलिस ने मार दिया है। ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कर दें।

श्री आर० एन० राकेश : जहां भी इस तरह की हत्याएं होती हैं तो प्रदेश सरकार को मदद देने के बजाए केन्द्र सरकार द्वारा मदद दी जाए। जिस भी प्रदेश में ही दो लाख रुपये दिये जायें केन्द्र सरकार की ओर से और उस प्रदेश सरकार को जिसके प्रदेश में घटना हो उसको अनुदान देते समय यह राशि काट ली जाये। जो लोग मुलजिम हैं चाहे कुण्डा के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे फतेहपुर के हों सारी हत्याओं के अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाये। चाहे वे सैनिक के रूप में हों या पुलिस के रूप में हों, और उन पर अदालतों में मुकदमें दायर हों।

मैं सारे देश के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि उन्हें वह सबक लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नारायणपुर काण्ड हुआ था उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थीं और उन्होंने वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मैं मौजूदा प्रधान मंत्री से आग्रह करूंगा कि कुर्सी की मर्यादा को ध्यान में रखकर ऐसे मामलों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक लें। इस बात की चिन्ता न करें कि कुर्सी रहेगी या जायेगी। लेकिन इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव उठाकर इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहा है उनका स्वयं का दाम गन्दा है। वे अपने दाम में झांककर देखें, सत्ता में भी वे लोग रहे हैं वे झांककर देखेंगे तो पायेंगे कि दूसरों से ज्यादा गन्दा उनका दामन है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना और दुःख व्यक्त करता हूं और आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल कार्यवाही की जाये।····(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश अब जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

व्यक्तियों का व्यर्थ ही उल्लेख करने की जांच करके मैं उनके बारे में निर्णय लूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाय।

श्री कालका दास : हिन्दुस्तान में आजादी से पहले लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे। भारत के सारे लोग इकट्ठे हुए और 1947 में भारत को आजादी मिली। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ; लेकिन यह आजादी जो 1947 में मिली थी ऐसा लगता है कि चन्द लोगों को ही यह आजादी मिली थी। भारत में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का····

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें आपको समय नहीं मिलेगा, मैं रोकूंगा तो आप नाराज हो जायेंगे, आप पाइन्ट पर आ जायें और सुझाव दें।

श्री कालका दास : अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों में परतंत्र का अन्धेरा है। उसका परिणाम यह है कि आज 43 सालों की आजादी के बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों को पशुओं से बदतर समझा जाता है। बन्धुआ मजदूर के तौर पर काम कराया जा रहा है। हिन्दुस्तान में उनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है और उसके परिणामस्वरूप उपाध्याय महोदय, देश के हर कोने में उनके साथ आज भी अत्याचार किये जा रहे हैं। चाहे साधुपुर में हो, चाहे देवली में, चाहे तमिलनाडु में हुए हों, या आंध्रप्रदेश में हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हों या हरियाणा में हुए हों। देश में हर जगह 43 साल की आजादी के बाद भी इस वर्ग के साथ अत्याचार किये जा रहे हैं। कई दफा उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाते हैं। कभी-कभी जब वे मजदूरी मांगते हैं तो उनको एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया जाता है, कभी-कभी उनका सामूहिक कत्लेआम किया जाता है; कभी-कभी अनुसूचित जाति के लोगों को मैला खाने पर मजबूर किया जाता है। कभी-कभी उनको बांधकर गोली से हत्या की जाती है। इसका ताजा उदाहरण बिहार का है जहां पर 14 अनुसूचित जाति के लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी जिसका मामला इस सदन के सामने आया और जिसके संबंध में सब लोगों ने चर्चा की लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। यहां पर एटरोसिटीज के मामले पर जो चर्चा हो रही है और आज स्थगन प्रस्ताव भी रखा गया है इस काण्ड ने उन सारे काण्डों को शर्मिन्दा कर दिया है। आज जब भारतवासी इस काण्ड को सुनते हैं तो उनका सिर नीचा हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सुनी थी कि कुछ सामन्ती हैं जो इनको गरीब, निर्बल समझकर उनकी हत्यायें करते हैं। आर्थिक दृष्टि स शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वे कमजोर हैं और उनकी कमजोरी का फायदा यह उठाया गया कि उनके साथ देश की 43 साल की आजादी के बाद भी उनके साथ इन्सानियत का व्यवहार नहीं किया गया। यह एक विशेष कारण रहा है जिसके विश्व में सारे देश के सभी वर्गों में चर्चा है, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। आज अनुसूचित जाति के नौजवानों में एक कानाफूसी हो रही है। एक असंतोष है और उनको लग रह रहा है कि इस देश में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। वे निराश हो चुके हैं और उनके मन में सरकार के प्रति विरोध है कि उनके लिए सरकार आंसू बहाती है और कहती कि कमजोर की रक्षा के लिए पुलिस तैनात की गयी है और जिस पर आज चर्चा हो रही है। यह इस बात का द्योतक है कि उस पुलिस ने जिसको रक्षा के लिए रखा गया था, उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को सीट पर बैठाकर

जंगलों में जाकर उनकी हत्या कर दी और आज तक भी उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह सवाल उठाया गया था तो सरकार ने उस पर पर्दा डालना चाहा। जो अपराधी है, जिन्होंने गोली मारी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक लम्बे समय तक उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अभी जैसाकि कुमारी उमा भारती ने बताया कि उनकी श्रीमती ने, जिनकी हत्या की गयी और जिनके रिश्तेदारों की हत्या की गयी, उनको इसलिए ले जाया गया कि उनके बड़े भाई की हत्या हो गयी, हत्यारों को पकड़ लिया गया है। और वह उनकी पहचान करें, इस विश्वास में आकर आयीं, उनके रिश्तेदार जो उनकी पुत्री के विवाह के लिए आये हुए थे, वे भी साथ गये और पुलिस ने उनकी हत्या कर दी और उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी और मुलायम सिंह की सरकार जिसका समर्थन कांग्रेस (ई) कर रही हैं, वह हरिजनों पर अत्याचार कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि पहले तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि न्याय नहीं मिला और जो यह कानाफूसी हो रही है, इसके परिणामस्वरूप देश का बंटवारा हो सकता है, यदि न्याय नहीं दिया गया तो अनुसूचित जाति के नौजवानों में जो असंतोष पड़ रहा है, उससे पृथकवादी की बात हो जायेगी। इसलिए इनको न्याय मिलना चाहिये। उनके साथ जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कांड की सुनवाई के लिए अदालत बनायी जाये ताकि इस मामले पर न्याय हो सके। मैं चाहता हूं कि इनके परिवारों को उचित मुआवजा दो लाख रुपया प्रति व्यक्ति दे दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं चूंकि यह गम्भीर मामला है इस लिए कांग्रेस (ई) समर्थित मुलायमसिंह की सरकार को तुरन्त बर्खास्त करने के निर्देश केन्द्रीय सरकार से जाना चाहिये और उन अत्याचारों को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को दी जानी चाहिये और उन लोगों पर दफा 302 का मुकदमा बनाकर सबको दण्डित किया जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, हर वक्त हमें यह परेशानी आती है कि हम जो नए लोग आते हैं तो दो मिनट के लिए बोलते हैं। बाकी लोग एक-एक घंटा बोलते हैं, समय बरबाद करते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल से इस देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री बदलते आए हैं लेकिन कोई भी मौका ऐसा नहीं आया कि किसी भी प्रधान मंत्री के समय में कोई भी हरिजन, दलितों या या पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई हो, ऐसा किसी भी प्रधान मंत्री के समय में नहीं आया। यह बहुत दुख की बात है। आज 40 साल के बाद जो मत रखा गया है उस मत को किसी भी राज्य में लें, फिर वह गुजरात हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, लेकिन दिन-प्रतिदिन इसकी गिनती बढ़ती जा रही है। आज बहुत सारे सीनियर सदस्यों ने बहस में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उस समय में इतना हुआ था या उस समय में इतना हुआ था, गिनती होती रहेगी। कभी समय नहीं आएगा कि आज हत्या नहीं हुई है और तुम्हारे समय में ज्यादा और हमारे समय में

कम। यह मानकर आश्वासन देना और यह मानकर कहना कि हम दलितों के बहुत बड़े उद्धारक हैं, बहुत बड़े दुःख की बात है। हर वक्त पक्ष के द्वारा बात की जाती है और हर पक्ष के द्वारा हरिजनों की हत्याओं को एक मामूली ढंग से लेकर भूला दिया जाता है और परिणामस्वरूप जो हत्यारे हैं वह पुनः हत्याएं करते रहते हैं और किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या नहीं हुई जिस तरह से खुले बाजार में जिन दलित भाइयों को, जिन हरिजन भाइयों को गोली से मार दिया गया, उन हत्यारों को चौराहे पर गोली मार दी जाएगी, ऐसा कह दिया जाए तो कल किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि दलितों की हत्या करें। दलितों की जान की कीमत एक लाख रुपये, दो लाख रुपये लगाई जाती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई मरने के लिए तैयार है। जिसकी कीमत हम पांच लाख देने के लिए तैयार हैं। आज देश के अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे लोगों को मारने की छूट दलित भाइयों को दी जाए, उसके मारने वाले को पांच लाख रुपया दलित समाज सारे हिन्दुस्तान से इकट्ठा करके देगा। जब यह छूट दी जाएगी तो कोई भी व्यक्ति इस तरह की हत्या नहीं करेगा, लेकिन कानून की हत्या दिन प्रतिदिन होती है। हर गुनाहगार निर्दोष बनकर बाहर आता है और अगर सजा भी होती है तो दस साल, पन्द्रह साल के अन्दर वह फिर वापस आ जाता है और फिर अपनी वही कार्यवाही शुरू कर देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन आपसे मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का अत्याचार कम करने के लिए पुलिस से लेकर उच्चाधिकारी तक उनकी अधिक भर्ती होना चाहिए। वहां परसेंटेज नहीं होना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए उन्हें हथियार देने चाहिए। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आत्मरक्षा के लिए उनको तालीम देनी चाहिए, उनको स्वतंत्र रोजगार देना चाहिए जिससे इनको हाथ जोड़कर किसी के खेत में न जाना पड़े जिससे उनकी मां और बहन की इज्जत न लुटे। इसके साथ जहां पिछड़ी जाति के लोग तितर-बितर होकर रहते हैं, उन्हें उचित स्थानों पर एक साथ रहने के लिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और उनके जो भाई लोग कर मर गए हैं उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए और पुलिसकर्मियों ने जो अत्याचार किए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और अन्त में मुलायम सिंह यादव के नाम को तितर-बितर करूं तो···* (व्यवधान) *

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री रतीलाल कालीदास वर्मा : जितनी जल्दी हो सके, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाये। तभी उत्तर प्रदेश में हरिजन लोगों की हत्याएं होना बंद हो जायेगा और आज सदन में

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम सब जिस तरह से दुख व्यक्त कर रहे हैं, उसका दोबारा मौका नहीं आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं समय देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जटिया जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं और आपको दो मिनट का समय देता हूं। आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुल्म जब-जब बढ़ते हैं, सब्र के दरिया में तूफान आता है, लहरें मचल उठती है और किनारे टूट जाते हैं। ये सारी बातें जजबात से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो हम लोकतंत्र, स्वतंत्रता, जनतंत्र आदि की बातें करते हैं और इन बातों को करते हुए बड़ा अच्छा लगता है किन्तु जिस लोकतंत्र में लोक की रक्षा न हो सके, जिस जनतंत्र में जन की रक्षा न हो सके जिस स्वतंत्रता में लोगों को स्वतंत्रता का अहसास न हो, उसी के कारण आज ये सारी परेशानियां आ रही हैं। हमने देखा है कि जब भी अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो हम लोग उसको राजनीतिक रंग देकर देखने की कोशिश करते हैं किन्तु यह बात लगभग निश्चित हो गयी है और हम कह सकते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, शोषित लोग, आजादी के बाद इतना समय बीत जाने के बाद आज भी, उसी स्थिति में है और इनके सम्बन्ध में हमारे नजरिये में कोई सुधार आया हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। आज हम जिस घटना के बारे में यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं, वह मकर संक्रान्ति के दिन 14 जनवरी को घटित हुई थी। मकर संक्रान्ति के बारे में जैसा प्रचलित है कि हम अन्धकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का काम करें किन्तु उस दिन अन्धकार से अन्धकार की ओर ले जाने वाली एक घटना घटित हो गयी। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। उस घटना में देवतादीन नाम का एक हरिजन दीन देवता हो गया। उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, सरकार की तरफ से जो कहा गया और अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि उसके परिवार को 25 हजार रु० देने की घोषणा कर दी गयी है, क्या इससे ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गयी। किसी को 25 हजार रुपये देकर क्या यह कहा जा सकता है कि तू मरने के लिये तैयार हो जा। इसलिये 25 हजार रु० देने से ही हमारे कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, हमारा दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। ऐसी घोषणा कर देने से हमारे जनतंत्र की, हमारी स्वतंत्रता की छवि बनेगी, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। इन घटना में जितने लोग मरे हैं परिवारों में अन्धकार छा गया है। देवतादीन के परिवार में, उसके तीन भानजे भी इस घटना का शिकार हो गये हैं - राम सजीवन, सुरेश और रामध्येय। अब उनके परिवार का ध्येय क्या होगा, उनकी जिन्दगी में कैसे बदलाव आयेगा, हमें उसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं रह गयी है यह कहा जाता है कि वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे लेकिन वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो हो ही नहीं सकते, बल्कि उनका अपराध जगत से किसी तरह का सम्बन्ध ही नहीं था। सारी की सारी घटना को बनाया गया है, बनावटी ढंग से पेश किया गया है, फिक्टिशियस घटना है, पुलिस को इतनी आजादी कैसे दे दी गयी। सारी की सारी घटना के बारे में किसी को कोई शक न रहे, इसीलिये यह कहानी बनायी गयी है। ऐसी घटनाओं

के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, संवेदना रखते हैं और उसी संवेदना को प्रकट करने के लिये, इतने बड़े सदन में हम कोई कमी रखेंगे या कुछ और करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता, परन्तु प्रश्न यह है कि उस संवेदना को साकार करने के लिये हम क्या करने वाले हैं। उस घटना के शिकार लोगों के परिवारों को क्या सुरक्षा या संरक्षण देने वाले हैं। आजादी के 44 साल बीत जाने के बाद भी, आज यदि हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है तो यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है, जिसे बदलना चाहिये क्योंकि इस वर्ष हम डा० अम्बेडकर का जन्म शताब्दि वर्ष मना रहे हैं। उस साल यदि ऐसी घटना घट जाये और वह भी पुलिस के लोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री सत्यनारायण जटिया : सामान्यतः पहले एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर अत्याचार करते होंगे, उच्च जाति के लोग निम्न वर्ग के लोगों पर ऐसे अत्याचार करते होंगे, शोषित समाज के ऊपर अधिकार-सम्पन्न लोग करते होंगे, किन्तु लोगों की रक्षा, संरक्षण का दायित्व जिन लोगों पर हों, वे ही ऐसे काम करें तो उसका क्या हो सकता है। इस घटना में पुलिस के लोगों का हाथ पाया गया है, जिसे बाद में छिपाने की कोशिश की गयी है। एफ०आई०आर० तक दर्ज नहीं की गयी, उनकी बात सुनने के लिये कोई तैयार नहीं था·····

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारे प्वाइंटस हो चुके हैं, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : इस अम्बेडकर शताब्दि वर्ष में हमें कुछ आदर्श स्थापित करने चाहिये। जहां हम संवेदना व्यक्त करने की बात करें परन्तु रिलीफ के नाम पर कंजूसी बरतें

उपाध्यक्ष महोदय : दो लाख रुपये रिलीफ देने की बात हो गयी है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं अपनी बात को इन शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं :

मानव मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म महान है,

सामाजिक समता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है।

प्रतिबंध लगे हों जीने पर, समता का अधिकार नहीं,

उसका जीना भी क्या जीना, जिसको मानव अधिकार नहीं।

शोषण मुक्त समाज रचना को प्रतिबंध हमें स्वीकार नहीं।

मनुष्य विभेद को विवश करे, ऐसे बंधन स्वीकार नहीं॥

अस्पृश्य, दलित, शोषित अकिंचन, स्वतंत्रता के ये अर्थ नहीं।

व्यक्ति व्यक्ति समर्थ नहीं तो, गणतंत्र का कोई अर्थ नहीं ।।

न्याय स्वतन्त्रता समता बन्धुता, सबको समानता का अधिकार ।

इससे कम में समझौता कैसा, स्वर्ग मोक्ष से भी इंकार ।।

यदि हम उन लोगों को जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, जीने का अधिकार दे सके, समाज में उचित स्थान दे सके तभी हमारी स्वतंत्रता, जनतंत्र, लोकतंत्र सार्थक है, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

श्री मदनलाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मेरा फिर निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी को बुलाइये। वे इसका जवाब दें । मैंने पहले ही पाइंट आफ आर्डर उठाया है । यह केवल मात्र शोषण का मामला नहीं है, हरिजनों पर केवल मात्र अत्याचार का मामला नहीं है । यह ला खण्ड आर्डर का मामला है। उत्तरप्रदेश की पुलिस ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर हरिजनों का किया है उत्तर प्रदेश सरकार को डिसमिस करने की हमने मांग की है । इसका जवाब कौन देगा ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है पासवान जी ने भी अपने विचार प्रकट किये थे ।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, लिखकर भी दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, लिखकर भी दिया है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हाऊस में बोलना है, जो आपने किया है ।

इस सम्बन्ध में पहले जब चर्चा हुई है और जब-जब सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, तो उसको ध्यान में रखकर गवर्नमेण्ट की तरफ से जो कुछ करना चाहिये था वह हुआ भी है । लेकिन अगर आप इसे व्यवस्था का प्रश्न, बोलकर उठा रहे हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह "प्रोप्रायटी" का सवाल हो सकता है, "व्यवस्था का प्रश्न" नहीं है।

गवर्नमेण्ट की जो रेस्पांसिबिलिटी है, वह जाइंट होने की वजह से, अगर दूसरे मिनिस्टर्स, किसी दूसरे काम में लगे हुये हैं,

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय आप पहले मेरी बात सुन लीजिये, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये । आपने अपनी तीव्र भावनायें एक दफा नहीं दो दफा नहीं, बल्कि तीन दफा व्यक्त की हैं । मैं अपने आफिस में भी बैठकर जो यहां पर कहा गया है, उसे सुन रहा था । यहां पर मंत्री महोदय भी हैं और दूसरे सम्बन्धित मंत्री भी बैठे हैं, इसको ध्यान में रखकर जो किया जाना है, जो योग्य होगा, जो उचित होगा, वह करेंगे ।

श्री मदनलाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रोप्रायटी का सवाल तो अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सवाल व्यवस्था का है । यह मसला केवल हरिजनों पर अत्याचार का नहीं

है बल्कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति का है। यह मसला यू०पी की पुलिस का है। यू०पी० की पुलिस के ऊपर एक्शन कौन लेगा ? ये मंत्री नहीं लेंगे। **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कांत सहाय : उपाध्यक्ष जी, यह शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स पर एट्रोसिटीज का सवाल जो है वह वैलफेयर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। रहा सवाल इंटरवीन करने का, तो प्रधान मंत्री स्वयं आयेंगे, वे इंटरवीन करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : जवाब तो जो मिनिस्टर हैं, वही देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इसको आप लम्बा न बढ़ाइएगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर या प्रधान मंत्री जी जवाब दें, तो इसमें क्या हर्ज है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। कृपया बात को समझिए ! हम इस मामले पर काफी विस्तृत तथा ध्यानपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। यह सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है। एक मंत्री उतर देंगे और अगर मैंने श्री सुबोध कान्त का कथन सही सुना है तो प्रधानमन्त्री भी हस्तक्षेप करेंगे। वह यहां पर मौजूद हैं। **(व्यवधान)** मंत्रियों को राज्य सभा में भी जाना है। विदेश से भी दर्शक आए हुए हैं और भी अनेक कार्य है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस मामले को एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं वह पुलिस द्वारा हुआ है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में गर्वनमेंट की ज्वाइंट रिसपोंसीबिलिटी होने की वजह से इनको उत्तर देने दीजिए, स्वयं प्रधान मन्त्री जी भी यहां, उपस्थित हैं। उन्होंने भी यह सूचित किया है कि वे शायद जो उचित है कहने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और बिहार में वैशाली तथा पटना की घटनाओं के सिलसिले में हमने चर्चा की। काफी सार्थक सुझाव हमारे साथियों ने दिए।.....**(व्यवधान)** सर्वाधिक दुखद यह है कि बिहार में जब दलित मरते हैं तो उनके बारे में हमारा मापदंड दूसरा है, उत्तर प्रदेश में जब लोग मरते हैं तो हमारा सोचने का तरीका तत्काल बदल जाता है। इस सदन को कम से कम अपना मानक इन सवालों पर एक रखना चाहिए। मैं निवेदन करूं कुछ सवाल हमारे बड़े भाई पासवान जी ने उठाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब यहां चर्चा हो रही थी मैंने उस समय

भी निवेदन किया था कि यह समस्या सिर्फ सरकारी समस्या नहीं है यह सामाजिक समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है। खास तौर से पूरी चीजों को हम देखें तो हमारे देश में दो धाराएं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के जो नौजवान हैं वे उस हालात में रहने को तैयार नहीं हैं जिस हालात में कभी उनके पुरखे भी रहे हैं। ये सामन्ती समाज अपनी मनोवृत्ति से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं और हिन्दुस्तान के दलितों में सम्मान की जिन्दगी जीने की भूख पैदा हुई है। यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने है और इन्हीं चीजों को देखो तो प्रतापगढ़ की घटना का सम्बन्ध भी इससे मिलता-जुलता है। जो हमारे सी० पी० आई० के कार्यकर्त्ता थे, स्वाभिमानी थे जनता के सवालों को लेकर संघर्ष करते थे; समाजवादी आन्दोलन का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी जानता हूं कि के सवालों को लेकर कितनी परेशानी होती है। किसी ने ठीक ही कहा है :

न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है,
मैं घुटके मर जाऊं यह मरजी मेरे सैयाद की है।

ऐसी अपेक्षा लोगों को रहती है और पूरी घटना के चलते यही हुआ है। यह बात सही है कि 13 व्यक्ति इसमें मारे गए और राज्य सरकार की तरफ से 24 जनवरी को इसकी सी० आई० डी० जांच के आदेश हुए जहां पुलिस ने अपना पक्ष यह बताया कि आमना-सामना हुआ, मुठभेड़ हुई। मुझे आपको इतिला देते हुए सन्तोष है कि सी० आई० डी० की प्रारम्भिक जांच ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस का रोल सन्देह का है और पुलिस द्वारा इस घटना को तोड़-मरोड़कर बनाया गया है, यह प्रारम्भिक जांच हो गई है। उसी के तहत कार्रवाई भी होगी। पूरी जांच हो जायेगी तो उसके परिणाम आयेंगे तब सदस्यों को फिर उससे अवगत कराया जा सकता है। जो पुलिस के लोग थे, जो देवताद्दीन था, उसकी पत्नी श्रीमती सुमरा ने एफ० आई० आर० दर्ज कराया है धारा 364 और 302 के अन्तर्गत। पुलिस अधीक्षक, कुंडा, को बर्खास्त किया गया, थाना प्रभारी, एक सब-इंसपैक्टर, एक ड्राइवर और 11 कांस्टेबलों को निलम्बित किया गया है। इस जिले के पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को हटाया गया है और इस जोन के महानिदेशक के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। 25 हजार प्रति-परिवार को दिया गया है और दो बीघा जमीन प्रति-परिवार को दी गई। चूंकि प्रधान मंत्री यहां हाजिर हैं वह इस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं एक ही निवेदनइस सदन में करना चाहूंगा कि 1857 से नौ सैनिक विद्रोह तक जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का यह मानना था कि आजादी का चरित्र स्पष्ट होना चाहिये। आजादी के दो रूप हैं —एक आजादी वह है जिस में अंग्रेज हमारे देश से चले जायेंगे और और दूसरी वह जब तक हिन्दुस्तान में जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जायी है, उस आजादी का मतलब नहीं है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक इस देश में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। हम लोग जो संसदीय जनतंत्र में हैं, असेम्बली और पालियामेंट के मेम्बर हैं हम कुछ भी भाषण करें, लेकिन अविलयत के सवाल पर, कमजोर वर्ग के सवाल पर जो कुछ सोचते हैं वहां हमारी कथनी और करनी में अन्तर होता है। हमें इन सवालों पर एक साथ चलना होगा और प्रयास करना होगा कि समाज अपनी मनोवृत्ति को बदले। मुझे यही निवेदन

करना था और मैं समझता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव यहां लाया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अब प्रधान मन्त्री जी बोलेंगे लेकिन मैं उनसे इस घटना से संबंधित दो चीजों के बारे में जानकारी चाहूंगा। जिस अफसर ने गोली मारी उसको पुरस्कार कैसे दे दिया गया और दूसरा जो लोग मरे हैं क्या वह डकैत थे ?

श्री रामजी लाल सुमन उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि जो सी० आई० डी० जांच की प्रारम्भिक रपट है, उसमें पुलिस के रोल को संदेहपूर्वक माना गया है। उस जांच के अनुसार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जांच चल रही है इसलिये मेहरबानी करके आप परिणामों का इन्तजार करें।

श्री मदन लाल खुराना : गिरफ्तार कितने लोगों को किया गया है ?

श्री राम जी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जांच की परिभाषा अपनी सुविधानुसार बना लेते हैं। आप और हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है। जिसके खिलाफ 10-20 मुकदमे न चल रहे हों। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा आज दोपहर से चल रही है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं यहां उपस्थित नहीं हो सका। मैं इस सदन की भावना को समझता हूं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। उधर गल्फ में मानवता का संहार हो रहा है। मुझे दूसरे सदन में जाना पड़ा वहां गल्फ पर बहस थी।

पिछले दिनों जब यह चर्चा सदन में हमारे मित्र श्री मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा ने उठायी थी तो मैंने उसी समय यह कहा था कि यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। हमारे देश में गरीब तबकों के ऊपर जो शोषित उपेक्षित समाज है उसके ऊपर अत्याचार हो तो इसकी गम्भीरता बढ़ जाती है। जब इसमें शासन की वह इकाइयां जो सुरक्षा के लिये जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर संदेह हो तो उसकी गम्भीरता और बढ़ जाती है। मुझे यह कहने में दुख होता है कि यह घटना ऐसी है जिनमें वहां के पुलिस के लोगों का व्यवहार संदेह से परे नहीं है। यह बात राज्य सरकार भी मानती है। जो जानकारी हमने की है उससे भी ऐसा लगता है।

पुलिस के कुछ अधिकारियों ने ज्यादती की और ज्यादती कोई ऐसी वैसी नहीं, जिसमें कुछ निर्दोष लोगों की जानें गई। अब उसमें कितने दोषी थे, कितने निर्दोष थे, इस आंकड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता लेकिन अगर एक भी निर्दोष आदमी मारा गया या दोषी आदमी भी गलत तरीके से मारा गया तो यह गलत बात है। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उसकी पूरी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जायेगा, उसे सजा भी मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बारे में कदम उठाये हैं और जांच हो रही है। हम समझते हैं जल्दी ही उसका परिणाम निकलेगा।

एक माननीय सदस्य : अरैस्ट तो नहीं किया किसी को अभी तक।

श्री चन्द्रशेखर : मैं उसका उत्तर दूंगा। मुझे यह कहा गया कि एक अधिकारी, जिसको गिरफ्तार करने की बात की गयी है, वह फरार है और कुछ लोगों की जमानत करा ली गयी है, इस कारण गिरफ्तारी नहीं हुई। जानबूझकर किसी को नहीं छोड़ा गया है लेकिन ... (व्यवधान) ....

श्री राजबीर सिंह : 302 की जमानत हो गई एडवांस में? हमारे यहां गांव का आदमी कोर्ट में जाता है ... (व्यवधान) .... इसी से नीयत का मालूम पड़ जाता है। 302 में जमानत नहीं होती .... (व्यवधान) ...

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता ....

उपाध्यक्ष महोदय : जमानत कोर्ट से होती है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यह सूचना है, यह सूचना गलत भी हो सकती है, मैं सदन में पहले ही कह दूं लेकिन एक अजीब प्रश्न है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, आखिर अदालत ने किसी को जमानत दे दी हो तो सरकार के वश की बात नहीं है और सरकार की नीयत इस बारे में ... (व्यवधान) ... लेकिन अगर कोई असावधानी हुई है, किसी के जरिये तो उस असावधानी को हम लोग देखेंगे कि उसमें सुधार किया जाए।

उपाध्यक्ष जी, देश एक अजीब लत से, एक संक्रमण काल से गुजर रहा है हमारे समाज का एक वर्ग जो हजारों वर्षों से शोषित और पीड़ित रहा है, वह इतिहास पर अपना पहला चरण रख रहा है, पहला कदम रख रहा है, जो हमारे आदिवासी, हरिजन और कुछ गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वह समाज के उन तबकों से आते हैं; जिनको आज से नहीं सैकड़ों हजारों वर्षों से हमने कहा है कि तुम शोषित, पीड़ित, लांछित हो, तुमको प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने, खुदा ने बनाया है, यही जीवन लेकर तुम पैदा हुए हो लेकिन उन वर्गों के लोगों में चेतना आ रही है, जागृति आ रही है, दो कारणों से जागृति आ रही है, एक तो लोकतांत्रिक जनतंत्र में हम हर पांच वर्ष पर और कभी-कभी जल्दी भी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं ... (व्यवधान) प्रसन्न हो गये? अगर इससे प्रसन्न हो गये तो मुझे बहुत खुशी है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम यह जाकर कहते हैं कि तुम्हीं समाज को बनाने वाले हो, तुम्हारे बल पर कल का हिन्दुस्तान बनेगा तो एक तो जागृति के कारण आ रहा है, दूसरे समाज की अपनी एक गत्यात्मकता होती है, जिसको सोशल डायनेमिज्म कहते हैं, चाहे हम चाहें, या ना चाहें समाज स्वयं में परिवर्तित होता रहा है, उसमें यथास्थिति नहीं रह सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, उस समय हिन्दुस्तान में जितने विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे थे, उतने ही विद्यार्थी आज हरिजन और आदिवासी परि-

वारों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा पा रहे है । उनको दुनिया में क्रान्तियों के इतिहास बताये जाते हैं और वह जानते हैं कि किसी भगवान ने, किसी खुदा ने नाबराबर और शोषित, उपेक्षित नहीं बनाया, सामाजिक व्यवस्था ने आज के तर्जे अमल ने उन्हें शोसित और उपेक्षित बनाया है इसलिए वह अपना अधिकार चाहता है । अब हमें और आपको तय करना है कि हम उनकी आकांक्षा के अनुरूप, उनके जज्बातों के मुताबिक अपने को बदलेंगे, राज की नीति को सरकार के कार्यक्रमों को निर्धारित उस आधार पर करेंगे या शासन की दमनकारी शक्तियों का उपयोग करके उनकी आवाज को हम दबाने की कोशिश करेंगे ।

दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन आसान काम नहीं होता । व्यवस्था पर, जो लोग सम्पत्ति पर, शक्ति पर, राजसत्ता पर हावी होते हैं, आसानी से अपने हितों की तिलांजलि नहीं दे सकते ।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : इधर-उधर की बातें करने से अच्छा होगा कि आप विशिष्ट मुद्दे और घटना की बात करें जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं··· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप प्रतापगढ़ गये थे या नहीं ?

श्री चन्द्र शेखर : अगर शोर करना है तो ठीक है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं । दोनों तरफ से करो, हमें कोई एतराज नहीं है ।

यह बात सही है चिल्लाते वही है जो डरते हैं । जिनको डर नहीं होता है, वे चिल्लाते नहीं हैं । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमको परिवर्तन की धारा को तेज करना होगा और हमारे मित्र ने अभी पूछा, मैं स्पेसिफिक रूप से कहता हूं, अगर इस स्थिति को मिटाना है तो हमको परिवर्तन की धारा को तेजी से लेना पड़ेगा । उन वर्गों के हित में काम करना होगा, जो वर्ग आज तक शोषित और उपेक्षित रहे हैं । यह सही है कि कानून और व्यवस्था की बात है, यह सही है कि इसमें पुलिस की कमजोरी है, यह सही है कि इसमें प्रशासन की कमजोरी है, लेकिन कमजोरी हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी है । उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा और उस दिशा में हमें कदम उठाना पड़ेगा । इसलिए हम चाहेंगे कि जो लोग आज जिन अत्याचारों की बात करते हैं, वे सही दिशा में कम से कम इतना तो कदम उठा रहे हैं कि सामाजिक चेतना की धारा को समझने लगे हैं । जो सामाजिक चेतना आज अपना स्थान मांग रही है और उस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की मांग करती है, जिस सामाजिक व्यवस्था के अन्दर इस तरह का शोषण और इस तरह का दमन संभव हो सका है । मुझे विश्वास है कि मानसिकता बनी रहेगी । जब हम आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करेंगे, तब हम समाज को बदलने के लिए कदम उठायेंगे । उस समय हम कहीं बगलें न झांकने लगें । इस बात को सोचना चाहिए कि मानव पीड़ा को केवल व्यक्तिगत घटनाओं में न देख कर मानव पीड़ा को सामाजिक परिवर्तन के परिवेश में देखने की हमको शक्ति प्राप्त करनी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आज इस सदन में जो बहस चली है, वह बहस एक सही दिशा में है। लेकिन इस बहस को इसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा, इसको, गंतव्य तक पहुंचाना होगा और बड़ा अच्छा होगा यदि यह सदन इस बात पर तत्पर हो, इस बात के लिए तैयार हो कि हम सब मिलकर उस सामाजिक परिवर्तन को लाने की कोशिश करें, जिस सामाजिक परिवर्तन में कोई हरिजन और आदिवासी बेबस न हो, कोई लाचार न हो और कोई उस दमन का शिकार न बनने पाये। लेकिन मुझे दुःख के साथ और सकोच के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मित्रों में इस सवाल पर एकता दिखाई पड़ती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की नीतियों के सवाल पर हम सदन में वह एकता नही देख पाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर हमारे मित्र जो इधर बैठे हुये हैं और उधर बैठे हुये हैं, दोनों मिलकर के सामाजिक परिवर्तन की धारा को तेज करने में साथ काम करेंगे देश को उस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे···**(व्यवधान)**····आपकी नजर में मैं दकियानूसी हूंगा, लेकिन प्रगतिशीलता जहां पर है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं।··· **(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ला एण्ड आर्डर का सवाल है, कानून और व्यवस्था का सवाल है, मानव जाति का सवाल है, उसमें कोई अन्तर नहीं है, चाहे वह बिहार हो, यू० पी० हो। मैं एक बात और देखता हूं, हर सवाल को हम ऐसा समझते हैं कि एक दलगत सवाल है। मौत दलगत नहीं होती है, मौत जहां होती है, वहां इंसानियत का कत्ल होता है और उस पर कोई राजनीतिक मतभेद लगाने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि कम से कम कुछ सवालों पर तो हम एक मत हो करके बोलें। अगर किसी के द्वारा सरकार की ओर से यह कहा गया होता कि वहां जो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो बात समझ में आती है। हमारे कई मित्रों ने दस्ता दिखाया और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है तो मैं पहला आदमी होऊंगा, आपके साथ यह कहने में कि उत्तर प्रदेश सरकार की भर्त्सना करते हैं अगर मैंने कभी कहा हो, जो वहां पर हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, जहां आदमी मरता है, बेकसूर आदमी मरता है और वह हम सबके लिए कलंक की बात है।

श्री राम विलास पासवान : उसको तो प्राइज दिया है, प्रधान मंत्री जी।···**(व्यवधान)**···

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानता हूं, अगर उसको कोई इनाम दिया गया है, जैसा हमारे मित्र राम विलास पासवान जी कहते हैं, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह आदमी दोषी है, मैं इस बारे में जरूर जांच करूंगा, तो उनको सजा मिलेगी। इसमें क्या बात है। अगर कोई गलती हो गई है, मैं यह नही कहता हूं कि हमसे गलती नही होती है, हम देवदूत तो नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो सीधे स्वर्ग-लोक से सीधे धरती पर उतरे हैं और उनको कोई क्षोभ नहीं है लेकिन हम उन लोगों में से नही हैं। मैं तो आप जैसा एक साधारण नागरिक हूं, मुझ से गलतियां हो सकती है और उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए हम हर समय तैयार हैं। मैं यह नही कहता कि जितने काम हो रहे हैं, वे सब सही हो रहे हैं। गलतियां जहां होंगी, अगर आप उन

की ओर संकेत करेंगे तो मैं अपने मित्र श्री राम विलास जी को आश्वासन देता हूं···(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव (बदायूं) : देवदूत कौन उतरा है यहां पर, यह समझ नहीं पाया । यहां कोई नहीं कहता है, हम देवदूत हैं; हम देवदूत उतरे हैं यहां । (**व्यवधान**)

8.00 **म. प.**

श्री चन्द्र शेखर : मैं उनको देवदूत नहीं मानता हूं क्योंकि वे हमारे ही साथ दो दिन काम किए हैं । वे हमारे ही जैसे साधारण कार्यकर्त्ता है; लेकिन देवदूत होते हैं और आप उनको हमारे से ज्यादा जानते हैं और उनसे परिचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस सवाल के ऊपर एक मत होकर के इसका प्रतिकार करें और मैं अपने मित्र श्री विजय कुमार और श्री खुराना जी से कहूंगा उन्होंने जो सवाल उठाया, यह महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया । मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि इस ज्वलंत समस्या की ओर इस सदन और देश का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है । उनकी प्रेरणा से हमें भी प्रभावी ढंग से कार्य करने की शक्ति मिलेगी, लेकिन इसमें दोनों की मंशा पर आप कोई आक्रमण न करें तो ज्यादा अच्छा होगा । हम जानते हैं कि आप जैसे, शायद हमारे मन में उनके लिए ममता न हो लेकिन मानवता के प्रति थोड़ा हमारे दिल में भी ममत्व है । यह स्वीकार करके आप काम करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार हो, इस बारे में किसी को भी मतभेद नहीं खड़ा करना चाहिए । हर सरकारें मिल करके इस हालत को बदलें; यही हमारी धारणा है और यही हमारा प्रयास होगा । हरिजन और आदिवासियों के दिलों में जो विश्वास और शंका है, उस विश्वास और शंका की भावना को और अधिक मत बढ़ाइये, क्योंकि शंका, संदेह और भय अगर लोगों के मन में बैठ जाता है तो परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं ।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि जो कठिनाइयां, गलतियां और बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए आप कोशिश जरूर करें लेकिन कृपया ऐसा काम न करें जैसे साजिश, षड्यंत्र हो रहा है, सारे हरिजनों और आदिवासियों को पीड़ित और प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है । अगर ये भावना देश के अन्दर फैलाओगे तो इस सदन की ओर हरिजन और आदिवासी आशाभरी निगाह से नहीं देख पायेगा । उसके लिए फ्रसट्रेशन और डेसपेयर (निराशा और अन्धकार) के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और निराशा और अन्धकार का रास्ता भया वह का रास्ता होता है । आप त्रिपुरा से तमिलनाडु तक देख लीजिये, आदिवासी इलाकों में आज एक बैचेनी, पीड़ा और दर्द है, उस बैचेनी और दर्द को और अधिक आगे न बढ़ायें । उस बैचेनी को दूर करने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, हमारा यही निवेदन होगा । (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी अनुमति के बिना बोला जाएगा वह कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा····

*(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए भारत के प्रधान मंत्री कौन से निवारक कदम उठा रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि आप इस सभा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाएं और इस बारे में निर्णय लें कि ऐसी घटनाओं को दुबारा न होने देने को रोकने के लिए कौन से निवारक कदम उठाए जाएं और सरकार उस निर्णय का अक्षरशः पालन करेगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : उतर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार भी इस बारे में घोषणा कर सकती है। केन्द्र सरकार उनको सहायता दे सकती है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, जबकि इस प्रकार की घोषणा करना मेरे लिए उचित नहीं है लेकिन चूंकि सदस्य बहुत चिंतित और उत्तेजित हैं इसलिए भारत सरकार धन देगी ताकि प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को कम से कम एक लाख रुपया मिल सके। यदि उत्तर प्रदेश अथवा बिहार सरकार ने कुछ क्षतिपूर्ति दी है तब वह भी इसमें शामिल होगी।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे गृह राज्य मंत्री बिहार के मसौढ़ी थाने में गए इसके लिए हमें संतोष है, ऐतराज नहीं है, पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके में या बेगूसराय में जहां पर हत्याएं हुई, वहां पर प्रधान मंत्री जी या गृह राज्य मंत्री जी नहीं गए, यह फर्क क्यों किया, क्यों नहीं वहां पर जा सके ?

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य का ऐतराज सही है, मैं वहां नहीं गया और दूसरी जगह राज्य मंत्री गए। इस जगह पर भी कोई मंत्री या स्वयं मैं चला जाऊंगा, अगर इससे उन लोगों को ढाढस और संतोष होता है तो इस संतोष को देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो राजनीति में नया हूं। प्रधान-मंत्री जी का भाषण सुनकर मैं बिल्कुल भाव-विभोर हो गया और मैं अपने आपको पब्लिक मीटिंग में समझने लगा। वास्तव में जन सभाओं के लिए इस तरह के भाषण अच्छे हैं। मैं श्री चन्द्रशेखर जी का बहुत आदर करता हूं और मैं समझता हूं कि देश के युवाओं की अगुवाई उन्होंने की है और मुझे लगता है कि कभी सत्ता के पीछे वे नहीं दौड़े। चन्द्रशेखर जी की अपनी अलग स्पष्ट भूमिका रही है और इससे लोगों को लगा कि वास्तव में देश में दूसरी दिशा की सोच के लोग भी हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 महीनों में वे उससे बिल्कुल पलट कर सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रशेखर जी की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं और जो कुछ उन्होंने किया है, यह वास्तव में आदरणीय है, पर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके बारे में मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। वास्तव में जिसके घर में घटना होती है, जिसको रोटी नहीं मिलती, जिस परिवार का व्यक्ति मारा जाता है, उसका अहसास उसी को होता है। जो परिवार अनाथ हो गया, जिन माताओं और बच्चों को देखने वाला नहीं है, उनकी पूर्ति 25 हजार रुपये से नहीं होगी। वास्तव में पूरी जिन्दगी बिताने के हिसाब से उनके लिए कुछ करना होगा। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार जो कार्यवाही होती है, जो घटनाएं होती हैं, पूरे देश की जानकारी में आती हैं, निश्चित रूप से इन घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े खेद की बात है कि 14 जनवरी को घटना हुई और स्पष्ट प्रमाण हैं, अखबारों में सारी चीजें आ चुकी हैं, वहां के क्षेत्रीय डी०आई०जी० ने 500 रुपये पुरस्कार दिया, उसके बाद भी केन्द्र सरकार को सही सूचना नहीं मिली तो यह किसकी अक्षमता मानी जाएगी, निश्चित रूप से आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि 30 तारीख और 2 तारीख के जो अभियुक्त हैं, उनको प्रश्रय दिया गया, उनको बढ़ावा दिया गया, वास्तव में इस तरह की घटनाएं होना गंभीर बात है। इस बात को प्रधानमंत्री जी को इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन सीधे उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस घटना का विरोध कर रहे हैं, वास्तव में पूरे देश में जो कुछ हो रहा है, अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। आजादी के 43 वर्ष के बाद भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक जरा सी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर फौज में भरती हो रही हो और वहां जाकर कोई कह दे कि मैं चमार या कुर्मी हूं, तो उसकी भरती नहीं होगी, उसको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। क्या हम लोगों में खून नहीं है, क्या हमारी रगों में वह बात नहीं है। वास्तव में जरूरत इस बात की है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।

एक और स्वरूप मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आदर्श उपस्थित किया। (व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि सदन इस तरह का अखाड़ा साबित न हो जहां हम लोग भाषण देकर चले जाएं और जाकर सेंट्रल हाल में चाय पिएं, वास्तव में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की समस्या को सही रूप में लेना चाहिए। इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इसी पर्टीकुलर घटना में दफा 302 का मुकदमा कायम होने के बाद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो यह किसकी अक्षमता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थिति को समझा है, उसके हिसाब से घटना को देखा है। (व्यवधान)

इस चर्चा में बहुत से साथियों ने भाग लिया और बहुत अमूल्य सुझाव दिए, जो आने वाले समय में मार्गदर्शक हो सकते हैं। (व्यवधान)

मैं केवल यह चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था रहे कि अगर इस प्रकार की

घटना कहीं हो तो निश्चित रूप से पूरा देश उस पर चिन्ता करे। मेरा निवेदन है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है और व्यवस्था को बदलने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो हटाया जाए। ऐसा न हो कि असम में कुछ, तमिलनाडु में कुछ, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ। हम चाहते हैं कि आज ठीक तरह से आचरण करें। निश्चित रूप से आप ठीक हिसाब से फैसला दें। मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि इस काम में प्रधानमंत्री जी को सहयोग दें और उनसे आग्रह करें कि वे त्याग-पत्र दे कर पुनः चुनाव करवाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि सभा अब स्थगित हो।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो विरोध में हों कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली कर दी गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

समय 8. 17 म० प०

मत विभाजन संख्या: 2

पक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
आचार्य, श्री वसुदेव
आडवाणी, श्री लालकृष्ण
उमा भारती, कुमारी
कापसे, प्रो० राम गणेश
काबडे, डा० वेंकटेश
कालका दास, श्री
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कोशिक, श्री पुरुषत्तोम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कांति
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जटिया, श्री सत्यनारायण
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जायनल अबेदिन, श्री
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकांत
झा, श्री भोगेन्द्र
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डोम, डा० रामचन्द्र
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तोपदार, श्री तरित बरण
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
देशमुख, श्री चन्दूभाई
नाईक, श्री राम
नीतीश कुमार, श्री
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनाराय
पाल, श्री एम० एस०
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
बेग, श्री आरिफ
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मन्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाता, श्री चित्त
महाले, श्री हरि शंकर
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ीलाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मेघवाल, श्री कैलास
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, जी
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राय, श्री ए० के०
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रावत, प्रो० रासा सिंह
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
विजयराघवन, श्री ए०
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाह श्री बाबूभाई मेघजी
शिवनकर, प्रो० महादेव
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सुर, श्री मनोरंजन
सेल्वारासु, श्री एम०
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरीश पाल, श्री
हर्षवर्धन, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जे० पी०
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अम्बीरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
उरांव, श्रीमती सुमति
एंटनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
करेदुला, कुमारी कमलाजो
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन प्रो० पी० जे०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
केशरी लाल, श्री
कोटडीया, श्री मनुभाई
कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनकराज
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चन्द्र शेखर; श्री
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश श्री
जयमोहन, श्री ए०
जीवरत्नम, श्री आर०
डामोर, श्री, सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तिवारी श्री बृजभूषण
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुमन, श्री पी० के०
दिनेश सिंह, श्री

देव बर्मन, श्री के० बी० के०
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
नन्दी श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री पी० जी०
पडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पलनीसामी, श्री के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पांडे, राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री यशवंतराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
बंसी लाल, श्री
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाल गौड श्री टी०
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह राव
बेंजामिन, श्री एस०
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भजनलाल, श्री
भाटिया श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मणवर, श्री बलवन्त
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मल्लिकार्जुन, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
महाडीक, श्री वामनराव
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मैथ्यू, श्री एम० के० पलाई
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राकेश, श्री आर० एन०
राजू, श्रीमती उषा गजपति
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजेश्वरन, डा० वी०
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री० ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री आर०गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी श्री ए० वेंकट
रेड्डी श्री एम० जी०
रेड्डी श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
विश्वनाथम, डा०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पीस आर० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री धर्मपाल
शाक्य, श्री राम सिंह
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शिंगडा, श्री डी० बी०
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी०
श्रीनिवासन, श्री सी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसंत
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
साय, श्री ए० प्रताप
सारण; श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम श्री बासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुमन, श्री रामजी लाल
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेमा, श्री शिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलकी, श्री सूरजभानु

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम*

इस प्रकार है :

पक्ष में : 119

विपक्ष में : .86

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

8.19 म० प०

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के संबंध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प – (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत होने के तत्काल बाद हमें दूसरे मुद्दे को लेना होगा।

इसलिए मैं जसवन्त सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि मद सख्या 8 अर्थात् तमिलनाडु राज्य के सबंध में की उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प पर वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की भावना को देखते हुए कल मुझे अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दें। महोदय, हम तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने से सम्बन्धित प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं और सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : डा० असीम बाला और डा० विप्लव दास गुप्ता

विपक्ष में : प्रो० एन० जी० रंगा, सर्वश्री कपिल देव शास्त्री, बोजा वेंकट रेड्डी, एम० जे० अकबर, वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु, मोहम्मद शफी।

.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 फरवरी 199 /1 7 फाल्गुन 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एण्ड संस, 7117/18 पहाड़ी धीरज दिल्ली-6